पंचम माला, खंड 40, अंक 53 गुरुवार, 9 मई, 1974/19 वैशाख, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XL, No. 53 Thursday, May 9, 1974/Vaisakha 19, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 40 में अंक 51 से 54 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 51 to 54]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये
Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 53—गुरुवार, 9 मई, 1974/19 वैशाख, 1896 (शक)

No. 53—Thursday, May 9, 1974/Vaisakha 19, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता०प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
996	पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्यों की सुरक्षा	Security of Hill States of Eastern India . . .	1–2
998	नई कारों की खरीद पर प्रतिबंध	Restrictions on purchase of New cars . . .	2–4
999	रेलवे विवाद में मध्यस्थी	Mediation in Railway Dispute	4–12

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
997	खेतडी तांबा परियोजना	Khetri Copper Project .	13
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1000	एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, जके नगर को दिया गया आशयपत्र	Letter of Intent issued to Aluminium Corp. of India, Jayakanagar . . .	13–14
1001	बिहार में बौलिया खदान मजदूर संघ के कार्यालय पर कथित हमला	Alleged Attack on Baulia Quarry Mazdoor Sangh Office in Bihar	14
1002	खानों में कोयले की उपलब्धता	Coal Availability in Mines .	14
1003	राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न प्रकार के इस्पात के लक्ष्य	Targets for Types of Steel at Rourkela Steel Plant . .	14–15
1004	दक्षिण में बिना निकाले गये खनिज निक्षेप	Unexplored Mineral Deposits in South . . .	15
1005	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में संशोधन	Amendment of Workmen's Compensation Act . .	15
1006	दवाइयों की सप्लाई का काम सरकारी क्षेत्र में लाना	Taking over Supply of Medicines by Government . . .	16
1007	राज्यों में पोलियो से पीडित बच्चे	Children Suffering from Polio in States . . .	16
1008	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना	Non payment of Workers dues in National Coal Mines .	16–17

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—19 L.S.S./74

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1009	भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार में विलंब	Delay in Expansion of Bhilai Steel Plant . . .	17
1010	पाकिस्तान के साथ हाल की लड़ाई के दौरान कथित लापता भारतीय व्यक्तियों की तलाश	Search for Indian Personnel Reported missing during recent conflict with pakistan .	17
1011	पाकिस्तान द्वारा यु० के० से पनडुब्बीनाशक युद्धपोत प्राप्त करना	Acquisition by Pakistan of Anti-Submarine Warships from U.K.	18
1012	भारतीय सेना के तकनीकी तथा गैर तकनीकी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन और भत्ते	Salaries and Allowances of Technical and non-Technical Commissioned Officers of Indian Army	18
1013	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में चोरियां	Thefts in IISCO, Burnpur .	18–19
1014	कलकत्ता में आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ इन्डीजिनस मेडिसिन्स स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव	Proposal from West Bengal for setting up All India Institute of Indigenous Medicines in Calcutta. . . .	19
1015	सीरम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, कलकत्ता के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Department of Serology, Government of India, Calcutta . . .	19
9633	बिहार में चिकित्सा कालेजों की कमी	Shortage of Medical Colleges in Bihar	19–20
9634	अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल	Strike by All India's Federation of Electricity Employees .	20
9635	पश्चिमी जर्मनी में भारतीय मूल के व्यक्ति	Persons of Indian Origin in West Germany . . .	20
9636	रूस में भारतीय मूल के निवासी	Persons of Indian Origin in U.S.S.R.	20
9637	समुद्र से कोयले की ढुलाई	Movement of Coal by Sea .	21
9638	कोयले की कमी के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के बंद होने का भय	Bhilai Steel Plant Faces Closure due to Coal shortage .	21
9639	नैवेली लिग्नाइट निगम में श्रमिक संघों दवारा की गई मंजूरी संबंधी मांग	Wage Demand by Unions in Neyveli Lignite Corporation	21–22
9640	पांचवी पंचवर्षीय योजना में कोयले का निर्यात	Coal Exports during Fifth Five Year Plan . . .	22
9641	दिल्ली छावनी बोर्ड के श्रणी तीन तथा चार के कर्मचारियों को धुलाई-भत्ते की अदायगी	Payment of Washing Allowance to class III and IV Employees of Delhi Cantonment Board.	22

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9642	रोजगार सहायता नियमों में संशोधन	Amendment of Rules for Employment Assistance . .	22–23
9643	मिलिटरी स्कूल, पंचमढ़ी के कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार के लिए ज्ञापन	Memorandum from Employees of the Military School at Panchmari Re: improvement of Service Conditions . .	23
9644	मध्य प्रदेश के संस्थानों और कारखानों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियां	EPF outstanding against Institutions and Factories in M.P.	23
9645	मध्य प्रदेश के संयंत्र में स्कूटरों का उत्पादन	Production of Scooters in Madhya Pradesh Plants . .	23–24
9646	मध्य प्रदेश बीड़ी कारखानों के कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करना	Application of EPF Act to Workers of Bidi Factories in Madhya Pradesh . .	24
9647	होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित मछयारों, भूमिहिन श्रमिकों को सहायता	Help to Flood Affected Fishermen and Landless Labourers in Hoshangabad, M.P. .	24
9648	विभिन्न देशों के साथ संयुक्त आयोग समिति प्रणाली	System of Joint Commissions/Committees with various Countries . . .	24–25
9649	वर्ष 1973 में मंत्रालय को सौंपे गये श्रमिक विवादों का फैसला	Settlement of Labour Disputes referred to Ministry in 1973	25
9650	सेना के कर्मचारियों तथा पैंशनरों द्वारा मिलिटरी कैंटिन से खरीदे माल को बिक्री कर से मुक्त करने का प्रस्ताव	Exemption from Sales Tax on purchase by Army personnel and Pensioners from Military canteens . . .	25–26
9651	अधिक संख्या में वाणिज्यिक मोटर-गाड़ियां बनाने के लिए टाटा इंजीनियरींग एंड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड का विस्तार	Expansion of TELCO for producing more Commercial Vehicles	26
9652	वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों का 47वां वार्षिक सम्मेलन	47th Annual Conference of Chambers of Commerce and Industry . . .	26–27
9653	मैसर्स बी० बी० जे० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के प्रबंधक मंडल के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against management of M/s. BBJ Construction Co. Ltd. . . .	27
9654	जनरल जी० जी० बेउर की सेवा अवधि बढ़ाना	Extension of Term of General G.G. Bewoor . . .	27
9655	चीनी मिट्टी खदान में न्यूनतम मजूरी अधिनियम का लागू किया जाना	Enforcement of Minimum Wages Act in China Clay Mine	27–28

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9656	अमरीकी युद्धपोतों का हिन्द महासागर छोड़ने के बारे में समाचार	Press report regarding US warships leaving Indian Ocean.	28
9657	युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को पैट्रोल पम्पों का आबंटन	Allotment of a petrol pump to the dependents of military personnel killed in action .	28
9658	कैंटिन स्टौर डिपार्टमेंट आफ इंडिया को स्कूटरों का आबंटन	Allotment of scooters to canteen Store Department of India	29
9659	भविष्य निधि में जमा की गई बोनस की राशि की वापसी	Return of Bonus amount credited to Provident Fund .	29
9660	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय संख्या 29, नानकपुर, नई दिल्ली में रात्रिसेवा	Night Service in CGHS Dispensary No. 29, Nanakpur, New Delhi	30
9661	नेहरु होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के छात्रो द्वारा दिया गया मांग-पत्र	Charter of demands presented by students of Nehru Homoeopathic Medical College, New Delhi . . .	30
9662	नेहरू होंम्योपैंथीक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना	Affiliation of Nehru Homoeopathic Medical College, New Delhi to Delhi University .	30–31
9663	नई दिल्ली होम्योपैथिक अस्पताल का निर्माण	Construction of Homoeopathic Hospital in New Delhi . .	31
9664	औषधियों के फार्मूलेशनो के ब्रांड नाम	Brand names of Drug formulations	31
9665	हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की नौसनिक अड्डे स्थापित करने संबंधी योजनाओं के कारण उत्पन्न सुरक्षा संबंधी समस्याएं	Defence problems posed by plans of USA and USSR Naval Bases in Indian Ocean .	31–32
9666	बडौदा हिन्दुस्तान ट्रैक्टर प्लांट	Baroda Hindustan Tractor Plant	32
9667	तटवर्ती जहाजों दवारा कोयले का परिवहन	Coal Transportation by Coastal Shipping . . .	32–33
9668	जैसपवर्कस के कार्यकरण की जांच की मांग	Demand for a probe into Working of Jessop Works .	33
9669	इस्पात कारखानों में कोयला पहुँचाने संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने वाली समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee which studied Coal Movement problem at Steel Plants . .	33–34
9670	इलैक्ट्रिक–आर्क–फर्नेस के लिये सक्रेप आयात करने का निर्णय	Decision to import scraps for electric Arc Furnaces .	34

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9671	दुर्गापुर इस्पात संयत्र के अधिकारियों द्वारा परिचालित श्वेत पत्र	White paper circulated by Officers of Durgapur Steel Plant . . .	34
9672	पश्चिम बंगाल के माल डिब्बे बनाने के उद्योगों की निर्धारित और प्रयुक्त क्षमता	Rated and Utilised Capacity of Wagaon Building Units in West Bengal . . .	34-35
9673	भारतीय रेल द्वारा पांचवी योजनावधि के दौरान वैगनों के क्रयादेश	Order for Wagons by Indian Railways during Fifth Plan period . . .	36
9674	हिन्दुस्तान मोटर्स में क्वालिफाइंग शयरों की खरीद	Purchase of qualifying Shares in Hindustan Motors . .	36
9675	इस्पात की कमी	Steel Shortage . . .	37
9676	अल्युमिनियम के पिंडों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Aluminium Ingots . . .	37-38
9677	दावेदारों के न मिलने पर भारत, पाकिस्तान तथा बंगला देश द्वारा अधिकार में ली गई विस्थापित सम्पत्ति	Evacuee Property taken over by Governments of India, Pakistan and Bangladesh for want of Claimants . .	38
9678	'बंफेली' विमान के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to Manufacture Buffalo Plane . . .	38
9679	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत परियोजना डिवीजन की स्थापना	Setting up of a Power project Division of Bharat Heavy Electricals Ltd. . . .	38-39
9680	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड द्वारा कलकत्ता के निकट एक गैसिफिकेशन प्लांट की स्थापना	Setting up of a Gasification Plant by Engineering project India Limited near Calcutta .	39
9681	राज्यों में खाद्क अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अंतर्गत मामले	Cases under the prevention of Food Adulteration Act in States . . .	39-40
9682	वैगन उद्योग के लिए रोलर वेयरिंग व्हील सेटों का देश में ही निर्माण	Indigenous production of Roller Bearing Wheel sets for Wagon Industry . .	40
9683	उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान रक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमिततायें	Irregularities Committed by Officials of Defence Department during Election in U.P. . .	40
9684	स्टील ट्यूब युनिटों की पूरी क्षमता का उपयोग	Utilisation of Full capacity by Steel Tubes Units . .	41
9685	एस्कार्टस लिमिटेड, फरीदाबाद द्वारा ट्रैक्टरों का उत्पादन	Production of Tractors by Escorts Limited Faridabad .	41-42

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9686	आदिवासियों से खून लेना	Taking Blood from Adivasis	42
9687	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा और अधिक कारखानों की स्थापना	Setting up of more Factories by HMT . . .	42-43
9688	मशीनी औजार उद्योग द्वारा उत्पादन के विविधीकरण किए जाने की अनुमति का न दिया जाना	Non-allowing of Diversification of Production by Machine Tools Industry . . .	43
9689	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का पुनर्गठन	Reorganisations of HMT .	43
9690	बाबा साहिब अम्बेडकर स्मारक समिति, महू को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Baba Saheb Ambedkar Memorial Society, Mhow . . .	43-44
9691	कारों की मांग में कमी	Decline in Demand of Cars .	44
9692	दिल्ली के अस्पतालों के जूनियर डाक्टरों को दिए गए, आश्वासनों का पूरा करना	Fulfilment of Assurances given to Junior Doctors of Delhi Hospital . . .	44-45
9693	कच्छ (सौराष्ट्र) में कपड़ा मजदूरों को महंगाई भत्ता	D.A. to Textile Workers in Kutch Saurashtra . .	45-46
9694	1962, 1965 तथा 1971 के युद्ध-पीड़ितों को नौकरियां और एजेंसियां	Jobs and agencies to War Victims of 1962, 1965 and 1971	46-47
9695	देश में बेरोजगार डाक्टर और नर्सें	Unemployed Doctors and Nurses in the country . .	47-48
9696	राजस्थान में भूमिगत समुद्र	Underground Sea in Rajasthan	48-49
9697	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के झुंझुन जिले के मृत तथा अपंग सैनिकों के परिवारों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Families of killed Soldiers and Disabled Servicemen of District Jhunjhunu of Rajasthan .	49
9698	रक्षा मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र से खरीदे गए उपकरण तथा अन्य सामान	Equipment and Supplies procured by Defence Ministry from Private and Public Sectors . . .	49-50
9699	सड़क परिवहन के लिए कोयले की मात्रा में कमी	Reduced quantity of Coal for Road Transport . . .	50-51
9700	भारतीय एल्यूमिनियम निगम, जयकानगर में तालाबंदी	Lock-out in Aluminium Corporation of India, Jayakanagar	51
9701	एल्यूमिनियम उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषित करना	Aluminium Industry declared priority Industry . . .	51-52
9702	केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव	Resolution adopted by Central Council for Health and Family Planning . . .	52

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9703	बोकारो के इंजीनिरों पर लाठी चार्ज किया जाना	Lathicharge on Bokaro Engineers	52
9704	बोकारो इंजीनियर्स एसोसिएशन को मान्यता	Recognition of Bokaro Engineers Association . .	52
9705	नकली औषधियों का निर्माण	Manufacture of spurious drugs	53
9706	नेपाल में भारतीय अध्यापकों की शिकायत	Grievances of Indian Teachers in Nepal . . .	53-54
9707	दंडकारण्य परियोजना में सहायक कार्यकारी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति	Promotions to posts of Assistant Executive Officers in Dandakaranya Project . .	54
9708	दंडकारण्य परियोजना में कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को खराब जलवायु भत्ता दिया जाना और उनको स्थायी बनाना	Bad Climate Allowance and Confirmation of Workcharged Employees in Dandakaranya Project . . .	54
9709	श्रेणी तीन और श्रेणी चार कर्मचारी एसोसिएशन को दंडकारण्य शाखा के लिए आवास	Accommodation for Dandakaranya Branch of Class III & IV Employees Association .	55
9710	भारत और मारिशस के बीच करार	Agreement between India and Mauritius . . .	55
9711	सशस्त्र सेना के सैनिकों की विधवाओं को भेंट किये गये मकानों की लागत	Cost of House presented to Widows of Armed Forces .	55
9712	आसाम में चाय बागान के श्रमिकों के मामले	Cases of Tea Plantations Labour in Assam . . .	56
9713	मनीपुर में चाय बागान के श्रमिकों के मामले	Cases of tea plantation labourers in Manipur . . .	56
9714	वायु सेना के विमान की लोहेगांव में हुई दुर्घटना की जांच	Enquiry into Crash of Air Force Plane at Lohegaon . .	56
9715	मारीशस के प्रधान मंत्री द्वारा भारत का दौरा	Visit by Prime Minister of Mauritius . . .	56-57
9716	गुरु नानक तापीय संयंत्र, भटिंडा में कोयले की कमी	Guru Nanak Thermal Plant, Bhatinda faces shortage of coal . . .	57
9717	टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी का विस्तार	Expansion of Tisco . .	57
9718	पश्चिम बंगाल में बिजली बंद रहने के कारण हुई जन-दिवसों की हानि	Loss of Man Hours due to Power Shedding in West Bengal . .	57-58

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9719	पश्चिम बंगाल के मैडिकल कालेजों में प्रवेश	Admission in Medical Colleges of West Bengal	58
9720	पश्चिम बंगाल में खाद्य अपमिश्रण के मामले	Food Adulteration cases in West Bengal	58
9721	अगरतला में स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to establish post graduate Medical Research Institute at Agartala	59
9722	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres	59–61
9723	खाद्य पदार्थ के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए मेडिकल कालेजों की प्रयोगशालाओं का उपयोग	Utilisation of Laboratories in Medical Colleges for Analysis of Food Samples	61
9724	भारत द्वारा आधुनिक हथियारों का निर्माण	Manufacture of modern weapons by India	61–62
9725	हिंदालको को अपने हाथ में लेना	Taking over of Hindalco	62
9726	राजधानी में चचक के रोगी	Small Pox cases in Capital	62
9727	हिन्दुस्तान कॉपर कम्पलेक्स में सिलीनियम का उत्पादन	Selenium production of Hindustan Copper Complex	62–63
9728	हजारी बाग जिले की खोद, जगेश्वर और बुढ़ा खाड़ कोयला खानों को अपने अधिकार में लेना	Take over of Ravod, Jageshwar and Budha Collieries in Hazaribagh District	63
9729	संथाल परगना कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Santhal Paragana Coal Mines	63
9730	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के श्रमिकों को धनबाद कोयला खानों की नौकरियों से निकाला जाना	BCCL Workmen out of job of Dhanbad Collieries	63–64
9731	काल्पनिक श्रमिकों को मजूरी का कथित भुगतान	Alleged payment of wages to Ghost Workmen	64
9732	उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कोयले का उत्पादन	Coal production in Mirzapur District in U.P.	65
9733	जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेंट फैक्टरी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा न करवाया जाना	Non-Deposit of EPF by Jaipur Udyog Limited Cement Factory	65
9734	कोयला संबंधी अन्तर्मंत्रालीय समिति	Inter-Ministerial Committee on Coal	65
9735	तांबे की छीलन का निपटान	Disposal of Copper Scrap	66

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9736	खान अधिनियम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति आयु	Retirement age under Mines Act	67
9737	मिग–21 की लागत	Cost of Mig 21 . . .	67
9738	वाणिज्यक वाहन कारखानों की क्षमता के विस्तार के लिये लाइसेंस जारी किये जाना	Issue of licences for expansion of capacity by Commercial Vehicles Units . . .	67–68
9739	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्रों के लिये स्टाफ क्वार्टरों तथा भवनों का निर्माण	Construction of Staff Quarters and Buildings for Primary Health Centres and Health Sub Centres in Fifth Plan .	68
9740	मंजूरी नीति संबंधी प्रतिवेदन	Report on wage Policy . .	69
9741	बम्बई में कुष्ट रोगी	Lepers in Bombay . . .	69
9742	बोकारो कंस्ट्रक्शन इंजिनियर्स एसोसिएशन की मांगें	Demands of Bokaro Construction Engineers Association .	69–70
9743	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को दो वर्ष के लिये अधिकार में लेना	HSCO take over for Two Years	70
9744	सशस्त्र सेनाओं के पुराने सेवा-नियमों में संशोधन	Amendment of Old Armed Forces Service Rules . .	70
9745	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के कार्य के बारे में संसद-सदस्यों का प्रतिवेदन	Reports from Members of Parliament regarding performance of Indian Missions Abroad .	71
9746	एवरो (एच–748) विमान में परिवर्तन के बारे में ब्रिटीश पायलट द्वारा दिया गया सुझाव	Change suggested by British Pilot in Avro (H-748) . .	71
9747	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के मकान किराये पर व्यय	Expenditure on Rent for Housing Indian Missions Abroad	71–72
9748	भारी इंजीनियरी निगम के उत्पादों के विक्रय-मूल्य में वृद्धि	Raise in Sale Price of HEC Products . . .	72
9749	भारी इंजिनियरी निगम, रांची के उत्पादन संबंधी आंकड़ों में जाली आंकड़ों का जोड़ा जाना	Adding of Ghost Figures to Production Figures of HEC, Ranchi	72
9750	बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से अर्जित भूमि के लिये क्षतिपर्ति	Compensation for Land acquired from SC/ST for setting up Bokaro Steel Plant .	73

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9751	1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का क्रियान्वयन	Implementation of Industrial Policy Resolution of 1956 .	73
9752	बोकारो के निर्माण इंजीनियरों को सेवा की शर्तें	Bakaro construction Engineers Service Conditions . .	74
9753	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का उत्पादन	Production of Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore . .	74
9754	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के मुख्यालय का पूर्वी भारत में स्थानान्तरण	Shifting of SAIL H. Qs. to Eastern India . . .	74
9755	फार्मेसिस्ट और हैल्थ विजिटर के वेतनमान	Pay Scales of Pharmacists and Health Visitors . . .	75
9756	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों का खनिज सर्वेक्षण	Mineral Survey of U.P. Hill Districts . . .	75
9757	उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों की स्थापना	Setting up Health Centres and Dispensaries in U.P. . .	76
9758	उत्तर प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार	Setting up and Expansion of Heavy Industries in U.P. .	76–77
9759	अपमिश्रण रोकने के लिये औषध तथा शृंगार प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अपर्याप्त उपबंध	Inadequate provision in Drugs and Cosmetics Act to Check Adulteration . . .	77
9760	मध्य प्रदेश द्वारा कोयला खनन	Coal Mining by Madhya Pradesh . . .	77
9761	मध्य प्रदेश के चुना पत्थर तथा एनदिज के भंडार धारित क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना	Lime Stone and Bauxite Bearing Areas of M.P. declared as Protected Areas . .	77–78
9762	आस्ट्रिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत	Talks with Foreign Minister of Austria . . .	78
9763	पांचवी योजना में विकास योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करना	Speedy implementation of Development Schemes in Fifth Plan . . .	78–79
9764	वाशिंगटन में भारत के विदेश मंत्री और अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट्स के बीच वार्ता	Talks between Indian Foreign Minister and U.S. Secretary of States in Washington .	79
9765	दिल्ली के बिक्री कार्यालय में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों की चोर बाजारी	Black Marketing in HMT Watches in Delhi Sales Office	79–80
9766	इस्पात उद्योग के विकास के लिये इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Steel Price raise for Development of Steel Industry. .	80

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9767	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के मालिकों को मुआवजे की अदायगी	Payment of compensation to Owners of Nationalised Coal Mines . . .	80
9768	रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठानों द्वारा राडार टेक्नोलोजी प्रक्षेपणास्त्रों एयरनाटिक्स और नौसेना विज्ञान का विकास करने के लिये उपाय	Measures to develop Radar Technology Missiles Aeronautics and Naval Science by Defence Research Establishments .	80–81
9769	पश्चिम बंगाल की फार्माम्यूटिकल्स और औषधि कारखानों द्वारा घटिया किस्म की औषधियों और दवाओं का बनाया जाना	Manufacture of Sub standard Drugs and Medicines by Pharmaceutical and Drugs Factories in West Bengal .	81
9770	ग्रामों में काम कर रहे डाक्टरों को सुविधायें	Amenities to Doctors working in Villages . . .	81–82
9771	ईशापुर गन फैक्टरी में उत्पादन	Production of Ichapur Gun Factory . . .	82
9772	संयुक्त साइफर ब्यूरो में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन	Representations by Staff and Officers belonging to SC and ST in Joint Cipher Bureau .	82
9773	आद्रा, पश्चिम बंगाल में नियुक्त प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों की शिकायतें तथा यातना के संबंध में अभ्यावेदन	Representations regarding grievances and Torture of Territorial Personnel Stationed at Adra, West Bengal .	82–83
9774	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा संतलडीह बिजलीघर को त्रुटिपूर्ण मशीन की सप्लाई	Supply of defective Machine to Santaldih Power Station by BHEL . . .	83
9775	मैसर्स ब्रेथवेट, बर्न एंड जैसप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड में कुप्रबंध तथा वित्तीय संकट	Mismanagement and Financial crisis in M/s Braithwalte, Burn and Jessop Construction Company Limited . .	84
9776	मैसर्स बर्न एंड कम्पनी द्वारा वैगनों का उत्पादन	Production of Wagons by M/s Burn and Company . .	84–85
9777	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अधिकारी संघ के सदस्यों को आरोप-पत्र तथा निलंबन आदेश जारी करना	Charge sheets and suspension orders issued on Members of Officers Association of Durgapur Steel Plant . .	85
9778	आन्ध्र प्रदेश में विशाखापटनम में एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना	Setting up of an Aluminium Project in Vishakhapatnam in Andhra Pradesh . . .	85–86
9779	अग्निगुन्डाला खानों के कार्य में प्रगति	Progress of Agnigundala Mines. .	86

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9780	ब्रिटेन में इंडियन मिशन में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की भीड के बारे में प्रेस समाचार	Press report re: VIP rush at Indian Mission in U.K. .	86–87
9781	वह रोग जिस पर सरकार ने सर्वाधिक धन खर्च किया है	Disease on which maximum expenditure has been incurred by Government . .	87
9782	होम्योपैथिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति	Progress in Homeopathy Education . . .	87
9783	राष्ट्रीय खान मजदूर फैडरशन का 17 वाँ अधिवेशन	17th Session of Rashtriya Khan Mazdoor Federation . .	87–88
9784	कोयला ईंट निर्माण तथा कार्बनीकरण संयंत्र (कोल ब्रिक कंस्ट्रक्शन एंड कार्बोनाइजेशन प्लांट) को हुआ घाटा	Loss suffered by Coal Brick construction and Carbonisation Plant . . .	88
9785	स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Scooters . .	89
9786	राजस्थान में सेवा निवृत्त सैनिकों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to retired soldiers in Rajasthan . .	89
9787	सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों की विधवा पत्नियों को सुविधायें	Facilities to Widows of retired Army Personnel . . .	89–90
9788	गुजरात में कपड़ा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	D.A. to Textile Workers in Gujarat . . .	90
9789	आयातित तथा देश में निर्मित उर्वरकों की कीमत	Price of imported and indigenously manufactured Fertiliser	90
9790	आयात किये जाने वाले देश में बनने वाले रक्षा सामान की प्रतिशतता	Percentage of defence equipment imported /indigenously manufactured . . .	90–91
9791	ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरिका और सोवियत संघ में रह रहे भारतीयों द्वारा विदेशी नागरिकता स्वीकार करना	Acceptance of Foreign Nationality by Indians residing in U.K., USA and USSR .	91
9792	एन० सी० सी० को पुनर्गठित करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to reorganise NCC .	91
9793	सहायक उद्योग स्थापित करने संबंधी योजना	Plan to setup Ancillary Industries	92
9794	उत्तर-पश्चिमी राज्यों में रक्षा उत्पादन कारखाने	Defence production units in North Western States . .	92
9795	रक्षा मंत्रालय के विभागों/परियोजनाओं में विदेशी सहयोग से संगणक स्थापित करना	Installation of computers with foreign Collaboration in Departments/Projects of Ministry of Defence . . .	93

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9796	शरणार्थियों द्वारा पुनर्वास स्थलों का छोड़ दिया जाना	Desertion of rehabilitation sites by refugees . . .	93
9797	राज्यों में पुनर्वास विभागों का बंद किया जाना	Winding up of rehabilitation departments in States . .	93
9798	सामरिक तथा अणुशास्त्रों का उत्पादन	Production of Tactical and Nuclear Weapons . . .	93–94
9799	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of former East Pakistan refugees in Andaman and Nicobar Islands . .	94
9800	लोह तथा इस्पात संयंत्रों में विदेशी विशेषज्ञ	Foreign experts in Iron and Steel Plants . . .	94–96
9801	आपराधिक मामलों में अंतर्ग्रस्त भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी० सी० सी० एल०) के कोलियरी मैनेजर आदि	BCCL Colliery Manager, etc. involved in Criminal cases .	96
9802	धनबाद कोयला क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी० सी० सी० एल०) के कर्मचारियों के मारे जाने की आशंका	BCCL workmen in Dhanbad Coal Field feared killed .	97
9803	धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी० सी० सी० एल०) के अधिकारियों के साथ मार–पीट	BCCL Officers in Dhanbad Physically assaulted . .	97
9804	बिहार में लघु उद्योगों में श्रम विधियों का लागू न किया जाना	Non implementation of Labour Laws in Small Scale Industries in Bihar . . .	97
9805	दिल्ली में मक्खियों की बहुतायत	Fly Nuisance in the Capital	97–98
9806	कलमासेरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने को हुआ घाटा	Losses incurred by HMT Unit at Kalamassery . . .	98
9807	हिन्दुस्तान लीवर फैक्टरी गजियाबाद का बंद होना	Closure of Hindustan lever Factory at Ghaziabad . .	98
9808	इंडिया ट्यूब कम्पनी का विस्तार	Expansion of India Tube Company . . .	99
9809	ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिये प्रशिक्षण	Introduction of training for service in Rural Areas . .	99
9810	भारत हवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा फ्रेट लोकोमोटिव ट्रांसफार्मरों का निर्माण	Manufacture of Freight Locomotive Transformers by BHEL . . .	100

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9811	उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में परिवार नियोजन लोकप्रिय बनाने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता	Financial help to voluntary Organisation for Popularising Family, Planning in Tribal areas of Orissa . .	100
9812	उड़ीसा के बालासौर जिले में चेचक के कारण मौतें	Deaths due to Small Pox in Balasore District in Orissa	100
9813	भारत के साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिये चीन की ओर से संकेत	Chinese feeler for greater understanding with India on Social and Cultural Front . .	101
9814	रुरकेला इस्पात संयंत्र के लिये 'केप्टिव थर्मल प्लांट'	Captive Thermal Plant for Rourkela Steel Plant . .	101
9815	प्रूफ एंड एक्सपरिमेंटल सेन्टर, बालासौर उड़ीसा के अनुसंधान और विकास यूनिट के लिये विकास कार्यक्रम	Development programme for Research and development Unit of Proof and Experimental Centre at Balasore, Orissa . . .	101
9816	मौलाना आजाद कालेज, नई दिल्ली के प्लास्टिक यूनिट को मान्यता	Recognition of Plastic unit of Maulana Azad College, New Delhi . . .	101–102
9817	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा कोयले के उत्पादनों में गड़बड़ी	CMA engaged contractors sabotaging coal production .	102
9818	काहिरा में केवल भारतीय राजनयिकों के लिय क्लब	Exclusive Club for Indian Diplomats in Cairo . . .	102–103
9819	जे० सी० बी० प्रेस की रीडिंग ब्रांच के कर्मचारियों के वेतन–मानों में विषमता	Disparity in Pay Scales of Reading Branch Staff of JCB Press	103
9820	1974 की पहली तिमाही में दिल्ली में चेचक के मामले	Small Pox Cases in Delhi during First Quarter of 1974 . .	103–104
9821	बम्बई में मिलावटी शीतल पेय पीने के बाद बीमार हुए व्यक्ति	Persons fell ill after taking spurious soft drink in Bombay .	104
9822	भुरकुंडा कोलीयरि, हजारी बाग के नैमित्तिक कामगारों को नियमित करना	Regularisation of Casual workmen of Bhurkunda Colliery, Hazaribagh . . .	105
9823	संयुक्त राष्ट्रसंघ की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में भारत की सरकारी भाषा का स्वीकार किया जाना	Adoption of Official Language of India in International Agencies of UN . .	105
9824	भूतपूर्व पूर्व बंगाल से आये नये प्रवासी परिवारों को ऋण देने के लिये मेघालय राज्य को ऋण	Loan to Meghalaya for granting loans to New migrant families from Erst while East Bengal . . .	105

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9825	बोकारो इस्पात कारखाने में काम का रुक जाना	Bokaro Steel Plant working disrupted . . .	106
9826	मंगोलियन शिष्ट मंडल द्वारा भारत की यात्रा	Visit to India by a Mongolian delegation . . .	106
9827	हिन्दुस्तान लैटिक्स लिमिटेड में बने उत्पादों का परिवहन व्यय	Cost of transport of finished products of HLL . .	106
	विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
	न्यू फ्रेंड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली के चेयरमैन द्वारा दिल्ली के उप-राज्यपाल को लिखे गये पत्र में संसद पर कथित आक्षेप	Alleged aspersions on Parliament in a letter to Lt. Governor of Delhi by the Chairman of New Friends House Building Society, Delhi .	107–109
	सभा पटल पर रखे गये पत्र—	Papers Laid on the Table .	110–116
	राज्य सभा से सन्देश—	Messages from Rajya Sabha .	116–117
	सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House . .	118
	राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में विशेष रुप से सौंपे गये मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय से अध्यक्ष को प्राप्त नोटिस	Supreme Court Notice to the Speaker in the matter of Special reference re. Presidential Election . . .	118
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	Committee on Absence of Members from sitting of the House.	
	कार्यवाही-सारांश	Minutes	119
	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	Committee on Subordinate Legislation—	
	11 वां प्रतिवेदन	Eleventh Report . .	119
	भारत की संसद और कुछ विदेशी संसदों के सदस्यों के वेतनों, भत्तों आदि के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Salaries, Allowances etc. of Members of Parliament of India and certain foreign Parliaments—	
	श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary . .	119–120
	ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 631, दिनांक 10 अप्रैल, 1974 के उत्तरों के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य—	Statement by Member Re. Answers to S.Q. No. 631,, dated 10-4-74 on Britannia Biscuit Co.—	
	श्री जोतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	121
	श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	122

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
मंत्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव अस्वीकृत—	Motion of No confidence in the Council of Ministers—Negatived—	
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	127–129
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	Shri A.P. Sharma	130–132
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	132–134
श्री केशवदेव मालवीय	Shri K.D. Malaviya	134–135
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	135–137
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	137
श्री ईरा सेझियान	Shri Sezhiyan	138–139
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	139–140
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P.M. Mehta	140–141
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat	141–143
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	143–144
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	144–145
श्री के० मयातेवर	Shri K. Mayathevar	145
श्री नरसिंह नारायण पांडेय	Shri Narsingh Narain Pandey	145–146
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	146
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	147
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	147–148
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	148–149
श्री जाम्बूवंत धोते	Shri Jambuwant Dhote	149
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	149–150
श्री श्यामानन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	151
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	151–152
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	152–153
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	153–154
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	155
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	155–156
श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	Shri Jagdish Chandra Dixit	156
श्री त्रिदीब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	156–157
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	157
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	157–161
श्री ज्योतिर्मय बसू	Shri Jyotirmoy Bosu	161–162
लोक सभा के वर्तमान सत्र की अवधि बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत	Motion Re. Extension of Current Session of Lok Sabha—Negatived	124–126

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 9 मई, 1974/19 वैशाख, 1896 (शक)
Thursday, May 9, 1974/Vaisakha 19, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्यों की सुरक्षा

*996. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के हजारों सैनिकों के उत्तर-पूर्वी बर्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाने के बारे में 13 अप्रैल, 1974 के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को देखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्यों के लिए सुरक्षा का गंभीर मामला नहीं बन जाएगा?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) उत्तर पूर्वी बर्मा में चीनी सेनाओं की गतिविधियों के संबंध में कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है। तथापि हमारे रक्षा उपायों की योजना बनाते समय सभी संबंधित गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है।

Smt. Savitri Shyam: The hon. Minister said that he had no authentic information about the movement of Chinese troops. I want to know whether the newspapers being published from New York and Washington do not show that the activities of the Chinese troops on the North Eastern parts of India are on the increase and about 10,000 Chinese soldiers are being trained in the North of Bangla Desh. The Nagas and Mizos of India are also active. Moreover, a diplomat of Bangla Desh has also stated on the 22nd April that these activities also fast increasing.

Mr. Speaker: Please ask your question.

2—19 L.S.S./74

Smt. Savitri Shyam : The hon. Minister has stated that he has no information with him. But news is coming from diplomatic sources. . .

Mr. Speaker : Why don't you accept what the hon. Minister is telling? Please ask the question.

Smt. Savitri Shyam : I am asking the question. We have come to know about these activities through Washington newspapers as well as through Bangla Desh diplomat. I want to know in this context whether his Ministry was informed by the Secret Service about it? If so whether the Government of India have received any information from the Government of Bangla Desh and Burma in this regard?

Shri Vidya Charan Shukla : I have stated in the first part of my reply that we have seen the news which appeared in the Press. As far as receiving of information from intelligence and through other countries is concerned, we cannot make it public. But the question asked is that whether the Chinese troops are moving into the region of North-Eastearn Burma. It does not concern any part of India. This is a question which is connected with North Eastern Burma. We have seen such reports in the press. Wherever information is passed on to us, we cannot discuss it publicly. The information passed on to us is not authentic. But we have received such information.

Smt. Savitri Shyam : Should I presume that there is no Chinese activity on the North-Eastern part of India, which is uncontrolled area?

Shri Vidya Charan Shukla : You are right.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान विश्वस्त सूत्रों से मिले इन समाचारों की ओर गया है कि उत्तर-पूर्वी भाग में विद्रोही क्षेत्र बनाने की योजना है। अगर ऐसा है तो सरकार इसके लिये क्या प्रतिरक्षात्मक उपाय कर रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि यह प्रश्न देश के भीतर विद्रोही क्षेत्र बनाने की तैयारीयों के सम्बन्ध में है, तो यह गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। किन्तु यदी हमारे पडोसियों की सीमाओं पर कुछ किये जाने की बात है तो मैं ने प्रश्न के भाग (ख) का जो उत्तर दिया है इस बात का उत्तर उसमें अन्तर्गत दिया जा चुका है।

Shri Ramdev Singh : Does the hon'ble minister feels that the activities pointed out by him pose any danger to the security of our country?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that these activities do not pose any danger to our security. But we keep such matters in view while making defence preparations for the country.

नई कारों की खरीद पर प्रतिबन्ध

*998. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषतया उन लोगों के लिये जिन्होंने हाल ही में मोटर कार खरीदी हो नई मोटर कार खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबन्ध क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) दो वर्षों की अवधि में एक से अधिक मोटर कार खरीदने पर मोटर कार (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1959 में पहले से ही प्रतिबन्ध है। पात्रता अवधि बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

Shri Ram Bhagat Paswan : Sir, I want to know the criteria adopted for the allotment of new cars to the Government Officers, businessmen and public workers? Has this criteria has been misused sometimes and what steps are being taken by the Government to check it? Do the Government propose to make arrangements to allot cars through some non-Government committee?

श्री टी० ए० पै : जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है हमने अभी हाल में कार प्राप्त करने की शर्तों में परिवर्तन कर दिया है अब 900 रुपये के वेतनमान के आधार को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति मास कर दिया है । उनके आवेदनों को पंजीकृत किया जाता है । पंजीकरण के अनुसार उन्हें कारों का आवंटन किया जाता है । हमने अभी हाल ही में 5 प्रतिशत कारों का कोटा डाक्टरों और नर्सों को आवंटित कर दिया है तथा हम इंडियन मेडिकल ऐसोसियेशन तथा नर्सों की ऐसोसियेशन के परामर्श पर उनकी अर्हताएं रख रहे हैं। मेरे विचार से हमारे ध्यान से ऐसे कोई उदाहरण नहीं लाये गये जिसमें किसी ने अलग तरीके से कारें प्राप्त की हों।

Shri Ram Bhagat Paswan : There are different Central and State Government rules governing the allotment of cars as a result of which the buyers are put to inconveniences. Do the Government propose to bring them in harmony with each other?

श्री टी० ए० पै : सभी राज्य सरकारों को इन आवंटनों के लिये निर्देश दिये गये हैं। सम्भव है कि राज्यों का कोटा कम होने के कारण राज्य सरकारें इन निर्देशों की सीमाओं के अन्तर्गत स्वेच्छा का प्रयोग कर रही हैं ।

श्री वयालार रवि : यह पता चला है कि इन कारों की अच्छी किस्म इन होने के कारण दो साल प्रयोग के बाद ये बेकार हो जाती है। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह इन कारों में सुधार करके उपभोक्ताओं की सहायता करेंगे ताकि वह बेकार न हों और क्या उसे केवल दो सालों तक ही प्रयुक्त किया जा सकता है?

श्री टी० ए० पै : मैं इस बात से सहमत हूं कि भारतीय कारों में सुधार की आवश्यकता है। हम कार की सुविधा केवल कुछ वर्गों को ही नहीं देना चाहते। हम इस 2 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर चार वर्ष कर देना चाहते हैं। कारों के अच्छी प्रकार रख रखाव की जिम्मेदारी उनके मालिकों की है।

अध्यक्ष महोदय : जिन संसद सदस्यों को कारों का आवंटन हुआ है वह मेरे पास आकर कहते है कि दो वर्ष के बाद कार बेकार हो जाती है ।

श्री टी० ए० पै : संसद [illegible] को भी उसी किस्म की कारें आवंटित की जाती है। कार की किस्म में सुधार करने के [illegible] रहे है किन्तु उनके रख-रखाव की ओर भी ध्यान देना होगा।

श्री एच० एम० पटेल : अभी-अभी मंत्री महोदय ने बताया [illegible] करना चाहते हैं ताकि कार का मालिक कार के रख-रखाब सम्बन्धी आपनी जिम्मेदारी को समझे । क्या वह सही किम्म के पुर्जे असानी से उपलब्ध करने के लिये भी कदम उठायेंगे ?

श्री टी० ए० पै : मैने कहा है कि इन अधिकार पुर्जों को भारतीय मानकों के अन्तर्गत लाया गया है ताकि उनकी किस्म में सुधार किया जा सके। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हमने निर्माण के बाद किसी भी कार को उठाकर उसका पूरा परीक्षण करने के विशेष अधिकार ले लिये हैं।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी क्षेत्र कर्मचारियों विशेषतः बैंक कर्मचारियों, के लिये भी कोटा निर्धारित किया गया है? जिससे कि सरकार के लिये संसाधन जुटा जा सके ?

श्री टी० ए० पै : बैंकों के लिये विशेष कोटा निर्धारित किया गया है किन्तु इसे नियमित करना आवश्यक था क्योंकि उन्हे कार्यकुशलता बनाये रखने के लिए कारे उपलब्ध करने के अतिरिक्त कारे उत्तरोत्तर शान का प्रतीक बनती जा रही हैं। हम इस प्रवृति की प्रोत्साहन नहीं देना चाहते।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या टैक्सी चालकों के लिये भी विशेष कोटा निर्धारित किया गया है ?

श्री टी० ए० पै : टैक्सी चालकों के लिये पिछले वर्ष तक 5 प्रतिशत कोटा था किन्तु अब इसे बढ़ाकर निर्मित कारों का 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai: There is an acute shortage of cars in the country but the demand is high. In view of this will it be permissible for the Indians trading or living in foreign countries to bring cars from there?

श्री टी० ए० पै : यह सच है कि हम इस समय केवल 42,000 कारों का ही उत्पादन कर सकते हैं किन्तु मेरे विचार से माननीय सदस्य का सुझाव कि व्यापारियों को बाहर से कार लाने की छूट होनी चाहिये मान्य नहीं है। क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : क्या पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के पश्चात कारों की मांग कम हो गई है? इस दृष्टि से क्या कार बुक करने के परमिट उदार बनाये जायेंगे।

श्री **टी० ए० पै :** पेट्रोल की मुल्य वृद्धि के कारण यद्यपि लोगों के एक वर्ग विशेष की मांग कम हो गई है किन्तु अभी भी अनेक वर्ग ऐसे हैं जो यह मूल्य वखूबी दे सकते हैं। (**कुछ माननीय सदस्य** : काले धन रखने वाले लोग) देश में निर्मित कारों की संख्या को देखते हुए, इनकी मांग बनी रहेगी।

रेलवे विवाद में मध्यस्थता

*999. **श्री मधु लिमये :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क्या उन्होंने रेलवे विवाद में मध्यस्थता करने के लिये कोई प्रयास किया था :

(ख) यदि हां, तो हड़ताल रोकने के लिये उन्होंने जो प्रयास किय हैं उनका विवरण क्या है ;

ग) उन्होंने अथवा रेल मंत्री ने रेल कर्मचारियों के समक्ष क्या शर्त रखी है ;

(घ) क्या उन्होंने रेल मंत्री को सलाह दी थी कि वह रेल हड़ताल कें दबाने को लिये क्षेत्रीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और सेना का प्रयोग न करें, बल्कि कोई फैसला कर लें; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री ् न ा रेड्डी) : (क) से (ङ) रेल कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और

रेल कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बैठकें की गई थी और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इन बैठकों में व्यक्त किए गए विचारों को रेल मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। यह आशा प्रकट की गई थी कि बात-चीत द्वारा समझौता सम्भव हो सकेगा और हड़ताल टल जाएगी।

Shri Madhu Limaye: First of all, I want to draw your attention to Bulletin part II dated the 8th May. The new direction 13(A) given by you has been published in it. The direction is as follows:

समाचार—भाग 2

"निदेश 13 के पश्चात् निम्नलिखित नया निदेश 13 क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

13क. सभा में दिये गये प्रश्नों के उत्तर पूर्ण होंगे तथा, यथासम्भव उनके प्रत्येक भाग का उत्तर पृथक रूप से दिया जायेगा।

यदि किसी उत्तर की ओर उनका ध्यान दिलाये जाने पर अध्यक्ष सन्तुष्ट हो जाये कि यह इस शर्त को पूरा नहीं करता है, तो वह मंत्री को पूर्ण उत्तर देने के लिये निदेश दे सकता है।"

Kindly look to my question now. The Minister has not replied to (c), (d) and (e) parts of my question. Inspite of the Bulletin issued on the 8th May in this regard. As far as part (b) is concerned he has not even mentioned it. First of all, you please direct him to reply to parts (c), (d) and (e) of my question including the answer to the part (b) thereof. After that only, I will ask supplementary thereon.

Mr. Speaker: The Bulletin was issued on the 8th May. The reply to this question might have been prepared well beforehand.

क्या आप इसे एक मिनट में तीन या चार भागों में विभक्त कर सकते हैं? भविष्य में इस निदेश का कड़ाई से पालन होना चाहिये। कल ही बुलेटिन जारी किया गया था।

Shri Madhu Limaye: But the Minister of Parliamentary Affairs was present in the Rules Committee. Has he not any duty in this regard?

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में उदारता बरतने का क्षेत्र है तथा प्रश्न भी इस बुलेटिन से बहुत पहले बन चुका होगा।

श्री मधु लिमये : आपने निर्देश कब दिया था? यह कई सप्ताह पहले दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं इस पर गौर करूंगा कि इस पर भविष्य में कड़ाई से अमल किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री त्रिदिबकुमार चौधरी : आप के निदेशों के अलावा प्रश्न स्पष्ट है। भाग (क) में पूछा गया है कि "क्या उन्होंने वाद में मध्यस्थता का प्रयास किया है?" उन्होंने केन्द्रीय कार्मिक संगठन से अनौपचारिक बातचीत का उल्लेख किया है। इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या उन्होंने कोई प्रयास किया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, यह प्रक्रिया टालमटोल को रोकने के लिये अपनायी गयी थी। आप इस प्रश्न को भागों में बाट कर उत्तर दें और इनको सन्तुष्ट करें।

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : श्रीमन् भाग (क) में प्रश्न यह है कि क्या मैंने रेल विवाद को सुलझाने का प्रयत्न किया है। यदि इसका ठीक उत्तर दिया जाय तो मैं ने मध्यस्थता का प्रयत्न नहीं किया, परन्तु मैंने सभा को सूचित करना अपना कर्तव्य समझा कि मैंने प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक रुप से बातचीत की है, ताकि उनके पक्ष को समझ कर रेल मंत्रालय को बताया जा सके। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब उत्तेजित हैं। उनकी बात समझिये।

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : विभिन्न मजदूर संघों के नेताओं के विचार जानने के लिये मैंने एक अनौपचारिक मुलाकात की थी। मैंने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया था कि यह अनौपचारिक है।

4, 5, 8 और 9 अप्रैल को हमने इन संगठनों के साथ अलग अलग बातचीत की। 11 तारीख को सभी संगठनों की संयुक्त बैठक हुई। मैंने उनसे अपील की कि वतमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे हड़ताल करने की न सोचें और बातचीत का मार्ग अपनाएं। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके विचारों को रेल मंत्री तक पहुंचा दूंगा ताकि रेल मंत्रालय उनपर उचित प्रकार से बातचीत कर सके। 12 तारीख को रेल मंत्रालय में हुई बैठक में मैं भी था। उसके बाद की समझौता बातचीत में मैं नहीं था। इस मामले में मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की। मैंने यह अपना कर्तव्य समझा है कि अब तक हुई बातचीत के बारे में सभा को अवगत कराऊं। यही भाग (क) और (ख) का उत्तर है।

मैंने रेलवे कर्मचारियों के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं रखा। मैंने तो उनकी मांगों को समझने का प्रयास किया है। रेलवे मंत्री द्वारा रखी गई शर्तों और कर्मचारियों द्वारा रखी गई शर्तों पर इस सभा में ब्यौरे से विचार किया गया है। अब मैं उसमें कुछ और नहीं जोड़ सकता। शेष भाग (घ) के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री लिमये एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वह जानते हैं कि श्रम मंत्रालय क्या कार्य करता है। श्रम मंत्रालय का यह काम नहीं कि इस प्रकार की सलाह दे या न दे। विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने का काम सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों का है। इसमें श्रम मंत्रालय द्वारा निर्णय करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Shri Madhu Limaye: Entry 24 of the concurrent list indicates the subjects which come under the purview of Labour Ministry. **It says:**

> "Welfare of Labour including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions and maternity benefits."

Even where certain subjects come in the State List, there also the duty of Labour Ministry comes in. The subject of railway comes exclusively under the Centre. The Labour Minister should not work as a postman in this matter. I want to know whether the hon. Minister knew that a meeting was to take place on the first May to record the minutes and another meeting was to be held on the second May? If so, whether the hon. Minister had met the Railway Minister in the meantime? Had he met him and told him that the arrests of workers and their leaders will harm the prospects of settlement and the Railway Minister and the Home Minister should not order the arrests? This was the duty of Labour Minister. Was he in touch with the Railway Ministry and the Home Ministry? As Minister of Labour it was his duty to give such advice. If he has not done so, what are the reasons for the same?

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : मैं बातचीत में होने वाली प्रगति का पता लगा रहा था। मैं इसके लिये रेलवे मंत्री से मिल रहा था । इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं कर रहा था ।

Shri Madhu Limaye: Sir, the reason for the things taking this bad turn is that the Labour Ministry should have taken steps to forestall the arrests on the 2nd May before the meeting was held. It was its duty. My specific question is that whether the hon. Minister had mediated in that way and advised against the arrests being made?

अध्यक्ष महोदय : इसका उन्होंने पहले ही उल्लेख कर दिया है।

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं रेलवे मंत्री से मिलता रहा हूं ताकि मुझे बातचीत की प्रगति का पता चलता रहे।

Shri Madhu Limaye: Sir, my question has not been answered. However, I leave it there.

I want to know whether the hon. Minister knows that in order to make the strike unsuccessful, certain Government agencies are indulging in false propaganda against the railwaymen's organisations? I have got two posters with me here. The heading of one of them is: "Government stooges stop maligning A.I.R.F." and the heading of the second one is "why was George Fernandes arrested?" These posters have not been publishd by A.I.R.F. The General Secretary of that organisation Mr. Priya Gupta has informed me in a letter. He has written:

> "मुझे बताया गया है कि अंग्रेजी और हिन्दी में दो पोस्टर ए० आई० आर० एफ० के नाम छपवाकर दीवारों पर लगाये गये है और उनमें श्री डांगे की आलोचना की गई है। ए० आई० आर० एफ० ने ऐसे कोई पोस्टर नहीं छपवाये। इसमें मुद्रणालय का पूरा नाम नहीं दिया गया है। सरकार को इनके छपाने वालों का पता लगाना चाहिये ।"

Sir, I will not read the full letter. This is an attempt to malign A.I.R.F. which is a recognised organisation. Should not the Government intervene in this matter? They should enquire as to who is indulging in this nefarious activity. Are these posters being printed in Rail Bhavan?

श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी : मैं भी इन पोस्टरों को देख रहा हूं। मैं नहीं जानता कि इस बारे में हम क्या कर सकते है। मैं इस बारे में पूछताछ करूंगा।

श्री के० मालन्ना : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे मंत्रालय ने अपनी समझौते की योजना के आधार पर श्रम मंत्री से समझौते के बातचीत करने के लिये कहा है ? यदि हां, तो समझौते की क्या शर्ते है और उन पर श्रम मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है मैंने रेल मंत्री के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत की थी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस अनौपचारिक बातचीत के बाद विभिन्न मजदूर संगठनों ने हड़ताल के नोटिस दिये। यह 22 या 23 अप्रैल को किया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन यह आवश्यक नहीं कि यदि हड़ताल का नोटिस मिले और, जब कि यह अत्यावश्यक सेवा से हो, तो श्रम मंत्रालय तुरन्त विवाद को हल करने के समझौता कार्यवाही आरंभ कर देगा, यदि हां, तो श्रम मंत्रालय ने अपना यह कानूनी कर्तव्य क्यों नहीं निभाया ? इस मंत्रालय ने समझौता वार्ता क्यों नहीं करायी ताकि विवाद का हल निकाला जा सकता ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : लगभग 97 यूनियनों ने हड़ताल का नोटिस दिया है । हमें कानून के अधीन मशविरा दिया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 के अधीन हड़ताल का नोटिस देना भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 के अर्न्तगत केन्द्रीय के आदेश का उल्लंघन है। इस कारण गैर-कानूनी हड़ताल के नोटिस से की जाने वाली हड़ताल के मामले में समझौता वार्ता नहीं हो सकती।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या इसका यह अर्थ है कि हड़ताल बिना नोटिस दिया की जा सकती है ? यदि उन्हें यह कानूनी सलाह दी गई है कि नोटिस ठीक नहीं है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हड़ताल के लिये नोटिस आवश्यक नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें किस प्रकार की कानूनी सलाह दी गई है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह कानूनी सलाह विधि मंत्रालय और विधि मंत्री ने दी है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : हड़ताल का नोटिस इस लिये दिया जाता है कि बातचीत के लिये कोशिश हो ताकि समझौता हो सके **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : क्या दस वर्ष पूर्व और गत वर्ष जब रेलवे में हड़ताले हुई थीं तो क्या उस समय रेल मंत्रालय ने समझौता कराने के लिये श्रम मंत्रालय से मशविरा और सहयोग मांगा गया था ? दूसरे, अब जबकि हड़ताल चल रही है, क्या श्रम मंत्रालय के पास ऐसे कोई सुझाव है कि ऐसे हलात पैदा किये जायें ताकि समझौता हो सके और हड़ताल समाप्त हो जाये ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हड़ताल के बारे मे रेलवे मंत्रालय के पक्ष की सभा में लम्बी चर्चा के बाद स्पष्ट कर दिया गया है । मैं इस बारे में और कोई नई बात नहीं कह सकता ।

Shri Atal Behari Vajpayee : The Railway Ministry does treat the railway workers as industrial workers and they are not allowed to have the benefit of collective bargaining. They are treated as Government employees. The Government should accept the recommendations of the Pay Commission. I want to know whether the Labour Ministry has considered the question of treating these workers as industrial workers and if so, the result thereof ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : रेल मंत्रालय मे मान्यताप्राप्त संगठनों के साथ चर्चा के लिये पहले ही प्रक्रिया तय हुई है। मैं और अधिक कोई कार्यवाही नहीं कर सकता और मैं इससे अधिक जानकारी भी नहीं दे सकता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शायद आप मेरा प्रश्न समझ ही नहीं पाये ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : रेल कर्मचारियों की यह एक मांग है । जैसा कि मैंने पहले कहा रेल मंत्रालय और सम्बधित संगठनों जैसे संयुक्त मन्त्रणा व्यवस्था आदि के बीच पहले ही बातचीत के लिये प्रक्रिया तय हुई है। यह भी उनकी एक मांग है। इसके उचित होने के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं रेल मंत्रालय की इस बात पर प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी माना जाये या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतिक्रिया या भावना पर न जाइये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या इस प्रश्न पर श्रम मंत्रालय में विचार नहीं किया गया ? वह भारत के श्रम मंत्री है।

श्री एस० एन० बनर्जी : भारत के श्रम मंत्री बड़ी मुश्किल में है।

श्री वसंत साठे : यह सर्व विदित है कि औद्योगिक विधि के अधीन जब दो दलों अर्थात् श्रमिकों तथा प्रबन्धकों अथवा नियोजक के बीच विवाद होता है तो किसी भी दल द्वारा प्रतिवेदन देने पर श्रम मंत्री विवाद को समझौते के लिए भेज सकता है। उसके बिना भी यदि वह ऐसा उचित समझे तो विवाद को समझौते के लिए भेज सकते हैं और न्याय सम्बन्धी निर्णय की प्रक्रिया आरंभ होती है। क्या श्रम मंत्रालय द्वारा यह कदम उठाया गया है अथवा किसी भी दल द्वारा इस मामले को समझौते के लिए सौंपने के लिए श्रम मंत्रालय को प्रतिवेदन दिया गया था ? . . . (**व्यवधान**)

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी दल द्वारा निवेदन किया गया था अथवा स्वयं श्रम मंत्रालय द्वारा मामले को पंच फैसले के लिए भेजा गया या क्या व इस मामले के अपने आपस में ही निपटाना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने पहले ही निवेदन किया है कि सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब भी हड़ताल की सूचना दी जाती है तो दलों अर्थात् नियोजक और कर्मचारियों के बीच समझौता कराने के लिए संबद्ध तंत्र कार्यवाही आरम्भ करता है । मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि भारत रक्षा नियमों का नियम 118 का आवाहन किया गया है और इसे पहले ही लागू किया जा चुका है । अब भारत रक्षा नियमों के नियम 119 के अधीन रेलवे के सम्बन्ध में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । अतः तर्क यह है कि चूंकि हड़ताल पर पहले ही प्रतिबन्ध है इसलिए हड़ताल की कोई भी सूचना अवैध है और चूंकि यह अवैध है तो सूचना मूलतः अवैध तथा गैर कानूनी है. . . (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सूचना अवैध कैसे हो सकती है ?

श्री बसंत साठे : मैंने पूछा था कि क्या कोई विवाद था ? मेरा सूचना से तात्पर्य नहीं था । मेरा अभिप्राय विवाद से था । क्या श्रम मंत्रालय को जानकारी में कोई विवाद था और मंत्रालय ने श्रम विधि के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाया कि सम्बद्ध तंत्र कार्यवाही आरम्भ करे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इसी का तो उत्तर दे रहा हूं । हां, जहां तक हड़ताल की सूचनाओं का सम्बन्ध है वे दी जा चुकी है। किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन समझौते सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ होने के पूर्व यह अपेक्षित है कि. . . (**व्यवधान**) किन्तु जैसी कि हमें सलाह दी गई है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियम 118 लागू किया जा चुका है और इसके परिणामस्वरूप हड़ताल की कोई भी सूचना अवैध है । किसी भी ऐसी सूचना के बारे में जो मूलतः अवैध तथा गैर-कानूनी हो, समझौते के लिए कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकती है . . . (**व्यवधान**)

श्री पी० एम० मेहता : तो बातचीत आरम्भ क्यों की गई ?

श्री त्रिदिब चौधरी : जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, विशेषरूप से रेलवे तथा विभागीय उपक्रमों का सम्बन्ध है हम सभी श्रम मंत्रालय की असहाय स्थिति को समझते हैं । श्रम मंत्रालय के लिए ये सीमा से बाहर हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं। पहली

मई को प्रकाशित एक समाचार की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें रेल मंत्रालय द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन किया गया था कि शहर ही में रहे और कलकत्ता में तथा अन्यत्र अपने सब कार्यक्रम रद्द करें और तब अचानक गिरफ्तारियां तथा दूसरी बाते हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार का कोई आधार है ?

दूसरी बात यह है कि क्या रेल मंत्रालय ने स्वयं अथवा रेल मंत्री ने कभी भी विवाद को निपटाने के लिए आपकी सलाह अथवा सेवाएं ली है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : रेल मंत्री के साथ जो मेरी बातचीत हुई है उससे मै समझता हूं कि उनकी बड़ी सहानुभूति है और वह बहुत चिंतित है ...(**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक मेरे कलकत्ता के दौरे के रद्द किये जाने का सम्बन्ध है उस समय आई० एन० टी० यू० सी० के राज्य सम्मेलन में भाग लेने का मेरा कार्यक्रम था और रेल मंत्री ने मुझे कहा था कि यदि मैं यहां रहूं तो मेरी सेवाओं का कोई भी लाभ हो सकता है और सहायता मिल सकती है। सम्भवतः अच्छा यही था कि मैं दिल्ली ही में रहता । यही कारण था कि मैंने दौरा रद्द किया।

श्री मधु लिमये : गिरफ्तारियों में आपका भी हाथ था।

Shri Ram Singh Bai Verma: Will the Hon'ble Minister be please let us know whether the date of strike can be fixed in advance by giving notice when efforts for negotiation and conciliation was going on and no settlement had been reached?

श्री रघुनाथ रेड्डी : तथ्य यही है कि हड़ताल की सूचना अवेध थी।

श्री एस० एम० बनर्जी : रेल कर्मचारी संघर्ष की समन्वय समिति के सभी नेताओं ने यह मांग की है कि श्री जार्ज फर्नेंडीज सहित सभी नेताओं की रिहाई के बाद बातचीत पुनः आरम्भ की जाये। किन्तु श्री जार्ज फर्नेंडीज एक कदम आगे बढे हैं और उन्होंने कहा कि यदि सरकार के लिए नेताओं को रिहा करना सम्भव नहीं है तो वे उनसे जेल में ही बातचीत आरम्भ करें यह सबसे ताजा सुझाव है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर माननीय मंत्री की क्या प्रतिक्रीया है और क्या वे रेल मंत्री, प्रधान मंत्री तथा शक्तिशाली गृह मंत्री श्री उमा शंकर दीक्षित, को सलाह देंगे, सम्भवतः उन्होंने सलाह दी हो और सलाह देने वाले हों, कि बातचीत आरम्भ करें और रेल कर्मचारियो के नेताओं को रिहा करें अथवा जेल में बातचीत आरम्भ करें ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा उठायी गयी बात को भी मैंने नोट कर लिया था ...(**व्यवधान**) रेल मंत्री को मैं क्या सलाह दे सकता हूं, यह बात मेरे और रेल मंत्री के बीच की बात है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इसका यह तात्पर्य है कि श्रम मंत्री का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या श्रम मंत्री ने शीत निद्रा ले ली है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या आपने रेल मंत्री अथवा सरकार को रेल कर्मचारियो की मांगे मानने के लिए बातचीत आरम्भ करने की सलाह दी है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : किसी मंत्री की रेल मंत्री को सलाह देने की बात उनके बीच का मामला है ।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकार के अनुसार बातचीत इस कारण रुक गई कि रेल कर्मचारियों के नेता श्री जार्ज फर्नेंडीज लोगों को हिंसा, रेल सम्पत्ति को नष्ट करने तथा रेलों को जलाने के लिए उत्तेजित कर रहे थे। किन्तु मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या रेल कर्मचारी संघर्ष की राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा श्री जार्ज फर्नेंडीज के हस्ताक्षर से जारी किये गये परिपत्र की ओर उनका ध्यान गया है ? यह 23 अप्रैल, 1994 को जारी किया गया । रेल कर्मचारियों को कुछ अनुदेश दिये गये हैं। अनुदेश संख्या 16 में कहा गया है कि यात्री गाडियों को ब्लाक स्टेशनों पर नहीं रुकना चाहिए और इंजन तथा अन्य कर्मचारियों को गाड़ियां निकटतम रेलवे स्टेशनों पर छोड़ना चाहिए ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। अनुदेश संख्या 17 में कहा गया है कि रेलवे स्टशनो अथवा अन्य रेल सम्पत्ति को जलाने अथवा क्षति पहुंचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए और यदि भड़काने वाले एजन्टों द्वारा ऐसे प्रयत्न किये गये तो उन्हें मिलकर निष्फल करना चाहिए। अनुदेश संख्या 18 में कहा गया है कि व्यक्तियों, मंत्रियों अथवा अधिकारियों के विरुध्द गन्दी भाषा तथा गन्दा प्रचार नहीं किया जाना चाहिए और केवल सरकार की नीतियों की ही आलोचना की जानी चाहिए। इस परिपत्र को ध्यान में रखते हुए क्या यह स्पष्ट नहीं है कि रेल कर्मचारिओं के संघर्ष के नेता रेल सम्पत्ति को जलाना अथवा नष्ट करना नहीं चाहते हैं ? क्या श्रम मंत्री के विचार से यह अनुचित नहीं है कि इस आधार पर रेल मंत्री द्वारा बातचीत तोड़ी जाये? क्या वे उनके बीच निपटारा करने के सम्बन्ध में कदम उठायगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हमारे पास इस परिपत्र की एक प्रति है और मैंने इसे पढ़ा भी है। अन्य प्रश्नों के बारे में रेल मंत्री ने पहले ही कार्यवाही की है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आपने परिपत्र पढ़ा होता तो आप को यह स्पष्ट होता कि वे रेल सम्पत्ति को बिल्कुल भी नष्ट करना नहीं चाहते अतः मैं आप की राय जानना चाहता हूं कि इस बातचीत में बाधा डालना तथा उसे तोडना गलत है या नहीं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न राय से सम्बन्धित है, उन्हें जानकारी नहीं चाहिए।

Shri Narsingh Narain Pandey : I would like to know from the Hon'ble Labour Minister whether after the announcement made by Railway Minister, the Labour Ministry have realised that there has been some toning down of the assurances given by him after having a talk with the various leaders about the negotiations and if so, whether the attention of Railway Minister has been drawn to that?

Secondly, I want to know whether the Hon'ble Labour Minister would appeal to the leaders of various trade unions to call off the strike and create such conditions as may enable to start negotiations ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक आपके प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, आश्वासन यह है कि मजदूर संघों तथा रेल कर्मचारियों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं जिन्हें रेल मंत्री तक पहुंचाया जायेगा। वास्तव में मैंने रेल कर्मचारियों के नेताओं के विचार रेल मंत्री को पहुंचा दिये है।

जहां तक आपके प्रश्न के दुसरे भाग का सम्बध है, मैंने मजदुर संघों के नेताओं से भी अपील की है और हमेशा यह महसूस किया जाता है कि हड़ताल करने से समस्यायों का समाधान नहीं होगा । इन समस्याओं का बातचीत के द्वारा विशेषरूप से वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समाधान किया जा सकता है ।

श्री पी० एम० मेहता : माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर गया है कि रेल कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में डाक-तार बैंक, जीवन बीमा निगम और रक्षा कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धारणा व्यक्त की है, यदि हां, तो इस विपत्ति से बचने के लिए तथा रेल कर्मचारियों तथा प्रशासन के बीच विवाद निपटाने के लिय सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्रम मंत्रालय के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है, यद्यपि हमने भी इसके बारे में सुना है।

श्री पी० एन० मेहता : श्रीमन्, मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पुछा है, अर्थात् इस स्थिति से बचने के लिए वह क्या उपाय करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर इस सभा में पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है।

Shri Shashi Bhushan: As the Government is not anti-workers so also the railway employees are not anti-Government. But what measures can be suggested by Labour Ministry to avert the tense situation in the present unfortunate circumstances? Whether an effort has been made for arbitration in this regard for finding out some other way or any other advice has been given?

श्री रघुनाथ रेड्डी : रेल मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। मैं इससे आगे इस मामले पर प्रकाश नहीं डाल सकता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सम्भवतः यह अन्तिम प्रश्न है। मैं एक बात जानना चाहता हूं। मंत्री महोदय मानते हैं कि समस्त देश में रेल कर्मचारियों की हड़ताल है। वे यह भी जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल तथा सेना समस्त देश में तैनात की गई है, जिससे स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस समय न केवल एक श्रम मंत्री के नाते किन्तु मंत्रिमण्डल के एक सदस्य के नाते इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करने का विचार करते हैं जिससे कम से कम समस्त रेलवे लाइनों से सीमा सुरक्षा बल तथा सेना को हटाया जाये।

श्री रघुनाथ रेड्डी : चाहे हड़ताल हो या न हो सरकार को सुरक्षा प्रदान करनी होगी और सरकार इस सम्बन्ध में जो भी कदम उठाना उचित समझेगी, उठायेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, Sir, the announcement in regard to railway strike was made many days ago and army was deployed by Government on all railways and in 52 divisions 3 days before. That means that it was definite that there was going to be strike. Is it a fact that the Labour Ministry is under pressure of the Railway Ministry so that neither it has been able to give any advice to the Railway Ministry nor that Ministry follows the advice of Labour Ministry? Whether the Labour Ministry agrees to the fact that the 6 point demand can be acceded to and the question of bonus is also justified?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सभी प्रश्नों पर वाद-विवाद हो चुका है रेल मंत्री ने विस्तृत उत्तर दिया है। मुझे इससे आगे कुछ नहीं कहना है।

Shri Hukam Chand Kachwai: The Hon'ble Minister has not answered my question as to whether Labour Ministry considers the demand of bonus as justified.

Mr. Speaker: He cannot say that. If he says it is justified, then there is no dispute.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खेतड़ी तांबा परियोजना

***997. श्री शिव नाथ सिंह :**
श्री बी० मायावन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान स्थित खेतड़ी तांबा परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा करने की मूलतः अनुमानित लागत कितनी थी और नवीनतम संशोधित अनुमानों का ब्यौरा क्या है और 31 मार्च, 1974 तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ;

(ख) प्रारम्भ में परियोजना को पूरा करने की क्या सम्भावित तारीख निर्धारित की गई थी और नवीनतम अनुमान के अनुसार पुरी परियोजना किस तारीख तक पूरी हो जायेगी;

(ग) प्रारम्भिक चरण में इस परियोजना से प्रतिदिन अनुमानतः कितने तांबे का उत्पादन होगा और उसकी शुद्धता का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) कच्चे माल की पूर्ति करने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनायें इस समय किस स्थिति में है ;

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) 1968 में तैयार किए गए लागत अनुमानों के अनुसार, खेतड़ी तांबा परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 93 करोड़ रुपए थी । इस परियोजना की लागत के संशोधित अनुमान 115 करोड़ रुपए हैं। 31 मार्च, 1974 तक, इस परियोजना पर हुआ कुल व्यय, लगभग 103 करोड़ रुपए है।

(ख) 1968 में बनाई गई समय सूची के अनुसार परियोजना को 1972 में पूरा होना था। वर्तमान संकेतों के अनुसार, परियोजना के 1974 की तीसरी तिमाही तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) परीक्षणा के सफलता पूर्वक पूरा हो जाने के बाद, प्रारंभिक अवस्था में खेतड़ी तांबा परियोजना से (+) 99.9% की शुद्धता के साथ प्रतिदिन लगभग 20 टन तांबा धातु के उत्पादन का अनुमान है ।

(घ) खेतड़ी तांबा परियोजना को अयस्क/सांद्रों की सप्लाई करने के लिए परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। 500 टन तांबा अयस्क की दैनिक क्षमता वाली एक परियोजना चांदमारी में शुरू की जा रही है । 100 टन अयस्क और समान मात्रा में सांद्रों के दैनिक उत्पादन को एक परियोजना पहले से ही दरीबा में सितम्बर, 1973 से चालू है और अपनी निर्धारित क्षमता से काम कर रही है।

एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया, जेके नगर को दिया गया आशयपत्र

***1000. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया जेके नगर को एल्यूमीनियम की उत्पादन की उत्पादन क्षमता में 5000 टन की वृद्धि करने के लिये आशय-पत्र जारी किया था ;

(ख) क्या ऐसा आरोप लगाया गया है कि वर्तमान संयंत्र का विस्तार करने के बजाय कम्पनी ने 60 लाख रूपये की राशि अपनी ऊड़ीसा परियोजना मे बर्बाद कर दी है ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) भारतीय एल्यूमिनियम निगम को अपनी वार्षिक प्रद्रावण क्षमता को 7,500 टन से बढ़ाकर 12,500 टन करने लिए एक आशय पत्र 23-9-64 को जारी किया गया था । चूंकि निगम, बार-बार अवधि विस्तार की मंजूरी के बावजूद पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ बिजली पूर्ति के प्रबंधों को अंतिम रूप नही दे सका, इसलिए पत्र की अवधि को मई, 1970 से आगे नहीं बढ़ाया गया । इसी बीच, निगम के आवेदन करने पर, फरवरी 1971 में उसे उड़ीसा में एक नया एल्यूमिनियम प्रोजक्ट स्थापित करने का लाइसेंस मिल गया । लाइसेंस के कार्यान्वयत हेतु प्रभावी कदम उठाने में निगम ने कुछ धनराशि व्यय की है।

बिहार में बोलिया खदान मजदूर संघ के कार्यालय पर कथित हमला

*1001. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बौलिया खदान मजदूर संघ के कार्यालय पर 9 अप्रैल, 1974 को हुए शसस्त्र हमले में 31 संघ कार्यकर्ताओं को गम्भीर चोटे आई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किन्ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके नाम क्या है; और

(ग) वे किस श्रमिक संघ से सम्बद्ध है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) इस प्रश्न का सम्बन्ध कानून और व्यवस्था बनाये रखने से है जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

Coal availability in mines

*1002. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a press report dated the 8th February, 1973 containing a statement of a spokesman of the Railways that the shortage of coal is attributable to the non-availability of coal in the mines; and

(b) if so. whether Government share the said view?

The Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malviya : (a) and (b) Perhaps the reference is to the press report which appeared in some newspapers on 8th February, 1974 and not 8th February, 1973. It may however be stated that adequate coal is available in the mines.

राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न प्रकार के इस्पात के लक्ष्य

*1003. **श्री गजाधर मांझीः** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में राउरकेला इस्पात संयंत्र में विभिन्न प्रकार के इस्पात के उत्पादन लक्ष्य क्या थे; और

(ख) क्या ये लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए थे और यदि नहीं, तो इन लक्ष्यों के प्राप्त करने में क्या बाधायें थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6999/74**]

दक्षिण में बिना निकालें गये खनिज निक्षेप

***1004. श्री अनादि चरण दास :**

श्री सी० जनार्दन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में बहुत से खनिज निक्षेपों को अभी भी नहीं निकाला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दक्षिणी क्षेत्रों में खनिजों को निकालन का कार्यों को तेज करने पर विचार करने जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) खनिज निक्षेपों की खोज एक लगातार चलने वाला काम है जिसमें क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण से शुरू करके अन्वेषण की गई अवस्थाएँ होती है । इसके परिणामों के आधार पर क्षेत्रगत खनिज निर्धारण के लिए इलाकों का चयन किया जाता है । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थाने दक्षिण के खनिज सम्पन्न इलाके के अधिकांश भाग का पहले से ही क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण शुरू कर दिया है। अधिकांश सम्पन्न पट्टियों का व्यापक समन्वेषण कर लिया गया है और उनमें से कुछ में अन्वेषण कार्य चल रहा है । खनिज स्थानों की सही सही और शीघ्र जानकारी के लिए आंध्र प्रदेश और मैसूर के कुछ भागों का यंत्र-बहुल हवाई सर्वेक्षण किया गया है ।

पांचवी योजना की अवधि में दक्षिण क्षेत्र में क्रमबद्ध मानचित्रण व खनिज अन्वेषण की दर में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में संशोधन

***1005. श्री बसंत साठे :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन करने के लिये अधिनियम का पुन-विलोकन किया जा रहा है और यह मामला विधि आयोग के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले किस अवस्था में है और अधिनियम में अपेक्षित संशोधन करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) विधि आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में एक प्रश्न सूची जारी की है। उन प्रश्नों के कुछ उत्तर प्राप्त हुए है और अयोग द्वारा उनका आध्यन किया जा रहा है।

विधि आयोग का प्रतिवदन क उपलब्ध होने के बाद मामले की जांच की जायेगी।

Taking over supply of medicines by Government

*1006. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether genuine medicines are not available at any place in the country; and

(b) if so, whether Government propose to take over the supply of medicines?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh): (a) It is not a fact that genuine medicines are not available in any place in the country. While the prevalence of adulteratd and spurious drugs cannot be denied, the drugs sold and distributed, in the country are by and large genuine.

(b) No, Sir.

राज्यों में पोलियों से पीड़ित बच्चे

*1007. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन्मजात विकृत अथवा पोलियो से पीड़ित बच्चों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है कि भारत में पोलियों रोग क्यों फैल रहा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केवल अस्पतालों में किए गए अध्ययन के आधार पर सूचना उपलब्ध है। रिपोर्टों से पता चलता है कि 0.5 से लेकर प्रतिशत तक बच्चे जन्मजात रूप में विकृत पैदा होते हैं। नवजात बच्चो की विकृतियों और पोलियो के विषाणुओं में कार्य–कारण संबंध ज्ञात नहीं है।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के तत्वावधान में कुछ क्षेत्रों के नागरी और ग्रामीण जनसमुदाय में पोलियो की व्यापकता का अध्ययन करने के लिए खोज की जा रही है। पोलियो–विषाणु के सबन्ध, इसके ऋतु–कालिक वितरण तथा आयु, लिंग, भीड़ और सामाजिक आर्थिक स्तर से इसके संबंध के विषय में भी खोज की जा रही है।

(ग) पोलियो के खाये जान वाले टीके तैयार करने का कार्य भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् की कुन्नूर स्थित यूनिट द्वारा किया जा रहा है। हाफकिन संस्थान्, बम्बई में पोलियों के खाए जाने वाले टीके तैयार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। भारत सरकार विदेश भी पोलियो के टीके आयात कर रही है।

Non-payment of workers dues in Nationalised Coal Mines

*1008. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether a large number of Coal Mines labourers are out of employment and even their dues have not so far been reimbursed to them because Government have not appointed the Commissioners envisaged in the Coal Mines Nationalisation Act, 1973; and

(b) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malaviya): (a) No, Sir. After nationalisation of coal mines, all the genuine workers were screened and given employment. Certain dues of workers relating to the pre-nationalisation period are, however, yet to be paid to them on priority basis out of the compensation amount, and this will be done after the Commissioner of Payments scrutinises the dues against the erstwhile mine-owners including the wages of workers.

(b) Steps are being taken to appoint the Commissioner of Payments shortly.

भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार में विलम्ब

***1009. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री बेकारिया :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने की विस्तार योजना में और विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) जी, हां। भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम में मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हो जाएगा : (1) तकनीकी आंकड़ो की प्राप्ति में विलम्ब तथा 70 लाख टन तक लगातार विस्तार कर के बाद के सुझाव पर विचार करने की आवश्यकता के परिणामस्वरुप विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तयार करने और उसे अन्तिम रूप देने में विलम्ब (2) विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई जाने वाली मुख्य मुख्य इकाइयों के लिए तकनीकी प्रायोजना प्रतिवेदनों की प्राप्ति में विलम्ब (3) सिविल इंजीनियरी के हस्तान्तरण–प्रलेखों की प्राप्ति और विस्तृत कार्यकारी आलेखों की तैयारी और (4) उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब की सम्भावना।

पाकिस्तान के साथ हाल की लड़ाई के दौरान कथित लापता भारतीय व्यक्तियों की तलाश

***1010. श्री निहार लास्कर :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई के दौरान कथित लापता भारतीय व्यक्तियों के मिलने के बारे में भारत को पाकिस्तान से कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी शिष्ट मंडल द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को उनकी पूर्ण तलाश करने का आश्वासन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और कथित लापता भारतीय व्यक्तियों की लगभग संख्या कितनी है ?

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जैसा कि सदन को मालूम है, 9 अप्रैल, 1974 को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में खासतौर पर यह व्यवस्था रखी गई है कि दोनों देशों को सेना और अर्थ-सेना के लापता कर्मचारियों को ढूंढने की और कोशिश करनी चाहिए और उन्हें ढूंढने में अंतर्राष्ट्रीय रैड–क्रास सोसाइटी को हर तरह की सुविधाये प्रदान करनी चा ।

पाकिस्तान द्वारा यू० के० से पनडुब्बीनाशक युद्धपोत प्राप्त करना

*1011. **श्री धामनकर :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा ब्रिटेन से एक गुप्त करार के अन्तर्गत पनडुब्बीनाशक युद्धपोत प्राप्त किये जाने से भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन बिगड़ गया है; और

(ख) क्या यह सन्तुलन बिगाड़ने के लिए ब्रिटेन से विरोध प्रगट किया गया है और इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गय हैं।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) ब्रिटन की सरकार ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने 'व्हिटबाई' प्रकार के दो छोटे जहाज पाकिस्तान को बचने की इजाज़त दी है। इस बारे में हमने ब्रिटेन की सरकार के साथ कई बार अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही सरकार स्थिति पर भी निगरानी रख रही है और उसका मुकाबला करन के लिए सभी समुचित कदम उठायेगी।

भारतीय सेना के तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के वेतन और भत्ते

*1012. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के वेतन और भत्ते तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा दिया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो 'पीस' (शान्ति) और 'फील्ड' (युद्ध) क्षेत्रों में, अलग-अलग, रैंक-वार लागू किये गये वेतन तथा भत्तों का ब्यौरा क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमन्; भारतीय सेना के दोनों तकनीकी और गैर-तकनीकी कमीशन अफसरों के वेतन-मानों से सम्बन्धित वतन आयोग की सिफारिशों का अभी अध्ययन प्राप्त किया जा रहा है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बर्नपुर में चोरिया

*1013. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर वर्क्स (पश्चिम बंगाल) में चोरी लूट तथा डकैती आदि के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को वर्ष 1972-73 में कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में समाज विरोधी तत्वों की इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या निवारणात्मक उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध सम्भालने के पश्चात् उनके बर्नपुर स्थित कारखाने में सुरक्षा संगठन को काफी सशक्त बना दिया गया है। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ संयंत्र और उपकरणों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा माल की उठाइगिरी रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था करना है। इसके परिणाम काफी अच्छे रहे हैं।

कलकत्ता में आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ इन्डीजिनस मेडिसिन्स स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव

***1014. श्री ए० के० एम० इसहाक :**

श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 11 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6462 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता में आल इण्डिया इन्स्टीटयूट आफ इन्डीजिनस मेडिसिन्स स्थापित करने के बारे में पश्चिम बंगाल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इन्स्टीटयूट को स्थापित करने के स्थान के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित भारतीय चिकित्सा पद्धति का अखिल भारतीय संस्थान कहा खोला जाए, यह मामला अभी विचाराधीन है।

सीरम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, कलकत्ता के विरुद्ध शिकायत

***1015. श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरम विज्ञान (सिरोलोजी) विभाग, भारत सरकार, कलकत्ता के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सीरम विभाग में हुई अनियमित खरीद के बारे में कतिपय आरोपों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

बिहार में चिकित्सा कालेजों की कमी

9633. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मार्च, 1974 को बिहार राज्य में स्थित चिकित्सा कालेजों की संख्या राज्य की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) मुदालियार समिति द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार (50 लाख की आबादी के लिए 100 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाला एक मेडिकल कालेज) बिहार राज्य में 5 करोड़ 63 लाख की अनुमानित आबादी के लिए 11 मेडिकल कालेज होने चाहिए। बिहार में 9 मेडिकल कालेज हैं। हालांकि बिहार राज्य में मेडिकल कालेजों की संख्या कम है, फिर भी मुदालियर समिति की सिफारिश के अनुसार वार्षिक प्रवेश क्षमता में, कोई कमी नहीं हुई है क्योंकि वहां के सारे 9 मेडिकल कालेजों की प्रवेश क्षमता कुल मिलाकर 1100 से अधिक है।

अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल

9634. श्री एम० एम० जोजफ : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी संघ के महां मंत्री के अनुसार यदि राष्ट्रीय मजरी मार्ग दर्शक सिद्धान्त समिति ने अप्रैल, 1974 के अन्त तक गतिरोध समाप्त नहीं किया तो देश भर के लगभग 6.5 लाख बिंजली कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अखबारों में, विद्युत मजदूरी मार्ग दर्शक समिति द्वारा मजदूरीयों के प्रश्न के संबंध में एक स्वीकार्य निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ होने की स्थिति में हड़ताल के बारे खबरें छपी हैं।

Persons of Indian Origin in West Germany

9635. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to collect information through the Indian Embassy in regard to the number of persons of Indian origin in West Germany at present; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Persons of Indian Origin in U.S.S.R.

9636. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to collect information through Indian Embassy in regard to the number of Persons of Indian origin in Soviet Russia at present; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

समुद्र से कोयले की ढुलाई

9637. श्री एम० कत्तामुत्तु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि [1]

(क) क्या सरकार ने समुद्र से कोयले की ढुलाई करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने तटीय क्षमता को पन्द्रह गुना बढ़ाने का प्रयास करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने समुद्र से कोयले की ढुलाई करने हेतु मार्गों की योजना बनाई है और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां; कोयले की ढुलाई कई वर्षों से समुद्री मार्ग द्वारा की जा रही है।

(ख) और (ग) पांचवीं योजना के अंत तक अर्थात् 1978–79 तक कोयले की तटीय ढुलाई क्षमता को वर्तमान 7 लाख टन से बढ़ाकर 60 लाख टन करने का कार्यक्रम बनाया गया है। यह पोत-लदान कलकत्ता और हल्दिया से (पूरा हो जाने पर) दक्षिणी व पश्चिमी भारत के बंदर गाहों को किया जाएगा। जहां से बिजली घरों, रेलवे और अन्य उद्योगों को कोयला पहुंचाया जा सके।

कोयले की कमी के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के बन्द होने का भय

9638. श्री एम० कत्तामुत्तु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के बन्द होने का भय है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या है इसे पर्याप्त कोयला देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं कोकिंग कोयले की कमी तथा उसकी अनिश्चित सप्लाई के कारण कारखाने को धीमी गति से चलाया जा रहा है।

(ख) कोकिंग कोयले की ढुलाई में उच्चतम प्राथमिकता देने के लिए रेलवे से सतत सम्पर्क रक्खा जा रहा है।

नैवेली लिग्नाइट निगम में श्रमिक संघों द्वारा की गई मजूरी सम्बन्धी मांग

9639. श्री एम० कत्तामुत्तु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवेली लिग्नाइट निगम के छः प्रमुख संघों की संयुक्त कार्य परिषद् ने 388 रुपये की न्यूनतम मजूरी की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या श्रमिकों ने मांग के न माने जान पर हड़ताल करने का निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) नवैली लिग्नाइट निगम के प्रबंधकों ने फरवरी, 1974 में जिन छः प्रमुख यूनियनों से वार्ता की थी, उनमें से चार यूनियनों अर्थात् एन० एल० सी० लेबर एंड स्टाफ यूनियन (सी आई टी यू), लिग्नाइट माइन्स नैशनल वर्कर्स यूनियन (इंटक), नेवेली माइन्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस) और अन्ना वर्कर्स एंड स्टाफ यूनियन, की संयुक्त परिषद तथा नवैली लिग्नाइट निगम कर्मचारी

यूनियन ने 350 रुपए न्यूनतम मजदूरी की मांग की है। एन० एल० सी० वर्कर्स प्रोग्रेसिव यूनियन (द्रमूक) ने 380 न्यूनतम मज़दूरी की मांग की है। इन यूनियनों की अन्य मांगे कुछ अनुषंगी लाभों तथा पदोन्नति की संभावनाओं के बारे में है। चुंकि वार्ता के दौरान कोई समझौता नहीं हो सका अतः 20-3-74 को सभी छः यूनियनों द्वारा 8-4-74 को उसके बाद किसी तारीख से हड़ताल करने का नोटिस दिया। 25-3-74 को समझौता वार्ता शुरू हुई। छः में से चार यूनियनों के साथ 15-4-74 को एक समझौता हुआ। उस समझौते में अन्य बातों के साथ साथ यह भी व्यवस्था है कि अब न्यूनतम मजदूरी 312 रुपए प्रतिमास होगी।

अन्य दो यूनियनों अर्थात् लिग्नाइट माइन्स नेशनल वर्कर्स यूनियन (इंटक) तथा एन० एल० सी० लेबर एंड स्टाफ यूनियन (सी आई टी यू) ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए और उन्होंने 16-4-74 (10 बजे अपराह्न) से हड़ताल कर दी। किन्तु 17-4-74 (10 बजे अपराह्न) को हड़ताल समाप्त कर दी।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में कोयले का निर्यात

9640. **श्री एम० कत्तामुत्तु : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में कोयले के निर्यात के निर्धारित लक्ष्य को देश में कोयले के अपर्याप्त उत्पादन के कारण पूरा नहीं क्रिया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयले के निर्यात के निर्धारित लक्ष्य को पांचवीं योजना के लिए नियत कोयला उत्पादन कार्यक्रम से पूरा किया जाएगा।

दिल्ली छावनी बोर्ड के श्रेणी iii तथा iv के कर्मचारियों को धुलाई भत्ते की अदायगी

9641. **श्री सतपाल कपूर : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड के श्रेणी iii तथा iv के कर्मचारियों को वर्ष 1969 से धुलाई-भत्ता नहीं दिया गया है जबकि दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम में उनके समकक्ष कर्मचारियों को धुलाई-भत्ता मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को धुलाई भत्ता कब से मिलना आरम्भ हो जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय छावनी कर्मचारी संघ ने छावनी बोर्ड कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के रूप में तथा छावनी बोर्ड के मध्य 13 मई, 1969 को हुए समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत धुलाई भत्ता नहीं आता है। तथापि, दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के प्रतिवदन पर 1 दिसम्बर, 1973 से दिल्ली छावनी बोर्ड के स्वीपरों को धुलाई भत्ता मंजूर कर दिया गया है। बोर्ड के अन्य श्रेणी iv तथा iii के कर्मचारियों को जिन्हें मुफत् वर्दी दी जाती है उन्हें इस भत्ते के मंजूर करने का प्रश्न विचाराधीन है।

रोजगार सहायता नियमों में संशोधन

9642. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार सहायता के नियमों में इस उद्देश्य से संशोधन किया है जिससे रोज़गार प्राप्त करने वाले अपनी इच्छानुसार एक अथवा अधिक रोज़गार केन्द्रों में अपने को पंजीकृत करा सकें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Memorandum from Employees of the Military School at Panchmari Re. Improvement of Service conditions

9643. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum from the employees of the Military School at Panchmari (Madhya Pradesh) demanding improvement in their service conditions; and

(b) if so, the main points made therein and Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

E.P.F. outstanding against Institutions and Factories in M.P.

9644. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number and names of those institutions and factories in Madhya Pradesh against which amount of more than Rs. 10,000 of the Employees Provident Fund was outstanding upto October, 1973;

(b) the action proposed to be taken by the concerned Regional Provident Fund Commissioners following the amendment of the general sections of the Employees Provident Funds Act, 1952 from 1st November, 1973 and whether any new procedure has been laid down;

(c) whether action to recover this amount from the defaulter institutions has been initiated; and

(d) whether legal action under sections 406 and 409 of the Indian Penal Code has also been taken against the defaulter units?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (d) The Provident Fund Authorities have intimated that the information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Production of Scooters in Madhya Pradesh Plants

9645. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) the total production capacity of the present Scooter Manufacturing Plants in Madhya Pradesh State and the production actually made by them during the last three years, year-wise; and

(b) the production capacity of the scooter units being set up in the State and the present position of applications under consideration of Government for starting new scooter units in the State?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) There is no factory manufacturing scooters in Madhya Pradesh State.

(b) No scooter unit is presently being set up in Madhya Pradesh. Government have also not received any application for setting up a unit for the manufacture of scooters in Madhya Pradesh.

Application of E.P.F. Act to workers of Bidi Factories in Madhya Pradesh

9646. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the Employees Provident Funds Act, 1952 applies to the workers of bidi factories of Madhya Pradesh and if so, from what date and the number of employees enrolled for membership of the Fund; and

(b) whether any one of the above factories have to flouted the provisions of the aforesaid Act and if so, the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The Provident Fund Authorities have intimated that the information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Help to Flood affected fishermen and landless labourers in Hoshangabad, M.P.

9647. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Central Government have issued any instructions to the Government of Madhya Pradesh to help immediately the flood affected fishermen and landless labourers in Hoshangabad district in Madhya Pradesh; and

(b) the amount of assistance proposed to be given by his Ministry to the State Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) No.

(b) Does not arise.

विभिन्न देशों के साथ संयुक्त आयोग समिति प्रणाली

9648. श्री के० मालन्ना : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने संयुक्त आयोग अथवा समिति प्रणाली के अन्तर्गत किन किन देशों से अपने आर्थिक और तकनीकी सहयोग और मजबूत किये तथा बढाये है ; और

(ख) इनमें साम्यवादी औप गैर-साम्यवादी देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए अफगानिस्तान, श्रीलंका, इरान, इराक, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, पोलंड, चेकोस्लावाकिया, रूमानिया, हंगेरी, बल्गारिया और स्वीडन के साथ भारत के संयुक्त आयोग या समितियां है ।

इसके अलावा व्यापारिक कार्यों के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने बेल्जियम, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, यूनान, इटली, नीदरलेंड्स, स्पेन, स्विट्जरलेंड, टर्की और यूगोस्लाविया के साथ संयुक्त समितयां/आयोग स्थापित किये हैं ।

(ख) ऊपर दी गई सूची में सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, पोलैंड, चेकोस्लावाकिया' रूमानिया, हंगरी, बलगारिया और यूगोस्लाविया साम्यवादी देश है जब कि अफगानिस्तान श्रीलंका, ईरान, इराक, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, यूनान, इटली, नीदरलेंडस, स्पेन, स्विट्जरलेंड और टर्की गैर साम्यवादी ।

वर्ष 1973 में मंत्रालय को सौंपे गये श्रमिक विवादों का फैसला

9649. श्री वयालार रवि : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में उनके मंत्रालय को कुल कितने श्रमिक-विवाद सौंपे गए और उन पर विचार किया गया; और

(ख) उनमें से कितने विवाद बातचीत द्वारा सुलझाए गए और पंच-फैसले या न्याय-निर्णय के लिये भेजे गए?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 5,588 (अ) । इसमें पिछले वर्ष से आगे लाये गए 669 विवाद सम्मिलित हैं ।

(ख) उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट आंकडो के ब्यौरे निम्न प्रकार है :–

(1) उन विवादो की संख्या जो हस्तक्षेप के योग्य नहीं समझे गए ।	189(अ)
(2) उन विवादों की संख्या जिन्हे औपचारिक कार्यवाहियां किए बिना, अनौपचारिक रूप से सुलझाया गया	194(अ)
(3) उन विवादों की संख्या जिन्हें अन्य तरीकों से निपटाया गया ।	2785(अ)
(4) उन विवादों की संख्या जिन में संराधन कार्यवाहियां की गई	1755(अ)
(5) **उपरोक्त (4) में से**	
(क) उन विवादों को संख्या जिन में समझौते किए गए थे ।	889(अ)
(ख) उन विवादों की संख्या जिन में संराधन कार्य-वाहियां असफलता में समाप्त हुई ।	866(अ)

(6) 866 विवादों में से, जिन में संराधन कार्यवाहियां असफलता में समाप्त हुई, 29 मामले विवाचन के लिए निर्दिष्ट किए गए और 204 मामले न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट किए गए ।

अ–अनंतिम आंकडों के लिए है ।

सेना के कर्मचारियों तथा पेन्शनरों द्वारा मिलिटरी कैन्टीन से खरीदे माल को बिक्री कर स मुक्त करने का प्रस्ताव

9550. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त सेना के कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलिटरी कैन्टीन से अत्याबश्यक वस्तुओं की खरीद पर 10 प्रतिशत अधिक बिक्री कर देना पडता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें इस प्रकार के अतिरिक्त कर से मुक्त करने का है क्योंकि इनकी आय सीमित होती है तथा वे सेवा मुक्त कर दिये जाते है।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) विक्री कर राज्य का विषय है। सेना कर्मिकों और पेंशन पाने वालो द्वारा सेवा कैन्टीनों से किए गये क्रय पर विक्री-कर लगाने के नियम तथा दरें हर राज्य में भिन्न-भिन्न होते है। कुछ राज्यों में सेवारत कार्मिकों को विक्री-कर देने से छुट है जबकी सेवानिवृत कार्मिकों को विक्री-कर देना होता है। कतिपय राज्य कुछ मदों पर विक्री-कर लगाते है और सेवारत कार्मिको को भी विक्री-कर से छूट नहीं होती है। कुछेक राज्यों में सेवारत तथा सेवानिवृत्त कार्मिक दोनों को ही ऐसे कर देने से छूट है।

अधिक संख्या में वाणिज्यिक मोटर गाडियां बनाने के लिए टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड का विस्तार

9651. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर ने अधिक संख्या में वाणिज्यिक मोटर गाडियां बनाने के लिए अपने वर्तमान संयंत्र का विस्तार करने के लिए आवेदन पत्र भेजा है और क्या सरकार ने इस विस्तार की अनुमति दे दी है और यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या टेल्को जमशेदपुर द्वारा हाल ही में जमशेदपुर फैक्ट्री में लगाने के लिए आयातित कुछ मशीनरी को सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना टेल्को वर्क्स और जहाजों से सीधे पूना फैक्ट्री को भेज दिया गया है;

(ग) क्या यह आयात नियम और विनियम का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो टेल्को और टाटा बन्धुओं के विरुद्ध सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मे० टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि० को प्रतिवर्ष 24,000 से 36,000 की संख्या में वाणिज्यिक गाडियों का निर्माण करने के लिये उनके जमशेदपुर संयंत्र की क्षमता का 24,000 से 27,000 की संख्या में विस्तार करके तथा प्रतिवर्ष 9,000 की संख्या में हैवी ड्यूटी गाडियों का निर्माण करने के लिये पूना में एक नये एकक की स्थापना कर के पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति दे दी गई है। जमशेदपुर और पूना की विस्तार योजना के कार्यान्वियन के लिये उन्हें 14.15 करोड़ रुपये के मूल्य के आयातित पुंजीगत उपकरणों की आवश्यकता होगी जिसमें पूना में केप्टिव एलोय आयरन फाउंड्री के लिये 1.15 करोड रुपये के मूल्य के उपकरण भी सम्मिलित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

47th Annual Conference of Chambers of Commerce and Industry

9652. Shri Chandulal Chandrakar: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the Chamber of Commerce and Industry of India has in its 47th Annual Conference suggested industrial peace for a period of five years for increasing production; and

(b) if so, the full facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The Resolution on Challenge of Economic Development, placed before the Conference, inter alia stated that in order to consolidate the economy and put it on a progressive basis, certain measures had to be urgently undertaken. One such measure for increasing production was harmonious labour-management relations, to achieve which it was necessary to have industrial truce for a period of 5 years.

मैसर्स बी० बी० जे० कन्स्ट्रक्शन कंपनी के प्रबन्धक मंडल के विरूद्ध शिकायतें

9653. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मेसर्स बी० बी० जे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक मंडल के विरुद्ध बी० बी० जे० कर्मचारी संघ की और से शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस कंपनी को बनाये रखने तथा इसमें कुप्रबंध को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबिर सिंह) : (क) से (ग) सरकार की: बी० बी० जे० कर्मचारी संघ से प्राप्त शिकायतों पर अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है। आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही शुरू की जा रही है।

जनरल जी० जी० बेवूर की सेवा अवधि बढ़ाना

9654. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्थल सेनाध्यक्ष जनरल जी० जी० वेवर की सेवा अवधि को 31 मई, 1975 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है ; और

(ख) यदि हां ; तो उसके उत्तराधिकारी जो कि उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्यभार सम्भालेगा, का नाम क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) इस पद पर पहली जून 1975 से नियुक्ति के लिए यथोचित समय पर विचार किया जाएगा।

Enforcement of Minimum Wages Act in China Clay Mine

9655. Shri Jagdish Narain Mandal: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that more than about 10,000 labourers are working in China Clay Mine in Rajmahal (Bihar) who get wages from Rs. 1.60 to Rs. 1.80 per day;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which Government will enforce Minimum Wages Act in China Clay Mines and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) Details regarding the existing wages of workers in China Clay mines are not available. However, the question of fixing statutory minimum wages of employees in the China Clay mines is being processed.

अमरीकी युद्ध पोतों का हिन्द महासागर छोडने के बारे में समाचार

9656. **श्री एम० एम० जोजफ** : या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अप्रैल, 1974 को प्रकाशित समाचार के अनुसार पिछले वर्ष पश्चिम एशिया संकट के बाद पहली बार अमरीकी युद्धोत हिन्द महासागर छोड रहे है,

(ख) क्या उक्त समाचार के अनुसार अमरीकी नौसेना को हिन्द महासागर म दुबारा पहुंचने में कई महीने लग जायेंगे, और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देख ली हैं।

(ग) हिन्द महासागर के शांति क्षेत्र होने के बारे में सरकार की स्थिति सर्व विदित है। हम उस क्षेत्र में बड़े देशो की हर प्रकार की स्पर्धा और सैनिक विस्तार के विरुद्ध है और किसी बडे देश की ऐसी उपस्थिति अथवा स्पर्धा में कमी होने का, विशेष रूप से अगर वह स्थायी हो, हम स्वागत करते है ।

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को पैट्रोल पम्पों का आबंटन

9657. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या रक्षा मंत्री युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को पेट्रोल पम्प खोलने के लाईसेंस देने के बारे में 20 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5537 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने जिला गुरदासपुर (पंजाब) में नौशेरा कज्जा सिंह के स्थान पर एक पैट्रोल पम्प निर्मित करने तथा उसे युद्ध में शहीद हुए किसी सैनिक के आश्रितों को आबंटित करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने इस पेट्रोल पम्प के टेन्डर आमंत्रित किए है हालांकि इस पेट्रोल पम्प को युद्ध में शहिद हुए सैनिकों के आश्रितों को आबंटित करने का विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पेट्रोल पम्प को उक्त आश्रितों को आवंटित न किए जाने के क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम ने जिला गुरदासपुर के नौशेरा माजा सिंह में वितरक द्वारा चलाये जाने वाले पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए दिसंबर 1973 में एक विज्ञापन दिया था । इस पम्प को युद्ध में मृत सैनिकों कार्मिकों के आश्रितों के लिए विशिष्ट रूप से आरक्षित नहीं रखा गया था। तथापि भारतीय तेल निगम इस बात पर सहमत है कि अन्य बातें समान होने पर सशस्त्र सेना कार्मिकों और उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय तेल निगम ने अन्तिम रूप से वितरक का चयन अभी तक नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कैंटिन एंड स्टोर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को स्कूटरों का आबंटन

9658. श्री भालजी भाई परमार : क्या **रक्षा** मंत्री 18 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7280 के उत्तर के संबंध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से 1973 तक स्कूटरों का मांग का पूरा कोटा न मांगे जाने के क्या कारण है जिसे डिफेंस कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (इंडिया) की सप्लाई के भीतर पूरा किया जा सकता था; और

(ख) सरकार का स्कूटर खरीदने के उन इच्छुक व्यक्तियो की मांग किस प्रकार पूरी करने का विचार है जो स्कूटरों के आबंटन के लिए कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) को बजाज तथा लेम्ब्रेटा स्कूटरो के निर्माताओं के द्वारा अपने व्यावसायिक कोटे में से निर्धारित कोटा आबंटित किया जाता है। केन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) को अतिरिक्त संख्या में स्कूटर प्राप्त करने के लिए निर्माताओं को खुली विदेशी मुद्रा रक्षा कोटा में से उपलब्ध करानी होती है। खुली विदेशी मुद्रा की समग्र रूप से कमी के कारण स्कूटरों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए स्कूटरों के लिए कहना संभव नहीं हो सका है।

(ख) विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुए स्कूटरों की सम्पूर्ण बकाया मांग के लिए विदेशी मुद्रा दे सकना सम्भव नहीं होगा। तथापि 1973-74 वर्ष में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित विदेशी मुद्रा से चालू वर्ष के दौरान 6233 अतिरिक्त स्कूटरों के उपलब्ध हो जाने की आशा है।

भविष्य निधि में जमा की गई बोनस की राशि की वापसी

9659. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित रूप में बोनस अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत बोनस का वह अंश जो भविष्य निधि के हिसाब में जमा किया गया हो कर्मचारी को वापस दे दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका संबंध 1971 में किसी दिन से आरंभ होने वाला लेखा वर्ष से है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कुछ नियोजकों ने अभी तक बोनस का वह अंश वापस नहीं किया है जिसे उनके कर्मचारियों के भविष्य निधि हिसाब में जमा कराया जाना था; और

(ग) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि कर्मचारियों को बोनस का वह अंश दिया जा सके जिसे 1971 में किसी दिन से आरंभ होने वाले लेखा वर्ष के लिए विष्य निधि हिसाब में जमा कराया जाना था ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) वर्ष 1972 में किसी भी दिन प्रारंभ होने वाले लेखा वर्ष से सबन्धित बोनस के ऐसे किसी अंश का जो कर्मचारियो के भविष्य निधि के लेखों में जमा किया गया था; वापिस करने की व्यवस्था करने के लिए, अधिनियम को दिसम्बर, 1973 में संशोधित किया गया था। तदनुसार वर्ष 1971 के किसी भी दिन प्रारंभ होने वाले लेखा वर्ष के लिए बोनस की इसी प्रकार की वापसी के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और औषधालय संख्या 29, नानकपुर, नई दिल्ली में रात्रि सेवा

9660. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय संख्या 29, नानकपुर, नई दिल्ली, में "रात्रि सेवा" उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस कालोनी के निवासियों की कठिनाई दूर करने की दृष्टि से उस कालोनी में 'रात्री सेवा' आरम्भ करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) रात के समय मरीजो को देखने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 29 नानकपुरी मोती बाग स्थित औषधालय से सम्बन्द्ध है जो उक्त क्षेत्रों के लिये रातदिन खुला रहने वाला औषधालय है । नानकपुर क्षेत्र में रात्रि के समय आने वाले रोगियों की औसतन संख्या 10 है और धनाभाव के कारण यह सम्भव नहीं है कि नानकपुर क्षेत्र के लिए अलग से इस समय "रात्रिसेवा" की कोई व्यवस्था की जा सके।

नेहरु होमोपैथिक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के छात्रों द्वारा दिया गया मांग पत्र

9661. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू होम्योपेथिक मेडिकल कालेज नई दिल्ली के छात्रों ने सुविधाओं में कमी के बारे में सरकार को कोई मांग पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क)और (ख) नेहरू होम्योपेथिक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के छात्रों की मांगों तथा उन पर की गई कार्यवाही के बारे में एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7000/74**]

नेहरु होम्योपेथिक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली को दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध करना

9662. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के छात्रों ने मांग की है कि कि चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में बदला जाये तथा कालेज को दिल्ला विश्वविद्यालय से समूचे भारत में मान्यता के लिये सम्बद्ध किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) छात्रों की एक मांग तो यह है कि इस कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाए ।

(ख) दिल्ली विश्व विद्यालय ने कहा है कि निर्धारित आधार पर सभी कर्मचारियों के नियुक्त हो जाने तथा सम्बद्धता की अपेक्षित शर्त के पूरा हो जाने के पश्वात ही वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

नई दिल्ली होम्योपैथिक अस्पताल का निर्माण

9663. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में आधे बन चुके होम्योपैथिक अस्पताल के निर्माण पर रोक लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्यों;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के छात्रों के विरोध की जानकारी है; और

(घ) यह निर्माण कब पुनः आरम्भ होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) जिन भवनों में कोई संस्थान कार्यरत नहीं है मितव्ययता के सामान्य उपाय के रूप में उनके निर्माण कार्य पर इस समय प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ग) जी, हां। उनकी मांगों में से एक मांग समुचित अस्पताल खोलने की है।

(घ) इस प्रतिबन्ध के समाप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

औषधियों के फार्मूलेशनों के ब्रांड नाम

9664. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के फार्मूलेशनों के ब्रांड नामों को समाप्त करने और उनका नये ब्रांड नामों से विपणन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) छाप के नाम से अब तक जैसे दवाइयां बेची जाती रही है उस तरीके को समाप्त कर उन्हें उन वस्तुओं के नामों से बेचने का विचार है जिनसे वे दवाइयां बनती है।

ऐसा करने से क्या क्या उलझने पैदा हो सकती है इस पर विधि मंत्रालय से सलाह मशविरा करके विचार किया जा रहा है।

हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की नौसैनिक अड्डे स्थापित करने संबंधी योजनाओं के कारण उत्पन्न सुरक्षा संबंधी समस्याएं

9665. **श्री मधु दंडवते** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोविएत संघ द्वारा नौसैनिक अड्डे स्थापित करने संबंधी योजनाओं के कारण भारत के लिए कोई प्रतिरक्षा संबंधी समस्यायें उत्पन्न हुई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हिन्द महासागर में कोई विदेशी अड्डा स्थापित हो जाने से उपस्थित स्थिति के आधार पर, रक्षा संबंधी समस्याएं जरूर उत्पन्न होती है।

(ख) इस क्षेत्र में सैनिक स्थिति का लगातार पुनरीक्षण किया जाता रहता है और जहां आवश्यक होता है उपयुक्त कदम उठाए जाते है । माननीय सदस्य यह मानेंगे कि इस संबंध में आगे और सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

बडौदा हिन्दुस्तान ट्रैक्टर प्लांट

9666. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडोदा हिन्दुस्तान ट्रैक्टर जो अब गुजरात कृषि उद्योग निगम के अधीन है को गत वर्ष एक करोड रुपये का घाटा हुआ था तथा इसे कुल 2.45 करोड रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संयंत्र 1969 से डांवाडोल स्थिति में है ;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है; और

(घ) बडौदा हिन्दुस्तान ट्रैक्टर प्लांट के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मे० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड बडौदा को वर्ष 1972-73 में लगभग 81.00 लाख रुपये की हानी हुई। 31 मार्च, 1973 तक कंपनी को कुल लगभग 245.00 लाख रुपये की हानि हुई।

(ख) जी, हां ।

(ग) मे० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स के असंतोषजनक कार्य के मुख्य कारण निम्नलिखित है :—

(1) उचित प्रबंध की कमी।

(2) उचित उत्पादन योजना की कमी ।

(3) पर्याप्त वित्तीय संसाधन की कमी ।

(घ) मार्च, 1973 में सरकार द्वारा कंपनी के प्रबंध का अधिग्रहण कर लिया गया था। मे० गुजरात ऐग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन को 5 वर्षों की अवधि के लिए कंपनी का प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया है। कंपनी को निश्चित अवधि के लिए ऋण का भुगतान करने में राहत दे दी गई है। इसे चेकोस्लोवाकिया से जटिल प्रकार के पुर्जों का आयात करने के लिए भी सहायता दी गई है। कंपनी के नये प्रबंधक अपने उत्पादन और वित्त के पुनर्गठन के लिए कदम उठा रहे है और आशा है कि निकट भविष्य में संचालन परिणाम और अच्छे होंगे ।

तटवर्ती जहाजों द्वारा कोयले का परिवहन

9667. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या इस्पात और खान** मंत्री जहाजो द्वारा कोयले के परिवहन के बारे में 21 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 348 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तटवर्ती जहाजों के द्वारा कितनी मात्रा में कोयले की ढुलाई की गई है; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न हितों के कारण परिवहन किये जाने वाले कोयले का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

वर्ष	कोयले की मात्रा (लाख टनों में)
1971	5.08
1972	5.85
1973	6.52

(ख) पांचवी योजना के मसौदें में योजना के अंत तक प्रति वर्ष 50 से 60 लाख टन कोयले के जहाजी परिवहन की व्यवस्था की गई है जो दक्षिण व पश्चिम भारत के अनेक नए और पुराने वर्तमान बिजलीघरों और सीमेंट कारखानों, रेलवे तथा अन्य उद्योगों को भेजा जाएगा ।

जैसप वर्क्स के कार्यकरण की जांच की मांग

9668. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसप वर्क्स, डमडम का सतर्कता समिति के कुछ सदस्य से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें फर्म को बचाने तथा लाभात्मक आधार पर इसका कुशल संचालन सुनिश्चित कराने के लिए फर्म के कार्यकरण का तुरन्त और पूरी तरह जांच कराने को अनुरोध किया गया है, और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। ज्ञापन में कम्पनी के रोड रोलर प्रभाग में लेखा संबंधी हेर फेर पक्षपात और अनावश्यक आयात के तथा कथित कुछ आरोपों का उल्लेख किया गया है।

(ख) सुनिश्चित किये गये तथ्यों से पता चला कि ये आरोप बेबुनियाद है।

इस्पात कारखानों में कोयला पहुंचाने संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने वाली समिति का प्रतिवेदन

9669. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों में कोयला पंहुचाने संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने वाली समिति ने अपने प्रतिवेदन दे दिये है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशे क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस्पात संयंत्र परिवहन को युक्तिसंगत बनाने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अभी अपनी सिफारिशें अन्तिम रूप से प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इलेक्ट्रिक आर्क फार्नेस के लिये सक्रेप आयात करने का निर्णय

9670. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री गजाधर माझी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस चालू रखने और 'स्ट्रक्चरल' के निर्यात-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रेप का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सरकार विद्युत भट्टियों/पुनर्वेलन इकाइयों की क्षमताओं के बेहतर उपयोग के लिए रद्दी लोहे का आयात तथा छडों और गोल छडों का निर्यात करने की एक योजना पर विचार कर रही है ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अधिकारियों द्वारा परिचालित श्वेत पत्र

9671. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दुर्गापूर इस्पात संयंत्र 6 विवेकानन्द रोड, दुर्गापुर 4 के अधिकारी संघ द्वारा दुर्गापूर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक मंडल पर अधिकार का दुरुपयोग किये जाने के आरोप के बारे में परिचालित श्वेत पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या विचार व्यक्त किए है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) 'श्वेत पत्र, में दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कुछ समस्याओं तथा वहां हाल में हुई कुछ घटनाओं जिनके कारण कुछ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई है के बारे में अधिकारी संघ का दृष्टिकोण दिया गया है । कारखाने के प्रबन्धक श्वेत पत्र' में बताई गई समस्याओं के बारे में उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम है और सरकार के स्तर पर कोई विशिष्ट कार्रवाई करनी आवश्यक नहीं समझी गई है । तथापि संघ ने इन घटनाओं के बारे में खद प्रकट किया है और अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विचार छोड़ दिया गया है ।

पश्चिम बंगाल के माल डिब्बे बनाने के उद्योगों की निर्धारित और अप्रयुक्त क्षमता

9672. श्री देवेन्द्र नाथ महाता : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मालडिब्बे बनाने वाले उद्योगों की कारखाने वार निर्धारित क्षमता कितनी है और इन कारखानों की पिछली तीन वर्ष में उपयोग में लाई गई क्षमता कितनी है; और

(ख) इस अवधि में इन कारखानों के पास कितने विदेशी आर्डर कारखाने वार बकाया पड़े है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रेलवे वैगनों का निर्माण करने के लिए पश्चिमी बंगाल में इस समय सात एकक है। पिछले तीन वर्षों में इन एककों की अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन एककवार नीचे दिया जाता है :—

	पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माण करने वाले एककों के नाम	अधिष्ठापित क्षमता	चार पहिए वाले डिब्बों के आंकड़े वास्तविक उत्पादन		
			1971-72	1972-73	1973-74
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मे० ब्रिज एण्ड रूफ लि०, कलकत्ता।	1585	520	552.5	421.3
2.	मे० ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।	3000	635	1950.5	1761.5
3.	मे० बर्न एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता।	4750	250	125	22.5
4.	मे० इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।	3911	757.5	147.5	82.5
5.	मे० जेसप एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता।	3279	452.5	180.5	680
6.	मे० टेक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, बेलघड़ियां, 24 परगना।	3600	1621	3280	3200.8
7.	मे० रमन इंजीनियरिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता।	1244	बन्द	बन्द	बन्द

(ख) इन एककों के पास बकाया पड़े विदेशी आर्डरों की एकक वार संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	वैगन बनाने वाले एकक का नाम	बकाया पड़े विदेशी आर्डरों की संख्या
1.	मे० ब्रिज एण्ड रूफ लिमिटेड कलकत्ता . . .	कुछ नहीं
2.	मे० ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . . .	एक
3.	मे० बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . . .	एक
4.	मे० इण्डियन स्टेंडर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . .	दो
5.	मे० जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . . .	एक
6.	मे० टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, बेलघड़ियां, 24 परगाना	एक
7.	मे० रेमन इंजीनियरिंग कम्पनी लि० कलकत्ता . . .	कुछ नहीं

भारतीय रेल द्वारा पांचवी योजनावधि के दौरान वैगनों के क्रयादेश

9673. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों द्वारा पांचवी योजनावधि में एक लाख वैगनों के क्रयादेश दिये जायेंगे ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में एकक बार वैगन निर्माण करने वाले उद्योगों के हिस्से के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में पश्चिम बंगाल के वैगन निर्माण उद्योग को एकक बार कितने क्रयादेश दिये जाने की संभावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) 2800 लाख मी० टन के पांचवी योजना के परिवहन पुर्वानुमान के आधार पर जो कि योजना आयो-द्वारा अस्थायी रूप से स्वीकृत किया गया है, चार पहियों वाले माल गाडी के डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान 1 लाख संख्या में अर्थात् प्रतिवर्ष 20 हजार लगाया गया है । चूंकि अनुमानित आवश्यकता के अनुसार वास्तविक क्रयादेश नहीं दिए जा सकते है इसलिए इस अवस्था में यह नहीं बताया जा सकता है कि पांचवी योजना की अवधि में पश्चिम बंगाल के माल गाडी के डिब्बा का निर्माण करने वाले उद्योग को कितने मालगाडी के डिब्बों के लिए आर्डर देने होंगे ।

हिन्दुस्तान मोटर्स में 'क्वालिफाइंग शेयरों' की खरीद

9674. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड में 'क्वालिफाइंग शेयर्ज' खरीदने की कोई व्यवस्था की गई है, और

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड में शेयर खरीदने के क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मे० हिन्दुस्तान मोटर्स की निर्माण शालाओं में वाणिज्यिक गाडियों के उत्पादन में गिरावट के रूख के कारण सरकार काफी चिन्तित हो गई है। उद्योग (विकास तथा विनि-यमन) अधिनियम; 1951 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने इस मामले की विस्तार से जांच की थी। कंपनी के प्रबन्ध को मजबूत बनाने के संबंध में सरकार तथा कंपनी के बीच हुए विचार विमर्शों क अनुसरण में यह निर्णय किया गया था कि सरकार और सार्व-जनिक वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निदेशक मण्डल में लिया जाना चाहिए। तदनुसार इस मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव को अक्तूबर 1973 में कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया था। जैसी कंपनी का संस्था की अन्तर्नियमावली में व्यवस्था है, निदेशक के लिए कंपनी में 5,000 रुपये के अंकित मूल्य के शेयर अपने नाम में लेना अपेक्षित है। इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के नाम पर क्वालिफाइंग शेयर लेने के लिए आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है जिसस वह कंपनी के निदशक के रूप में काम कर सके।

इस्पात की कमी

9675. श्री आर० एम० बर्मन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से इस्पात की सप्लाई में कमी के कारण इस्पात की देश व्यापी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बाजार में इस्पात, विशेष रूप से हल्की किस्म की, जैसे एम० एस० शीट, एन्गल्स, शलाकों आदि के मूल्यों में बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिये, जिनकी बाजार में बडी मांग है, कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) इस्पात संयंत्रों द्वारा सडक द्वारा भेजे जा सकने वाले हल्के किस्म के इस्पात को उद्योगों और उपभोक्ताओं को सप्लाई न करने के क्या कारण है; और

(घ) इस्पात की कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खाने मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस्पात की उपलब्धि मांग से कम है। इस्पात के उत्पादन पर कारखानों का आवश्यक कच्चा माल पहुचाने तथा कारखानों से तैयार माल बाहर ले जाने के लिए डिब्बों की कमी तथा बिजली की कमी के कारण इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

(ख) और (ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जा रहे है। माल तेजीसे लाने ले जाने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० इस्पात कारखानों, रेलवे अधिकारियों, बोर्ड तथा संबन्धित क्षेत्रीय रेलवे अधिकारियों से दैनिक संपर्क बनाये हुए है। कलकत्ता में एक विशेष रेल्वे परिवहन समन्वय कक्ष भी खोला गया है जिसमें सभी सम्बन्धित अधिकरण सक्रिय रूप से भाग लेते है तथा स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है। संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित किये गय इस्पात के मुल्यों में अक्तूबर, 1971 से लेकर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है खुले बजार में इस्पात के मूल्य समय समय पर भिन्न भिन्न होते है। ये मूल्य इस्पात की कुल उपलब्धि पर निर्भर करते है।

(ग) अस्थायी उपाय के रूप में उन व्यक्तियों को जिनके पास इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा अनुमोदित प्राथमिकताओं के आधार पर आबंटन की प्राथमिकताएं है यदि वे चाहे तो कारखानों से माल उठा सकते है।

अल्यूमिनियम के पिण्डों के मूल्य में वृद्धि

9676. श्री डी० डी० देसाई :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से एल्युमिनियम के पिण्डों के मूल्य में वृद्धि के लिये कहा है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने इसकी अनुमति दे दी है;

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) क्या यह वृद्धि ऐसे पिण्डों के मूल्य में 40 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की वृद्धि से अलग है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्च माल के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण एल्यूमिनियम पदार्थों के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न पर खान विभाग वित्त मंत्रालय सहित अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचार कर रहा है और इस संबंध में शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिए जाने की आशा है।

दावेदारों के न मिलने पर भारत, पाकिस्तान तथा बंगला देश द्वारा अधिकार में ली गई विस्थापित सम्पत्ति

9677. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा इस आधार पर अधिकार में ली गई विस्थापित सम्पत्ति का मूल्य कितना है जिसके कानूनी दावदार नहीं मिल पाये है, और

(ख) पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान में तथा बंगला देश सरकार द्वारा बंगला देश में अधिकार में ली गई ऐसी सम्पत्ति का मूल्य कितना है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 60 लाख एकड कृषि भूमि क अतिरिक्त निष्क्रान्तों द्वारा भारत में छोडी गई अचल सम्पत्ति का मूल्य 100 करोड रुपये था।

(ख) 90 लाख एकड कृषि भूमि के अतिरिक्त पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोडी गई अचल सम्पत्ति का मूल्य 500 करोड रुपये था। इसमें उस समय पूर्वी पाकिस्तान में छोडी गई सम्पत्ति शामिल नहीं है। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान, अब बंगला देश में छोडी गई इस प्रकार की सम्पत्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बुफेलों विमान के निर्माण का प्रस्ताव

9678. **श्री वसन्त साठे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1974 के इंडिया टु मेक बुफेलो प्लेन (भारत बुफेलो विमान बनाएगा) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ श्रीमान।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० में लाइसेंस के अधीन बुफेलो विमान बनाने के लिये मैसर्स हैवीलैण्ड कम्पनी आफ कनाडा लिमिटेड द्वारा एक पेशकश की गई थी। डी० एच० सी० के प्रतिनिधियों के साथ कतिपय प्रारंभिक विचार विमर्श किया गया था।

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत परियोजना डिवीजन की स्थापना

9679. **श्री शशि भूषण** :

श्री चन्दुलाल चन्द्राकर :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटड देने नयी विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को बढावा देने के लिए और उन्हें चालू करने में सहायता देने के लिए एक विद्युत परियोजना डिवीजन की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) टर्न की आधार पर विद्युत केन्द्रों का निर्माण करने और उन्हें चालू करने के लिए विद्युत परियोजना डिवीजन संगठित किया गया है ।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड द्वारा कलकत्ता के निकट एक गैसिफिकेशन प्लांट की स्थापना

9680. **डॉ० कर्ण सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजक्टस इंडिया लिमिटेड द्वारा कलकत्ता के समीप 14 करोड़ रुपये की लागत पर एक गैसिफिकेशन प्लांट स्थापित किया जाना है ;

(ख) क्या इस संयंत्र में काम आरम्भ होने में दो वर्ष का समय लग जायगा;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि वूडाल डकहान (बेंबकोंक एंड विल्को) आफ क्राली ससेक्स ने घोषणा की है कि वे कोयले से औद्योगिक ईंधन गैस के निर्माण के लिये एक सम्पूर्ण वाणिज्यिक यूनिट का विपणन कर रहे है; और

(घ) क्या कारण है कि उर्जा संबंधी सर्वतोमुखी समस्या को हल करने की तुरन्त आवश्यकता होने के बावजूद सरकार दो वर्ष की प्रतीक्षा करना चाहती है जब कि ऐसा संयंत्र तुरन्त उपलब्ध है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कलकत्ता के निकट एक निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयला गैस संयंत्र को स्थापन सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है – जिसके लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड द्वारा साध्यता रिपोर्ट तयार की गई है ।

(ख) इसमें लगभग तीन वर्ष का समय लग सकता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) क उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता । संयंत्र की स्थापना दश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी के आधार पर की जा सकती है ।

राज्यों में खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अन्तर्गत मामले

9681. **श्री रण बहादुर सिंह :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में जुडीशियल मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के 1 जनवरी, 1972 से खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले लम्बित है;

(ख) उपरोक्त अवधि में, वर्ष वार कितने मामलों में 6 मास और उससे अधिक अवधि की कैद की सजा दी गई;

(ग) वर्ष-वार कितने मामलों में सेशन न्यायालय ने अपील पर सजा समाप्त कर दी ; और

(घ) कितने मामलों में उच्च न्यायालयों में पुनरीक्षा अपीलें दायर की गई और उनमें से कितने मामले वर्षवार दोष मुक्त कर दिये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वैगन उद्योग के लिए रोलर बेयरिंग व्हील सेटों का देश में ही निर्माण

9682. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी मुद्रा बचाने हेतु वैगन उद्योग के लिए रोलर बैयरिंग व्हील सेटों का निर्माण करने में हमारे अपने इस्पात संयंत्रों की असमर्थता के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : दुर्गापुर इस्पात कारखाने का पहिया तथा धुरों का कारखाना रोलर बियरिंग व्हील सेटों का निर्माण कर सकता है और करता है। 1973-74 की अवधि में 5080 सेट तैयार किये गये। फिर भी क्षमता की तुलना में कई कारणों से उत्पादन कम हुआ है जैसे कि :-

(1) मालिक मजदूर सम्बन्ध लगातार खराब रहने के कारण उत्पादिता में कमी आई

(2) अच्छी श्रेणी का इस्पात न मिलने के कारण काफी खराब माल निकालना;

(3) वैद्युतिक उपस्करों में खराबी आने के कारण देरी, अधिक गैर हाजिरी, और परिचालनात्मक विलम्बों की बहुत अधिक घटनायें होना;

(4) वर्तमान प्रोत्साहन योजना संतोषजनक नहीं है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० का जमशेदपुर का कारखाना भी प्रतिवर्ष 3000 तक रोलर बियरिंग व्हील सेट तैयार कर सकता है । फिर भी पूर्ण उत्पादन में कुछ बाधाएं आई है उदाहरणार्थ कोक ओवन गैस की कमी, बिजली की प्राय: कमी और पुराने कारखाने को पूरी तरह मरम्मत करना।

Irregularities committed by Officials of Defence Department during Election in U.P.

9683. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the officials of Defence Department committed irregularities by waiving the safeguards provided under the law during the recent elections in Uttar Pradesh;

(b) if so, whether any probe has been made in this regard; and

(c) if so, the findings thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) No complaint has been received in this Ministry.

(b) and (c) Do not arise.

Utilization of Full capacity by Steel Tubes Units

9684. **Dr. Laxminarayan Pandey:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether the steel tubes units are utilising 40 per cent of their capacity;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to ensure utilization of their full capacity?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) The percentage utilisation of the steel pipes and tubes industry during 1973 is given below:

1.	Black & Galvanised welded steel tubes . .	27%
2.	E. R. W. precision steel tubes .	48%
3.	Seamless steel tubes	76%

(b) This is an industry based on steel of which there is shortage in the country. It is, therefore, difficult to increase production unless availability of the categories of steel required by the industry improves.

(c) Government has been laying great emphasis on increasing the production of steel in the integrated steel plants. With larger availability of steel, particularly after the commissioning of HR strip mill in Bokaro, the capacity utilisation of steel pipes industry is expected to improve.

एस्कार्टस लिमिटेड, फरीदाबाद द्वारा ट्रैक्टरों का उत्पादन

9685. **श्री सतपाल कपूर** : क्या भारी **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एस्कार्टस लिमिटेड फरीदाबाद में प्रतिवर्ष ट्रैक्टरों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इन वर्षों के दौरान ट्रैक्टरों के लिए कितना मूल्य वसूल किया गया;

(ग) क्या एस्कार्टस लिमिटेड को फोर्ड ट्रैक्टरों का आयात करने के लिये लाइसेंस भी दिया गया था और क्या उसके द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके किसी अन्य किस्म के ट्रैक्टरों का आयात किया गया; और

(घ) यदि हां तो उनके विरुद्ध आयात लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मे० एस्कार्टस लिमिटेड ने वर्ष 1971, 1972 और 1973 में क्रमशः 3,224, 2,470 और 4,887 ट्रैक्टरों का उत्पादन किया था ।

(ख) पिछले 3 वर्षों में एस्कार्टस ट्रैक्टरों का बिक्री मूल्य (गंतव्य स्थान तक रेलभाडा मुक्त निकटस्थ रेल हेड) निम्नलिखित रहा है--

1-1-71 से 30-9-71 तक	17,910 रुपये
1-10-71 से 10-2-72 तक	19,930 रुपये
11-2-72 से 30-11-73 तक	25,200 रुपये
1-12-73 से आगे	28,930 रुपये

(ग) जी, नहीं। किन्तु एस्कार्टस ग्रुप की कंपनियों के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले दूसरे एकक अर्थात् मे० एस्कार्टस ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने नवम्बर, 1970 में उन्हें दिए गए आयात लाइसेंस का उल्लंघन करके सी के डी हालत के स्थान पर पी के डी हालत में फोर्ड ट्रैक्टरों के 1,800 पैकों का आयात किया था।

(घ) चूंकि ट्रैक्टरों (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत उस समय फोर्ड ट्रैक्टरों का बिक्री मूल्य निश्चित नहीं किया गया था इसलिए यह विचार किया गया था कि आयात लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड लगाने यदि कोई हो, का प्रभाव ट्रैक्टरों के निर्माताओं जिनके ट्रैक्टरों के बिक्री मूल्य में वृद्धि करके अर्थदण्ड की राशि वसूल करने की सम्भावना थी की अपेक्षा ट्रैक्टरों के खरीदारों पर अधिक होगा। इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि उपर्युक्त पकों को राज्य व्यापार निगम द्वारा पहले आयात किए गए इसी प्रकार के अन्य पैकों के समान समझा जाना चाहिए। तदनुसार 1800 पी के डी पैक राज्य कृषि उद्योग निगमों के जरिए वितरण करने हेतु मे० एस्कार्टस ट्रैक्टर्स लिमिटड से जुडवाने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए समझे गए थे। इस प्रकार कम्पनी को किसी भी प्रकार के उस लाभ से वंचित किया गया था जो उन्होंने आयात लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके उपर्युक्त पैकों का आयात करके प्राप्त किया होता।

Taking Blood from Adivasis

9686. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in Adivasi areas some doctors take blood from adivasis for Rs. 7/- or Rs. 8/- per bottle and despatch the same to foreign countries on very high rates; and

(b) if so, the measures Government propose to take to protect the poor adivasis from this crime as also the action that will be taken against the guilty persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) The information is being collected and the same will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(b) The matter will be considered in the light of replies received from the State Governments/Union Territories.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा और अधिक कारखानों की स्थापना

9687. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री वी० मायावन :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में देश के विभिन्न भागों में कुछ और कारखानों की स्थापना कार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और ऐसे कारखानों की स्थापना कहां की जायेगी; और

(ग) इन कारखानों में अनुमानतः कितना उत्पादन होने से कितने विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की पुर्जे जोडने की अनेक विधियां स्थापित करके घडियों का उत्पादन बढाने की एक योजना है । चूं कि अभी तक योजना का ठोस रूप तैयार नहीं किया गया है अतः उसकी रूप रेखा जैसे उत्पादन और विदेशी मुद्रा की बचत के बारे में बताना संभव नहीं है ।

मशीन औजार उद्योग द्वारा उत्पादन के विविधीकरण किए जाने की अनुमति का न दिया जाना

9688. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य उद्योगों की तरह देश में मशीनी औजार उद्योग द्वारा विविधीकरण किये जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है ताकि वह देश तथा विदेश की मंडियों में जहां यह उद्योग अधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है अपने माल की मांग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग करने में समर्थ हो सके ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं । मशीनी औजारों में विविधीकरण की अनुमति औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 98(ई)/आई० डी० आर० ए०/29बी/73/1, दिनांक 16 फरवरी, 1974 समय समय पर यथा संशोधित में दिए गए कुछ प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

Reorganisation of H.M.T.

9689. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether major changes relating to Managing Directors have recently been made in H.M.T. consequent upon reorganisation; and

(b) if so, the necessity for these changes and the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) No change relating to Managing Director has been made consequent on reorganization.

(b) Does not arise.

बाबा साहिब अम्बेडकर स्मारक समिति महू को भूमि का आबंटन

9690. श्री अम्बेश : क्या **रक्षा** मंत्री बाबा साहिब अम्बेडकर स्मारक समिति महू को भूमि का आबंटन करने के बारे में 25 अप्रैल, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 849 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोतवाली चांदनी चौक दिल्ली का एक भाग श्री तेग बहादुर का स्मारक बनाने के लिए दे दिया गया है अर्थात् मुफ्त दे दिया गया है जबकि इसका मूल्य 16 लाख रुपए आंका गया था ; और

(ख) क्या बाबा साहिब अम्बेडकर स्मारक समिति महू द्वारा मांगी गई भूमि डा० अम्बेडकर की पावन स्मृति के लिए मुफ्त देना संभव नहीं है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : रक्षा मंत्रालय इस मामले से सम्बन्धित नहीं है और ना ही हमें इसकी जानकारी है ।

(ख) बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति महू को महू छावनी में निःशुल्क भूमि का आबंटन करना सम्भव नहीं हो सका है क्यों कि ऐसे मामलों में रक्षा मंत्रालय की स्वीकृत नीती बाजार मूल्य के बराप अधिशुल्क देने के बाद स्थायित्व पट्टे पर निःशुल्क देने की है ।

कारों की मांग में कमी

9691. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नई कारों के लिए मांग में काफी कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश में कारों का निर्माण पर कुप्रभाव पडा है और यदि हां, तो कितना ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) नई बुकिंग में कुछ गिरावट आई है, किन्तु पहले के प्राप्त आर्डर इतने है कि इसके कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नहीं है ।

दिल्ली के अस्पतालों के ज्यूनियर डाक्टरों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करना

9692. **श्रीमती सावित्री श्याम** :

श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित अधिकारियों को हाल ही में नई दिल्ली स्थित इरबिन और जी० बी० पंत अस्पतालों के ज्यूनियर डाक्टरों तथा मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों की ओर से 6 अप्रैल, 1974 के समझोते तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वयन के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) उक्त पत्र की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा तत्संबंध अविन और गोविन्द वल्लभ पंत अस्पतालों के निदेशक प्रधानाचार्य को वहां के कनिष्ठ डाक्टरों के संघ का 12 अप्रैल, 1974 का एक पत्र मिला ।

(ख) उपर्युक्त पत्र में जिन मांगों का उल्लेख किया गया था, वे संक्षेप में इस प्रकार है :—

(1) संबंधित विभागों को ये अनुदेश दिए जाएं कि वे रजिस्ट्रारों को 6 अप्रैल, 1974 से वरिष्ठ रेजीडेंटों के रूप में कार्यभार संभालने की अनुमति दे दें।

(2) दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को स्थगित कर 30 मई, 1974 कर देने की सिफारिश की जाए ।

(3) विश्व विद्यालय प्राधिकारियों से सिफारिश की जाए कि वे मई 1974 के तीसरे सप्ताह में स्नातकोत्तर परीक्षाओं का आयोजन करें।

(4) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/द्वितीयवर्ष जूनियर रेजीडेन्सी के दाखले की यथा शीघ्र व्यवस्था की जाए किन्तु ऐसा उन बाहर जाने वाले हाउस सर्जनों प्रथम वर्ष के रेजीडेन्टों के कार्यकाल के पूरे हो जाने से पहले न किया जाय जिन्हें अपन कार्यकाल हडताल की अवधि के बीच समाप्त कर लेना था।

(5) उन हाऊस सर्जनों, स्नातकोत्तर डिप्लोमः इन्टर्नियों को, जिन्होनें हडताल की अवधि के बीच अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया था, पूर्ति प्रमाणपत्र तुरन्त जारी कर दिए जाएं जिससे उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक वृत्तियों में बाधा न पड़े।

(6) महिला इन्टर्नियों के लिए अनिवार्य मेसिंग को तत्काल बन्द कर दिया जाए।

(7) कनिष्ठ और वरिष्ठ रेजीडेन्टों की संख्या में यथेष्ठ वृद्धि कर उसे भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप बना दिया जाए। संबंधित विभाग को ये निर्देश जारी किये जाएं कि किसी भी कनिष्ठ डाक्टर की ड्यूटी उसकी काल ड्यूटी को मिलाकर 72 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक न हो।

(8) मेडिकल छात्रों को उनकी छात्रवृत्तियों के भुगतान की दण्ड स्वरूप कीरो कने कार्यवाही को वापस लिया जाए तथा पहली जनवरी, 1974 और उसके बाद की छात्रवृत्तियां, जिन में हडताल के दौरान की छात्रवृत्तियां भी शामिल है, उन्हें दें दी जाएं।

(9) हडताल तथा सांकेतिक हडताल की अवधियों के बीच छात्रों की अनुपस्थिति को माफ करने के आदेश तत्काल जारी कर दिये जाएं।

(ग) मांग संख्या (1), (2), (3) और (5) के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

जहां तक मांग सं० 7 का प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में सभी संबंधित विभागों को ये अनुदेश जारी कर दिये है कि रेजिडेन्ट डाक्टरों की निरन्तर सक्रिय ड्यूटी सामान्यत: 12 घन्टों से अधिक न हो और रेजिडेन्टों डाक्टरों को एक समय में 12 घंटों से अधिक समय तक ड्यूटी देने को न कहा जाए। कनिष्ठ और वरिष्ठ डाक्टरों की संख्या को पुन्हा निर्धारित करने के बार में भी कार्य वाही की जा रही है। सरकार ने कनिष्ठ डाक्टरों के खिलाफ दण्डस्वरूप सब कार्यवाही वापस ले लेने के लिए भी अनुदेश जारी कर दिये है। किन्तु हडताल की अवधि को "काम नहीं, वेतन नहीं" के सिद्धान्तानुसार समझा जायेगा।

शेष मांगों पर निदेशक प्रधानाचार्य द्वारा विचार किया जा रहा है।

कच्छ (सौराष्ट्र) में कपड़ा मजदूरों को महंगाई भत्ता

9693. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ, सौराष्ट्र (गुजरात) के लगभग 100,000 कपडा मजदूरों को अहमदाबाद में सूती कपडा उद्योग में मजदूरों को देय दरों पर ही महंगाई भत्ता मिलता है,

(ख) कब उन्हें यह इन दरों पर दिया जायगा,

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण है,

(घ) सरकारी खजाने पर इसका कितना खर्चा पडेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (घ) गुजरात सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

1962, 1965 तथा 1971 के युद्ध–पिडीतों को नौकरियां तथा एजेंसियां

9694. श्री शिवनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962, 1965 तथा 1971 के युद्ध पीड़ितों को देश भर में रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निदेशक के माध्यम से, राज्यवार, कुल कितनी नौकरियां, एजेंसियां आदि प्रदान की गई,

(ख) 31 मार्च, 1974 तक इनके लिए कुल कितने आवेदन पत्र निर्णयाधीन थे, और

(ग) क्या जानकारी की कमी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण अनेक पात्र व्यक्ति दिल्ली में पुनर्वास निदेशक के कार्यालय में अपने दावे पंजीकृत नहीं करा सके थे और क्या इस लिए जिला मुख्यालयों में पंजीकरण के लिए कुछ प्रबंध किए जाने चाहिए ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में हताहतों के आश्रितों को दी गई नौकरियों, 1971 के युद्ध में हुए अपंगो को दी गई नौकरियां और 1962,1965 और 1971 के युद्धों में हुए हताहतों और आश्रितों को दी गई एजन्सियों आदि का राज्यवार ब्यौरा निम्नांकित है। ये नौकरियों/एजन्सियों राज्य स्तर पर और केन्द्र में विभिन्न–प्राधिकारियों द्वारा दी गई थी।

क्र० सं०	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	82
2.	असम	32
3.	बिहार	95
4.	चण्डीगढ	3
5.	दिल्ली	87
6.	गोआ	1
7.	गुजरात	19
8.	हरियाणा	135
9.	हिमाचल प्रदेश	51
10.	जम्मू व कश्मीर	20
11.	कर्नाटक	51
12.	केरल	109
13.	मध्य प्रदेश	62
14.	महाराष्ट्र	223

क्र० सं०	राज्य	
15.	मणिपुर	5
16.	मेघालय	3
17.	मिजोराम	1
18.	नागालैण्ड	1
19.	उडीसा	11
20.	पंजाब	133
21.	राजस्थान	57
22.	तामिलनाडु	77
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	248
25.	पश्चिम बंगाल	84
	जोड	1595

1962 और 1965 के युद्धों में हुए जिन अपंग कार्मिकों को देश में नौकरियों दी गई उनको कुल संख्या 841 है। इन आंकडों का राज्यवार अलग-अलग से ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) नौकरियों, एजन्सियों आदि के लिए 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में हताहतों और मृतकों के आश्रितों के जिन आवेदनों पर अभी निर्णय होना है उनको संख्या 1676 है ।

(ग) जिला स्तर पर आवेदनों को रजिस्टर कराने की सुविधाएं पहले हो विद्यमान है। केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड के समूह भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कल्याण और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी है । नौकरी और एजेन्सियों के लिए अनुरोध को, युद्ध में आहत व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा स्थानीय जिला सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड में दर्ज कराया जा सकता है जो उसके पश्चात उपयुक्त प्राधिकारी को भेज दिया जाता है ।

देश में बेरोजगार डाक्टर और नर्से

9695. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपलब्ध आंकडों के अनुसार देश में राज्यवार कुल बेरोजगार डाक्टरों तथा नर्सों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा मेडिकल शिक्षा देने यथा मेडिकल कालेज खोलने, वर्तमान मेडिकल कालजों में दाखला आदि देने के बारे में अपनी नीति पर पुनः विचार किया जा रहा है;

(ग) बेरोजगार डाक्टरों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) हमारे देश में डाक्टर और जनसंख्या के बीच अनुपात क्या है और इस अनुपात को कम करने तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक चिकित्सिय सुविधायें देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 31-12-1973 को स्थिति के अनुसार कुल 6107 मेडिकल स्नातकों (स्नातकोत्तरों सहित) और 2172 नर्सों के नाम रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज थे। इसका एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7001/74**]

(ख) जी हां। पांचवी योजना के दौरान मेडिकल शिक्षा कार्यक्रम के प्रसार की अपेक्षा उसके समेकन पर बल दिया जायगा। मेडिकल शिक्षा, और मेडिकल जनशक्ति के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उच्च शक्तिप्राप्त मेडिकल शिक्षा आयोग गठित करने का विचार है ।

(ग) कन्द्र अथवा राज्य सरकारों के लिए सभी बेकार डाक्टरों को नौकरी देना संभव नहीं है। चिकित्सा व्यवसाय में अधिकांश डाक्टर स्वयं अपना काम कर रोजी कमाते है। सरकार अस्पतालों, औषधालयों और अनुसंधान संस्थानों में रिक्त स्थानों को भरने के अलावा इन सुविधाओं को भी सुलभ कराने की इच्छुक है जिन से डाक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकें।

केरल ने पंचायती क्षेत्रों में औषधालय खोलने के लिए डाक्टर सहकारिता की पद्धति निकाली है। मैसूर और गुजरात में डाक्टरों को अपनी-अपनी प्रेक्टिस चलाने के लिए बैंकों द्वारा कर्जे दिये जाते है ।

(घ) 1972–73 के दौरान डाक्टर और आबादी में 1 और 4370 का अनुपात था। आशा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस अनुपात में सुधार हो कर यह 1 और 3700 हो जायेगा क्यों कि मेडिकल कालेजों से प्रति वर्ष 12,000 से अधिक डाक्टर स्नातक बन कर निकल रहे हैं।

राजस्थान में भूमिगत समुद्र

9696. श्री शिवनाथ सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग न राजस्थान के सीकर झुनझूनु और चुरु जिलों में भूमिगत जल की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा, और

(ख) राजस्थान के सीकर जिले में भूमिगत समुद्र का पता लगा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां। झुनझूनु और चुरु जिलों के कुछ भागों तथा संपूर्ण सीकर जिले में भू-जल सर्वेक्षण हो चुका है। सर्वेक्षण और समन्वेषण के परिणामस्वरूप निम्नलिखित क्षेत्र भू-जल विकास के लिए सक्षम पाए गए है।

सीकर और झुनझूनु जिले :

(1) ऊपरी कांटली बसिन में प्रति वर्ष लगभग 250 लाख टन मीटर भू-जल की प्राप्ति की सम्भावना है ।

(2) उदयपुर शेखावटी ब्लॉक में 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 212 लाख घन मीटर भूजल-प्राप्ति की सम्भावना है ।

(3) ऊपरी साबी ब्लॉक के 350 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 320 लाख घन मीटर भू-जल प्राप्ति की सम्भावना है ।

(4) कछोर झील ब्लॉक के 360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रति वर्ष 114 लाख घन मीटर भू-जल प्राप्ति की सम्भावना है ।

(5) जोधपुरा और चौनरा क्षेत्र में प्रति वर्ष 120 लाख घन मीटर भू-जल प्राप्ति की संभावना है ।

(6) सिंहना का रिसाव-क्षेत्र, प्रति दिन 4000 घन मीटर जल के उत्पादन योग्य है।

चुरू जिला

सामान्य व्याप्ति के अनुसार चुरू जिले के भू-जल में बहुत दूर तक खारापन है। समन्वेषण कार्य नहीं किया गया है ।

(ख) सीकर जिले में भूमिगत समुद्र जैसा कुछ भी नहीं है ।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के झुंझुनु जिले के मृत तथा अपंग सैनिकों के परिवार को भूमि का आटवन

9697. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) भारती चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और 1971 के दौरान राजस्थान, के झुंझुनु जिले में मृत, अपंग रक्षा कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उनके परिवारों अथवा अपंग व्यक्तियों को घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा जमीन नहीं दीं गयी और विचाराधीन मामलों पर निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र से खरीदे गए उपकरण तथा अन्य सामान

9698. **श्री मधु लिमये :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय में 1973-74 में (अपने स्वयं के आयुद्ध डिपो, कारखानों तथा प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त) गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र से कुल कितने मूल्य के उपकरण व अन्य सभी सामान खरीदे;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र से उपकरणों एवं अन्य सामान का क्रय किस अभिकरण के माध्यम से किया गया;

(ग) क्या विभाग ने गैर सरकारी क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के सामान पर कुल लाभ तथा अभिकरणों द्वारा उस पर ली गई कमीशन तथा प्रतिफल के संबंध में कोई अध्ययन किया है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1973 74 वर्ष के दौरान स्वदेश के निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र से कारखानों और अन्य रक्षा स्थापनाओं (आर्डनेंस कारखानों के अलावा) विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों तथा पूर्तियों को प्राप्त करने पर कुल 446.73 करोड रुपये व्यय किए गये थे।

(ख) सेनाओं की आवश्यकता को सामग्री विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा निजी क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। भारत में खरीदे करने वाली इनमें से अधिक महत्वपूर्ण एजन्सियां निम्नलिखित है :—

(i) महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान।

(ii) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का सैन्य क्रय संगठन (खाद्य पदार्थों तथा अन्न के लिए)

(iii) रक्षापूर्ति विभाग (आयात की जाने वाली मदों के लिए) जिनके प्रतिस्थापन के लिए स्वदेश में विकास कार्य करना निहित है।

(iv) सरकार के अधीनस्थ विभिन्न प्राधिकारियों के द्वारा जिन्हें स्थानीय खरीद कर की शक्तियां प्रदत्त है।

(ग) निजी क्षेत्र से सामग्री प्राप्त करने वाली बडी एजेन्सी महानिदेशालय पूर्ति तथा निपटान है। महानिदेशालय पूर्ति तथा निपटान के द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए कि महानिदेशालय पूर्ति तथा निपटान के द्वारा निजी क्षेत्र को दी गई संविदाओं के द्वारा कितना लाभ कमाया जाता है, कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि मोटे तौर पर महानिदेशालय के द्वारा निविदा पद्धति के आधार पर खरीद की जाती है तथा प्रतियोगी मूल्य के आधार पर संविदा तकनीकी उपयुक्तता पिछले संतोषजनक निष्पादनों तथा निविदाकार की माल सुपुर्दगी की शर्त के साथ दिया जाता है। महानिदेशालय पूर्ति तथा निपटान खरीद पर पहले दिए गए मूल्य की तुलना करके निविदाकार की अनुमानित दरों तथा उनके पास अन्य उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा उस समय बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए मूल्यों के औचित्य के सम्बन्ध में स्वयं अपने को संतुष्ट कर लेता है।

(घ) महानिदेशालय पूर्ति तथा निपटान के एक क्रय संगठन होने के कारण फर्मों के द्वारा बताई जाने वाली दरों में से कमीशन/लाभ की सीमा निर्धारित करने का उसका कोई वैधानिक प्राधिकार नहीं है।

सड़क परिवहन के लिए कोयले की मात्रा में कमी

9699. **श्री मधु लिमये :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के वर्षों में सडक परिवहन के लिए कोयले की मात्रा में कमी की गई हैं;

(ख) 1972–73 वर्षों में सडक परिवहन तथा रेलवे के लिए दिए गए कोयले के बीच अनुपात क्या था, और

(ग) क्या कोयले की कमी रेलवे के असन्तोषजनक कार्य करण और अतिरिक्त उत्तरदायित्वों का वहन करने में उनकी असफलता के परिणाम स्वरूप बढी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार द्वारा सडक तथा रेल के बीच किसी प्रकार का आबंटन नहीं किया जाता। परन्तु सामान्यतया लगभग 80–85 प्रतिशत कोयला रेल द्वारा ढोया जाता है और शेष अन्य साधनों द्वारा, जिनमें सडक परिवहन भी सम्मिलित है।

(ग) रेलवे द्वारा यथा सम्भव अधिक से अधिक कोयले की ढुलाई के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाते रहे है परन्तु रेलवे कर्मचारियों द्वारा लगातार आन्दोलनों तथा अन्य परिचलन संबंघी कठिनाइयों के कारण हाल ही में रेल द्वारा ढोए गए कोयले की मात्रा में कमी हुई है।

भारतीय एल्युमिनियम निगम, जयकानगर में तालाबंदी

9700. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एल्यूमिनियम निगम के प्रबंध ने पश्चिम बंगाल के जयकानगर में स्थित अपने कारखानों में तालाबन्दी की घोषणा कर दी है और प्रबंध ने किन स्थितियों में यह कदम उठाया है,

(ख) क्या ऐसे आरोप लगाये गए है कि प्रबंध ने तालाबन्दी की अवधि के दौरान एल्यूमिनियम उत्पादों, अन्य सामान तथा पुर्जों का विक्रय किया है, यदि हा, तो इसके तथ्य क्या है,

(ग) क्या यह माल सैंन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा दिए गए ओवर ड्राफ्ट के लिए बंधक रखा गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसका सौदा कैसे हुआ तथा राशि कहां जमा की गयी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) सितम्बर 1973 के शुरू में अपने कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने के परिणाम स्वरूप भारत एल्यूमिनियम निगम ने अपने संयंत्रों के तालाबन्दी की घोषणा की थी।

ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत एल्यूमिनियम निगम ने तालाबन्दी की अवधि के दौरान निर्मित और अर्ध–निर्मित माल तथा कच्चा माल यहां तक कि सामान और फालतू पुर्जे जो कि सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के बंधक थे, हटा लिए है। भारत एल्यूमिनियम निगम के बंद होने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सरकार कार्रवाई करने का विचार कर रही है।

एल्यूमिनियम उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषित करना

9701. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इस्पात और खान** मंत्री एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया के सरकारीकरण के बारे में 28 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8124 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम उद्योग को देश में "प्राथमिकता प्राप्त उद्योग" घोषित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया के जयकानगर (पश्चिम बंगाल) संयंत्र को 1972 से तालाबन्दी के अन्तर्गत रखने की अनुमति देने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय एल्यूमिनियम निगम, जिसमें सितम्बर, 1973 से तालाबन्दी है, में फिर से काम शुरू करने की संभावना की सरकारी जांच कर रही है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव

9702. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री विक्रम महाजन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन परिषद् ने अपनी गत बैठक में (एक) गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों, (दो) औषधि मानक नियंत्रण को लागू करने, (तीन) खाद्य अपमिश्रण को रोकने तथा अनेक अन्य विषयों के संबंध में कई प्रस्ताव पारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का पाठ क्या है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही की गयी है या की जा रही हैं, तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) जी हां। अप्रैल, 1974 में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की जो संयुक्त बैठक हुई थी, उसमें खाद्य पदार्थों और औषधियों में होने वाली मिलावट को दूर करने और बहुत सी अन्य बातों के बारे में कई प्रस्ताव पारित किए गये। इन प्रस्तावों की प्रतियां संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7002/74]** इस बैठक में प्राइवेट मेडिकल कालेजों के बारे में कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया।

(ग) प्रस्तावों की प्रतियां शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित संस्थाओं में परिपत्रित कर दी जायेंगी।

बोकारों के इंजीनियरों पर लाठी चार्ज किया जाना

9703. प्रो० मधु दण्डवते : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार-बोकारो के इंजीनियरों पर किए गए लाठी चार्ज की घटना की जांच कराने का हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) सरकारको उपलब्ध जानकारी के अनुसार बोकारों के इंजीनियरों पर लाठी चार्ज नहीं किया गया था।

बोकारो इंजीनियर्स एसोसिएशन को मान्यता

9704. श्री मधु दण्डवते : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील कन्स्ट्रक्शन इंजीनियर्स एसोसियेशन को मान्यता नहीं दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) बोकारों कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स असोसिएशन ट्रेड यूनियन अधिनियम के अधीन पंजीकृत है। अनुशासन संहिता के अनुसार एक उपक्रम के प्रबन्धकों द्वारा उस उपक्रम के कर्मचारियों की केवल एक यूनियन को प्रतिनिधि यूनियन के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। चुंकि एक यूनियन को इस प्रकारसे पहले ही मान्यता प्रदान की जा चुकी है इसलिए निर्माण इंजीनियरों की एसोसिएशन को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता।

नकली औषधियों का निर्माण

9705. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा औषध नियंत्रण अधिनियम को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित न करने और आयातित पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर सप्लाई न किया जाना, नकली तथा घटिया किस्म की औषधियों के उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपर्युक्त कारणों से कुछ बेईमान व्यक्ति नकली औषधियां बनाने के लिये कारखाने स्थापित कर लेते हैं, व नकली लेबिल का प्रयोग करते हैं और औषधियों को बाजार में बेचते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सब त्रुटियों को दूर करने तथा राज्य सरकारों द्वारा औषध नियंत्रण अधिनियम को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) अनेक राज्य सरकारें अपने औषधि नियंत्रण तंत्र को उचित मार्ग पर सुचारु रूप से चला नहीं पाई हैं। इसके परिणामस्वरूप कतिपय राज्यों में औषधि अधिनियम अधिक कारगर ढंग से लागू नहीं हो पाया है। यह नकली और घटिया किस्म की दवाइयों में वृद्धि होने के कारणों में से एक कारण है। आमतौर पर विभिन्न प्रकार की औषधियों और औषधि योगों के निर्माण करने की पर्याप्त क्षमता है।

(ग) और (घ) नकली और घटिया किस्म की दवाइयों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनका एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7003/74]** केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने हाल ही में एक संकल्प पारित किया है जिसमें राज्य सरकारों से उनकी प्रवर्तन मशीनरी को सुव्यवस्थित करने का अनुरोध किया गया है। इस औषधि अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों का आगे और संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं यह प्रश्न विचाराधीन है। अन्तर मंत्रालय बैठकों का आयोजन कर और इस उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर कच्चे माल की उपलब्धता और सप्लाई तथा औषधियों की कथित कमियों की समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

नेपाल में भारतीय अध्यापकों की शिकायत

9706. श्री अनादि चरण दास :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में कार्य कर रहे भारतीय अध्यापकों के एक समूह ने भारतीय दूतावास को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपनी शिकायतों और नेपाल द्वारा उनके साथ किए गए भेदभाव पूर्ण व्यवहार का वर्णन किया है ; जैसा कि हाल के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्यापकों को सेवा से धीरे धीरे बाहर करने की संभावनाओं का सामना करना पड रहा है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 3 अप्रैल 1974 को नेपाल के स्कूलों में काम करने वाले भारतीय अध्यापकों का एक दल काठमाण्डू में हमारे राजदूत से मिला था और उन्होंने एक प्रार्थनापत्र दिया था जिस पर उनके तथा दूसरे अध्यापकों के हस्ताक्षर थ। उन्होंने राजदूत

को यह भी बताया कि नेपाल के 1971 की नई शिक्षा योजना के अन्तर्गत नेपाल में भारतीय अध्यापकों के साथ भेद-भावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उनकी पदावनतियां की जा रही हैं और अन्ततः शायद उनकी बर्खास्तगी कर दी जाएगी।

(ग) नेपाल की नई शिक्षा योजना की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप वहां के भारतीय अध्यापकों का भविष्य क्या होगा, इस प्रश्न पर नेपाल सरकार के सम्बन्ध प्राधिकारियों से बातचीत हुई है।

नेपाल की सरकार ने कहा है कि विगत कई वर्षों से जो गैर-नागरिक अध्यापक नेपाल में काम करते आ रहे है उनके विरूध्द किसी तरहका कोई भेद भाव नही किया जाता। 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मित्रता संधि के अन्तर्गत नेपाल मे रहने वाले भारतीयों और भारत मे रहने वाले नेपालियों की परिस्थितियो पर पारस्परिकता का सिध्दांत लागू होता है। इस संदर्भ में हम हृदय से यह आशा करते हैं कि नेपाल सरकार के आश्वासनो को देखते हूए भारतीय अध्यापको के प्रति भेद-भाव की कोई कार्यवाही नही की जायेगी।

दण्डकारण्य परियोजना में सहायक कार्यकारी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नतियां

9707. **श्री अनादि चरणदास** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना में सहाकय कार्यकारी अधिकारी (कनिष्ठ) और सहायक कार्यकारी अधिकारी (लेखा) के पदों पर गैर-कानूनी पदोन्नतियां गत चार मास में की गई हैं; और

(ख) यदि हां; तो इनका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

दण्डकारण्य परियोजना में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को खराब जलवायू भत्ता दिया जाना और उनको स्थायी बनाना

9708. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कार्य प्रभारित कर्मचारी अन्य नियंत्रित कर्मचारियों की तरह खराब जलवायु भत्ते के अधिकारी हैं ;

(ख) क्या दण्डकारण्य परियोजना में खराब जल वायु भत्ते के भुगतान के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था में कार्यप्रभारित कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया था और यदि हां, तो कार्य प्रभारित कर्मचारियों को उपरोक्त भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं और उन्हें उसका भुगतान कब किया जायेगा ; और

(ग) क्या माना कैम्प में कार्य करने वाले कार्यप्रभारित कर्मचारियों को जिनकी दो वर्ष की सेवा थी, अर्ध-स्थायी बना दिया था, जबकि दण्डकारण्य परियोजना के दो वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी घोषित नहीं किया गया और यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण है ; और दण्डकारण्य के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को कब तक अर्ध-स्थायी बना दिया जायेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० व्यंकटस्वामी) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) और (ग) जानकारी सुनिश्चित की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारी एसोसिएशन की दण्डकारण्य शाखा के लिए आवास

9709. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी III और IV कर्मचारी एसोसिएशन की दण्डकारण्य शाखा अपने कार्यालय के लिए आवास पाने की हकदार है ;

(ख) क्या उक्त एसोसिएशन की माता शाखा को आवास उपलब्ध किया गया है जबकि दण्डकारण्य शाखा द्वारा अनेक अभ्यावेदन देने के बावजूद भी दण्डकारण्य परियोजना के अधिकारियों ने इस शाखा को कोई भी आवास उपलब्ध नहीं किया है ; और

(ग) एक ही एसोसिएशन की शाखाओं के साथ इस प्रकार का भेदभाव करने के क्या कारण हैं और उक्त एसोसिएशन के दण्डकारण्य शाखा को किस तारीख तक आवास उपलब्ध कर दिया जाएगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

Agreement between India and Mauritius

9710. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister of Mauritius visited India recently;

(b) the agreement reached with him in regard to the welfare of the people of India and Mauritius; and

(c) the extent to which both the countries are expecting benefits therefrom?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir. The Prime Minister of Mauritius stopped over in Delhi from 12th to 14th April, 1974 on his way to New York.

(b) During their meeting, the two Prime Ministers exchanged views on various matters of mutual interest but no agreement on any specific subject was signed.

(c) Does not arise.

सशस्त्र सेना के सैनिकों की विधवाओं को भेंट किये गये मकानों की लागत

9711. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत भारत-पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए सशस्त्र सैनिकों की उन विधवाओं के लिए जिन्हें मकान भेंट किये गये थे, कुछ राशि स्वीकृत की है ; और

(ख) यदि हां, तो सशस्त्र सेना के सैनिकों की विधवाओं को भेंट किये गये मकानों की लागत राज्य-वार क्या थी ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमन्। युद्ध विधवाओं को आवासीय सुविधाएं एक अतिरिक्त लाभ है जो सम्बधित राज्य सरकारों द्वारा उन विधवाओं को दी जाती है जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है। उन्हें दिये गये मुख्य पुनर्वास हित उदार पेन्शन लाभ हैं जिनके अधीन किसी अन्य रैंक की विधवा अथवा अन्य मनोनीत उत्तराधिकारी, मृतक द्वारा लिए गये अंतिम वेतन के बराबर आजीवन पेंशन प्राप्त करता है जबकि किसी अफसर की विधवा अफसर की मृत्यु के समय उसके द्वारा धारक पद के मूल वेतन का 3/4 पेंशन के रूप मे प्राप्त करती है जो अफसर की होने वाली सेवा निवृत्ति की तारीख तक अथवा 7 वर्ष तक, जो भी बाद मे हो, ग्राहय है उसके पश्चात पद की सामान्य पेंशन मिलती है ।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, केद्र सरकार द्वारा उन्हें दिये गये मकानो की कुल लागत स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता।

Cases of Tea Plantations Labour in Assam

9712. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour** be pleased to state the number of cases of tea plantation labourers of Assam State which are pending in the Labour courts or at any other places and also of those which have been settled by the union after discussing them with the plantation owners?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The matter falls essentially in the State sphere.

Cases of Tea Plantation Labourers in Manipur

9713. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour** be pleased to state the number of cases of tea plantation labourers of Manipur State which are pending in the labour courts or at any other place and also of those which have been settled by the Union after discussing them with plantation owners?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The matter falls essentially in the State sphere.

वायुसेना के विमान को लोहेगांव में हुई दुर्घटना की जांच

9714. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अप्रैल, 1974 को वायु सेना के विमान की लोहे गांव हवाई अड्डे पर उतरते हुए हुई दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मोरिशस के प्रधान मंत्री द्वारा भारत का दौरा

9715. श्री निहार लास्कर :
श्री पी० गंगा देव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोरिशस के प्रधान मंत्री 13 अप्रैल, 1974 को यहां आये थे और भारत की प्रधान मंत्री से वार्ता की थी ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या वार्ता के दौरान 'डिएगो गार्शिया' समस्या पर भी चर्चा हुई थी और यदि हां, तो इस प्रश्न पर दोनों प्रधान मंत्रियों का क्या रवैया था; और

(घ) क्या इस समस्या का कोई ऐसा समाधान खोजा गया है जो दोनों पक्षों को मान्य हो ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । मारिशस के प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क जाते हुए मार्ग में 12 से 14 अप्रैल 1974 तक नई दिल्ली की यात्रा की और वह दिल्ली प्रवास में हमारी प्रधान मंत्री से मिले ।

(ख) से (घ) बातचित के दौरान आपसी हित के कई मामलों पर चर्चा हुई। दोनों प्रधान मंत्रियों के विचार सब को अच्छी तरह मालूम है और सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार व्यक्त किए गए है कि हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र रहना चाहिए और इसमें बड़े देशों की स्पर्धा और सैमिकी विस्तार न होना चाहिए जिसमें दिएगो गार्सिया में विदेशी नौसैनिक अड्डों का होना सम्मिलित है ।

गुरु नानक तापीय संयंत्र, भटिण्डा में कोयले की कमी

9716. श्री भान सिंह भौरा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या भटिण्डा स्थित गुरू नानक तापीय संयंत्र को कोयले की कमी और कोयले की राख को निपटाने करने सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और संयंत्र को कोयले की समय पर सप्लाई सुनिश्चत करने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भटिंडा के ताप संयंत्र के जून के अंत तक अथवा जुलाई, 1974 के शुरु में चालू हो जाने की आशा है ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार

9717. श्री धामनकर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयर्न एण्ड स्टिल कम्पनी को संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए कोई निर्णय कर लिया गया है क्योंकि टाटा बन्धु स्वयं उसके विस्तार पर होने वाले व्यय को पूरा कर सकने की स्थिति में नहीं है ; और

(ख) क्या इसके विस्तार के लिए जापानी फर्म द्वारा उपकरणों तथा मशीनरी की व्यवस्था करने का आश्वासन भी दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जापान के निप्पन स्टील कारपोरेशन ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के इस्पात कारखाने के सम्भाव्य विस्तार के बारे में विस्तृत शक्यता प्रतिवेदन अभी हाल ही में प्रस्तुत किया है और प्रतिवेदन तैयार करने के कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई कर्णधार समिति द्वारा इस प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

(ख) सरकार को इस प्रकार के किसी आश्वासन के बारे में जानकारी नहीं हैं ।

पश्चिम बंगाल में बिजली बन्द रहने के कारण हुई जन दिवसों की हानि

9718. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1972-73 में बिजली बन्द रहने के कारण हर महीने कितने जन-दिवसों की हानि हुई ;

(ख) क्या बिजली बन्द रहने और कच्चे माल की कमी के कारण अनेक लघ उद्योग बन्द हो गए हैं या भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला वस्तुतः राज्य क्षेत्र में आता है। कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के अनुसार, बिजली बन्द रहने के कारण राज्य में हानि हुए श्रम-घंटों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। उद्योगों को बिजली बन्द रहने और कच्चे माल की कमी के कारण कठिनाइयों का अनुभव अवश्य करना पडता है। बिजली की कमी को दूर करने के लिए किए गए कुछ उपायों में, वर्तमान थर्मल विद्युत् केन्द्रों से बिजली के उत्पादन को बढ़ाना,

मुख्य थर्मल केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति और परिवहन, निजी उद्योगों को डीज़ल सेटों के केपटिव संयंत्र लगाने की अनुमति, विभिन्न बिजली उत्पादक योजनाओं को, जो कि निर्माण आदि, की विकसित अवस्था में हैं, शीघ्रता से कार्य-आरंभ के पूर्ण करना आदि सम्मिलित हैं।]

पश्चिम बंगाल के मेडिकल कालेजों में प्रवेश

9719. श्री ए० के० एम० इसहाक :

श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या का कालेज वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या इन मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में खाद्य अपमिश्रण के मामले

9720. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल से खाद्य अपमिश्रण के कितने मामलों की सूचना मिली ; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) 1970, 1971 और 1972 में खाद्य पदार्थों के कितने नमूनों की जांच की गई और कितने नमूनों में मिलावट पाई गई तथा उस के साथ साथ कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये और कितने व्यक्तियों को दण्ड आदि दिया गया इस से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(पश्चिम बंगाल में खाद्य अपमिश्रण के मामले)

वर्ष	कितने खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की गई	कितनों में मिलावट पाई गई	कितने मुकदमे चलाये गये	कितनों को दोषी ठहराया गया	कितने व्यक्तियों को दोष मुक्त किया गया	कितने मामले न्यायालय में पडे हुए है	कितने व्यक्तियों को कारावास दिया गया	कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया
								रु०
1970	7190	1689	1355	628	43	1573	146	1,13,464.00
1971	6098	1354	1171	647	35	1126	103	1,11,631.00
1972	6886	1919	1550	644	52	2092	69	1,47,205.00

अगरतला में स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

9721. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा सरकार से अगरताला में स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी,नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

9722. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्या है ;

(ख) वर्ष 1974-75 में राज्य वार और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल (जिलेवार) कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जायेंगे ; और

(ग) डाक्टरों के बिना चलाये जा रहे केन्द्रों की संख्या कितनी है और केन्द्रों में डाक्टर नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :(क) देश में (30-9-73 की स्थिति के अनुसार) राज्यवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 39 (30-9-73 की स्थिति के अनुसार)

डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने को आकृष्ट करने के लिए भारत सरकार और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :––

भारत सरकार :

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को जिन्हें अलाभकारी क्षेत्रों में काम करना पाडता है, 150 रुपये प्रति मास का विशेष भत्ता दिया जाता है ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें :

(1) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे डाक्टरों के लिए समान काडर बनाना ।

(2) ग्रामीण भत्ता, परिवहन सुविधायें, मुफ्त सुसज्जित मकानों जैसे सभी प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना ।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषतः इमारितों और रिशायशी मकानों जैसी भौतिक सुविधाओं में सुधार करना ।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने को सहमत सेवा-निवृत्त डाक्टरों की पुनः नियुक्ति।

(5) अग्रिम वेतन-वृद्धियों की संस्वीकृति (गुजरात राज्य में)

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था।

(7) कुछ राज्य सरकारों ने मेडिकल छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित अवधि तक सेवा करने के लिए बाध्य करने हेतु छात्रवृत्तियां/वृत्तिकाओं की पेशकश की है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	415
2	असम	111
3	बिहार	587
4	गुजरात	251
5	हरियाणा	89
6	हिमाचल प्रदेश	75
7	जम्मू व काश्मिर	76
8	कर्नाटक	265
9	केरल	163
10	मध्य प्रदेश	457
11	महाराष्ट्र	388
12	मणिपुर	15
13	मेघालय	9
14	नागालैंड	10
15	उड़ीसा	313
16	पंजाब	126
17	राजस्थान	232
18	तमिल नाडु	379
19	त्रिपुरा	23

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
1	2	3
20	उत्तर प्रदेश	871
21	पश्चिम बंगाल	286
22	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह .	1
23	अरुणाचल प्रदेश .	79
24	चंडीगढ़ .	1
25	दादर और नगर हवेली	2
26	दिल्ली . .	5
27	गोआ, दमन और दीव .	15
28	लक्ष द्वीपसमूह .	7
29	मिज़ोराम .	2
30	पांडिचेरी	11
	भारत (योग)	5264

खाद्य पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए मेडिकल कालेजों की प्रयोगशालाओं का उपयोग

9723. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को, खाद्य पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए मेडिकल कालेजों की प्रयोगशालाओं का उपयोग करने का परामर्श दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें इस मामले पर विचार कर रही हैं ।

भारत द्वारा आधुनिक हथियारों का निर्माण

9724. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में और अधिक आधुनिक हथियार बनाने का कार्यक्रम आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सभी तीनों सशस्त्र सेनाओं, अर्थात् स्थल-सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रयोग के लिए बनाये जाने वाले हथियारों की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हा, श्रीमन्।

(ख) जिन हथियारों का विकास और निर्माण किया जाना है उनकी मुख्य विशेषता अधिक घातक, लम्बी परास, अधिक सर्वतोमुखी, लाने लेजाने की क्षमता और उनके सम्भालने, भण्डार तथा अनुरक्षण में अधिक सरलता है ।

हिंदालको को अपने हाथ में लेना

9725. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री मधु दण्डवते :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्युमीनियम (हिंदालको) कारखाने के श्रमिक निरन्तर मांग कर रहे है कि सरकार इसको अपने हाथ में ले ले; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की मांगें पूरी करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और इस कारखाने को सरकार अपने हाथ में कब तक ले लेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम (हिंदालको) के प्रबंधकों द्वारा 12 अप्रैल, 1974 से तालाबंदी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप कारखाने को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने की मांग के कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा किये गए उपायों के फलस्वरूप अब तालाबंदी समाप्त कर दी गई है ।

राजधानी में चेचक के रोगी

9726. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में चेचक के उन रोगियों की संख्या कितनी थी जिन्हें दिल्ली के अस्पतालों में दाखिल किया गया था और उससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : पहली जनवरी, 1974 से 20 अप्रैल, 1974 की अवधि में दिल्ली के संक्रामक रोग अस्पताल में चेचक के 94 रोगियों को भरती किया गया जिनमें से 22 मौतें होने की सूचना मिली है।

हिन्दुस्तान कापर कम्पलेक्स में सिलीनियम का उत्पादन

9727. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री तरूण गोगोई :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री भारतीय तांबा कम्पलेक्स द्वारा की गई प्रगति के बारे में 21 मार्च 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4066 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कापर में 1973-74 में सिली नियम का कितना उत्पादन हुआ और इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होने की अनुमान है ; और

(ख) खेतडी तांबा खानों और देश में अन्य कारखानों में सिलीनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) प्रश्न का संबंध संभवतः हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की इकाई इंडियन कॉपर कम्पलैक्स से है। भारतीय ताम्र समूह, घटसिला का सिलीनियम संयंत्र 1973 के अंत में चालू किया जायेगा। 1973-74 के दौरान सिली नियम का कुल उत्पादन लगभग 2210 किलो था। इस खाते में विदेशी मुद्रा की अनूमानित बचत लगभग 9 लाख रुपये है।

(ख) इस समय खेतडी ताम्र परियोजना या हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड की अन्य परियोजानाओं में सिलीनियम संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Take-over of Ravod, Jageshwar and Budha collieries in Hazaribagh District

9728. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have not taken over Ravod, Jageshwar and Budha Khad collieries in Hazaribagh District so far;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether coal is being mined and sold from the said collieries; and

(d) if so, the action taken by Government to check this illegal action?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Nationalisation of Santhal Pargana Coal Mines

9729. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether some coal mines in Santhal Pargana District in Bihar have not been nationalised, so far;

(b) if so, their names; and

(c) the reasons for not nationalizing them?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के श्रमिकों को धनबाद कोयला खानों की नौकरियों से निकाल जाना

9730. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भोला मांझी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोक-कारी और गैर-कोक-कारी कोयलाखानों का 17 अक्तूबर, 1971 और 30 जनवरी 1973 को अधिग्रहण करने के बाद से बिहार के धनबाद जिले की विभिन्न कोयला खानों से भारत कोकिंग कोल लि० के अनेक श्रमिकों को फालतू और घुसपैठिये बताकर नौकरी से निकाल दिया गया है और यदि हां, तो उनका क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है और उनमें हरिजनों, आदिवासियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) क्या जांच समितियों आदि के माध्यम से बिहार के धनबाद जिले की कोक-कारी और गैर कोक-कारी दोनों प्रकार की विभिन्न कोयला खानों से भारत कोकिंग कोल लि० के अनेक श्रमिकों को वापस लिया गया है और यदि हां तो उनका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और उनमें हरिजनों आदिवासियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) क्या विशिष्ट वर्ग के घुसपैठी कर्मचारियों को वास्तविक कर्मचारी दिखाकर नौकरी देने के लिए कमजोर वर्गों के वास्तविक श्रमिकों को 'घुसपैठिये' अथवा 'अस्थायी' आदि बताकर नौकरी से निकाल दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) चूंकि अभिरक्षकों के फैसलों के विरुद्ध बहुत सी अपीलें की गई थी इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर सलाहकार समितियां बनाई गई हैं जिनमें केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि हैं। क्षेत्रीय सलाहकार समितियों ने उचित विचार विमर्श के पश्चात यह पाया कि 825 व्यक्ति वास्तविक कामगार हैं और उन्हें अपने काम पर वापिस आने की अनुमति दे दी गई। जिन व्यक्तियों को इस आधार पर काम पर आने की अनुमति दी गई है उनका क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र संख्या	जिन व्यक्तियों को अनुमति दी गई		
	स्थायी	नैमितिक	कुल
1	139	27	
2	154	—	
3	200	—	
4	199	40	
5	56	10	
	748	77	825

हरिजनों आदि की प्रतिशतता का विवरण प्राप्त किया जा रहा हैं।

(ग) किसी वास्तविक कामगारों को 'घुसपैठिये' अथवा अस्थायी आदि बताकर नौकरी से नहीं निकाला गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

काल्पनिक श्रमिकों को मजूरी का कथित भुगतान

9731. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री भोला मांझी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल, लिमिटेड लोयाबाद कोयला खान मे, 19 अक्तूबर, 1971 से 300 काल्पनिक श्रमिकों को नियमित रूप से मंजूरी का भुगतान कर रहा है, जो स्थानीय प्रबन्ध तथा उसे क्षेत्र के मुखिया के बीच बांटी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन तथ्यों का सत्यापन करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कोयले का उत्पादन

9732. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कोयले का उत्पादन शुरु करने का निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयला खान प्राधिकरण ने मिर्जापुर जिला (उत्तर प्रदेश) में स्थित सिंगरौली कोयला-क्षेत्र के बीना खण्ड मे पांचवीं योजना के दौरान एक 'ओपन कास्ट' परियोजना के विकास का कार्यक्रम बनाया है जिसका निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 20 लाख टन वार्षिक होगा। उनका इस इलाके में दो अन्य परियोजनाएं भी चालू करने का प्रस्ताव है, जिनके लिए वे परियोजना-रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेन्ट फैक्टरी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा न करावाया जाना

9733. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या आलोक उद्योग ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज के स्वामित्व में जयपुर उद्योग लिमिटेड की राय से बडी सीमेन्ट फैक्टरी ने कर्मचारियों का भविष्य निधि और अपने अंशदान की काफी बडी राशि सवाई माधोपुर, राजस्थान में कम्पनी के भविष्य निधि न्यास में जमा नहीं कराई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस उपक्रम में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) मेसर्स जयपुर उद्योग लि०, सीमेंट फैक्टरी ने केवल फरवरी, 1974 और मार्च 1974 महीनों के लिए 2.55 लाख रुपये की राशि के भविष्य निधि अंशदान जमा करने हैं। प्रादेशिक आयुक्त ने कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम. 1952 की धारा 7 क के अधीन नोटिस जारी किया था, जिसके प्रत्युत्तर में कम्पनी ने निश्चित रुप से 20 मई, 1974 तक देय राशियों के भुगतान करने का वायदा किया है।

कोयला संबंधी अर्न्तमंत्रालीय समिति

9734. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला सम्बन्धी अर्न्तमंत्रालीय समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) संभवत: प्रश्न का संबंध कोयला मूल्य पर अर्न्तमंत्रालय समिति से है। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

तांबे की छीलन का निपटान

9735. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या रक्षा मंत्री लोहे और तांबे के पुन: उपयोग के बारे में 21 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4000 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जांच से पता चला है कि एक आयुध कारखाने द्वारा ताम्बे की छीलन के निपटान के दो मामलों में सरकार को 3.70 लाख रुपए की कुल हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) ब्यौरे विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

आर्डनेंस कारखानें में छीलन के निपटान के दो मामलों का ब्यौरा

1. 13-3-70 को एक आर्डनेंस फैक्टरी ने 72,319.88 कि० ग्राम ताम्बे की छीलन के निपटान के लिए टेंडर मांगें थे। उपर्युक्त टेंडरके उत्तर में उच्चतम प्रस्ताव 14,177 रुपए प्रति मीटरिक टन का था। यह प्रस्ताव 27-7-70 तक मान्य था। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्राधिकरण कलकत्ता में आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक थे। क्योंकि उत्पाद शुल्क लगाने अथवा न लगाने के बारे में कुछ अस्पष्टता दिखाई दी अत: आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक यह चाहते थे कि फक्टरी उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से इस बारे में पुष्टि प्राप्त करें। आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक, कटनी और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार में अधिक समय लग जाने के कारण सफल टेंडर भेजने वाले के प्रस्ताव की वैधता की तारीख तक प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में सूचित नहीं किया जा सका। अक्तूबर 1970 में में नए टेंडर मांगे और नये प्रस्ताव के आधार पर 62.32 मी० टन 11,111.11 रुपए प्रति टन से बचा गया और 10 मी० टन 11,331 रुपए प्रति टन पर बेचा गया। इस प्रकार से यदि उच्चतम मूल प्रस्ताव निर्धारित तारीख तक मान लिया जाता तो उस से जो आय होती उससे 2.20 लाख रुपए कम प्राप्त हुए। इस मामले में देरी उत्पाद शुल्क के लगाए जाने में कुछ अस्पष्टता के कारण थी।

2. एक आर्डनेंस कारखाने ने 21.95 टन ताम्बे की छीलन की बिक्री के लिए नवम्बर/दिसम्बर 1969 में टेंडर मांगे। प्राप्त हुआ उच्चतम प्रस्ताव 16,133.95 रुपए प्रति टन का था जो 27-3-70 तक मान्य था। प्रस्ताव को स्वीकार करने में सक्षम प्राधिकारी कलकत्ता में आर्डनेंस फैक्टरी के महानिदेशक ने 13-3-70 को टेंडर की स्वीकार किए जाने की सूचना दी परन्तु फैक्टरी में पत्र की प्राप्ती में देरी के कारण वह टेंडर भेजने वाले को प्रस्ताव की वेधता की अवधि में सूचित नहीं की जा सकी। फक्टरी ने जून/जुलाई 1970 में छीलन के लिए दुबारा टेंडर मांगा। इस बार प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव 14,661 रुपए प्रति टन था जो 9-12-70 तक वैध था। यह प्रस्ताव आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसकी वैधता अवधि के अंतिम दिन टेंडर भजने वाले को सूचना दी गई। तथापि, टेंडर भेजने वाले ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर रद्द कर दिया की वैधता की अवधि समाप्त हो चुकी है। अन्तत: सामग्री फरवरी 1972 में सार्वजनिक नीलाम द्वारा 9,200 रुपए प्रति टन के हिसाब से बेच दी गई। यदि वैधता अवधि में पहले टेंडर के प्रस्ताव को मान लिया जाता तो बिक्री की आय वास्तविक हुई आय से 1.50 लाख अधिक होती। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में यह पता लगाने के लिए जांच-पडताल कर रहा है कि फक्टरी प्राधिकारियों और फर्म के बीच कोई सांठ-गांठ तो नहीं थी।

Retirement Age under Mines Act

9736. **Shri Dhanshah Pradhan:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether a large number of employees of Mining Executive Cadre of the nationalised mines have either been retired or forced to retire on attaining the age of 58 years from 1st February 1973 while under the provisions of Mines Act they can remain in service upto the age of 60 years;

(b) if so, the number of employees so retired, so far;

(c) whether the CMAL is functioning with depleted strength of Mining Executive Cadre employees which is contrary to the provisions of the Mines Act, and if so, to what extent their strength has been so depleted; and

(d) the reasons for compulsory retirement of these experienced persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मिग-21 की लागत

9737. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत निर्मित मिग-21 विमान की विदेशी मुद्रा सहित क्या लागत है ; और

(ख) आयातित मिग-21 विमान की क्या लागत है ; और

(ग) इसमें भारत की तकनीकी जानकारी की सफलता सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) यह सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं है। तथापि मिग 21 को आयातें अंश कच्ची सामग्री से निर्माण के चरण में लगभग 40 प्रतिशत होगा जो 1974-75 में प्रारम्भ हो चुका है। आयातित सामग्री और उपकरणों के स्थान पर यथा सीमा तक स्वदेशी सामग्री और उपकरण के विकास के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं ।

वाणिज्यिक वाहन कारखानों की क्षमता के विस्तार के लिए लाइसेंस जारी किये जाना

9738. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक वाहनों के निर्माताओं की अपनी वर्तमान क्षमता का विस्तार करने के लिए वर्ष 1972-73 के दौरान लाइसेंस जारी किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) वाणिज्यिक वाहनों के मूल्यों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1972–73 में वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माताओं को अपनी क्षमता में विस्तार करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिए गए है। फिर भी वाणिज्यिक गाड़ियों के विद्यमान निर्माताओं को पर्याप्त विस्तार के लिए आशय-पत्र जारी किये गये हैं जो निम्न प्रकार है :--

एकक का नाम	पर्याप्त विस्तार के लिए दिए गए आशय-पत्र की तिथि	स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता (सं० प्रतिवर्ष)
1. मे० अशोक लीलेंड लिमिटेड, मद्रास	8-1-1971	4 600 (कामेट गाड़िया)
2. मे० टाटा इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लिमिटेड, बम्बई । .	29-6-1972	12,000
3. मे० बजाज टेम्पो लिमिटेड, पूना . .	23-8-1972	8,000

मे० टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, बम्बई और मे० अशोक लीलेंड लिमिटेड मद्रास को दिए गए आशय-पत्र पहले ही क्रमशः दिनांक 30-8-1973 और 26-12-1973 को औद्योगिक लाइसेंसों में बदल दिये गये है।

(ग) सरकार ने वाणिज्य गाड़ियों के निर्माताओं से कहा है कि वे सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि न करें।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्रों के लिये स्टाफ क्वार्टरों तथा भवनों का निर्माण

9739. श्री देवेन्द्र नाथ महाता :
श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1973 में हुए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों के लिये स्टाफ क्वार्टरों तथा भवनों के निर्माण कार्य को 100 प्रतिशत केन्द्रद्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां

(ख) यह निर्णय किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की इमारतों और स्टाफ क्वार्टरों के बनाने के काम में जो कमी रह गई थी उसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित ढंग से पूरा कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम माना गया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की इमारतों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था कर दी गई है।

Report on Wage Policy

9740. **Shri Jagannathrao Joshi:**

Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the suggestions contained in the Report of Committee on Wage Policy under the Chairmanship of a Member of the Planning Commission; and

(b) the reaction of Government to each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The report inter alia, recommends the setting up of a Wage Cell and contains suggestions for a wage policy. As a first step, the Wage Cell has been set up in the Ministry of Labour.

बम्बई में कुष्ठ रोगी

9741. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अप्रैल, 1974 के अंग्रेजी के एक दैनिक समाचारपत्र के अनुसार बम्बई के प्रत्येक 1,000 लोगों में आठ व्यक्ति कुष्ठरोगी हैं ;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1973 में राज्य में कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ कर 2,000 तक पहुंच गई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य से कुष्ठ रोग समाप्त करने के लिये सरकार का बचाव के रूप में क्या तरीके अपनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बोकारो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एसोसिएशन की मांगें

9742. **श्री भोगेन्द्र झा :**

डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडे :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो कन्स्ट्रक्शन इंजीनियर्स एसोसिएशन ने बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों को कुछ मांगें प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ।

(ख) निर्माण इंजीनियरों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) ट्रेड यूनियन अधिनियम, अधिनियम के अधीन बोकारो कन्स्ट्रक्शन इंजीनियर्स एसोसिएशन को मान्यता दी जाए।

(2) अधिवार्षिकी ठेके उन्हीं निर्माण इंजीनियरों को दिए जायें जो ठेके की शर्तों पर कार्य कर रहे हैं।

(3) तकनीकी सहायक के पद का नाम बदलकर परिवीक्षाधीन इंजीनियर कर दिया जाय और छः महीने की सेवा पूरी करने के पश्चात् उन्हें स्वमेव सहायक मंडल इंजीनियर अथवा समतुल्य पद दिया जाय और दो वर्ष के पश्चात् अगले उच्च ग्रेड में उनकी पदोन्नति की जाय।

(4) वरिष्ठता उस तारीख से दी जानी चाहिए जिस तारीख को इंजीनियर ने निर्माण कार्य में ड्यूटी आरम्भ की थी न कि उस तारीख से जिस तारीख को उसे परिचालन कार्य में रखा गया है।

(5) पूर्ण निवास स्थान।

इन मांगों के बारे में प्रबन्धकों तथा संघ के बीच इस समय बातचीत चल रही है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दो वर्ष के लिये अधिकार में लेना

9743. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्नपुर स्थित इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को केवल दो वर्ष की अवधि के लिये अपने अधिकार में लिया गया था जो कि जुलाई, 1974 में समाप्त हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अधिग्रहण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने तथा इसे इसके पूर्ववर्ती स्वामियों को न लौटाने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सरकार ने 14 जुलाई 1972 को इण्डियन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध दो वर्ष के लिए अपने हाथ में लिया था। अधिग्रहण के पश्चात् संयंत्रों तथा उपस्करों की तकनीकी हालत के बारे में जांच की गई और लगभग 3 वर्ष की अवधि में उत्पादन को निर्धारित स्तर पर लाने के लिए मरम्मत करने, पुराने और घिसे हुए पुर्जों को बदलने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई। कम्पनी के प्रशासनिक ढांचे को सुप्रवाही बनाने के लिए पुनर्गठित किया गया है। वर्तमान अधिग्रहण की अवधि के समाप्त हो जाने के बाद कम्पनी के भविष्य का प्रश्न विचाराधीन है।

सशस्त्र सेनाओं के पुराने सेवा नियमों में संशोधन

9744. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रिटिश सरकार के समय से चले आ रहे सशस्त्र सेनाओं के पुराने सेवानियमों में उन्हें लोकतान्त्रिक बनाने के लिये, ताकि पदोन्नति अधिकारियों के अनुपात को कम से कम सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों के समान बढ़ाया जा सके बहुत अधिक संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं, श्रीमन्।

सशस्त्र सेनाओं में अफसर संवर्ग में निम्नतर रैंकों से पदोन्नति के लिए सामान्यतया कोई निश्चित अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि सैनिक, नौसैनिक तथा वायु सैनिक की अपेक्षित सेवा आवश्यकताएं सशस्त्र सेनाओं में अफसरों के लिए निर्धारित सेवा आवश्यकताओं से काफी भिन्न हैं। तथापि जहां निम्नतर रैंक से अफसर रैंक के लिए पदोन्नति करना सम्भव होता है, किया जाता है बशर्ते अपेक्षित योग्यता, तथा अन्य आवश्यकताएं तथा विधिवत् नियुक्त किए गए सेना चयन बोर्ड के द्वारा कमीशन प्राप्त रैंक के लिए उपयुक्त पायी गयी हों।

अफसरों तथा कार्मिकों के लिए सामूहिक मैस की व्यवस्था करना भी व्यवहार्य नहीं है क्यों कि अफसरों को अपने भोजन व्यय का भुगतान करना पड़ता है जबकि निम्नतर रैंकों के कार्मिकों को सरकारी व्यय पर मुफ्त भोजन का हक है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के कार्य के बारे में संसद् सदस्यों का प्रतिवेदन

9745. श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :

श्री के० मालन्ना :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के असन्तोषजनक कार्य के बारे में संसद् सदस्यों से गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों के संतोषजनक कार्य के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि पिछले तीन वर्षों में कुछ संसद् सदस्यों ने यह बताया है कि मिशनों से जिन सुविधाओं की वे अपेक्षा करते थे वे उन्हें नहीं मिली या मिशनों के कार्य के बारे में स्थानीय अखबारों में प्रतिकूल रपोर्टें छपी हैं। सभी मामलों में प्रतिकारात्मक कार्रवाई की गई थी।

एवरो (एच-748) विमान में परिवर्तन के बारे में ब्रिटिश पायलट द्वारा दिया गया सुझाव

9746. श्री० डी० बी० चन्द्र गौड़ा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश पायलट ने एवरो (एच–748) विमानों को अधिक सुरक्षित बनाने के विचार से उनमें कोई परिवर्तन करने का सुझाव दिया था;

(ख) क्या पायलट ने कोई परीक्षण किए थे; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले और इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) से (ग) हाल ही में बनाए गए एच० एस० 748 विमान में कतिपय तकनीकी समस्याओं पर काबू पाने के लिए हिन्दूस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के सहयोग में मैसर्स हॉकर सिडली एविएशन लि०/राज्स रायस टीम द्वारा व्यापक जांच-पड़ताल की गई है। हॉकर सिड्डले एविएशन लि०/राज्स रायस टीम में ब्रिटिश टैस्ट पायलट सम्मिलित थे। समस्याओं पर काबू पाने के लिए दिए गए कतिपय सुझावों पर विचार किया जा रहा है परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के मकान किराये पर व्यय

9747. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित उन भारतीय मिशनों का देशवार नाम क्या है जिनकी अपनी इमारतें हैं;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकारी प्रयोजनों के लिये किराये पर इमारतें ली हुई हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्ष 1973 के अन्त तक देशवार कितनी राशि का किराये के रूप में भुगतान किया गया; और

(घ) उन देशों में हमारी अपनी इमारतें न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) उन देशों के नाम जहां भारत के मिशनों के अपने भवन हैं (चांसरी, राजदूतावास अथवा मिशन के सदस्यों के लिए निवास स्थान) और उन देशों के नाम (जहां इस प्रकार के भवन किराये पर लिये गये हैं, विवरण i और ii में दिय गये हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7004/74**]

(ग) वित्तीय वर्ष 1970–71 और 1971–72 के दौरान अदा किये गये किराये का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण iii में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7004/74**] वित्तीय वर्ष 1972–73 के आंकड़े इकट्टे किये जा रहे हैं और सदन की मेज़ पर रख दिये जाएंगे।

(घ) विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण हम हर जगह अपने भवन नहीं बना सके हैं। फिर भी इस कार्य के लिए हर वर्ष एक राशि अलग तय कर दी जाती है और इन आबंटनों से इस तरह के पूंजीगत व्यय के लिए खरीद की गयी है।

भारी इंजीनियरी निगम के उत्पादों विक्रय-मूल्य में वृद्धि

9748. श्री कार्तिक उरांव : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची के बहुत से संयंत्र उत्पादों के विक्रय-मूल्य अन्य उत्पादों की तुलना में सामग्री तथा उपभोज्यों सहित उत्पादन लागत की अपेक्षा बहुत कम है और प्रबन्धक इस अन्तर को विक्रय-मूल्य बढ़ा कर पूरा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन द्वारा निर्मित उपकरणों का मुख्य भाग इस्पात संयंत्र के लिये होता है, जिनके मूल्य सरकारी उद्यम कार्यालयों द्वारा उसी प्रकार के सोवियत उपकरणों की लागत और हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन में अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किए गए थे। साथ ही साथ इसमें मूल्यों में वृद्धि करने की व्यवस्था है। अन्य उत्पादों के लिये मूल्यों का निर्धारण सामान्य वाणिज्यिक प्रक्रिया के अनुसार उत्पादन लागत और तुलनात्मक बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। फिर भी कुछ पुराने क्रया-देशों के मामलों में जहां कि निविदाओं में वृद्धि के लिये कोई प्रावधान नहीं है की सप्लाई में संविदा बिक्री मूल्य के आधार पर की जाती है, जो अनेक मामलों में उत्पादन की वर्तमान लागत से कम मूल्य की रहे है।

उत्पादन लागत और निविदा बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को पूरा करने के लिये हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने मूल्यों में मनमानी वृद्धि नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची के उत्पादन संबंधी आंकड़ों में जाली आंकड़ों का जोड़ा जाना

9749. श्री कार्तिक उरांव : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची के भारी मशीन निर्माण संयंत्र के उत्पादन संबंधी आंकड़ों में काफी मात्रा में जाली आंकड़े जोड़ दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही किन परिस्थितियों में की जाती है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारी मशीन निर्माण संयंत्र के उत्पादन आंकड़ों में केवल वास्तविक उत्पादन के आंकड़े सम्मिलित हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से अर्जित भूमि के लिए क्षतिपूर्ति

9750. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील प्लांट लिमिटेड, बोकारो को स्थापित करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों से कुल कितनी भूमि अर्जित की गई;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ग) क्या उनको ठीक प्रकार से पुन: बसाया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बोकारो इस्पात प्रायोजना के लिए भूमि अर्जन का कार्य बिहार की राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार को यह मालूम नहीं है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से कुल कितने एकड़ भूमि प्राप्त की गई है।

(ख) राज्य सरकार ने 1956 में अनुसूचित भूमि का अधिकतम मूल्य 1900 रुपये प्रति एकड़ तथा 1964 में अनुसूचित की गई भूमि का अधिकतम मूल्य 3800 रुपये प्रति एकड़ निश्चित किया था। मुआवजे की दरें प्राप्त की गई भूमि की किस्म पर निर्भर करती हैं और भिन्न-भिन्न गांवों के लिए भिन्न-भिन्न हैं। मुआवजे की अदायगी का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को किस-किस दर से मुआवजा दिया गया है।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने की पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिर भी, बोकारो स्टील लि० राज्य सरकार की सहायता कर रही है और विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने का आधा खर्च दे रही है तथा केवल विस्थापित व्यक्तियों के लिए दस्तकारी सिखाने की विशेष प्रशिक्षण योजना चला रही है। इसके अतिरिक्त, नौकरी के मामले में विस्थापित व्यक्तियों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। इस्पात नगर में दुकानों के आबंटन में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का क्रियान्वयन

9751. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय लोगों को रोजगार देने के मामले में 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का कड़े रूप से पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 500 रुपये तथा इससे कम वेतन वाले पदों पर जिनके लिए स्थानीय लोग उपलब्ध है कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बारे कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बोकारों के निर्माण इंजीनियरों की सेवा की शर्तें

9752. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां तक बोकारो स्टील लि०, बोकारो के निर्माण इंजीनियरों की सेवा शर्तों का प्रश्न है वर्तमान प्रबन्धक भूतपूर्व प्रबन्धकों के निर्माण को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, नहीं। बोकारो स्टील लि० के वर्तमान प्रबन्धक प्रशिक्षण तथा विकास की एक योजना द्वारा परिचालन तथा अन्य सेवा विभागों में स्थायी पदों पर निर्माण इंजीनियरों की भर्ती करके उनकी सेवा शर्तों में सुधार लाने की सभी सम्भावनाओं के बारे में पता लगा रहे हैं।

भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का उत्पादन

9753. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड बंगलौर में उत्पादन कितना हुआ था; और

(ख) उसके उत्पाद का निपटान किस प्रकार किया गया था ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत अर्थ-मूवर्स लिमिटेड में 1973 वर्ष के लिए उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) रेलकोच—305 ।

(2) अर्थ मूविंग उपस्कर—467 ।

(ख) रेलकोच रेलवे बोर्ड को बेचे जाते हैं और अर्थ मूविंग उपस्कर सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र उपक्रम और निजी उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के मुख्यालय का पूर्वी भारत में स्थानान्तरण

9754. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** :
श्री रानेन सेन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के मुख्यालय को पूर्वी भारत में स्थानांतरित करने के लिये विभिन्न लोगों और संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या ऐसा करने से इसका प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित होगा और यात्रा पर होने वाला व्यय बचेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अभी हाल ही में कर्मचारियों की एक युनियन से इस बारे में एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० का मुख्यालय नई दिल्ली में रखने का मुख्य कारण यह है कि लोहा और इस्पात तथा सम्बद्ध आदान उद्योगों का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन के रूप में इसके कार्यों तथा गतिविधियों के लिए इस्पात और खान मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों/सरकारी अभिकरणों से निकट तथा सतत सम्पर्क की आवश्यकता है। इसके अलावा 'सेल' के अध्यक्ष इस्पात विभाग के सचिव भी है।

फार्मेसिस्ट और हैल्थ विजिटर के वेतनमान

9755. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद फार्मेसिस्ट के वेतनमान में सुधार किया है;

(ख) क्या सरकार हैल्थ विजिटर के वेतनमानों में भी सुधार करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) फार्मेसिस्टों के वेतनमानों में सुधार लाने का मामला विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लेडी हैल्थ विजिटरों के वेतनमानों में पहले ही सुधार कर दिया गया है । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन काम कर रही लेडी हैल्थ विजिटरों से वेतनमान में और अधिक वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों का खनिज सर्वेक्षण

9756. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों, अर्थात् अल्मोडा, चमोली, देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी का उस क्षेत्र में खनिज सम्पदा का पता लगाने के लिए कोई खनिज सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पिछड़े क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सर्वेक्षण न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने उत्तर प्रदेश के 8 उल्लिखित पहाड़ी जिलों में खनिज निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण किया है ।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण का कार्यक्रम राज्य सरकारों के साथ उचित परामर्श के बाद तथा राज्य सरकारों दवारा राज्य कार्यक्रम परिषदों में किए गए विभिन्न प्रस्तावों/अनुरोधों को ध्यान में रख कर बनाया जाता है । प्रत्येक क्षेत्रगत सत्र कार्यक्रम पर अंतिम अनुमोदन केन्द्रीय कार्यक्रम परिषद का होता है जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं ।

(ग) सीमेंट, फ्लक्स व रसायन ग्रेड चूनापत्थर, डोलोमाइट, मैग्नेजाइट, सेलखड़ी और फास्फोराइट के व्यापक निक्षेपों का पता चला है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपर्युक्त आठ पहाड़ी जिलों में निहित व्यापक क्षेत्र का सर्वेक्षण भूतकाल से लेकर आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा ।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों की स्थापना

9757. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां आगामी दो या तीन वर्षों में स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय स्थापित किए जायेंगे और क्या भारत सरकार को उनकी आवश्यकता के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है और क्या राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में ब्यौरा मांगा गया है;

(ख) क्या भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से ब्यौरा प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो कितनी सहायता के लिए अनुरोध किया गया है; और

(ग) भारत सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार

9758. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में नये भारी उद्योगों की स्थापना करने के लिए सरकार का कौन से कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में नये भारी उद्योगों की स्थापना करने और विद्यमान एक एकक का विस्तार करने की निम्नलिखित योजनाएं पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्यान्वित की जानी है :—

(1) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी

प्रेशर वैसैल्स और हीट एक्सचेंजरों का प्रथम चरण में 1,000 मी० टन से 2,000 मी० टन तक प्रतिवर्ष और दूसरे चरण में 5,000 मी० टन तक निर्माण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पांचवीं योजना में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(2) भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड

पांचवीं योजना में भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर लिमिटेड, नैनी के दूसरे चरण का विस्तार करने के लिए 4.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(3) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एक भाग के रूप में झांसी में एक नये ट्रांसफार्मर एकक की स्थापना करने का निर्णय किया गया है । इस समय परियोजना पर कारखाने के लिए 1,452 लाख रु० और बस्ती के लिए 265 लाख रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया है ।

(4) मै० स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 1,00,000 स्कूटरों और 30,000 तीन पहियों वाले स्कूटरों की अधिस्थापित क्षमता से लखनऊ में स्कूटर इंडिया संयंत्र के पूरा कर लेने की व्यवस्था की गई है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में भारी उद्योगों को स्थापना करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन से स्कूटरों, हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों और ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को स्कूटरों और हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण के लिये आशय-पत्र जारी कर दिये गये है, किन्तु एक विदेशी फर्म के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण करने के कृषि उद्योग निगम के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है।

अपमिश्रण रोकने के लिए औषध तथा श्रृगांर प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अपर्याप्त उपबंध

9759. **श्री रामचन्द्रन कडनापली :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपमिश्रण रोकने तथा कठोर दंड देने के लिए औषध तथा श्रृगांर प्रसाधन सामग्री अधिनियम में पर्याप्त उपबन्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रस्ताव हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए उन में आगे और संशोधन किया जाए अथवा नहीं इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Coal Mining by Madhya Pradesh

9760. **Shri Nathu Ram Ahirwar:**

Shri Rana Bahadur Singh:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether coal occupies an important place in the implementation of economic plan in the country; and

(b) if so, whether it is proposed to allow Government of Madhya Pradesh to take up mining and production of coal?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

Lime stone and Bauxite bearing areas of M.P. declared as protected areas

9761. **Shri Nathuram Ahirwar:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the lime stone and bauxite bearing areas in the State have been declared protected areas by Union Govrnment for exploitation under public sector;

(b) whether mining work is being done in this area at present; and

(c) if not, the reasons of not declaring these areas open for mining by private miners?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Government of Madhya Pradesh have reserved certain areas of limestone for exploitation in the public sector in the Districts of Satna, Bilaspur, Jabalpur and Raipur for Cement and Iron & Steel Industry. Areas reserved for public sector by the State Government for Bauxite are in the Districts of Shahdol, Bilaspur, Mandla, Surguja, Raigarh, Durg and Balaghat.

(b) Production of limestone from 5 public sector mines and of Bauxite from 3 public sector mines in Madhya Pradesh have been reported.

(c) Does not arise.

Talks with Foreign Minister of Austria

9762. Shri Chandulal Chandrakar:
Shri Banamali Babu:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the gist of the talks on economic and political matters held with the Foreign Minister of Austria during his recent visit to India?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): The Austrian Foreign Minister Dr. Rudolf Kirchschlaeger, visited India from 12th to 16th April, 1974 and had two sessions of talks in the Ministry of External Affairs.

The talks covered a general view of bilateral and international question of mutual interest. The officials of the two sides in a separate meeting, discussed bilateral economic and commercial relations, including possibilities of future cooperation.

पांचवी योजना में विकास योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करना

9763. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना में 426 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कोई आठ सूत्री नीती अपनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पांचवी योजना का प्रस्ताव तैयार करते समय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनाई गई नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित है :–

1. पहले से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना ;
2. सरकारी क्षेत्र के एकको में असंतुलन दूर करने हेतू कार्यक्रम चलाना, ताकि उनकी क्षमता उपयोग में सुधार हो सके और उनकी क्षमता में और वृद्धि की जा सके ;
3. गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रमुख रुग्ण और बन्द इंजीनियर एककों के प्रबंध का अधिग्रहण करना और उनको शीघ्र ही पुर्नस्थापित करना ;
4. विद्यमान एककों के उत्पाद-मिश्र को युक्ति-युक्त बनाना और संतुलन उपकरणों को लगाकर वे जहां कहीं आवश्यक हो उनकी क्षमता में विस्तार करना;
5. पांचवी योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जहां कहीं आवश्यक हो नये एककों को लगाना ;

6. भारी उद्योगों की श्रेणी में आने वाले गैर-सरकारी एककों की पूंजीगत अस्तियों का अधिकतम उपयोग करने में उनकी सहायता करना ;

7. आवश्यक उपकरणों के जैसे उर्वरकों, खनन, आयल ड्रिलींग, अन्य रसायन संयंत्र और मशीनों के उत्पादन में अंतर का प्रणालीबद्ध अध्ययन करना तथा उनके निर्माण की क्षमता बढ़ाना अथवा उत्पन्न करना ; और

8. ग्रे आयरन और इस्पात की ढ़ली तथा गढ़ी हुई वस्तुओं आदि जैसे भारी इंजीनियरी उद्योगों की आवश्यक अंतर वस्तुओं की क्षमता के विकास का समन्वय करना ।

वाशिंगटन में भारत के विदेश मंत्री और अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट्स के बीच वार्ता

9764. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या विदेश मंत्री ने 6 अप्रैल 1974 को वाशिंगटन में अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट्स से भेंट की थी ; और

(ख) यदि हां तो किन-किन विषयों पर विचार-विर्मश किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । यह बैठक 15 अप्रैल 1974 को न्यूयार्क में हुई थी ।

(ख) इसमें आपसी हित के बहत-से विषयों पर बातचीत हुई थी जिसमें भारत अमरीकी संबंध अंतर्राष्ट्रिय स्थिति और उपमहाद्वीप में शांति और मेल-मिलाप बढ़ाने के लिए भारत के प्रयत्न भी शामिल हैं ।

दिल्ली में बिक्री कार्यालय में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों की चोर बाजारी

9765. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली बिक्रि कार्यालय में बेचे जाने वाली हिन्दुस्थान मशीन टुल्स द्वारा निर्मित घड़ियों विशेषकर "पायलट" और "जवाहर" घड़ियों की चोर बाजारी की जाती है और 'पायलट' और 'जवाहर' नामक घड़ियोंको जनता को नही बेचा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पद्धती को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) वर्ष 1974 में इन घड़ियों की कितनी बिक्री हुई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली में हिन्दुस्थान मशीन टूल्स की घड़ियों की बिक्री हिन्दुस्थान मशीन टूल्स के दिल्ली स्थित बिक्री कार्यालय के जरिए की जाती है और बिक्री पटल पर 'पहले आओ पहले ले जाओ' के आधार पर जनता को घड़ियाँ बेची जाती है । कीमत, बिक्री कर आदि बताते हुए नियमित कैश मेमो जारी किए जाते है किन्तु यह सच है कि "पायलट"

और "जवाहर" जैसी कम मूल्य की घड़ियों की मांग पूर्ति से कहीं अधिक है स्थिति में सुधार तभी होगा जब इस प्रकार की घड़ियों का उत्पादन बढ़ाया जायेगा ।

(ग) वर्ष 1973-74 में दिल्ली स्थित हिन्दुस्थान मशीन टूल्स के बिक्री कार्यालय ने विभिन्न प्रकार की 15963 घडियों की बिक्री की है जिसमें से 786 'पायलट' और 819 'जवाहर' घड़ियां थी ।

इस्पात उद्योग के विकास के लिये इस्पात के मूल्य में वृद्धि

9766. **श्री राम प्रकाश :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय ने इस्पात उद्योग के विकास के लिये संसाधन जुटाने हेतु इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने का सुझाव दिया ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने सुझाव को रद्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां , तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के मालिकों को मुआवजे की अदायगी

9767. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के ऐसे कितने मालिक हैं जिन्हें क्रमशः एक लाख, पचास हजार, पच्चीस हजार, पन्द्रह हजार, दस हजार और दस हजार से कम रुपये तक मुआवजा कब तक अदा कर दिया जायेगा ; और

(ख) इन मालिकों द्वारा सभी श्रेणीयों के जिन श्रमिकों को नियुक्त किया गया था उनकी मजूरी की बकाया राशि कितनी है तथा उनके हिसाब के कब तक निबटाये जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) विस्तृत जानकारी पहले ही कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की अनुसूचियों में दी गई है ।

(ख) इस समय, बकाया राशि की मात्रा या ऐसी राशि के बारे में फैसला हो जाने की तारीख के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि वह विभिन्न पक्षों द्वारा संदाय आयुक्त को प्रस्तुत किये जाने वाले दावों पर निर्भर होगी ।

रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठानों द्वारा राडार टेक्नोलोजी, प्रक्षेपणास्त्रों, एयरोनाटिक्स और नौसेना विज्ञान का विकास करने के लिये उपाय

9768. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने रक्षा अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से राडार टेक्नोलोजी, प्रक्षेपणास्त्रों, एयरोनाटिक्स और नौसेना. विज्ञान के विकास के लिए प्राथमिकताओं का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) क्या प्रक्षपणास्त्रों के विकास के लिए सुदृढ मूलभूत ढांचे को तैयार करने के लिए और 'पायलट' संयंत्र स्तर पर राकेट प्रापेलेरों का उत्पादन और विकास करने के लिए सरकार ने कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमन।

(ग) अवस्थापना के निर्माण और सेना के लिए प्रक्षेपणास्त्रों के विकास को हाथ में लेने की क्षमता की योजना बना ली गई है। प्रणोदन, नियन्त्रण और मार्गदर्शन प्रणाली के क्षेत्रों को महत्व दिया गया है।

एक ठोस प्रणोदक सुविधा भी स्थापित की जा रही है जो राकेटों और प्रक्षेपणास्त्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी।

इसी प्रकार से अन्तर्जलीय टैक्नालाजी, सोनार और समुद्री जीवविज्ञान से संबंधित कार्य को हाथ में लेने के लिए योग्यता और अवस्थापना बनाने के लिए भी कार्यवाही की गई है।

प्रक्षेपणास्त्रों सहित एयरोनाटिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के कार्य के निदेश देने और समन्वय के करने लिए एक एयरोनाटिक्स (अनुसंधान तथा विकास) बोर्ड स्थापित किया जा चुका है। देश में एयरोनाटिक्स के विकास के लिए बोर्ड अल्पकालिक योजना बना रहा है।

निचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों का पता लगाने के लिए रेडार के विकास के लिए अग्रताएं आबंटित कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल की फार्मास्यूटिकल्स और औषधि कारखानों द्वारा घटिया किस्म की औषधियों और दवाओं का बनाया जाना

9769. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिलावटी और घटिया औषधियों और दवाओं के ऐसे कितने मामले पाये गये, जिनके निर्माण में पश्चिम बंगाल की फार्मास्यूटिकल्स और औषधि कारखाने अन्तर्ग्रस्त थे ;

(ख) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त अथवा ऐसी गतिविधियों में तथाकथित रूप से अन्तर्ग्रस्त निर्माताओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामों में काम कर रहे डाक्टरों को सुविधायें

9770. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों में काम कर रहे डाक्टरों को किस प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने को आकृष्ट करने के लिए भारत सरकार और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

भारत सरकार

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को जिन्हें अलाभकारी क्षेत्रों में काम करना पड़ता है, 150 रुपये प्रति मास का विशेष भत्ता दिया जाता है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें

(1) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे डाक्टरों के लिए समान काडर बनाना।

(2) ग्रामीण भत्ता, परिवहन सुविधायें, मुफ्त सुसज्जित मकानों जैसे सभी प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषतः इमारितों और रिशायशी मकानों जैसी भौतिक सुविधाओं में सुधार करना।

(4) अग्रिम वेतन-वृद्धियों को संस्वीकृति (गुजरात राज्य में)।

(5) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था।

(6) कुछ राज्य सरकारों ने मेडिकल छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित अवधि तक सेवा करने के लिए बाध्य करने हेतु छात्रवृत्तियां/वृत्तिकाओं की पेशकश की है।

ईशापुर गन फैक्टरी में उत्पादन

9771. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईशापुर गन फैक्टरी के उत्पादन में पिछले तीन वर्षों के दौरान कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कारखाने के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त साइफर ब्यूरों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

9772. श्री चन्द्र शैलानी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त साइफर ब्यूरो में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाती के कर्मचारियों और अधिकारियों के अभ्यावेदन की जांच करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कर्मचारियों और अफसरों सहित सभी कर्मचारियों और अफसरों के अभ्यावदनों पर हमेशा निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाता है। ज्वाइंट साइफर ब्यूरों के कतिपय कर्मचारियों से 1973 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल इन्द्रराज से सम्बन्धित हाल ही में अभ्यावदन प्राप्त हुए थे जिनमें अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के दो अभ्यावेदन भी सम्मिलित थे। इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था और उन पर उपयुक्त कारवाई की गई थी।

आद्रा, पश्चिम बंगाल में नियुक्त प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों की शिकायतें तथा यातना के संबंध में अभ्यावेदन

9773. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आद्रा, पश्चिम बंगाल में लगाई गई दक्षिण-पूर्व रेल्वे के 1032 इंजीनियरिंग ग्रुप (टी ए) के साथ सम्बद्ध प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों की शिकायतों और यातना के संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) क्या अन्य बातों के साथ-साथ इन शिकायतों का सम्बन्ध राशन की सप्लाई में भ्रष्टाचार, खाना पकाने की इंधन की व्यवस्था न होने, अधिकारियों के बंगलों में घरेलू नौकरों के रूप में जबरदस्ती काम लिए जाने, बर्दियों की अपर्याप्तता, अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार आदि से है ;

(ग) क्या संकटग्रस्त जवानों के आठ प्रतिनिधियों को अलग कर दिया गया है और एक अज्ञात स्थान में बन्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या शिकायतों को जांच करने, शिकायतें दूर करने और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को तुरन्त रिहा करने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (घ) सरकार को अभी ऐसा कोई अभ्यावदन प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है और सम्बन्धित सूचना यथा शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा सन्तालडीह बिजलीघर को त्रुटिपूर्ण मशीन की सप्लाई

9774. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्तालडीह बिजलीघर को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा त्रुटिपूर्ण मशीन की सप्लाई किये जाने की पश्चिम बंगाल सरकार ने शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत की जांच पड़ताल की गई है ;

(ग) क्या सम्बद्ध मशीन ब्रिटेन निर्मित थी अथवा उसका भारत में ही निर्माण किया गया था ; और

(घ) उक्त मामलें में क्या कार्यवाहीं की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से एक टैलेक्स प्राप्त हुआ था जिसमें सन्तालडिह बिजली घर जिसे मे० भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने सम्भरण किए थे की कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया था । इन सम्भरणों में टर्बाइन जनरेटर, कन्डेंसिंग और ब्रिटेन से प्राप्त फीड वाटर हीटींग प्लांट जैसे मुख्य उपकरण सम्मिलित थे। मामले की जांच की गई है और यह पाया गया है कि ये समस्याएं विभिन्न प्रकार की कार्यसंचालन संबंधी बातों के कारण है । जहां तक मे० बी० एच० ई० एल० द्वारा दिए गए उपकरणों का संबंध है उनमें किसी बड़ी खराबियों का पता नहीं चल सका है । किन्तु कुछ समायोजन करने के लिए कार्यवाही की गई है जो इस प्रकार के उपकरणों को चालू करने की अवस्था के दौरान आवश्यक हुई ।

बी० एच० ई० एल० द्वारा की गई जांचो से पता चलता है कि सन्तालडिह बिजली घर की कोयला चार्ज करने के लिए एक दूसरा बायलर फीड पम्प लगाना है और कम से कम चार मिले स्थापित करनी है । 120 मेगावाट विद्युत पारिषेत करने के लिए अपेक्षित क्षमता तक पारेषण प्रणाली को बढ़ाने की आवश्यकता है । यदि यह संशोधन, जो बिजली बोर्ड की अधिकार सीमा के अन्तर्गत है, किए जाते है तो सन्तालडिह अपनी निर्धारित क्षमता तक बिजली पैदा कर सकता है ।

मेसर्स ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जैसप कन्स्ट्रक्शनस् कंपनी लिमिटेड में कुप्रबन्ध तथा वित्तीय संकट

9775. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री 13 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न सं० 1082 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बेथवेट बर्न एण्ड जैसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में अभी भी कुप्रबन्ध तथा वित्तिय संकट चल रहा है ;

(ख) क्या कंपनी की रक्षित निधि लगभग समाप्त हो चुकी है और यह कंपनी अपने लगभग सभी ठेकों में घाटा उठा रही है ;

(ग) इसे बन्द होने से बचाने तथा इसका पुनर्गठन करने और पुनः गतिशील बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) यह सच है कि मे० बर्न एण्ड जैसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इस समय रक्षित नीधि पूर्णरूप से समाप्त होने और मशीने लगाने और इकट्ठो हुए संविदाओं को छोड़ कर अधिकांश उत्पादन कार्यों के अलाभप्रद सिद्ध होने से वित्तीय संकट के कगार पर हैं । पूर्व क्षेत्र में बहुत सी अन्य इंजीनियरींग कंपनीयों की भांति इस कंपनी के उत्पादन में आम मंदी के कारण जिससे 1966-67 से इंजीनियरी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, गिरावट आनी शुरु हुई । कंपनी ने यहा तक कि अलाभप्रद क्रयादेश स्वीकार करके अपने कार्य जारी रखने के प्रयास किए थ । सामान और मजुरी लागत में काफी वृद्धि होने, अशांत श्रमिक स्थिति और कुछ जटिल कच्चे माल और हिस्से पूर्जो की कमी से यह वर्तमान जटिल स्थिति पैदा हुई है ।

सरकार को इस कंपनी की समस्याओं की जानकारी है और इस समय सरकार इन्हे फिर से चालू करने की योजना तैयार कर रही है जिसमें प्रबन्ध का पुनर्गठन भी सम्मिलित है ।

मैसर्स बर्न एण्ड कंपनी द्वारा वैगनों का उत्पादन

9776. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया के आर्डर पर मेसर्ज बर्न एण्ड कंपनी द्वारा रेलवे के वैगनों का उत्पादन किसी स्तर पर रुक गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कंपनी को अब रेलवे बोर्ड के आर्डरों पर निर्भर रहना पड़ेगा ;

(ग) क्या उक्त कंपनी को वर्ष 1970–71 और 1972–73 के बकाया वैगन उनके मुल मूल्यों पर बनाने पड़ेंगे जो 1973–74 के आर्डरों के लिए निर्धारित मूल्यों में बहुत कम है ; और

(घ) क्या प्रबन्ध-अधिग्रहण के बाद नये प्रबन्धकों ने अधिक मूल्यों के लिए कहां है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) युगोस्लाविया को जो मालगाड़ी के डिब्बे के बेमेल पुर्जे पहले भेजे गये गये, इस समय कम्पनी उन्हीं वैगन सैटों के उपयुक्त उपकरणों के निर्माण कार्य में लगी है । फिर भी यह सत्य है कि कम्पनी को मुख्य रुप में रेलवे से प्राप्त क्रयादेशों पर हीं आधारित रहना पड़ता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस सम्बन्ध में नये प्रबन्धकों ने मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है और इस पर विचार किया जा रहा है ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अधिकारी संघ के सदस्यों को आरोप-पत्र तथा निलम्बन आदेश जारी करना

9777. श्री **इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापूर इस्पात संयंत्र अधिकारी संघ के प्रमुख सदस्यों को किन कारणों से आरोप पत्र तथा निलम्बन आदेश जारी किए गए हैं ;

(ख) उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की नवीनतम स्थिति क्या हैं ;

(ग) क्या दुर्गापूर इस्पात संयंत्र अधिकारी संघ ने इसके विरोधस्वरुप प्रबन्धकों से असहयोग का आन्दोलनात्मक कार्यक्रम आरम्भ किया है ; और

(घ) स्थित को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि संयंत्र के संचालन में आगे और बाधा उत्पन्न न हो ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 29/30 जनवरी, 1974 को हुई कुछ घटनाओं के लिए कारखाने के 12 अधिकारियों को आरोप-पत्र दिए गए थे । ऐसा कहा गया है कि इन घटनाओं में इन अधिकारियों ने बहुत ही अभद्र तथा अनुशासनहीन ढंग से व्यवहार किया था ।

इन 12 अधिकारियों में एक अधिकारी जो अधिकारी संघ के महासचिव भी है, को इसी प्रकार के दुर्व्यवहार की दूसरी घटना के लिए 16 मार्च, 1974 से निलंबित किया गया था । इस के बाद संघ ने आन्दोलन शुरु कर दिया । 21 मार्च, 1974 से संघ के महा सचिव तथा अन्य 9 अधिकारियों ने भूख हड़ताल कर दी । राज्य के श्रम मंत्री के हस्तक्षेप से 23/24 मार्च को भुख हड़ताल समाप्त कर दी गई ।

इसके पश्चात् संघ ने दोनों घटनाओं के लिए खेद व्यक्त किया । इसने प्रबन्धकों के साथ और अच्छे संबन्ध बनाने की इच्छा भी व्यक्त की । प्रबन्धकों ने अधिकारियों द्वारा व्यक्त किए गए खेद की भावना को स्वीकार कर लिया है और प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है ।

आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना

9778. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जिले म एल्यूमिनियम परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया है क्योंकि वहां कच्ची सामग्री उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) या भारत सरकार ने उक्त क्षेत्र में बौक्साइट निक्षेप का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था को निदेश दिये थे ; और

(घ) क्या उक्त सर्वेक्षन पूरा हो गया है और यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकलें?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

अग्निगुण्डाला खानों के कार्य में प्रगति

9779. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश स्थित अग्निगुण्डाला खानों के कार्य में निर्धारित समय सूची के अनुसार प्रगति हो रही है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सबंन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) अग्निगुंडला खनिज पट्टी के बांदलागोट्टू सीसा निक्षेपों को पहले सोपान में 120 टन सीसा-अयस्क के दैनिक उत्पादन तथा समान क्षमता के सान्द्रक संयंत्र के लिए विकसित किया जा रहा है । जहां बांदलागोटू का विकास कार्य समय अनुसूची के अनुसार चल रहा है वहां बिजली पूर्ति की असंतोषजनक स्थिति के कारण संयंत्र के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है । बांदलागोटू के सांद्रक संयंत्र पर यांत्रिक कार्य के जुलाई में पूरा हो जाने और संयंत्र के अगस्त 1974 मे चालू हो जाने की आशा है ।

बांदलागोटू खान के अतिरिक्त अग्निगुंडला पट्टी में माल्ला कोंडा तांबा निक्षेपों पर भी समन्वेषी खनन कार्य चल रहा है । यहां पर भी कार्य की प्रगति पर सिमित बिजली पूर्ति और बिजली को बार-बार गड़बड़ का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

Press report regarding VIP rush at Indian Mission in U.K.

9780. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item 'VIP rush at Indian Mission in U.K.' published in a Delhi Daily dated the 13th April, 1974;

(b) if so, the approximate number of Indians visiting the Indian High Commission, London every year and the expenditure the High Commission has to incur every year on this account; and

(c) whether V.I.Ps. include Panchayat Sarpanch, Panchayat Samiti Pradhan and Zila Pramukhs also?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) About 60,000 Indians visit or pass through U.K. every year. It would be difficult to say which of them could be classified as VIPs. However, when an Indian dignitary, Member of Parliament or a distinguished person in any

walk of life lets us or our High Commission in London knows about his visit, the High Commission provides assistance in securing hotel accommodation, flight bookings, visas etc. In some cases, reception at the airport is also arranged. The expenditure of such facilities cannot be separated from the normal functioning of the High Commission and is difficult to be distinguished as a separate item.

Disease on which maximum expenditure has been incurred by Government

9781. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have found out through a survey the disease in respect of which Government have to incur maximum expenditure on medicines and the amount of expenditure incurred by Government last year; and

(b) whether Government have also ascertained the causes of this disease and whether there is any natural treatment therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) and (b) Expenditure incurred on medicines diseasewise is not available. Nor has any survey been conducted by this Department to find out the disease on which Government have to incur maximum expenditure.

Progress in Homoeopathy Education

9782. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Health and Family Planning** be be pleased to state the progress made in the field of Homoeopathy education in the country and the expenditure Government incur on its annually?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): To ensure the progress of Homoeopathic education on proper lines, the Homoeopathy Central Council Act, 1973 has been enacted. The Central Council will prescribe minimum standards to be followed uniformally throughout India.

In order to develop the Homoeopathic colleges in the country, Government of India have been giving financial assistance under Plan schemes commencing from the Second Five Year Plan. Yearwise details of the assistance given during the Fourth Plan period are as given below:

(Amount in thousand of Rupees)

Year	Amount
1969-70	231.42
1970-71	0.61
1971-72	386.59
1972-73	2475.00
1973-74	1106.27
TOTAL	4199.89

17th Session of Rashtriya Khan Mazdoor Federation

9783. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Rashtriya Khan Mazdoor Federation (National Mine Workers Federation) held its 17th Session on 21st and 22nd March, 1974;

(b) whether it has recommended to the Department of Labour to enact new laws for mine workers and to amend the present laws relating to mines and if so, the names thereof; and

(c) the reaction of the Government thereto;

(d) whether the said Federation demanded the creation of Welfare Fund in Manganese mines also; and

(e) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a). Yes.

(b) No recommendation has been received in the Ministry.

(c) to (e) Does not arise. However, Government recognise that the Social and economic conditions of the miners and the hazardous conditions under which the manganese miners work, warrant the taking of special measures to promote their welfare.

Loss suffered by Coal Brick construction and Carbonisation Plant

9784. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the total amount of loss suffered by Coal Brick Construction and Carbonisation Plant during 1972, 1973 and upto 31st March, 1974;

(b) the causes of the loss;

(c) the steps taken to remove these causes; and

(d) the total amount invested in this plant?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) The information relating to the losses suffered by Briquetting & Carbonisation Plant is given below:

Loss up to 31th March, 1974	Rs. in Lakhs
1971-72	280.40
1972-73	359.90
1973-74	360.15 (Prov.)

(b) The main reason for the losses incurred in the Briquetting & Carbonisation Plant is the low capacity utilisation of the Plant for want of lignite due to inadequate production of lignite from the Mine.

(c) The present production capacity of the Neyveli Lignite Mine is about 3.6 million tonnes per annum which in inadequate to operate its associated industrial units viz. Power Station, Briquetting & Carbonisation Plant and the Fertiliser Plant at their optimum capacity. The production capacity of the lignite mine is, therefore, being increased to 4.5 m.t. per annum in the first stage and subsequently to 6.5 m.t. per annum. At that level of production the Briquetting & Carbonisation Plant is also expected to operate at full capacity and earn profits.

(d) The total investment in the Briquetting & Carbonisation Plant as on 1st April, 1973 is Rs. 29.66 crores.

Allotment of Scooters

9785. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether Government had changed the minimum pay limit prescribed for allotment of scooters to Central Government employees in accordance with the recommendations of the Third Pay Commission;

(b) whether a few days after the issue of the new orders, Government restored the original limit by cancelling the new orders;

(c) whether as a result of this many employees who were on the verge of getting the allotment will now get the allotment of scooter after a long time; and

(d) if so, the number of employees who have suffered on this account and the action taken by Government to ensure early allotment to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) The minimum pay eligibility condition for applying for allotment of scooters from the Central Government quota was raised, consequent on the rise in the cost of maintenance of scooters.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Allotment of Land to retired soldiers in Rajasthan

9786. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names of places in Rajasthan where land has been allotted to retired soldiers and soldiers as also the number of soldiers who are yet to be allotted land;

(b) the number of applications for allotment of land pending in Udaipur Division :

(c) whether the soldiers who have been allotted land have not been given occupation because other peasants have occupied that land unauthorisedly;

(d) if so, whether Government will issue orders for handing over the occupation to the soldiers concerned; and

(e) the names of the soldiers who have either not so far been given occupation of land or allotted and whether efforts will be made to finalise their cases of allotment in two years?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) to (e) Since allotment of land is done by the State Governments under rules framed by them and local arrangements, they have been requested to accord priority to ex-servicemen in this matter. All State Governments including the Government of Rajasthan are extending concessions in some form or other to ex-servicemen in allotment of land. Actual allotment is done by officers at district and lower levels and the time and effort in collecting the information sought will not be commensurate with results likely to be achieved.

Facilities to Widows of Retired Army Personnel

9787. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government do not provide any facilities to the widows of retired army personnel; and

(b) if so, the reasons therefor and in case no facility is extended, the arrangement being made by Government for their subsistence?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): (a) and (b) When death of a 'retired personnel' is related to military service, the widow is granted special family pension. In the case of war casualties, special awards have been sanctioned to the widows. In other cases when death is not related to military service, the widow is granted ordinary family pension as admissible under the rules. Government also provide facilities to widows of retired Army personnel in the form of financial assistance from the welfare funds, assistance in finding employment when asked for and also provide self-employment facilities in deserving cases in the form of Indane Gas and Kerosene Agencies. Assistance is also given, when sought, in getting loans from banks, three vheeler scooters and shops/sites for godowns to help commissioning/running of agencies.

गुजरात में कपड़ा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

9788. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को समान महंगाई भत्ता न मिलने के कारण गुजरात के अन्य भागों में कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की हानि हो रही है और यदि हां, तो इस प्रकार के सम्भव के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ; और

(ग) क्या यह मांग की गई है कि राज्य के सभी कपड़ा कर्मचारियों को शत प्रतिशत आधार पर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए और यदि हां, तो राज्य के दूसरे भाग में कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयातित तथा देश में निर्मित उर्वरकों की कीमत

9789. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब इजराइल संघर्ष से पूर्व आयातित और देश में निर्मित उर्वरकों की कीमत कितनी थी और अब कितनी है ;

(ख) वर्ष 1974–75 में कौन-कौन से देश हमें उर्वरक देने को सहमत हो गए हैं और ये कितने कितन उर्वरक देंगे ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) दो विवरण पत्र परिशिष्ट–1 और 2 पर दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7005/74**]

(ख) 1974–75 में लदान के लिए किए गए ठेके में उर्वरकों की मात्रा का विवरण परिशिष्ट–3 में दिखाया गया हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7005/74**]

आयात किये जाने वाले देश में बनने वाले रक्षा सामान की प्रतिशतता

9790. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किए जाने वाले और देश में हो बनने वाले रक्षा सामान की श्रेणीवार अर्थात सेना नौसेना तथा वायुसेना के सामान की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) पांचवीं योजना के अन्त में उक्त प्रत्येक श्रेणी में देशीय सामान की प्रतिशतता क्या होगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में जैसा बताया गया है, रक्षा उपस्करों के लिए हमारी आवश्यकताओं के बारे में काफी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है और इस सम्बन्ध में आगे और कदम उठाए जा रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप पांचवीं योजना के अन्त-तक हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। तीनों सेवाओं द्वारा काफी मात्रा में उपस्करों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सेवा-वार स्वदेशी निर्मित उपस्करों की कुल प्रतिशतता बताना सम्भव नहीं है। तथापि यह कहा जा सकता है कि सेना के अधिकांश उपस्कर स्वदेश में ही निर्मित किये जाते हैं, नौसेना और वायु सेना के बारे में अनुपात बहुत कम है।

ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में रह रहे भारतीयों द्वारा विदेशी नागरिकता स्वीकार करना

9791 **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में रह रहे भारतीयों की संख्या कितनी है ; और

(ख) कितने भारतीयों ने उन देशों की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरीका और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ में रहने वाले भारतीयों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है।

(i)	यूनाइटेड किंगडम . .	3,50,000 और 5,00,000 के बीच ।
(ii)	संयुक्त राज्य अमेरीका . .	सूचना एकत्र की जा रही है ।
(iii)	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	1147

(ख) जिन भारतीयों ने आतिथ्य देश की नागरिकता ले ली है, उनकी संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

(i)	यूनाइटेड किंगडम . .	70,580 (1-1-1949 से 31-12-1973 तक)
(ii)	संयुक्त राज्य अमेरीका .	सूचना एकत्र की जा रही है ।
(iii)	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	3

एन० सी० सी० को पुनर्गठित करने संबंधी प्रस्ताव

9792. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० सी० में स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नियुक्त करके नेशनल केडेट कोर का पुनर्गठन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुनर्गठन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है और इसे कब लागू किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) एन० सी० सी० में सारी नियुक्तियां थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के स्थायी नियमित कमीशण्ड अफसरों द्वारा ही भरी जाने योग्य हैं। परन्तु इन अफसरों की कमी को भूतपूर्व इमरजेन्सी/शार्ट सर्विस कमीशन्ड तथा अध्यापक वर्ग के अफसरों को पूर्णकालिक एन० सी० सी० कमीशन देकर पूरा किया जा रहा है। एन० सी० सी० मूल्यांकन समिति ने इस पूर्णकालिक एन० सी० सी० कमीशन्ड अफसरों के वर्ग को धीरे धीरे विघटित करने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

सहायक उद्योग स्थापित करने संबंधी योजना

9793. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन कारखानों के लिए सहायक उद्योगों की स्थापना करने की सरकार की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) उक्त योजना किस प्रकार की है और तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है और इसे किस तारीख तक क्रियान्वित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन् । सहायक उद्योगों की स्थापना में वृद्धि करने के लिए रक्षा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों और विभागीय फैक्टरियों द्वारा अनुकरण करने के लिए नमूने के तौर पर एक योजना बनाई गई है ।

(ग) इस योजना के अनुसार, हरेक रक्षा उत्पादन यूनिट को, उन मदों की सूचियां तैयार करन के उद्देश्य से जिनके लिए सहायक युनिटें आवश्यक हो सकती हैं, उद्यम और स्थलों का चयन करने के लिए, और इन परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करनी होती है । इस योजना में, समुचित मूल्य की अदायगी पर मूल्य यूनिटों द्वारा सहायक यूनिटों को विशेष सुविधाएं बढान के लिए भी व्यवस्था है । छोटी युनिटों की केन्द्रीय अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दुर्लभ धातुएं और प्रचुर मात्रा में सामग्री प्राप्त करने के लिए भी प्रबन्ध किए जा सकते है । इस योजना के कार्यान्वियन का निरीक्षण करने के लिए रक्षा उत्पादन मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति गठीत की गई है । इस योजना में सम्बन्धित राज्य के उद्योग विभाग और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ निकट समन्वय रखने की भी आशा की जाती है ।

उत्तर पश्चिमी राज्यों में रक्षा उत्पादन कारखाने

9794. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी राज्यों मे चालू किए गए नए रक्षा उत्पादन कारखानों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए कारखाने स्थापित करने के मामले में अब तक अपेक्षित क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद प्रभार और लखनऊ में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के एक्सेसरीज प्रभाग दोनों उत्तर प्रदेश मे, ने गत तीन वर्षों के दौरान कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

(ख) नई रक्षा उत्पादन यूनिटों के लिए स्थलों का चयन सामरिक और तकनीकी आर्थिक पहलुओं से शासित होता है । सभी राज्यों के दावों पर गुणावगुण के आधार पर विधिवत विचार किया जाता है ; विचार करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि क्या कोई क्षेत्र पहले उपक्षित रहा है अथवा नहीं बशर्ते वह रक्षा उत्पादन यूनिट के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करता हो ।

रक्षा मंत्रालय के विभागों/परियोजनाओं में विदेशी सहयोग से संगणक स्थापित करना

9795. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने कुछ विभागों/परियोजनाओं में विदेशी सहयोग से संगणक स्थापित किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन संगणकों की स्थापना में किन किन देशों का सहयोग लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) एक अमेरीको फर्म से 1968 में दो कम्पूटर क्रय किए गए थे। इनके मूल्य में फर्म द्वारा उपस्कर को स्थापित करने का मूल्य भी सम्मिलित था।

शरणार्थियों द्वारा पुनर्वास स्थलों का छोड दिया जाना

9796. श्री समर गुह : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान तथा इसके पश्चात भी बहुत से शरणार्थियों ने अपने पुनर्वास स्थल छोड़ दिए थे ;

(ख) यदि हां तो स्थान छोड़ने के लिए शरणार्थियों ने क्या कारण बताए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी शिकायतों के बारे में जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी जाच के क्या निष्कर्ष निकले ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

राज्यों में पुनर्वास विभागों का बन्द किया जाना

9797. श्री समर गुह : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पुनर्वास विभागों को बन्द किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) राज्यों में पुनर्वास विभागों के बन्द किए जाने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सामरिक तथा अनु अस्त्रों का उत्पादन

9798. श्री समर गुह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामरिक तथा अनुअस्त्रों के उत्पादन के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) अणु अस्त्रों के उत्पादन के बारे में सरकार की नीति कई अवसरों पर सदन में बताई जा चुकी है। यह नीति अणुशक्ति को केवल शान्ति प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की है। सरकार का विश्वास है कि हमारी सीमाओं की रक्षा परम्परागत हथियारों के आधार पर्याप्त सैनिक तत्परता द्वारा बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित की जा सकती है। उनके विचार में इस प्रकार की सैनिक तत्परता के लिए अणु अस्त्र उसका स्थान नहीं ले सकते।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

9799. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्विप समूह में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तानके शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी अन्तर्विभागीय समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या इन द्वीपों में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के विस्तार क्षेत्र का पता लगाने के लिए सरकार नई समिति गठित करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) अन्तर्विभागीय दल, जिसने 1964 में दो सप्ताह तक अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया था, की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा नहीं थी किन्तु उसमें द्वीप समूहों के विकास के सम्भावित साधनों तथा कार्यक्रम को चित्रित किया गया था जिसके आधार पर विकास की विशिष्ट मदों के बारे में अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सकती है तथा साधनों के उपयोग के लिए योजना बनाई जा सकती है। समन्वित की जाने वाली आधारभूत सुविधाओं का विकास, जिनमें घाट अवतरण, सड़के आदि शामिल हैं, भूमि सर्वेक्षण की प्रगति, वन सम्पदाओं के प्रयोग के लिए व्यवस्था तथा धन की उपलब्धता जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्विभागीय दल की रिपोट में वर्णित सम्भावित साधनों के अनुसार विभिन्न द्वीपों में कार्यक्रम तैयार किए गए है और तैयार किए जा रहे हैं। पुनर्वास की गुंजाइश का पता लगाने के लिए किसी तरह की जांच करने या नई समिति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

लोह तथा इस्पात संयंत्रों में विदेशी विशेषज्ञ

9800. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विदेशी विशेषज्ञ विभिन्न लोह तथा इस्पात संयंत्रों में काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विशेषज्ञों की संख्या कितनी है और ऐसे विशेषज्ञों की सेवा शर्तों का देशवार ब्यौरा क्या है और इन पर वार्षिक व्यय कितना हुआ ;

(ग) क्या उनको वेतन सीधे सरकार से मिलता है अथवा उनके देशों के दूतावासों से ;

(घ) क्या सरकार ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने और अन्य खनिजों को निकालने में सहायता देने के लिए रुस तथा पूर्व यूरोपीय समाजवादी देशों के अन्य विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस समय मुख्य इस्पात कारखानों में काम कर रहे विदेशी विशेषज्ञों की संख्या तथा देश क्रम से उन की संख्या नीचे दी गई है : —

क्रम संख्या	कारखाना	विदेशी विशेषज्ञों की संख्या	जिस देश के रहने वाले हैं
1	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1	यू० के०
2	राउरकेला इस्पात कारखाना	2	पश्चिमी जर्मनी
3	भिलाई इस्पात कारखाना	50	सोवियत रुस
4	बोकारो इस्पात कारखाना . .	610	सोवियत रुस

भिन्न भिन्न विशेषज्ञों का वेतन तथा परिलब्धियां भी भिन्न भिन्न है जो उसकी विशेषज्ञता तथा विदेशी नियोक्ता के अधीन उसके दर्जे आदि पर निर्भर है। फिर भी, कारखानों द्वारा वेतन और परिलब्धियों तथा अन्य सुविधाओं पर किया जा रहा वार्षिक व्यय इस प्रकार है :—

1. दुर्गापुर इस्पात कारखाना .	लगभग 1.27 लाख रुपये (आयकर सहित)
2. राउरकेला इस्पात कारखाना .	लगभग 1,49,400 मार्क और 3.51 लाख रुपये (आयकर सहित)
3. भिलाई इस्पात कारखाना . .	लगभग 26.45 लाख रुपये
4. बोकारो इस्पात कारखाना . .	लगभग 270 लाख रुपये

(ग) कारखाने का नाम	भुगतान की विधि
1. दुर्गापुर इस्पात कारखाना . .	कारखाने द्वारा साधा भुगतान किया जाता है।
2. राउरकेला इस्पात कारखाना . .	कारखाना के० एफ० डब्ल्यू, जो पश्चिमी जर्मनी की सरकार की विद्तिय संस्था है, की मार्फत मूल फर्मों को भूगतान करता है।
3. भिलाई इस्पात कारखाना 4. बोकारो इस्पात कारखाना } .	वेतन की राशि (जिस का भुगतान रुबल में किया जाता है) सरकार के खाते में महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के पास जमा कर दी जाती है जिसकी अदायगी सम्बन्धित ऋण समझोते की शर्तों के अनुसार की जाती है। गुजारा भत्ता (जिसकी अदायगी रुपयों में की जाती है) स्टेट बैंक आफ इण्डिया में सोवियत रूस के विदेश व्यापार बैंक के विशेष खाते में विदेशी सम्भारक के नाम में जमा करा दी जाती है।

(घ) और (ङ) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोककर कोयला खानों के विकास तथा पुनर्गठन के लिए शक्यता प्रतिवेदनों के विस्तरण हेतु, प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा खान निर्माण संघटन के सामान्य संगठनात्मक ढाँचे तथा कार्य क्षेत्र के सम्बन्धी कार्य के लिए पोलैण्ड के मेसर्स कोपेक्स के साथ दो करार किए गए हैं। विशेषज्ञता तथा सेवाओं के लिए किए गए एक समझौते के अधीन इस संगठन को 40,57,885 रुपये तथा दूसरे समझौते के अधीन 3,20,400 रुपये दिए जाएंगे।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० ने मध्य प्रदेश की खानों से प्राप्त होने वाले बाक्साइट के आधार पर एक एल्यूमिना संयंत्र तथा रक्षित खानों की स्थापना के लिए एक शक्यता प्रतिवदन तैयार करने के बारे में एक रुसी संगठन के साथ करार किया है जिसके अन्तर्गत 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस करार की एक शर्त यह है कि यदि शक्यता प्रतिवेदन के आधार पर प्रायोजना की स्थापना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं समझी गई तो इस पर आई लागत दोनों पक्षों द्वारा बराबर बराबर हिस्सों में दी जाएगी।

सोविएत प्राधिकारियों के साथ एक संलेख पर दिसम्बर, 1973 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संलेख के अनुसार सिंगरोली तथा कोरबा के कोयला क्षेत्रों में विवृत खानों तथा रानीगंज क्षेत्र में एक भूमिगत यांत्रिक खान के विकास के लिए एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सोवियत विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति करने के बारे में करार का मसौदा प्राप्त हो गया है। करार के मसौदे पर विचार किया जा रहा है।

कोल माइन्स अथारिटी लि० की सूदमडीह और मोनिडीह की कोयलाखानों में पोलैण्ड के विशेषज्ञ भी काम कर रहे हैं। इन विशेषज्ञों के वेतन, आवास, डाक्टरी सहायता आदि पर होने वाला खर्च कोयला खान प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में मालांज खण्ड तांबा निक्षेपों के लिए 60 लाख रुपये की लागत पर एक विस्तृत प्रायोजन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए हिन्दुस्तान कापर लि० तथा सोवियत अभिकरण के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

अपराधिक मामलों में अन्तर्गस्त भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी० सी० सी० एल०) के कोलियरी मैनेजर आदि

9801. श्री के० एम० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद न्यायालय में चल रहे बहुतसे अपराधिक मामलों में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कोई कोयला खान प्रबन्धक कार्मिक अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक अन्तर्गस्त है, यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध किस प्रकार के मामले चल रहे हैं; और

(ख) सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धनबाद कोयला क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी० सी० सी० एल०) के कर्मचारियों के मारे जाने की आशंका

9802. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयला खानों का सरकारीकरण हो जाने के पश्चात कथित अन्तरसंघीय झगड़ों तथा एक ही संघ के सदस्यों में हुए झगडों में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अन्तर्गत धनबाद कोयला क्षेत्र में बहुत से कर्मचारी मारे गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मृतकों के नाम क्या है तथा वे किस संघ के सदस्य थे और पुलिस द्वारा अभियुक्त ठहराए गए आक्रमण के लिए राज्य सरकार ने किस संघ को उत्तरदायी ठहराया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी० सी० सी० एल०) के अधिकारियों के साथ मारपीट

9803. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद जिले में 17 अक्तूबर, 1971 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कितने अधिकारियों के साथ मार-पीट की घटना हुई है ;

(ख) आक्रमक किस संघ के सदस्य थे अथवा किस संघ का समर्थन उन्हें प्राप्त था ; और

(ग) मार-पीट के प्रत्येक मामले के तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में लघु उद्योगों में श्रम विधियों का लागू न किया जाना

9804. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार में लघु उद्योगों में श्रम विधियां लागू नहीं की गईं ; श्रमिक संघ को अधिकार नहीं दिए गए और मजदूरी की दरें कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्य रूप राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

दिल्ली में मक्खियों की बहुतायत

9805. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष दिल्ली में मक्खियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है ; और

8—19 L.S.S./74

(ख) यदि हां, तो मक्खियों को समाप्त करने के लिए कूड़ा-करकट डालने के स्थानों, दलावों और कूड़ा-दानियों जैसे स्थानों पर गैमक्सिन और टयूनीन छिड़कने का अभियान शुरु करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) मक्खियों के आतंक में असाधारण वृद्धि होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम मक्खियों के उपद्रव पर काबू पाने के लिए क्रमश: मक्खी-निरोधी उपाय बरत रहे हैं । कूड़ा-करकट डालने और कूड़ा-दानों जैसे स्थानों में जहां अधिक मक्खियां पैदा होने की सम्भावना रहती है, वहां पर स्थानीय निकायों द्वारा गेमिक्सिन एमिडान तथा टयूयोन-बेट का नियमित रूप से छिड़काव किया जा रहा है ।

कलमासेरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने को हुआ घाटा

9806. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कलमासेरी स्थित कारखाने का अपनी स्थापना के बाद से प्रति वर्ष घाटा होता रहा है ;

(ख) यदि हां तो कितना घाटा हुआ, और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी वित्तिय स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 31-1-1974 तक एकक को कुल मिलाकर 8.10 करोड़ रुपये की हानि हुई । एकक की असन्तोषजनक कार्यकुशलता का मुख्य कारण श्रमिकों द्वारा कम उत्पादन करना रहा है ।

(ग) यह एकक छपाई की मशीनों का निर्माण करके अपने उत्पादन में विविधता ला रहा है । औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि श्रमिकों द्वारा अधिक उत्पादन किया जा सके ।

हिन्दुस्तान लीवर फैक्टरी गजियाबाद का बन्द होना

9807. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धकों के श्रमिक विरोधी रवैये के कारण गाजियाबाद लीवर फैक्ट्री 6 अप्रैल, 1974 की रात्री से बन्द हो गई है ;

(ख) क्या श्रमिकों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कदम उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला वस्तुत: राज्य कार्य क्षेत्र में आता है । उपलब्ध सूचनानुसार, हिन्दुस्तान लीवर के गाजियाबाद कारखाने के प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच विवाद, राज्य के मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप के फलस्वरूप सुलझ गया है और 17 अप्रैल, 1974 से कार्य पुन: आरम्भ कर दिया गया है ।

इंडिया ट्यूब कंपनी का विस्तार

9808. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डिया ट्यूब कम्पनी को विस्तार की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने बिना जोड़ वाली ट्यूब बनाने वाले प्लान्ट के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने इण्डियन ट्यूब कम्पनी को अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की योजना के अन्तर्गत संयंत्र के अधिकतम उपयोग के आधार पर प्रतिवर्ष 396,00 मी० टन से 55,000 मी० टन तक बीना जोड़ वाली इस्पाती ट्यूबों का निर्माण करने के लिए और प्रतिवर्ष 13,200 मी० टन से 18,000 मी० टन तक ई आर डब्ल्यू इस्पाती ट्यूबों का निर्माण करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिये प्रशिक्षण

9809. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रीय परिषद की संयुक्त बैठक में चर्चित इस सुझाव से मोटे तौर पर सहमत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू किया जाए;

(ख) क्या उक्त बैठक में शिशुओं पर राष्ट्रीय नीति संकल्प की सरकार से सिफारिश करने पर भी विचार किया गया था ; और

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के साथ ही उपरोक्त (क) और (ख) उल्लिखित दिशाओं पर कार्य कारम्भ हो गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०के०किस्कु) : (क) जी हां, यह तय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए बहुधंधी कार्यकर्ताओं को सुनियोजित ढंग से लगाया जाए। मौजूदा पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर बहुधंधी कार्यकर्ताओं के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

(ख) जी नहीं । वैसे, समाज कल्याण विभाग ने "मिश्रित बाल विकास सेवा" नामक एक विस्तृत योजना तैयार की है । इस कार्यक्रम के स्वास्थ्य विषयक भाग पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन परिषद की संयुक्त बैठक में विचार विमर्श हुआ था ।

(ग) बहुधंधी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। बाल विकास योजना स्वास्थ्य विषयक भाग को अन्तिम रूप कार्यक्रम दे दिया गया है ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रेन्ट लोकोमोटिव ट्रांसफार्मरों का निर्माण

9810. श्री राजदेव सिंह : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल 105 प्रेन्ट लोकोमोटिव ट्रान्सफर्मर, एच ओ टी 3460 ए टाइप तैयार करके चित्तरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स को देगा ;

(ख) क्या उक्त प्रकार के ट्रान्सफार्मर पहले आयात किए जाते थे ; और

(ग) यदि हां, तो इससे विदेशी मुद्रा की अनुमानित कितनी वार्षिक बचत होगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ से अधिक ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में परिवार नियोजन लोकप्रिय बनाने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को वितीय सहायता

9811. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में स्वयं सेवी संस्थाओं, विशेष कर महिला निकायों को नगरीय क्षेत्रों और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए संरक्षण (वित्तिय या अन्य प्रकार का) दे रही है ; और

(ख) सहायता पाने वाली संस्था का नाम क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा):(क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा के बालासौर जिले में चेचक के कारण मौतें

9812. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासौर जिले में चेचक महामारी के कारण बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ; और

(ख) अब तक सावधानी के तौर पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) उड़ीसा के बालासौर जिले में पहली जनवरी से 20 अप्रैल, 1974 तक चेचक के 110 रोगियों में से 25 की मृत्यु हुई बतलाई गई है ।

(ख) इस जिले में चेचक को रोकने के लिए जो आवश्यक उपाय किए गए हैं उनमें ये उपाय भी शामिल हैं :—

(1) जिले में चेचक के सभी गढों का पता लगाने के लिए एक सक्रिय खोज की गई ;

(2) पीडित क्षेत्रों में प्राथमिकता; के आधार पर टीके लगाए गए ।

(3) चेचक की रोकथाम के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महामारी विज्ञानियों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया ।

भारत के साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिये चीन की रुचि

9813. श्री श्याम महापात्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिए चीन की ओर से कोई संकेत मिला है और क्या किसी तीसरे देश ने इस मामले में कोई रुचि दिखाई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जी नहीं ।

रुरकेला इस्पात संयंत्र के लिये 'केप्टिव थर्मल प्लांट'

9814. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष रुरकेला इस्पात संयंत्र में 125 मेगावाट के 'केप्टिव थर्मल प्लान्ट' का पूर्ण उपयोग किया गया ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कारखाने में 5 जेनरेटर हैं, प्रत्येक की क्षमता 25 मेगावाट है जिनमें से एक जेनरेटर वक्त जरुरत काम में लाने के लिए है। बिजली पैदा करने के लिए भाप की उपलब्धि की कठिनाइयों तथा थोड़े समय के लिए हाट स्ट्रिप मिल तथा टेन्डम मिल की अधिकतम बिजली की मांग की पूर्ति करने की आवश्यकता को देखते हुए इनका यथासम्भव अधितकम उपयोग किया जा रहा है ।

प्रुफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल सेन्टर, बालासौर, उड़ीसा के अनुसन्धान और विकास यूनिट के लिये विकास कार्यक्रम

9815. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रूफ एण्ड एक्सपैरिमेन्टल सेन्टर, बालासौरल, उड़ीसा की अनुसंधान तथा विकास यूनिट के लिए कोई विकास कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या वहां सिविल पक्ष में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कोई समस्याएं थी ; यदि हां तो क्या उनका समाधान कर दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) बालासौर में प्रुफ एण्ड एक्सपैरिमेन्टल प्रतिष्ठान में इन्सट्रूमेन्टेशन सुविधाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है । फरासों के निर्माण के सम्बन्ध में समुद्र तट के लगभग 19 किलोमीटर तक वनरोपन के लिए अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ग) प्रूफ एण्ड एक्सपैरिमेन्टल प्रतिष्ठान में कुछ असन्तोष था । सम्बन्धीत समस्याओं पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात-चीत की गई है और आमतौर से उन्हें हल कर दिया गया है ।

मौलाना आजाद कालेज, नई दिल्ली के प्लास्टिक यूनिट को मान्यता

9816. श्री भारत सिंह चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री मौलाना आजाद कालेज के प्लास्टिक यूनिट को मान्यता देने के बारे में 21 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4038 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौलाना आजाद कालेज के निदेशक प्रिंसिपाल ने भारतीय चिकित्सा परिषद् के द्वारा दिल्ली के ऐसे महत्वपूर्ण तथा पुराने स्वास्थ्य संस्थान में एम सी एच पाठ्यक्रम के लिए बर्न एण्ड प्लास्टिक यूनिट को मान्यता देने हेतु अपेक्षित आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए वर्ष 1972 से अब तक क्या प्रयास किए हैं तथा क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में तुरन्तगामी तथा भविष्यगामी योजनाएं क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जले हुए व्यक्तियों के उपचार के लिए 25 पलंगों वाले एक वार्ड की व्यवस्था कर के एम० सी०-एच० (प्लास्टिक सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र खोला गया है। दूसरी प्रकार की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है।

(ख) इस बारे में कोई तात्कालिक तथा भावी योजनाएं नहीं है।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा कोयले के उत्पादन के गडबड़ी

9817. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री 6 मार्च, 1973 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने वाले 28 फरवरी, 1974 को सभा-पटल पर रखे गए विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दबाव से छिहत्तर हजार रुपये निकलवाने के लिए उत्तरदायी ठेकेदार कौन है और क्या उनके विरुद्ध कोई अन्तिम कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या कोयला खान प्राधिकरण ने इन ठेकेदारों को फिर ठेके दे दिए हैं और वे अभी भी पैसा बना रहे हैं तथा कोयले के उत्पादन और वितरण में गड़बड़ी डाल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काहिरा में केवल भारतीय राजनयिकों के लिये क्लब

9818. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 13 अप्रैल, 1974 के दैनिक समाचार पत्र में "ए चोजन रेस" शीर्षक से प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि काहिरा मे भारतीय दूतावास ने केवल भारतीय राजनयिकों के लिए ही एक क्लब बनाया हुआ है जिसमें सामाजिक समारोहों में भी अन्य भारतीयों को आमन्त्रित नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या 15 अगस्त को भी समारोह में भाग लेने के लिए अन्य भारतीयों को आमन्त्रित नहीं किया गया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार का ध्यान ऐसे लेख की ओर दिलाया गया है। कुछ अन्य भारतीय मिशनों की तरह काहिरा में भी राजदूतावास के सदस्यों के लिए सरकार की कल्याण योजना के अधीन एक आमोद-प्रमोद क्लब स्थापित किया गया है। लेकिन, जैसा कि कहा गया

है, वह क्लब मात्र राजनयिकों के लिए ही नहीं है बल्कि उसमें सभी वर्गों के कर्मचारी और उनके परिवार भी जा सकते हैं। अन्य भारतीयों को भी क्लब द्वारा आयोजित विशेष समारोहों में मुक्त रूप से निमंत्रित किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जे० सी० बी० प्रेस की रीडिंग ब्रांच के कर्मचारियों के वेतन-मानों में विषमता

9819. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० सी० बी० प्रेस की रीडिंग ब्रांच के कर्मचारियों तथा भारत सरकार मुद्रणालय के समकक्ष कर्मचारियों के वेतन-मानों में विषमता है ;

(ख) क्या इन दोनों मुद्रणालयों में इन पदों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें तथा अर्हताएं भिन्न हैं अथवा समान है ;

(ग) उक्त विषमता का क्या औचित्य हैं ;

(घ) क्या जे० सी० बी० प्रैस की रिडिंग ब्रांच के कर्मचारियों ने मंत्रालय के अधिकारियों को एक ज्ञापन पेश किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस विषमता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जबकि जे० सी० बी० प्रैस में कर्मचारियों की जिम्मेवारी अधिक है और उन्हें अत्यधिक गोपनीयता भी बनाये रखनी पड़ती है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) जी हां श्रीमन। यद्यपि दोनों ही मुद्रणालयों में पदों के लिए भर्ती योजनाएं एक सी हैं, सेवा शर्तें भिन्न हैं। भारत सरकार मुद्रणालय के रीडिंग ब्रांच के कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी हैं जो कि फैक्टरी एक्ट से नियंत्रित होते है, जबकि जे० सी० बी० मुद्रणालय के गैर औद्योगिक कर्मचारी हैं।

(घ) तथा (ड) जी हां, श्रीमन। वेतन-मानों में असमानता को दूर करने का प्रश्न विचाराधीन है।

1974 की पहली तिमाही में दिल्ली में चेचक के मामले

9820. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 की पहली तिमाही के दौरान दिल्ली में चेचक के कितने मामलों की सूचना मिली थी और इन आंकड़ों की स्थिति दिल्ली में 1973 की उसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसी है ;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चेचक के विरुद्ध टीके लगाए जाने का भारी अभियान चला रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जनवरी से मार्च 1974 की पहली तिमाही के बीच दिल्ली में चेचक के कारण 85 घटनाएं और 17 मौतें सूचित की गई जब कि 1973 की इस अवधि में 54 घटनाएं और 15 मौतें हुई थीं।

(ख) जी हां।

(ग) चेचक के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उस की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) 8 से 18 अप्रैल, 1974 के बीच सारी दिल्ली में सभी स्वास्थ्य कर्मचारीयों को लगाकर और घर-घर जा कर चेचक के रोगियों की खोज करने का काम किया गया ।

(2) 18 मार्च से 18 अप्रैल, 1974 के बीच टीका लगाने वालों के साथ-साथ सभी मलेरिया निगरानी कर्मचारियों को लगा कर जिन क्षेत्रों में रोग आसानी से फैल जाता है वहां टीका अभियान भी चला दिया गया । प्राथमिक टीके और समय-समय पर दुबारा टीके लगाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।

(3) चेचक की घटनाओं की सूचना मिलते ही इसके संक्रमण के स्रोतों का पता लगाने और रोकथाम के उपाय बरतने तथा महामारी सम्बन्धी जांच पड़ताल करने के लिए उस क्षेत्र का तुरन्त दौरा किया जाता है ।

(4) रिपोर्ट करने की कार्यविधि में सुधार कर दिया गया है और महामारी की साप्ताहिक रिपोर्टों आदि को भेजने के लिए आवश्यक प्रपत्र निर्धारित कर दिए गए हैं ।

(5) सम्बन्धित प्राधिकारियों की स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार सामग्री पर्याप्त मात्रा में सुलभ कर दी गई है । आकाशवाणी (विविध भारती, दिल्ली) से एक घोषणा भी प्रसारित की जा रही है जिस में लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे चेचक के प्रत्येक संदिग्ध रोगी की सूचना निकटतम स्वास्थ्य प्राधिकारी को दें तथा चेचक का टिका भी लगावा लें ।

(6) दिल्ली नगर निगम की मात्रा चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए एक गाड़ी और नौ आटो-साइकल दे दिए गए हैं ।

बम्बई में मिलावटी शीतल पेय पीने के बाद बीमार हुए व्यक्ति

9821. श्री सतपाल कपूर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 14 अप्रैल, 1974 को बम्बई में मिलावटी शीतल पेय पीने के बाद 150 व्यक्ति बीमार हो गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) मिलावटी पेय बेचने के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) उक्त पेय का निर्माण करने वाले व्यक्तियों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : जी हां, 12 अप्रैल' 1974 को सादा पेय पीने से लगभग 200 व्यक्ति बीमार पड़े ।

(ख) और (ग) खाद्य एवं औषध प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस के सहयोग से रोगियों का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं । सादे पेय, उनमें प्रयुक्त रंगों और प्रभावित व्यक्तियों की उलटी के नमूने विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं । दोषमुक्त सभी वस्तुएं जब्त कर ली गई है । प्रोप्राइटर ने जो रंग खरीदा था, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है । नगर निगम से कहा गया है कि वह जांच पडताल पूरी होने तक वह या तो लाइसेन्स रद्द कर दें या कम से कम उन्हें निलम्बित कर दे । प्रोप्राइटर और मैनेजर को गिरफ्तार कर दिया गया है ।

(घ) मैसर्स न्यू फाइन कोल्ड ड्रिंक्स डेपो, 104 मथार पखाडी रोड, बम्बई-10 ।

भुरकुंडा कोलियरी, हजारी बाग के नैमित्तिक कामगारों को नियमित करना

9822. श्री मधु दण्डवते : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भुरकुंडा कोलियरी, हजारी बाग (बिहार) के नैमित्तिक कामगारों के नियमित करने के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो कोयला खानों में नैमित्तिक श्रमिक न रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट के अनुसार उनकी सेवा शर्तों का नियेमन और भुगतान किस प्रकार किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Adoption of Official Language of India in International Agencies of U.N.

9823. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the official language of India has already been recognised in the UNESCO;

(b) whether it is being adopted as an official and working language in other specialised agencies of U.N.; and

(c) the steps being taken to popularise this widely spoken language in international agencies?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Hindi has been recognised as one of the official languages of the General Conference of UNESCO. It is not, however, one of the working languages of UNESCO, which are English, French, Russian, Spanish and Arabic.

(b) No, Sir.

(c) Any addition to the list of official and working languages the U.N. or its specialised agencies requires an amendment of the relevant rules of procedure supported by a majority of the members. Under the circumstances, it is not considered opportune to take up the question of adoption of Hindi as the official and working language in other specialised agencies of U.N.

भूतपूर्व पूर्व बंगाल से आये नये प्रवासी परिवारों को ऋण देने के लिये मेघालय राज्य को ऋण

9824. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व पूर्व बंगाल के नए प्रवासी परिवारों को व्यवसाय तथा मकान के लिए ऋण देने के लिए मेघालय राज्य को ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने ऋण की व्यवस्था की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) 7,84,200/- रुपये ।

Bokaro Steel Plant working disrupted

9825. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether certain disputes between the officers and technical experts of the Bokaro Steel Plant have caused delay in and disruption of the working of the plant;

(b) whether information to this effect had been conveyed to the Prime Minister by a senior officer of the plant; and

(c) if so, the facts thereof and Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) No, Sir.

(b) and (c) We have no information.

मंगोलिया शिष्ट मंडल द्वारा भारत यात्रा

9826. **श्री वनमाली बाबू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल में भारत की यात्रा करने वाले मंगोलियन शिष्ट मंडल ने भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) द्विपक्षी सम्बन्धों पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में समान हित के मामलों पर बिचार-विमर्श हुआ। इस बातचीत में यह प्रकट हुआ है कि जिन बहुत से मामलों पर विचार-विनिमय हुआ उनके बारे में दोनों के विचार एक से हैं अथवा उनमें बहुत समानता है।

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड में बने उत्पादों का परिवहन व्यय

9827. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लैटैक्स लिमिटेड में बने उत्पादों का परिवहन व्यय कच्चे लैटैक्स के परिवहन व्यय का 10 गुना है ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के निदेशक मण्डल के दो सदस्यों ने भावी "निरोध" कारखानों को विभिन्न स्थानों पर लगाने की सिफारिश की है और दिल्ली से इसका मुख्यालय हटाने का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के तैयार उत्पादों का परिवहन व्यय कच्चे लैटेक्स के परिवहन व्यय का करीब पांच से छः गुना है।

(ख) और (ग) निरोध फैक्टरियां विभिन्न स्थानों पर लगाने के बारे में सरकार ने स्वयं निर्णय किया था। यद्यपि बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श के दौरान दो निदेशक हिन्दुस्तान लैटैक्स लिमिटेड के मुख्यालय को त्रिवेन्द्रम ले जाने के पक्ष में नहीं थे तथापि अन्ततः बोर्ड ने मुख्यालय को दिल्ली से त्रिवेन्द्रम ले जाने का निर्णय सर्व सम्मति से किया था।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

न्यू फ्रेंड्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली के चेअरमैन द्वारा दिल्ली के उप-राज्यपाल को लिखे गये पत्र में संसद पर कथित आक्षेप

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): With your permission, Sir, I want to raise the question of privilege against Shri Jagjit Singh, Chairman New Friends Co-operative House Building Society. I have a photostat copy of his letter dated the 7th May, 1974 with me, addressed to the Lt. Governor, Delhi, which reads as follows :—

"Respected Sir,

As desired, I have succeeded in passing a resolution in the Commitee Meeting on 29th April, 1974. Luckily only one, out of three from other side attended. He raised certain objections which were over ruled by me. His main objection was that Lt. Governor and Managing Committee have no moral authority to have any further hold on the Society.

I have assessed the situation and feel it will not be possible for me and the Committee to stand the opposition in view of the Court's attitude and its further exploitation in Parliament and paper unlessfull support from Police and Registrar Societies is afforded much more than ever. The new 60 members can remain in if I am there.

Since you are busy due to riots in the city, I will give the notice in newspapers only when I get given signal. It is good that Parliament closes on or before 13-5-1974.

I am trying to get the original letter of Mrs. Masani and hope to succeed. I am on the job.

With kind regards.

Yours respectfully,

Sd/-

(Jagjit Singh)

Mr. Speaker Sir, I have never been the object of the Hon'ble Members to exploit the situation, as alleged in Shri Jagjit Singh's letter referred to above. We only wanted to bring the facts before the House and before the public, which is our duty. Our allegation is that Shri Jagjit Singh is in connivance with the Lt. Governor and he wants to conceal his black deeds with the help of the police. He is eager to see that Parliament's session should be over at the earliest. In my opinion these two sentences "exploitation in Parliament" and "It is good that Parliament closes on or before 13th May, 1974" are most objection and amounts to casting allegations on the Supreme Legislative body of the country. It is a breach of privileges, rights and dignity of the Parliament.

Shri Jagjit Singh is awaiting the adjournment of Parliament, so that he may succeed in achieving his objective. He has also referred to the motive of the hon'ble Members. So my submission is that the whole matter be referred to the Privileges Committee.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस पत्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस में श्री जगजीत सिंह ने उपराज्यपाल को लिखा है, "मैं श्रीमती मसानी के मूल पत्रको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं और आशा है कि मैं इस कार्य में सफल हो जाउंगा। मैं इस कार्य में प्रयत्नशील हूं।"

श्रीमती मसानी के पत्र की प्रति मेरे पास है। इस पत्र के द्वारा उसने श्रीमती शकुन्तला मसानी का आवेदन पत्र आवश्यक कार्यवाही के लिये श्री जगजीत सिंह को भेजा था। मेरे पास उस चैक की भी एक फोटोस्टेट कॉपी है, जो शुल्क के रूप में दिया गया था। मैं इन दोनों दस्तावेजों को सभा पटल पर रखना* चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इन की जांच करें और एक वक्तव्य देकर यह बात स्पष्ट करें कि उपराज्यपाल तथा सम्बन्धित अधिकारियों को, जिन्होंने इस घृणित मामलों में षड़यंत्र रचा था, नौकरी से निलम्बित कर दिया जायेगा तथा तबतक आगे कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, आप की अनुमति से, मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : मैं चाहता हूं कि अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जाये। परन्तु इस मामले में विशेषाधिकार समिति को सौंपने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहते हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा मामला है जिस में दो व्यक्ति के बीच हुए पत्र व्यवहार की किसी तरह जनता को सूचना मिल गई है। मैं समझता हूं कि किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखे गये वैयक्तिक पत्र के बारे में तथ्यों को पता लगाने का कार्य विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जाना चाहिये, अपितु इस जांच के लिये संसद् को एक तदर्थ समिति को सौंपा जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee: This matter has two aspects—one is relating to the land grab. That is a separate issue. The point at issue is the letter written by Shri Jagjit Singh, in which he has made certain remarks about Parliament which amount to the breach of privileges of the Parliament and as such the matter can be referred to the Privileges Committee to see whether it is a breach of Privileges or not?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक जांच का सवाल है, यह मामला पहले ही न्यायालय में हैं। परन्तु वह कहां से यह पत्र लाये हैं। इस पत्र का पहले भी उल्लेख किया गया था। इस पत्र में सोसाइटी के चेयरमैन ने 'संसद द्वारा शोषण' शब्दों का उल्लेख किया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस विशेष मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिये सभा की अनुमति चाहते हैं। मुझे श्री वाजपेयी द्वारा सभा की अनुमति मांगने पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यह पत्र श्री जगजीत सिंह द्वारा लिखा गया बताया जाता है। पहले हमें इस बात का पता लगाना चाहिये कि यह पत्र वास्तव में श्री जगजीत सिंह ने लिखा है अथवा नहीं, क्योंकि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बाद यदि यह पता चलता है कि यह पत्र श्री जगजीत सिंह ने नहीं लिखा था, तो सारी जांच बेकार हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिये कि यह पत्र प्रमाणित है अथवा नहीं। क्या मैं इस मामले को गृह मंत्री को भेज दूं?

---

*दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखा गया।

*The documents were not laid on the Table.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री को नहीं, क्यों कि इस में गृह सचिव शामिल हैं। आप इस के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त कर दीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संसदीय समिति नियुक्त करना बेहतर होगा, ताकि सचाई सामने आजाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जैसा कि माननीय सदस्य श्री मुकर्जी ने कहा है विचार करने की मुख्य बात यह है कि क्या दो व्यक्तियों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार, जिसे सार्वजनिक दस्तावेज भी नहीं माना जाना चाहिये, विशेषाधिकार के उल्लंघन का आधार माना जा सकता है। यदि यह सरकारी पत्र व्यवहार भी हो, तो क्या हम इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन मान सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रो० एच० एन० मुकर्जी और श्री श्यामनन्दन मिश्र के मत से सहमत हूं। हमें इस पत्र की प्रमाणिकता का पता लगाने का प्रयास करना चाहिये। आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिये। मैं कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा जिस से इस पत्र की प्रमाणिकता का पता लग जाय। श्री वाजपेयी ने भी कल मुझ से कहा था कि उन्हें ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have no objection in case you take this responsibility upon yourself, but it will be better to refer the matter to Privileges Committee. The Government also have no objection in it. The authenticity of the letter can be examined in the Committee.

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा, और इलैक्ट्रानिक्स तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमें कोई आपत्ति नहीं है।

Mr. Speaker : I will not treat it as a precedent. I am treating it as a special case. Privileges Committee is already there. Let them judge it. And you ask for leave.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I beg the leave of the House to raise this matter.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

जो सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, वे कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : इतने अधिक माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं। मैंने ऐसा दृश्य बहुत कम देखा है। अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य प्रस्ताव पेश करें। हमें प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Under rule 226, I move the motion that the question of privilege of the House against Shri Jagjit Singh, Chairman of the New Friends Cooperative House Building Society, be referred to the Committee of Privileges for investigation, with instructions to report by the first day of the next session.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि न्यू फ्रेंड्ज कोओप्रेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के चेयरमैन श्री जगजीत सिंह के विरुद्ध इस सदन की मानहानि का मामला विशेषाधिकार समिति को, इस निदेश के साथ कि वह आगामी सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, जांच के लिये सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सेलम स्टील लिमिटेड, सेलम के 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुई अवधि के कार्य की समिक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्री (श्री केशव देव मालवीय) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सेलम स्टील लिमिटेड, सेलम के 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुई अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेलम स्टील लिमिटेड, सेलम का 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुई अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। **[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० –6955/74]**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : समीक्षा तथा प्रतिवेदन 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि से सम्बन्धित ह। आज 9 मई, 1974 है। अत: सभा पटल पर इन दस्तावेजों को रखने में बहुत विलम्ब हुआ है। विलम्ब के कोई कारण नहीं बताये गये हैं।

श्री केशव देव मालवीय : यदि इस मामले में कोई विलम्ब हुआ है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, तो मैं जांच करूंगा और अवश्य उन्हें सूचित करूंगा।

गुजरात नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिबंध) अधिनियम के अन्तर्गत गुजरात राज्य के आदेश

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रमाण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :–

(1) श्री जन कल्याण कोआपरेटिव, हाउसिंग सोसाइटी, जूनागढ़ के मामले में दिनांक 6 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/2373/10537/पांच।

(2) तेंडलजा तालुक बड़ौदा के सर्वश्री दालाभाई पंजाभाई और शिव भाई हीराभाई के मामले में दिनांक 7 नवम्बर, 1973 का आदेश सं० वी० सी० टी०/1773/154495/पांच।

(3) दीपकुंज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 8 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1773/85510/पांच।

(4) किस्मत कालौनी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 20 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1773/91320/पांच।

(5) वागोडिया तालूक, जिला बड़ौदा की श्री जीनगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जारोडा के मामले में दिनांक 22 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1773/101695/पांच ।

(6) योगेश्वर कृपा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, के मामले में दिनांक 26 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1773/97207/पांच ।

(7) श्री जादव दुडा के मामले में दिनांक 29 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०–2873/102093/पांच ।

(8) चन्द्रमा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मामले में दिनांक 29 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०–1473/85910/पांच ।

(9) दिव्य वसुन्धरा फाइनैनशियल कोआपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०–3072/62848/पांच ।

(10) राज राजेश्वरी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 3 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०–1473/88065/पांच ।

(11) श्री नटवर लाल गुलाबभाई के मामले में दिनांक 14 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०–3073/77198/पांच ।

(12) अहमदाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन स्टाफ कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 18 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०–1473/17611/पांच ।

(13) श्री गनपतसींह जयसिंह भाई के मामले में दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/3073/61192/पांच ।

(14) सर्वश्री नटवर लाल मुन्नुभाई के मामले में दिनांक 18 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/3073/84212/पांच ।

(15) गोवनभाई की विधवा श्रीमती भिखीबेन के मामले में दिनांक 18 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/3073/95689/पांच ।

(16) श्री जगुभाई गोबिन्दजी पटेल तथा अन्यों के मामले में दिनांक 19 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/3073/101699/पांच ।

(17) जोधपुर कुंज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर, टेकरा, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 20 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1472/91497/पांच ।

(18) न्यू अशियाना कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1472/154544/पांच ।

(19) कानन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1473/75123/पांच ।

(20) श्री कच्छ गुर्जर क्षेत्रीय सेवा समाज, बड़ौदा के मामले में दिनांक 1 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1773/75875/पांच ।

(21) श्रीमती उदीबा मोहनलाल ब्रह्मभट्ट के मामले में दिनांक 22 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1473/60737/पांच।

(22) कालोल के मदर डोलोरेस सेक्वीरा के मामले में दिनांक 25 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/2673/131678/पांच।

(23) श्री रामकृष्ण सेवामंडल आनन्द के मामले में दिनांक 30 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/2473/131690/पांच।

(24) सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी कर्मचारी कोआपरेटिव हाउसिंग लिमिटेड, राजकोट के मामले में दिनांक 7 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/2873/75784/पांच।

(25) श्री छगनभाई माधवभाई पटनवाडिया के मामले में दिनांक 8 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1773/131706/पांच।

(26) अमरकुंज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (प्रस्तावित) काबिलपुर के मामले में दिनांक 8 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/2073/खा-3836/पांच।

(27) प्राज्ञा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, भावनगर के मामले में दिनांक 8 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/1873/5417/पांच।

(28) जयमहालक्ष्मी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 8 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/3073/77528/पांच।

(29) भवभव कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नडियाड के मामले में दिनांक 8 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 2473/40396/पांच।

(30) श्रीनाथ पार्क कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लिमिटेड के मामले में दिनांक 8 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 1472/22518/पांच।

(31) फरटिलाइजर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (प्रस्तावित), बड़ौदा के मामले में दिनांक 11 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 1773/87631/पांच।

(32) वधवन के दलबादी मोहर कुबेर के मामले में दिनांक 11 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 3173/86453/पांच।

(33) लक्ष्मीनारायण कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लिमिटेड, बडोदा के मामले में दिनांक 11 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 1773/93648/पांच।

(34) गांधी स्मृति कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 11 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 1473/एम/9290/पांच।

(35) निगम कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 11 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 1473/85196/पांच।

(36) गांधी पार्क कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नडियाड के मामले में दिनांक 18 मार्च, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/2473/10949/पांच।

(37) क्राइस्ट फोक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, खोकराम, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 20 मार्च, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1472/38130-सी ।

(38) हैदरनगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, वेजालपुर के मामले में दिनांक 22 मार्च, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1473/81440-पांच ।

(39) नगीनभाई गोकलभाई देसाई, नडियाँड के मामले में दिनांक 2 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-2474/5739-पांच ।

(40) नसीब अपार्टमेन्टस कोआपरटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, छड़वाड़, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 2 अप्रैल, 1974 का आदश संख्या वी सी टी-1473/8520-पांच ।

(41) जीवनस्मृति कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सूरत के मामले में दिनांक 2 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-3073/95698-पांच ।

(42) महेन्द्रकुमार तथा अन्यों के मामले में दिनांक 3 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1473/14461-पांच ।

(43) सैयदवाड़ा, खानपुर, अहमदाबाद के मखदूमली करमतअली सईद के मामले में दिनांक 3 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1473/139695-पांच ।

(44) श्रीमती दौलतबेन सोमासिंह राठौर के मामले में दिनांक 9 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1773/65343-पांच ।

(45) भव कुंज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (प्रस्तावित), अहमदाबाद के मामले में दिनांक 9 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1473/61066-पांच ।

(46) श्री छोटालाला मुडस की विधवा बाई मनी तथा अन्य के मामले में दिनांक 3 अप्रल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1470/89032-पांच ।

(47) जोइतराम लखुभाई कम्पनी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 14 मार्च, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर-672 ।

(48) रूपमलाइन एन्टरप्राइस, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 13 मार्च, 1974 की आदेश संख्या वी सी टी/ एस आर/29/73 ।

(49) वी० के० वी० एक्सट्रैक्शन इन्डस्ट्रीज के मामले में दिनांक 5 मार्च, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/2974-5418-पांच ।

(50) डिवाइन चीफ सेवा केन्द्र, प्रताप नगर, बड़ौदा के मामले में दिनांक 28 मार्च, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर 90/73 ।

(दो) (क) उपर्युक्त आदेशों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब; और

(ख) उनके हिन्दी संस्करण को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-6956/74]**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 तथा गुजरात विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 201 (ङ) हे सा० सां० नि० 207 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मई, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6957/74]**

(2) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 86 की उपधारा (पांच) के अन्तर्गत गुजरात विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 252) जी–एस–आर 1074 (12)–टी एच में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6958/74]

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क का उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लैटैक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सभापटल पर रखता। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–6959/74]**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह भी वैसा ही मामला है। इस में भी पत्रों को सभा पटल पर रखने में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है।

श्री कर्ण सिंह : प्रतिवेदन में विलम्ब हुआ है। मैंने हिन्दुस्तान लैटक्स लिमिटेड को अनुदेश दे दिये हैं कि वह भविष्य उसी तिथि वर्ष में प्रतिवेदन दें, जिस से वह सम्बन्धित है।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती का 1972–73; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के वर्ष 1972 तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची में वर्ष 1972–73 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती (मैसूर राज्य) के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैसूर आयरन एंड स्टील लिमिटेड, भद्रावती (मैसूर राज्य) का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 6960/74]**

(2) (एक) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के वर्ष 1972 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद का वर्ष 1972 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6961/74]**

(3) (एक) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6962/74]**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां भी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वर्ष 1972 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा 4 मई, 1974 को सभापटल पर रखी जा रही है। अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद विलम्ब के कारण नहीं बताए गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं हुआ है और विलम्ब के कारण भी नहीं बताए गए हैं ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : इस सम्बन्ध में गत सत्र के अन्तिम दिन सुझाव दिया गया है कि सभापटल पर रखे जाने वाले सब पत्रों की जांच करने हेतु, एक अलग संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए जहां कहीं, इस सम्बन्ध में, विलम्ब हुआ हो तो उस की जांच की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । भविष्य में मंत्री महोदय को सतर्क रहना चाहिए ।

बम्बई मोटर गाडी कर अधिनियम, 1958 और बम्बई मोटर गाडी (गुजरात संशोधन), 1974 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं, 1. (एक) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनाक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मोटरगाड़ी कर अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :

(क) अधिसूचना संख्या जी एच /जी/73/62/एम टी ए-7568/144/ (i) ई, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 12 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) अधिसूचना संख्या जी एच जी /322 /एम टी ए/1773/7052/ई जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6963/74]

2. (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बम्बई मोटरगाड़ी (गुजरात) (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 26 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या जी/जी/74/73/एम० वी डी 1673-282/ई में प्रकाशित हुए ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6964/74]

माझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन और उनपर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत माझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6965/74]**

औद्योगिक विवाद (गुजरात) (पहला संशोधन) नियम, 1974

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (3) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा 4 के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (गुजरात) (पहला संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 2 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या के एच-एस एच-88/आई डी ए-1172-84306- जे एच में प्रकाशित हुए । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6966/74]**

राज्य सभा से सन्देश
MASSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन् मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सूचनाओं की सूचना देता हूं :--

(एक) कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1974 की अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति हुई कि वह लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित करने हेतु 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करे और उसने उक्त समिति में निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी :—

(1) श्रीमती प्रतिभा सिंह

(2) श्री जी० आर० पाटिल

(3) श्री वी० बी० राजू

(4) श्री मुहम्मद उस्मान आरिफ

(5) श्री टी० एन० सिंह

(6) श्री शशांक शेखर सान्याल

(7) श्री ए० के० ए० अब्दुल समद

(दो) कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1974 की अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि वह लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सहयोजित करने हेतु 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करे और उसने उक्त समिति में निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों की नामों की सूचना भी दी :—

(1) पंडित भवानी प्रसाद तिवारी

(2) श्रीमती पूर्वी मुखोपाध्याय

(3) श्री एच० एम० त्रिवेदी

(4) श्री हर्ष देव मालवीय

(5) श्री एस० एस० मरिस्वामी

(6) श्री जगदीश प्रसाद माथुर

(7) श्री एस० जी० सरदेसाई

(तीन) कि राज्य सभा 3 मई, 1974 की अपनी बठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि वह सवश्री एस० ए० खाजा मोहिद्दीन और संदा नारायणप्पा की राज्य सभा से निवृत्ति के कारण लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के दो सदस्य नियुक्त करें और उसने उक्त संयक्त समिति में निर्वाचित हुए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी:—

(1) श्री एन० एम० काम्ले

(2) श्री ए० के० रिफाय

(चार) कि राज्य सभा 8 मई, 1974 की अपनी बठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि वह सर्वश्री महावीर दास, रतन लाल जैन, श्याम धर मिश्र और पाटिल पुट्टप्पा की राज्य सभा से निवृत्ति के कारण राष्ट्रीय पुस्तकालय विधयक, 1972 संबंधी संयुक्त समिति में हुए रिक्त स्थानों पर राज्य सभा के चार सदस्य नियुक्त करें और उसने उक्त संयुक्त समिति में रिक्त स्थानों को भरने हेतु नियुक्त किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी :—

(1) श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी

(2) श्री श्यामलाल गुप्त

(3) श्री शाहवालेस के० शिला

(4) डॉ० रामकृपाल सिन्हा

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTING OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों की अनुपस्थिती सम्बधी समिती ने अपने 15वें प्रतिवेदन में सिफारीश की है कि निम्न लिखित सदस्यों को निर्धारित अवधि के लिए सभा की बठकों से अनुपस्थिति की की अनुमति दी जाय:

(1) श्री वी० के० कृष्ण मेनन।

(2) श्री नाथूराम मिर्धा।

क्या सभा इन सदस्यों को अनुमति प्रदान करना चाहती है ?

माननीय सदस्य गण : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

राष्टपति क़े चुनाव कें बारे में विशेष रूप सें सौंपे गयें मामलें में भारत के उच्चतम न्यायालय सें अध्यक्ष को प्राप्त नोटिस
SUPREME COURT NOTICE TO THE SPEAKER IN THE MATTER OF SPECIAL REFERENCE RE. PRESIDENTIAL ELECTION

अध्यक्ष महोदय : मैंने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत विशेष रूप से सौंपे गये मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त नोटिस के बारे में सभा को सचित किया और बताया कि उन्होंने मामले को सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के समक्ष परामर्श के लिए रखा था। समिति ने परामर्श दिया कि न तो लोकसभा को और न ही अध्यक्ष को इस मामले में उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस संबंध में महान्यायवादी को अपनी सही भूमिका निभानी चाहिये और न्यायालय को सलाह देनी चाहिये कि विधान मंडल के प्रीसाइडिंग अधिकारी के मामले में ऐसा नहीं होता। इस प्रश्न पर विचार करना है कि अवसर पर महान्यायवादी ने क्या किया और विधि मंत्री ने इस बारे में सभा को सूचित करने का वचन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : समिति ने केवल उसी मामले पर विचार किया है जिसमें कि अध्यक्ष न्यायालय को अपना मत देता है। मैं रिकार्ड देखूंगा कि उस समय विधि मंत्री ने क्या कहा था। क्योंकि यह मुझे उच्चतम न्यायालय से सीधे प्राप्त हुआ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : इससे पहले भी नोटिस जारी किए गए थे और कुछ राज्य विधान मंडल उच्चतम न्यायालय में उपस्थित हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : हमने समिति में इस मामले पर विचार किया था और यह उचित समझा कि हमें, अपना निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष तक ही सीमित रखना चाहिये। मैं यह निर्णय राज्य विधान मंडलों की उनकी सूचनार्थ भेज दूंगा। उच्चतम न्यायालय को तदनुसार सूचित कर दूंगा।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTING OF THE HOUSE

कार्यवाही सारांश

श्री एस० सी० सावन्त (तामलुक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 13 वीं से 15 वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभापटल पर रखता हूं ।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा): मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

भारत की संसद् और कुछ विदेशी संसदो के सदस्यों के वेतनों, भत्तों आदि के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SALARIES, ALLOWANCES, ETC. OF MEMBERS OF PARLIAMENT OF INDIA AND CERTAIN FOREIGN PARLIAMENTS

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगन्ज) : वक्तव्य देने से पहले मैं आपका ध्यान इस मद में हुई गलती की ओर दिलाना चाहता हूँ ।

कहा गया है कि यह वक्तव्य मैं स्वयं दे रहा हूं । इस वक्तव्य को संसद् सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी समिति द्वारा पारित किया गया था । मैंने यह वक्तव्य समिति के चैयरमैन की हैसियत से समिति की ओर से दिया था, सदस्य की हैसियत से नहीं । मद में कहा गया है : सदस्य द्वारा वक्तव्य । इसे इस प्रकार होना चाहिये : "संसद् सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी समति के चैयरमैन द्वारा वक्तव्य ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी चिन्ता न करें । यह सदैव चैयरमैन के नाम में होता है। आप चाहे इसे पढ़ दीजिए या सभा पटल पर रख दीजिए ।

संसद् सदस्यों के वेतनों और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सभापति द्वारा 9 मई, 1974 को लोक सभा में दिया गया वक्तव्य

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : अतीत में कई बार समाचारपत्रों में संसद् सदस्यों की परिलब्धियों आदि के बारे में समाचार प्रकाशित हुए हैं । इस प्रकार के समाचारों में दी गई सूचना को प्राय: बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है ।

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति ने तब से 22 देशों से उनकी संसद् के सदस्यों को प्राप्त वेतन तथा भत्तों और प्राप्त सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की है ।हमारी संसद् के एक सदस्य को 500 रुपए मासिक वेतन और समावधि तथा समावसान अवधि के दौरान संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिये 51 रुपए दैनिक भत्त

[श्री डी० एन० तिवारी]

मिलता है। ये दरें 1969 में निर्धारित की गई थीं। तब से जीवन निर्वाह लागत में लगभग 53 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 1969 में यह 173 था जोकि जनवरी, 1974 में बढ़कर 264 हो गया है। 1969 में आधार 100 था। एक संसद् सदस्य को 32 पैसे प्रति किलोमीटर परिवहन भत्ता मिलता है। यह दर 1954 में निर्धारित की गई थी। उसे विभिन्न सेवाओं, जैसे आवास, फर्नीचर, बिजली, पानी तथा परिवहन आदि के लिए भी पैसा देना पड़ता है।

हमारे संसद सदस्य दुरस्थ स्थानों से आते हैं और उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रायः दौरा करना पड़ता है। अपितु, उन्हें नये निर्वाचन क्षत्रों से दिल्ली आने वाले लोगों की देखभाल भी करनी पड़ती है। उन्हें दिल्ली में उनके खानपान व ठहरने के इन्तजाम पर भी खर्च करना पड़ता है और उन्हें अधिक दूरी वाले स्थानों तक टेलीफोन करने के लिये अपने टेलीफोन का इस्तेमाल करने देना होता है। इन सब बात से उन पर भारी वित्तीय भार पड़ता है।

कई संसद् सदस्यों को तीन आवास स्थानों का रख रखाव करना पड़ता है। एक उसके शरह/गांव, दूसरा उसके निर्वाचन क्षेत्र और तीसरा दिल्ली में। दो आवास स्थानों का तो हम सबको ही रखरखाव करना पड़ता है। इससे संसद् सदस्यों पर अतिरिक्त भार पड़ता है।

इसके अतिरिक्त भारत में संसद् सदस्यों को अपनी संसदीय जिम्मेदारियां निभाने के लिये डाक खर्च एवं सचिवीय सहायता पर भारी धन व्यय करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अभी डाक-तार तथा सचिवीय सहायता सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जबकि कुछ देशों में संसद् सदस्यों को ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। उपरोक्त 22 देशों के संसद् सदस्यों में से अधिकांश को पेंशन मिलती है किन्तु, हमारे देश के संसद सदस्यों को यह सुविधा भी प्राप्त नहीं है ?

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : इस संसदीय समिति ने कई सिफारिशें की हैं। लोकसभा द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार इस समिति ने अप्रैल, 1973 में 13 सर्वसम्मत सिफारिशें की थीं। पता नहीं सरकार उनका क्या कर रही है। यह भी पता नहीं सरकार ने उनपर विचार कर के किन-किन को कार्यान्वित किया है। इन सिफारिशों के पेश किए एक वर्ष हो गया है किन्तु सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार कोई आदर नहीं देती। मैं इस समिति के सभापति से जानना चाहता हूं कि एक वर्ष पूर्व की गई सिफारिशों के प्रति सरकार का क्या रुख है ?

श्री डी० एन० तिवारी : संसद् कार्य मंत्री ने मुझे बताया है कि सरकार इन सभी मामलों पर विचार कर रही है।

संसद् कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं जिनपर अगले दिन विचार हुआ था। निःसंदेह इस बात में कोई दो मत नहीं है कि हम समिति का बहुत आदर करते हैं। किन्तु वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में इन सब बातों पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि लोगों में कुछ भ्रम पदा हो। फिर कुछ उचित कारण भी हो सकते हैं। इन सब पहलुओं पर बड़े ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। मैंने समिति को बताया भी था कि मैं इन सब मामलों पर विचार कर रहा हूं जैसे भी संभव होगा सभापति के साथ बैठ कर इन सभी मामलों पर विचार किया जायेगा। समिति इस प्रक्रिया से सहमत भी है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : संसदीय समिति लघु संसद् के समान होती है और जो कुछ निर्णय यह लेती है विशेषकर सर्वसम्मति, वह सरकार द्वारा छानबीन किए जाने का विषय नहीं करना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि यह चापलूसों की समिति है जिसके कोई अधिकार नहीं होते हैं। ऐसी समिति को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

ब्रिटेनिया बिस्कुट कंपनी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 631, दिनांक 10 अप्रैल, 1974 के उत्तरों के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBERS RE. ANSWER TO S.Q. NO. 631 DATED 10-4-74 ON BRITANIA BISCUITS CO.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री सुब्रह्मण्यम ने 10 अप्रैल, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 631 का उत्तर देते समय कहा था कि "यह सच है कि कम्पनी (ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी) ने अपने मद्रास कारखानों में लाइसेंस शुदा क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन किया है। उसकी ऐसी क्षमता का एक शिफ्ट में 1200 टन हैं। यदि यह भी माना जायें कि तीन पारियां हैं वे 3,000 टन से कुछ अधिक का उत्पादन कर सकते हैं।

यह बिलकुल गलत है। औद्योगिक लाइसेंस संख्या एल०/27(5)(1)/65—एल० आई० (1) दिनांक 15-1-1965 के अनुसार फैक्ट्री प्रतिवर्ष 1200 टन का उत्पादन कर सकती है। इस में एक शिफ्ट होने के की बात नहीं है।

अनुपूरक प्रश्न मैंने पूछा था कि क्या सरकार को मालूम है कि कम्पनी लाइसस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है तो मंत्री महोदय ने लगभग दो वर्ष पूर्व उत्तर दिया था कि यह हमारी जानकारी में उस समय आया था जब उन्होंने उत्पादन को नियमित करने की दर्खास्त दी थी।

इस बार में तथ्य यह है कि नवम्बर, 1970 में चार भारतीय बिस्कुट निर्माताओं ने संयुक्त रूप से प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन दिया था कि ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी, जोकि एक विदेशी एकाधिकार कम्पनी है, बहुत अधिक उत्पादन कर रही है। उसी दिन उन चार निर्माताओं ने औद्योगिक विकास मंत्री, कम्पनी कार्य मंत्री, एम० आर० टी० पी० सी० के चैयरमैन, औद्योगिक विकास मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार को वैसा ही अभ्यावेदन दिया।

सितम्बर, 1972 में पुनः एक भारतीय बिस्कुट निर्माता कम्पनी ने श्री सी० सुब्रह्मण्यम के पास एक अभ्यावेदन भेजा था और उसके बाद एक अभ्यावेदन नवम्बर, 1972 में भेजा था जिसमें ब्रिटेनिया कम्पनी द्वारा अवैध ढंग से किए गए विस्तार के बारे में सभी तथ्य तथा आंकड़े दिए थे।

यह केवल एक गलत वक्तव्य देने का ही मामला नहीं है बल्कि कई गलत बातें कह कर जानबूझकर सभा को गुमराह करने का मामला है।

मंत्री महोदय को सही स्थिति बतानी चाहिए और कम्पनी के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का संकेत देना चाहिए।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : माननीय सदस्य ने मैसर्स ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी की गतिविधियों के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 631 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में दिए गए मरे उत्तरों का उल्लेख किया है। उन्होंने दो बातों का उल्लेख किया है। पहले मैसर्स ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी की निर्धारित क्षमता और दूसरे वह तिथि जब सरकार को कम्पनी के अनधिकृत रूप से अपनी क्षमता के विस्तार के बारे में पता चला है।

[श्री सुब्रह्मण्यम]

जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मैसर्स ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी ने अपने मद्रास स्थित एकक में निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन किया है। अपने उत्तर में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि मैसर्स ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी को जितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दिया गया था, उसने उसकी अपेक्षा अधिक उत्पादन किया है। एक शिफ्ट के आधार पर 100-125 टन प्रति मास के लिये आवेदन पत्र दिया गया था। 1200 टन प्रतिवर्ष के लिये लाइसेंस जारी किया गया था। मैंने बताया था कि यदि हम इस बात पर विचार करें कि उन्हें तीन पारियों में उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है तो वे लगभग 3,000 टन उत्पादन कर सकते थे। उनका वर्तमान उत्पादन लगभग 9000 टन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि कम्पनी ने अपने निर्धारित क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन किया है? उन्होंने कहा है कि...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : अतः मैंने अत्यधिक उत्पादन की बात पर बल दिया है। मैंने यह भी कहा कि हम कम्पनी के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं।

जहाँ तक दूसरी बात का संबंध है मैंने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि मुझे ठीक तिथि याद नहीं है। मैंने अपनी स्मृति के आधार पर कहा था कि मैसर्स ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है। इस बात का पता मंत्रालय को एक या दो वर्ष पहले लगा था।

अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने सभा में स्पष्ट कर दिया था कि मैसर्स ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा क्षमता को नियमित करने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था और सरकार उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के उल्लंघन करने के बारे में की जाने वाली कार्यवाही पर विचार कर रही है।

इन परिस्थितियों में मंत्रालय की उपलब्ध जानकारी को छिपाने अथवा सभा को किसी तरह गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं की गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने फिर सभा को गुमराह किया है। पहले, अभ्यावेदन 1972 के बजाये 1970 में दिया गया था। लायसेंस कुल 200 टन प्रतिवर्ष के लिये दिए गए हैं। यहां फिर मंत्री महोदय ने सभा को गुमराह किया है**।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सब की अनुमति नहीं दूंगा। आप बैठ जायें। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

Shri Madhu Limaye: I have a point of order. Matter under direction 115 is raised when a Minister misleads the house. The member is given an opportunity to explain the position. It should be considered whether the Minister has corrected his statement? Nothing has been explained. It is a mockery of direction 115.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Who will decide that the hon. Minister has actually mislead the House? You should also see whether the reply given by the Minister was relevant or not.

Mr. Speaker: There is a procedure for that. I refer it under direction No. 115. The procedure cannot be changed so easily.

**पीठासीन अधिकारी के आदेश से कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम 198 के अन्तर्गत निम्न सदस्यों से मंत्रीपरिषद् में अविश्वास की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :—

1. श्री ज्योतिमय बसु
2. श्री दीनेन भट्टाचार्य
3. श्री अटल बिहारी बाजपेयी
4. श्री समर गुह
5. श्री इन्द्रजीत गुप्त
   श्री सी० क० चन्द्रप्पन
   श्री भोगेंद्र झा
   श्री रानेन सेन
6. श्री एस० एम० बनर्जी
7. श्री समर मुकर्जी
8. श्री श्याम नन्दन मिश्र
9. श्री मधु लिमये
10. श्री मधु दंडवते
11. श्री एच० एन० मुकर्जी

पहली सूचना ज्योतिर्मय बसु की है जो इस प्रकार है :

"यह सभा मंत्री परिषद् में अपने अविश्वास प्रकट करती हैं।"

क्योंकि वह रेलवे कर्मचारियों से बातचीत द्वारा समझौता नहीं कर सकी और उसका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं रहा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन् मैं अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे क्या कृपा कर के अपने स्थान पर खड़े होंगे ?

वे 50 से अधिक हैं अतः उसे उठाने की अनुमति दी जाती है । सरकार इस पर कब चर्चा चाहेगी ?

संसद्कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इस प्रस्ताव पर बहस आज ही समाप्त होन चाहिए, फिर चाहे उसमें कितना ही समय क्यों न लगे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक तुरन्त बुलाई जाए ।

———

लोक-सभा के वर्तमान सत्र की अवधि बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत

MOTION RE. EXTENSION OF CURRENT SESSION OF LOK SABHA—NEGATIVED

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): First of all we may discuss Shri Limaye's motion regarding increasing the time of session by one week.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इसके लिये हमें कम से कम 15 घंटे चाहिए। अत: हमें 2 घंटे में संविधान (34वां) संशोधन विधेयक समाप्त कर देना चाहिये . . .

अध्यक्ष महोदय : : श्री लिमये अपना प्रस्ताव रखें।

Shri Madhu Limaye (Banka): I beg to move:

"That this House resolves that the current session of Lok Sabha be extended by a week."

The first reason for this is the present railway strike. Secondly every member of the opposition wants to take part in the discussion over no confidence motion and thirdly because Rajya Sabha is sitting upto 14th and the ministers will have to remain here. As such Lok Sabha should also sit to discuss the vital issues before the country at present.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : संविधान (34 वां) संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी चाहिये क्योंकि यह भूमि सुधार से सम्बन्धित है। अत: इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे अविश्वास प्रस्ताव और इस विधेयक पर भी चर्चा हो सके, और यह सब 10 तक होना संभव नहीं है ! अत: सत्र का समय बढ़ा दिया जाए और श्री लिमये के प्रस्ताव पर शांति के साथ विचार किया जाए।

श्री एस० एम० बनर्जी : अविश्वास प्रस्ताव के कम से कम 15 घंटे दिए जाएं। इसमें लगने वाले तीन दिन का भत्ता हम लोग नहीं लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या नियम 13 के अनुसार क्या आप समय बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें कहीं नहीं आता, यह काम तो सदन का है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सिद्धांत: अविश्वास प्रस्ताव के विचाराधीन रहने पर किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती और उसके लिये 16 से 20 घंटे चाहिये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हमारा सब का यह विचार है कि जब तक रेल हड़ताल चलें सभा का सत्र भी चलें। हमें कल इस संबंध में चर्चा करने की अनुमति न दिए जाने के कारण हमें इसे अविश्वास के प्रस्ताव के रूप में लाना पड़ा। जहाँ तक सरकारी कार्य का सम्बन्ध है उसके लिए कितना अतिरिक्त समय चाहिए यह देखना सरकार का काम है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : सभा के सत्र का समय बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ही सबसे अधिक अच्छा निर्णय ले सकते हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यदि सरकार इस समय सत्र का समय बढ़ाने को राजी नहीं तो मैं समझूंगा कि वह विपक्षी दलों का कोई सहयोग वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए नहीं लेना चाहती तथा वह रेलवे हड़ताल को दबाने पर तुली हुई है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : हमें प्रस्ताव की भावना को देखना चाहिए । 3-4 घण्टे में हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते । अतः मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति निणय ले । यदि वह हमें अपने निर्णय से सन्तुष्ट कर सके तो हम तैयार हैं ।

श्री के० रघुरामैया : अविश्वास प्रस्ताव पर आज ही बहस होनी चाहिए । इसके लिए हम कितने ही समय तक बैठने को तैयार हैं पर सत्र का समय नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि यह कहना सही नहीं कि इससे रेलवे हड़ताल में मद्द मिलेगी । नेता लोग सत्र न होने पर भी प्रधान मंत्री और रेल मंत्री से मिलने को स्वतंत्र हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निपटे गए अन्य विषयों के समय का क्या होगा ? इनमें कुछ विषय पिछले सत्र से आ रहे हैं ।

श्री के० रघुरामैया : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो विषय इस समय नहीं लिये जा सके उन्हें अगले सत्र में लिया जायगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: In this connection I would like to say that the meeting of the Business Advisory Committee should be called first and let it decide the matter in the presence of the Minister for Parliamentary Affairs.

श्री भोगेन्द्र झा : संसद कार्य मंत्री के वक्तव्य से लगता है कि संविधान (34वां संशोधन) विधेयक इस सत्र में नहीं लिया जायेगा । यह बड़ा ही गम्भीर मामला है, तथा इसे टाला नहीं जाना चाहिये । इसे इसी सत्र में पास किया जाय ।

Shri Madhu Limaye: Sir, I think we should think over the amendment of Shri Vajpayee. Meeting of Business Advisory Committee should be called for. The Constitution Amendment Bill was moved with the plea that it is a very important Bill and it cannot be postponed, but now the same is going to be shifted to the next session. As such we should not take a decision in hurry.

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री वाजपेयी के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि श्री मधु लिमये के प्रस्ताव पर निर्णय तब तक स्थगित किया जाय जब तक कि मामले पर कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 69   विपक्ष में 255

Ayes 69   Noes 255

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये के प्रस्ताव के संबंध में एक दूसरा संशोधन श्री इन्द्रजीत गुप्त का है, प्रश्न यह है :

"कि सभा का सत्र 14 मई, 1974 तक बढ़ाया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 76   विपक्ष में 269

Ayes 76   Noes 269

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, मेरा भी इस संबंध में एक संशोधन है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सत्र 11 मई, 1974 के मध्याह्न पश्चात् 12-30 बजे तक बढ़ाया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनर्जी के संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि लोक-सभा का चालू सत्र एक सप्ताह और बढ़ाया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 75	विपक्ष में 274
Ayes 75	Noes 274

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

मंत्री-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा इसी समय होगी और इसके लिए 4 घन्टे का समय रखा गया है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के संबंध में सभा की कुछ प्रथाएं है और हमें उनका पालन करना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के समय के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति को निर्णय लेना चाहिये । यह प्रधान मंत्री की मर्जी पर नहीं होना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पूर्व अवसरों पर अविश्वास प्रस्तावों को कितना समय दिया गया है ? हमें स्थापित प्रथाओं से नहीं हटना चाहिए । इसको पूरी चर्चा के लिए कम से कम 16 घन्टे का समय दिया जाय ।

Shri Madhu Limaye: Whether every question will be decided according to the sweet will of the Prime Minister? No Confidence Motion should be given sufficient time.

अध्यक्ष महोदय : अब तक इस प्रस्ताव को औसतन 10 घंटे दिए जात रहे हैं, अतः क्या आप 10 घंटे से सहमत हैं ?

मैंने पहले ही सभा को बताया है कि हम तब तक बैठेंगे जब तक अविश्वास प्रस्ताव निपटाया नहीं जाता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, I have also raised a Matter under Rule 377. The same may be taken up tomorrow.

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु अपना भाषण जारी रखेंगे। उसक बाद हम आधे घण्टे का अवकाश करेंगे ।

मैं अन्य माननीय सदस्य का विशेषाधिकार प्रस्ताव तथा नियम 377 के अधीन सूचना कल लूंगा क्योंकि यह मद पहले ली जानी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री मुखर्जी भाषण देंगें ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु श्री बसु को प्रस्ताव पेश करना होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा मंत्री परिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करती है ।"

रेलवे संबंधी मामलों के बारे में हमारे दल के श्री समर मुखर्जी भाषण देंगे ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : देश के 20 लाख रेल कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा दमन चक्र चला कर देश में गम्भीर स्थिति पैदा कर दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा प्रस्ताव है कि हम आधे घन्टे के लिये अवकाश करें और 2.45 बजे पुनः समवेत हों । श्री समर मुखर्जी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

तत्पश्चात् लोक सभा 14.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till a quarter to Fifteen of the clock.

लोक सभा 14.45 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled at quarter to Fifteen of the clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मंत्री-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री समर मुखर्जी : सरकार ने भारत के 20 लाख रेल कर्मचारियों के, जो हड़ताल पर हैं, विरुद्ध दमनचक्र आरम्भ कर दिया है । उनकी यूनियनों के नेताओं ने बातचीत से सन्तोषजनक समझौते के लिये निरन्तर प्रयास किये हैं । किन्तु सरकार ने बातचीत से समझौता करने के बजाय शुरू से ही शक्ति प्रदर्शन का रवैया अपनाया है जिससे अन्ततोगत्वा रेल कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी ।

[श्री समर मुखर्जी]

समाचारों से स्पष्ट है कि कर्मचारियों के जायज और कानूनी संघर्ष को दबाने के लिये पहले बड़े पैमाने पर कभी कार्यवाही नहीं की गई। सरकार को सारी मशीनरी, जैसे सेना, प्रादेशिक सेना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, राज्य पुलिस दल, तथा होमगार्ड और सारे सूचना माध्यमों को रेल कर्मचारियों के विरुद्ध जनता में भ्रांति उत्पन्न करने के लिये प्रयोग में लाया गया है। शुरू से ही दमन चक्र चलाने के निरन्तर प्रयास किये गये हैं तथा गुप्त परिपत्र जारी किये गये हैं जिनमें विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों को स्पष्ट अनुदेश दिये गये है कि हड़ताल होने से पूर्व रेल कार्यचारियों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाय।

अत: समझौता करने के बजाय मुकाबला करने और शक्तिपरीक्षा की पूरी तैयारी की गई है। 27 फरवरी को दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में रेल कर्मचारियों ने बातचीत आरम्भ करने के लिये सरकार से अपील की थी और समय सीमा निर्धारित कर दी थी। बातचीत 10 अप्रैल से पहले पूरी की जानी चाहिये थी। किन्तु सरकार को बातचीत द्वारा समझौता करना पसंद नहीं था और इसलिए सरकार मौन रही। केवल श्रम मंत्री ने ही पहले की और 11 अप्रैल को केन्द्रीय कार्मिक संघों का सम्मेलन हुआ। 10 अप्रैल से पहले सरकार ने कोई कार्यवाही नही की। सरकार का शुरू से ही ऐसा रवैया रहा है।

12 अप्रैल को, जब रेल मंत्री समन्वय समिति के सदस्यों से मिले थे उन्होंने सरकार के रवैये को बताने से इनकार कर दिया। रेलवे बोर्ड के सदस्य पर वार्ता की जिम्मेदारि सौंप दी गई। इससे पता चलता है कि सरकार वार्ता के बारे में गम्भीर नहीं है। इससे सरकार के रवैये का पता चलता है। जब हम 18 अप्रैल को मिले तो यह कहा गया था कि रेल उपमंत्री वार्ता करेंगे। इससे स्पष्ट है कि सरकार बातचीत से समझौता नहीं करना चाहती। रेल कर्मचारियों के आन्दोलन पर पूर्णरूप से प्रहार करने की पूरी तैयारियां की जा रही थीं।

यदि सरकार का शक्ति परीक्षण सफल हो गया तो 20 लाख रेल कर्मचारियों का, जिनकी मांगें पूर्णतः जायज हैं, भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा और इस प्रकार भारत का सम्पूर्ण मजदूर आन्दोलन कुचल दिया जायगा।

अत: आज हमारे सामने लोकतंत्र को गम्भीर खतरा है। सरकार अब हड़ताल की नोटिस वापस लेने जैसी पूर्व शर्तें रख रही है। पूर्व शर्त क्यों रखी जा रही है? सरकार नौकरशाही की सलाह क्यों मान रही है?

समाचार है कि 6000 से अधिक लोग गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे क्वार्टरों से कर्मचारियों को निकालने के लिये लाठी प्रहार किया गया है तथा अश्रु गैस छोड़ी गई है। फिर सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, प्रादेशिक सेना तथा दूसरे सब तंत्रों को खुली छूट दे दी गई है। ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी तथा अन्य देशों में भी रेल हड़ताले हुई किन्तु कहीं पर सरकार ने ऐसा व्यवहार नहीं किया है, जैसाकि बड़े व्यापारी का पिट्ठू अपने ही श्रमिकों का वर्बरतापूर्ण दमन करता है।

सरकार यह प्रचार कर रही है कि राजनीतिक तत्व अपने राजनीतिक निहित स्वार्थों के लिए हड़ताल करवा रहे हैं। यदि रेल कर्मचारी मांग करते हैं कि उन्हें औद्योगिक कर्मचारी माना जाए तो क्या यह राजनीति प्रेरित है? अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बहुत पहले ही घोषणा की थी कि रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी माना जाय। परन्तु सरकार ने इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया है। यदि रेल कर्मचारी यह मांग करते हैं कि सब के लिये 8 घंटे काम की ड्यूटी निर्धारित की जाय और नैमितिक श्रमिकों को स्थायी बनाया जाय तो क्या यह राजनीति द्वारा प्ररित है।

यदि रेल कर्मचारी यह मांग करते हैं कि उन्हें घटी दरों पर अनाज की सप्लाई की जानी चाहिये क्योंकि आज देश में भारी खाद्यान्न संकट है जो सरकार द्वारा पैदा किया गया है और उन्हें उचित दर को दुकानों से अनाज नहीं मिलता है तो क्या यह राजनीति द्वारा प्रेरित है। उनकी यह मांग कि उनके वेतन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन के समान किये जायें, राजनीतिक आधार पर प्रेरित मांग नहीं कही जा सकती। आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की मांग बार बार उठाई गई है किन्तु इसे भी बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। बोनस की मांग भी की गई है। क्या इसे भी राजनीतिक आधार पर प्रेरित मांग कहा जा सकता है ?

सरकार वेतन आयोग के अधिनिर्णय से आगे नहीं गई है जिसे कर्मचारियों ने अस्वीकृत कर दिया है। अतः रेल कर्मचारियों के पास ऐसी कार्यवाही करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह गया था।

सरकार की कार्यवाही सख्त है जिससे कर्मचारियों की कमर टूट गई है। इस सरकार पर किसी का विश्वास कैसे रह सकता है ? यह सरकार अपने ही कर्मचारियों का बर्बरतापूर्ण दमन करने पर उतारू है। हम ऐसी सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। जितनी जल्दी यह सरकार जाये देश के लिये उतना ही श्रेयस्कर सिद्ध होगा। इसीलिये हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये बाध्य हुए हैं। पूरी तरह हड़ताल है यद्यपि आकाशवाणी से झूठा प्रचार किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा दिये गये आंकड़ों तथा जनता को दिये गये समाचारों से पता चलता है कि हड़ताल केवल 8 प्रतिशत है। स्थिति सामान्य है। कोई हड़ताल नहीं है। इन परिस्थितियों में हम सरकार से आग्रह करत हैं कि सभी गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जाये और बातचीत का वातावरण पैदा किया जाये। रेल मंत्री ने पहले सभा में बताया कि रेल कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने के लिये 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, बाद में उन्होंने 500 करोड़ रुपए तथा 700 करोड़ रुपए बताया। उसके बाद ये आंकड़े 890 करोड़ रुपये हो गये है। गडबड़ी पैदा करने हेतु विभिन्न आंकड़े दिये जा रहे है। श्री फर्नांडीज ने बार बार बताया है कि केवल 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और यह धन कहां से आयेगा इसका साधन भी बातचीत द्वारा बताया जायेगा। बिना यात्री किराया तथा भाड़ा बढ़ाये इस धन की व्यवस्था की जा सकती है। परन्तु उनका यह सुझाव रद्द कर दिया गया है। रेल कर्मचारियों की मांगे मानने के लिये धन की व्यवस्था करने की बहुत गुंजाइश है। सरकार को वार्ता के लिये मंच तैयार करना चाहिये और उस वार्ता के आधार पर ही हड़तालड़ समाप्त हो सकती है। सरकार को झूठी मान मर्यादा पर डटे नहीं रहना चाहिये। वार्ता के लिए पूर्व शर्त नही रखनी चाहिये। कर्मचारियों को बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिये यदि सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली तो सरकार को ही बदल दिया जाना चाहिये। सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : अभी अभी समाचार मिला है कि श्री रामावतार शास्त्री, संसद सदस्य को गिरफदार कर लिया गया है। मेरे विचार से सन्बन्वित अधिकारियों ने इस सन्बध में सूचना नहीं दी है सके लिये उन्हें डांटा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जब तक अधिकृत रूप से सूचना प्राप्त नहीं हो जाती मैं इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : इस संबंध में कोई सरकारी सूचना नहीं है...

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है उसे रिकार्ड कर लिया गया है किन्तु में इस संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकारने सूचना नहीं दी है इस संबंध में आपने क्या कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसे इस चर्चा में एक तर्क के रूप में इस्तेमाल कर सकत हैं ।

श्री पीलू मोदी : आपको मन्त्री महोदय को शीघ्र ही निर्देश देना चाहिये . . .

श्री ए० पी० शर्मा : जब मुझे अविश्वास प्रस्ताव का पता चला तो मैंने समझा इसके पक्ष में सभी विपक्षी दल हैं अतः अवश्य कोई गंभीर घटना घटी है तभी सभी चिन्ताग्रस्त हैं ।

श्री मुकर्जी द्वारा इस वक्तव्य पर बहुत आपत्ति उठाई गई है कि रेल कर्मचारियों का आन्दोलन राजनीतिक आधार पर प्रेरित है । यह सच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को यह तर्क देने के बजाय कि यह आन्दोलन राजनीतिक आधार पर प्रेरित नहीं है, लज्जा से अपना सिर झुका लेना चाहिये ।

राजनीतिक दल मजदूर आन्दोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं । वे हड़ताल के पवित्र तरीके को भी बदनाम कर रहे हैं । आश्चर्य है कि दो या तीन हजार गुंडे रेलवे कालोनियों, रेलवे यार्डों में गये और वहां प्रत्येक वस्तु को नष्ट किया । मजदूर आन्दोलन और हड़ताल के नाम पर इन बातों को सहन नहीं किया जा सकता । शिकायत की गई है कि पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल ने कुछ स्थानों पर बल प्रयोग किया है । किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि हड़ताली कर्मचारी वफादार कर्मचारियों को धमकी दते हैं । वही लोग सीमा सुरक्षा दल और पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के लिए भी जिम्मेदार हैं । मुगलसराय यार्ड में रेल कर्मचारियों के बहाने बाहर से लोग किराये पर लाये गये हैं, जो यह सब क्रियाकलाप कर रहे हैं तथा लोगों को धमकी दे रहे हैं । यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसे धमकी देने और उसे गद्दार कहने का उन्हें क्या अधिकार है । रेल कर्मचारियों की मांगें तथा रेल मंत्री द्वारा समझौता करने का उल्लेख किया गया है । यह सही है कि नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे मेन द्वारा अधिकांश मांगे प्रवर्तित की गई थीं । यह भी सच है कि बोनस का प्रश्न हमारे द्वारा प्रवर्तित किया गया था । किन्तु इसका हल क्या है ?

आरोप लगाया गया है कि रेल मंत्री ने कहा है कि यदि रेल कर्मचारियों की सारी मांगें मान ली गईं तो इससे 700 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़गा । किन्तु रेल कर्मचारियों के वक्ता ने बताया है कि इससे केवल 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करने पड़ेंगे ।

श्री समर मुकर्जी ने एक और तो कहा है कि धन की व्यवस्था की जा सकती है और दूसरी ओर वह किराया और भाड़े की वृद्धि के खिलाफ हैं । उन्होंने धन के स्त्रोत का उल्लेख नहीं किया है । हम जनता द्वारा उपभोग की वस्तुओं जैसे अनाज तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ाना चाहते । इस प्रकार धन उपलब्ध होने का सुझाव ठीक नहीं है ।

सरकार समझौते के लिये उत्सुक हैं । परन्तु हुआ क्या है ? 30 तारीख को जब सभी मांगों पर विचार किया गया था, यह तय हुआ था कि 1 जून को सभी पक्षों की बैठक होगी ताकि बैठक की कार्यवाही का वृत्तान्त लिखा जा सके । निश्चित तिथि को श्रीमती पार्वती कृष्णन और श्री गोखले आये । मंत्रालय ने भरपूर कोशिश की कि कार्यवाही वृत्तान्त तैयार किया जाये । परन्तु वे लोग आये नहीं । अगले दिन खाद्य सप्लाई के मामले में सुधार लाने के लिये एक बैठक बुलवाई जानी थी । परन्तु सभी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए । क्यों ? क्या इसलिये कि श्री फर्नेंडीज को गिरफ्तार कर लिया गया था ? इसका अर्थ यह हुआ कि श्री फर्नेंडीज़ के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे । मैं श्री मुकर्जी से पूछना चाहुंगा कि श्री फर्नडीज क्या आपके नेता हैं ? आप कहेंगे नहीं वह संयोजक हैं । संयोजक का क्या अर्थ है । आप राजनीतिक व्यक्ति हैं । वह आपका नेता नहीं है वह आपका संयोजक है । वह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ।

श्री मुहम्मद इस्माइल : उन्हें समिति के द्वारा चुना गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या नेता अनुयायी का गोरख धंदा हमेशा चलता रहेगा ? क्या आपमें कामरेड का नाता नहीं हो सकता ?

श्री भागवत झा आजाद : किन्तु यह नाता सुविधा के अनुसार नहीं, कामरेड की भावना पर आधारित होना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपका सामंतवादी दृष्टिकोण है।

श्री ए० पी० शर्मा : आपको भी उस भीड़ में सम्मिलित हो जाना चाहिये था। आज आप अविश्वास प्रस्ताव के मामले में उनके साथ हैं कल आप उसके नेतृत्व में काम करिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम आज तक कभी सर्वोच्च नेतृत्व का उल्लेख नहीं करते। यह आप कह रहे हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : इस सब से क्या सिद्ध होता है। वह कहते हैं कि वार्ता हो रहीं परन्तु उन्होंने उस वार्ता की निन्दा की है। वे कहते रहे कि वार्ता से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे समझौता वार्ता में विश्वास रखत हैं। वे लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं। इस पर रेलवे कर्मचारियों के नाम पर समूचे देश में अमल हो रहा है।

वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर सरकार ने उस में सुधार करने का निर्णय किया है। संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के निर्णय के अनुसार सरकार उन को पांच वर्ष तक बदल नहीं सकती। और उसे न्याय निर्णय के लिये भेज नहीं सकती। इस प्रश्न को श्रमिक नेताओं के समक्ष रखा गया। उन्होंने सरकार द्वारा सिफारिशों में सुधार करने के सुझाव को मान लिया और न्याय निर्णय पर बल नहीं दिया। ऐसा निर्णय करने के बाद अब उन्होंने केवल छः महीने बाद हड़ताल का निर्णय कर लिया।

यदि कोई कार्मिक संघ कर्मचारियों की भलाई में रुचि रखता है तो वह हड़ताल का कदम नहीं उठायेगा और वह समझौते और मध्यस्थता का मार्ग अपनायेगा।

बातचीत के दौरान एक नई मांग लाई गई कि उसके वेतनमानों और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता लायी जाये। यदि ऐसा किया जाता है तो उन्हें हानि ही होगी परन्तु उन्हें हानि नहीं पहुंचायी जा सकती। क्योंकि तब उन्हें उन अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा जो सरकारी क्षेत्र में नहीं मिलती।

इसके अतिरिक्त कई मांगे भी रखी गई हैं। उनकी मांग है मजदूरी के सामान्य प्रश्न पर विचार होने से पूर्व रेल कर्मचारियों को 75 प्रतिशत की वृद्धि दी जाये। रेलवे कर्मचारियों की वेतन की राशि 500 करोड़ रुपए है। यदि 500 करोड़ रुपए का 75 प्रतिशत और दिया जाये तो क्या यह 300 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट है कि उनकी मांग असंगत है।

इस प्रकार की असंगत और असंभव मांगें कौन करता है ? केवल वे ही ऐसी मांगें करते हैं जो उन की भलाई चाहते है जिसके बारे में कहा जाता है। वास्तव में वे कुछ और चाहते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक है।

[श्री ए० पी० शर्मा]

मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण की बात कही गई है । क्या ऐसी गतिविधियों से मूल्य वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगता है । यदि खाद्यान्न, इस्पात अथवा कोयले का आना जाना रुक गया तो क्या मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है अतः यह हड़ताल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो कर की गई है ।

उन्होंने इस सरकार के बारे में कुछ बातें कही हैं । वह पिछले 25 अथवा 26 वर्षों से इसी तरह की बातें कर रहे हैं (व्यवधान) किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह देश कांग्रेस और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ही जीवित रह सकता है अन्यथा नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अविश्वास प्रस्ताव में रेलों को बन्द करके राष्ट्रीय संकट उत्पन्न करके मन्त्रिपरिषद को जिम्मेदार ठहराया गया है । इस बात पर समूचा प्रतिपक्ष एकमत है ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि स्थिति से निपटने के लिये सरकार की क्या नीति है । रेल हड़ताल हमारे देश की कोई नई बात नहीं है अन्य देशों में रेल हड़तालें होती रहती हैं । यह कभी नहीं हुआ कि सरकार ने इस प्रकार बातचीत के बीच में गिरफ्तारियां की हों । इस प्रकार बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को मुअत्तिल करना, सेवा से हटाना, कर्मचारियों को उन क्वार्टरों से हटाना कभी नहीं हुआ ।

अन्य देशों में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि बातचीत के दौरान सरकार ने इस प्रकार गिरफ्तारियां की हो । बड़ पैमाने पर कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया है । उन्हें सेवा से हटाया गया है और उनको क्वार्टरों से हटाया गया है । जनता के धन का दुरुपयोग करके गैर-कानूनी कार्य किये जा रहे हैं । ब्रिटेन में गत वर्ष खान मजदूरों की हड़ताल हुई परन्तु वहां की सरकार ने इस प्रकार की अमानवीय काम नहीं किये ।

आज के टाइम्स आफ इंडिया में समाचार छपा है कि ब्रिटेन को इंजीनियरी कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं । इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था पर गम्भीर भाव पड़ेगा परन्तु वहां की सरकार इस प्रकार बर्बर कार्यवाही नहीं करने जा रही । क्या सरकार केवल इस प्रकार ही क्यों सोचती है ।

श्री जार्ज फर्नेंडोज़ ने कहा है कि वह जेल में बन्द होते हुए भी समझौता वार्ता के लिये तैयार हैं । सरकार तो बल प्रयोग की भाषा ही जानती है । क्या इस प्रकार के दमनचक्र से सरकार कर्मचारियों को दबा लेगी ? यह ठीक है कर्मचारी सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते । सरकार को इन कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक ढंग से बरताव करना चाहिये इन्हीं लोगों ने बाद में रेलें चालू करनी है ।

सरकार कहती है कि निर्धारित संख्या की 92 प्रतिशत गाड़ियां चल रही है । परन्तु वह निर्धारित संख्या कितनी है ? इसमें केवल एक या दो प्रतिशत गाड़ियां आती हैं । मैं जानता हूं कि सरकार कुछ लोगों पर यह प्रभाव डालना चाहती कि यह श्रमिकों के प्रति बहुत कठोर है । हाल ही श्री जी० डी० बिड़ला ने अपने साथियों को बताया है कि सरकार की नीति में परिवर्तन आ रहा है । सरकार अमरीका से अधिक सहयोग करने के लिये प्रयत्नशील है । और इसमें अमरीकी राजदूत भी कार्य कर रहे हैं । सरकार चाहती है कि अधिकाधिक अमरीकी पूंजी भारत में लगे ।

मांगों पर जो वार्ता हुई उसमें कोई प्रगति नहीं हुई । सरकार ने बातचीत पूरी होने से पहल ही दमनचक्र आरंभ कर दिया । सरकार बताये कि बातचीत को पूरा क्यों नहीं होने दिया गया और गिरफ्तारियां क्यों शरू कर दी गई ।

श्री जार्ज फर्नांडीस को गिरफ्तार किया । साथ में अनेक स्थानों पर यूनियनों नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया । इस प्रकार हजारों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया ।

उस दिन मैं उड़ीसा में एक गाड़ी में यात्रा कर रहा था । वहां पर मैंने देखा कि किस प्रकार पुलिस धरपकड़ में लगी है । यह कार्य देश में किया गया है ।

सरकार कहती है कि उसने आठ में से छह मांगे स्वीकार कर ली है और केवल दो मांगें शेष हैं ।

यह भी कहा गया है कि मियाभाई न्यायाधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय कर लिया गया है । इसके अन्तर्गत कर्मचारियों के केवल कुछ एक वर्ग ही आते हैं । यह भी कहा गया है कि रेल कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी होने के नाते पूरी पूरी सुरक्षा मिलता है । वास्तव में यह उनके साथ सबसे बड़ा मजाक है । संविधान के अनुच्छेद 311((2) के अधीन सैकड़ों प्रमुख रेल ट्रेड यूनियन नेताओं को सेवा से हटा दिया गया है ।

बयान में बोनस के बारे में कहा गया है कि इस विषय पर बोनस समीक्षा विचार कर रही है, अतः अभी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । वास्तव में समय से पहले ही निर्णय हो चुका है। इरान जाने से पहले प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को लिखे एक पत्र में कहा है कि बोनस की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती । इस प्रकार सरकार न स्पष्ट कर दिया है कि बोनस की मांग पूरी नहीं की जा सकती, भले ही बोनस समिति की सिफारिश कुछ हो । यह ठीक है कि वेतन पर प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए व्यय होते हैं । 8.33 प्रतिशत देने से 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय में वृद्धि हो जायेगी । क्या यह संभव नहीं है । परन्तु सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन के साथ समानता के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि भिलाई कारखाने के रेल यार्ड में कार्यरत रेल कर्मचारी को इस्पात संयंत्र के कर्मचारी के साथ काम करना होता है । परन्तु उनके वेतन में 100 से 180 प्रतिशत का अन्तर है। रुरकेला यार्ड में भी ऐसी ही स्थिति है । हिन्दुस्तान स्टील के कर्मचारियों को 100 रुपए प्रति मास अधिक मिल रहे हैं । इन रेल कर्मचारियों का क्या दोष है । ये लोक इस्पात और कोयला ढोते हैं । परन्तु इनको कोयला खानों और इस्पात संयंत्रों के न्यूनतम वतन पाने वाले से 100 रुपए से अधिक कम मिलते हैं । सरकार को उनसे कोई सहानुभूति नहीं है ।

हरसाल रेलवे प्रशासन 150 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए के बीच सामाजिक शोषों पर व्यय करता है । यह उन वस्तुओं पर होता है जोकि जनसाधारण द्वारा उपभोग के लिये नहीं होती है । ये मुख्य रूप से कच्चा माल होता है जो बड़ बड़े पूंजीपतियों और मिलों के लिये होता है । इन वस्तुओं पर भाड़ा इतना कम होता है कि परिवहन लागत भी पूरी नहीं हो पाती । परन्तु जो वस्तुएं जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लायी जाती है उनपर भाडा बहुत अधिक है । सरकार पूंजीपति यों के प्रयोग की वस्तुओं पर भाड़ा बढ़ाकर अपने लाभ में काफी वृद्धी कर सकती है । जबतक कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था इस पर भाड़ा बहुत कम था परन्तु राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद भाड़े में वृद्धि कर दी गई है ।

रेलवे के भाड़ की बहुत बड़ी राशि बकाया है । बड़े-बड़े व्यापारी सरकार को भुगतान नहीं कर रहे हैं । रेलवे की वित्त व्यवस्था पर ध्यान देकर उसमें सुधार करन की आवश्यकता है। सरकार यदि कुछ मितव्ययता करे तो कर्मचारियों की मांगें पूरी की जा सकती हैं ।

अब जब कि हड़ताल आरंभ हो ही गई है तो सरकार उसके बारे में चाहे कहे यह मानना पड़ेगा कि समूचे देश में रेलें बन्द हो गई हैं । सरकार के लोग जो चाहे कहें रलें की हड़ताल

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

लगभग पूरी है। रेलवे के तथा अन्य विभागों के बड़े बड़े अधिकारी जब सेवा में होते हैं तो बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाते है और सेवा से निवृत होने पर बड़े उद्योगपति उनको लाभ पहुंचाते हैं।

श्री जगजीत सिंह जो आजकल एक गृह निर्माण समिति से सम्बद्ध होने के कारण प्रसिद्ध है ऐसे ही एक व्यक्ति है। यह पहले रेलवे के बड़े अधिकारी थे। वह गणित के एक बड़े विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने रेलव में जनरल मैनेजर के पद पर रहते हमारी यूनियन के बारे में बहुत भद्दे शब्दों का प्रयोग किया था। रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी इस प्रकार के हैं। ऐसे लोगों ने ही सरकार को गुमराह किया है।.

सरकार पुलिस के माध्यम से दमनचक्र चला रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार चाहति क्या है। क्या यह समवय शमिति के सदस्यों के साथ बातचीत करने को तैयार है। हम हड़ताल के पक्ष में नहीं हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीज तो जेल में भी बातचीत के लिये तैयार हैं परन्तु सरकार कर्मचारियों को दबाने पर तुली हुई है।

मेरी सरकार से अलील है कि बातचीत के लिये कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाये गिरफ्तारियों की और दमनकारी नीति के अपनाने स समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार के इस प्रकार के रवैये के कारण हमें यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : प्रतिपक्ष वालों ने सरकार के प्रति यह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा करना एक गलत कदम है।

[**श्री नवल किशोर सिन्हा** पीठासीन हुए
SHRI NAWAL KISHORE SINGH *in the Chair.*]

यदि यह प्रस्ताव नही लाया जाता तो शायद सरकार का रुख कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि कल स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाता तो अच्छी बात थी।

श्री के० डी० मालवीय : स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में कोई अन्तर नहीं मानता। उन के इस तर्क से रेल कर्मचारियों को किसो प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। माननीय सदस्य रेल हड़ताल के बारे में कह रहे थे कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था और श्री जार्ज फर्नान्डीज को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। वे मामले की वास्तविकता को नहीं जानत वास्तविक रोग तो हमारे समाज को जडों में है।

हमारे सामने कुछ समान लक्ष्य है जो सरकारी क्षेत्र के विकास पर आधारित है। आज भारी संख्या में कर्मचारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करते हैं, इनके कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध हैं। इस के लिए हमें शीघ्र कार्य करना है। यह कार्य देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जायगा। किन्तु हमें श्रमिक संघ आन्दोलन में राजनीतिक तत्वों द्वारा उठाये जाने वाले अनुचित लाभ पर/विचार करना होगा। क्यों कि राजनीतिक तत्व श्रमिकों के कल्याण कार्य में बाधा डालते हैं। सरकारी की यह नीति

है कि सरकारी क्षत्र के उपक्रमों के विकास और उनमें उत्पादन वृद्धि करने में लगे कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी समाज का विकास किया जाए । किन्तु यदि राजनीतिक तत्वों द्वारा ऐसा किया जाता रहा तो इन प्रगतिवादी दलों की क्या स्थिति होगी जो कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए वचनबद्ध हैं । हमें यह सुनिश्चित करना है कि क्या कार्मिक संघ आन्दोलन में राजनीतिक तत्वों का हाथ ऊपर रहेगा जो इन कर्मचारियों को दशा सुधारना चाहते हैं ।

राजनीतिक उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है जिन्होंने अनेक राजनीतिक दलों जो अपने आपको प्रगतिवादी दल कहते है, की अपना अनुगामी बना लिया है । वे प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मिल गये हैं । ये शक्तियां, जो रहस्यपूर्ण ढंग से अपना कार्य-करती है, इस देश में लोक तंत्र को दृढ नहीं होने देती । हमें यह पता लगाना है और तलाश करनी है कि ये रहस्यपूर्ण साधन कहां से आते है जिनके बलपर ये दल अनेक रुपों में यहां सक्रिय हैं। आज देश के कोने कोने में हड़ताल ही रही है और इसके लिए ये प्रतिक्रियावादी शक्तियां, राजनितिक दल जिम्मेदार है । हमें इस खतरे का सामना करना है और इन शक्तियों की निर्मूल करना है ।

जहां तक रेल हड़ताल का सम्बन्ध है, हड़ताल आरम्भ होने से पहले श्री फर्नेडीज और अन्य कार्मिक संघो के नेताओं ने एक समन्वय समिति गठित कर बातचीत शुरू कर दी थी। बहुत पहले से ही श्री फर्नेडीज ऐसी भाषा प्रयोग करने लगे थ जो देश के लिए घातक हो सकती थी। वह यह कहने से बिल्कुल नहीं झिझके कि हड़ताल होगी, और वे कर्मचारियों की हड़ताल करने के लिये तैयार करते रहे। यदि वह सरकार के पास समझौते वार्ता के लिए आते और बातचीत के दौरान चुप रहते थे जो यह उनका नैतिक कर्त्तव्य ही था। श्री फर्नेडीज को बातों से रेल कर्मचारियों को मांगोंको पूरा करने में कोई सहायता नहीं मिली है। और उनका मामला बिगड़ा ही है। ऐसी स्थिति में सरकार चुप नहीं रह सकती थी।

स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उचित वातावरण तैयार किया जाए ताकि 17 लाख रेल कर्मचारियों के तथाकाथित प्रतिनिधि हमारे करोड़ो लोगों के दिलों पर भी ध्यान दे सकें सरकार केवल 17 लाख रेल कर्मचारियों के हि हितों पर सोच विचार नहीं कर सकती इसे देश के 56 करोड़ अन्य लोगों के हितों को भी ध्यान में रखना है अत: वार्ता समिति के प्रबुद्ध सदस्य अनेक बार सोचेंगे और पायेंगे कि कर्मचारियों के और हमारे दिल समान ही है। सम झौता तभी सम्भव है जब सरकारी क्षेत्र के हितों को हम अपने समक्ष रखे, जब हम उत्पादन के हित को अपने समक्ष रखें और जब देश के 56 करोड लोगों के हितों को अपने समक्ष रखे । श्रमिकों के हित हम सब के लिए समान है । हम समझौत के लिए बहुत उत्सुक हैं । हमें क्रोध नहीं करना चाहिए । यही कारण है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लाना चाहिए था, और अब इसे पराजित करना चाहिए। तभी हम बुद्धिमत्ता से कोई हल निकाल सकेंगे ।

जन संघ और सोशालिस्ट दल देश के लोकतंत्र को आस्ताव्यास्त करने वाले राजनीतिक दल हैं । श्री जार्ज फर्नेडीज को अपने 17 लाख लोगों के हितों को ही ध्यान में रखा हुए हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए। हड़ताल समाप्त होने के पश्चात् हम बातचीत द्वारा समझौते क लिए बैठ सकते है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Shri K. D. Malviya has tried to create a division among the opposition parties here. This attempt is very derogative and would not be successful. Even outside the House efforts are being made to create division among the railway workers. Common man is being mobilised against railway workers. The other day the Prime Minister has also tried in the like manner. But such attempts would not solve the problem.

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

It has been alleged that the parties defeated in the recent U.P. Elections are trying to create confusion and chaos in the country and that the strike is politically motivated. But the reality is that the spiralling prices and rising cost of living have made the life of railway workers and other Government employees miserable. Disparity in the pay structure of railway workers and other public undertaking workers has created the gap. There is scarcity and shortage of essential commodities. During the last 26 years the prices have never reached the level they have reached today. Therefore, if the railway workers are demanding higher wages and have gone on a strike in this regard, there is no escape from it. This first demand of these workers is not an antinational.

When after the strike notice having been given by the railway workers, the negotiations were going on, the condition that the negotiations can only be started after the strike notice is withdrawn. This new condition should not be imposed. The arrest of Mr. George Fernandese is also immoral.

It has been said from Government side that the Shri Fernandes has been arrested because preparations for strike were going on while the negotiations were proceeding. But are not Government themselves also making all preparations for a show down? Is not the arrest of Shri Fernandes something improper, while the negotiations were going on? The Government have taken a wrong step. The earlier they withdraw this the better it would be for the country.

Shri R. S. Pandey : It was a conspiracy of which you do not know. . . (*interruptions*) . . .

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is being announced over the All India Radio that trains from Delhi are going on schedule. But it is absolutely wrong. Yesterday only one train—Assam Mail—left from Delhi station which made a halt at Ghaziabad. From there it was sent back to Delhi in the evening. Such false propaganda over A.I.R. should be stopped.

Government should realise that the conditions in which railway worker have to work are more difficult as compared to those in other public sector undertakings. They have to work day and night. If Railway Minister agrees that the demand of job evaluation is correct and that there should be parity, then the demands of the railway workers are quite reasonable and they should be accepted. If Government is not in a position to pay more immediately, let them at last accept the demand in principle and the working solution can be found out by further negotiations.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

But instead of opening doors of negotiations Government is bent upon to teach a lesson to railway employees this time. By using territorial army, B.S.F. etc. and derogatory condition are being imposed just to insult the leaders of railway workers. Government should not try to insult leaders of railway workers. They should find out such an honourable solution which may be acceptable to both sides.

Government should admit that it has committed three mistakes. The first mistake is the publication of the letter written by the Prime Minister to the Chief Ministers that Government can not pay bonus to railway workers. The letter has been published by those people who do not want settlement and are interested in aggravating the situation. The second mistake is the arrest of Mr. George Fernandes. The third mistake is that Government has placed a condition unless the strike notice is withdrawn further talks cannot be resumed. It is high time Government should rectify its mistakes so that the situation can be saved from getting worse.

This is the intention of this. No confidence motion. But if Government is bent upon to teach a lesson to the railway employees, their struggle would continue and both the parties would have to face the consequences.

Sir, the strike has begun and it has not reached a stage of deadlock. The way out can be found out. This no confidence motion has been brought forward with the purpose of finding out an honourable solution. Force is being used to crush the movement. Is it right to arrest the members under MISA? This act of the Government shows that it has lost its faith and ability.

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh): It is a fact that majority of railway employees are facing lot of difficulties because of high prices. But the question to be considered is whether it is proper for railway employees to go on strike at a time when the country is passing through an economic crisis. Also we cannot ignore the impact of incurring and expenditure of hundreds of crores of rupees on the economy because a huge amount will be required to meet all the demands of railway employees. We will have to consider all aspects of the problem. Railway Minister or the Railway Board has not taken the stand that all demands of railway employees are unjustified. Many of the demands have been accepted.

There is scarcity of foodgrains in the country. Crores of agricultural workers do not get enough foodgrains. Even in this situation the Railway Minister has agreed to open fair price shops to supply food-grains in places where there are 300 or more railway employees.

The Railway workers are not our enemies. We have got every sympathy towards them and want to consider their problems sympathetically. But while putting forward their demands they should not ignore the entire nation.

They demand that bonus should be given to them. Who will not like this thing? But we have to consider all the consequences. Government should seriously consider whether we should link the question of bonus with production or not. Should we give bonus to all blindly?

Present strike is politically motivated. The opposition parties have incited number of strikes. They are trying to take the country on the path of ruin in order to further their political interests. We should face them boldly. The leaders of these parties do not even think for a movement regarding the interest of the nation and its people. They are interested in their own political ends. Otherwise these strikes may not at all occur.

The condition of the workers has improved during the last 26 years. Government has provided more facilities to workers, it has revised their pay scales and given them security of service. In return the workers have also played a notable part in the country's development.

A country like India with a population of 50 crores cannot progress in a short period. It requires time.

On account of the present strike the prices of certain commodities have increased upto 5 to 10 per cent. It has adversely effected the movement of essential goods like coal, cement, steel and foodgrains. The Government have done nothing wrong if they have taken steps to prevent sabotures from causing damage to railway property. The force has been used not to harass the members but to protect national property and loyal workers.

The Government want to find a solution to this problem. I hope railway employees will compel their leaders not to play havoc with the countries economy. I also hope that Government will consider the demands of the workers sympathetically.

In the end I will appeal not to press the no confidence motion.

श्री सेंझियान (श्री कुम्बकोणम्) : श्री चन्द्रजीत यादव की इस अपील से मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस प्रस्ताव को पेश करने पर जोर न दिया जाए और वे समस्या के समाधान के लिए 15 घंटेतक बैठने के लिए तैयार है। पर में उनसे अपील करना चाहती हूं कि हम इस पर जोर नहीं देगें यदि वे सम्बन्धीत नेताओं से बात करके फैसला करने को तैयार हों। यदि ऐसा किया जाता तो हड़ताल को टाला जा सकता था।

यह पहला अवसर है कि जब कि सभीं विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। आखिर इसके पीछे कोंई तो बात है, जो कि सभीं दल एक मत है।

यह कहा जाता रहा है, कि केवल 8 प्रतिशत लोग रेलवे हड़ताल में शामिल हैं। यह निर्णय उन लोगोंका हो सकता है जो केवल रेडियो सुनते है, स्थिति इसके सर्वथा विपरित है।

इस्पात और खान मंत्री ने इस प्रस्ताव में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को अस्पताल, चिकित्सा तथा बढिया कालेजों की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में काम कर रहे कर्मचारी को औसतन 600 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। यहि बात रेल कर्मचारियों ने उठाई है। वे कहते हैं कि जब सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी को 600 रुपये मासिक देती है तो सरकार रेल कर्मचारियों को उनके समान क्यों नहीं समझती।

उन्होंने यह बात भी स्वीकार की है कि ऐसा एक दिन में नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब सरकार उन लोगों से बातचित कर रही थी तो तभी कह सकती थी कि ऐसा एक दिन में नहीं किया जा सकता। यह चरणवर कार्यक्रम में किया जा सकता है;। सरकार इसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार कर सकती है और इसे रेल कर्मचारियों के समक्ष पेश कर सकती है और यदि वे इसका पालन नहीं करते तो फिर जनता तथा विश्व को इससे अवगत किया जा सकता है। श्री मालवीय ने कहा है कि वेतन वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिये। पर यदि वे रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई सामग्री को देखें तो उन्हें पता चले कि रेलवे में श्रम उत्पादन 1972-73 में 1950-51 की तुलना में 64 प्रतिशत बढ़ा है तथा रेलवे वर्कशापों में यह वृद्धि 54 प्रतिशत हुई है जब की कर्मचारियों की संख्या 9 प्रतिशत फटी है। तात्पर्य यह है कि सभी क्षेत्रों में उत्पादिता बढ़ी है।

इस अविश्वास प्रस्ताव में हम यह चर्चा नहीं कर रहे कि कर्मचारियों को कम से कम कितना वेतन दिया जाए। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया जिनसे समझौता वार्ता की जानीं चाहिए थी। मैं यह मानता हूं कि सरकार से टकराना कठिन है। तथा सरकार मजबूत होनी भी चाहिए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार उस शान्ति का उपयोग संघों को तोडने और कर्मचारियों को दबाने में करें। इस हड़ताल की सूचना काफी समय पहले दी गई थी तथा उनके द्वारा पेश की गई मांगों के आधार पर बात की जानी चाहिए।

हड़ताल की संभावना उसी समय से थी, जब की अक्तूबर, 1973 में मांग पत्र दिया था। उसी समय जार्ज फर्नान्डीज ने स्पष्ट किया था कि यह मांग पत्र है तथा हम बातचित करने को तैयार है। बातचीत आरम्भ भी हो गई थी। परन्तु सरकार ने बातचीत के दौरान स्वयं सन्देहास्पद तरीके अपनाये। उसने श्री फारनेनडीज को गिरफ्तार कर लिया जब कि बातचीत जारी थी। सरकार ने जिस ढंग से गिरफ्दारिया की वह आपत्तिजनक और भड़कानेवाला तरीका था। जब सरकार के पास सभी शक्तियां मौजूद थी, तो उसने इतने घटिया तरिके क्यों अपनाये? वास्तव में होना तो यह चाहिये था की सरकार एक आदर्श नियोजक का उदाहरण देश के सामने रखती, जिससे निजी क्षेत्र के नियोजक भी उसे अपनाते परन्तु सरकार ने जो कुछ किया यह उसे के बिल्कुल उलट है।

श्री केशव देव मालवीय ने कहा है कि हड़ताल को कठोरता से कुचल दिया जाना चाहिये। सरकार को दृढ रहना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार दृढ रहे। परन्तु सरकार मुनाफाखोरों, कर अपवंचक, चोर

बाजारियों तथा तोड़ फोड़ करने वालों के विरूद्ध कठोर क्यों नहीं रहती ? हमारी शिकायत यह है कि सरकार इन समाजविरोधी तत्वों के विरूद्ध कठोर नहीं है। इनके विरूद्ध जो भी कानून बनाये जाते हैं, उनको कभी क्रियान्वित नहीं किया जाता इस के विपरित सरकार अपना समूचा रोष कर्मचारियों पर दिखा रही है। सरकार के पास असिमित शक्तियां है। वह उन सब का प्रयोग इन बेचारे कर्मचारियों के विरूद्ध कर रही है। सरकार का 1000 करोड़ रुपये का रक्षा बजट है। वह इसका उपयोग कर्मचारियों के विरूद्ध कर रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कर्मचारी सरकार का मुकाबला नहीं कर पायेगे और वह उन्हें अपनी शक्ति के बल पर कुचल देगी, परन्तु इससे देश को क्या लाभ होगा ?

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मूल्य वृद्धि, इस्पात के उत्पादन में कमी और सरकार की भी अन्य विफलताओं के लिये रेल हड़ताल को बहाना बनाया जायेगा। यह बात इससे स्पष्ट है कि सरकार ने बातचीत की बजाय हड़ताल करना श्रेयस्कर समझा है। सरकार ने हड़ताल को दबाने में कुशलता दिखाई है, वह रेलों के संचालन को सुव्यवस्थित करने तथा लाभ कमाने में कभी नहीं दिखाई। सरकार ने जो श्रम विरोधी नीति अपनाई है, उसे देख कर मैं चकित हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (भुवत्तपुजा) : अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प का विरोध करता हूं।

मैं यह तो नहीं कह सकता कि वस्तुत: स्थिति क्या थी, क्योंकि मैं बातचीत के दौरान हाजिर नहीं था परन्तु यह सौभाग्य की बात है कि मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री मुकर्जी और श्री ए० पी० शर्मा, के भाषण सुने हैं। मैं रेल मंत्री के वक्तव्य से भी, जो उन्होंने 2 मई, 1974 को सभा में दिया था, अवगत हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री मुकर्जी ने सभा में कहा था कि बातचीत में काफी प्रगति हुई थी और सरकार कुछ रियायतें देने को सहमत हो गई थी।

रेल मंत्री ने 3 मई, 1973 से पहले जो वक्तव्य दिये थे, वे सब के सामने हैं और उन का किसी ने खण्डन नहीं किया है। रेल मंत्री ने विभिन्न मांगों का वर्गीकरण करते हुए कहा था :—

मांग संख्या 1	किसी का उत्पीड़न न किया जाये	इसे स्वीकार कर लिया गया है।
मांग संख्या 2 .	काम के घण्टे आठ होने चाहियें	इसे स्वीकार कर लिया गया है।
मांग संख्या 3	नैमित्तिक श्रम पद्धति को समाप्त किया जाये।	हमने रेलवे की सिफारिश स्वीकार कर ली है।
मांग संख्या 6 .	राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न	इस मांग के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि जिस बस्ती में रेल कर्मचारियों की संख्या 300 से अधिक हो, वहां उचित मूल्य की दुकानें खोली जायें।

मांग संख्या 4 वेतन के पुनरीक्षण से संबंधित है—इस से लगभग 350 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा, इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मांग संख्या (ग) मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण से संबंधित है—चुकि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें दे चुका है, इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मांग संख्या 5 बोनस से संबंधित है—जैसा कि आप को ज्ञात है कि बोनस पुनरीक्षण समिति इस बारे में विचार कर रही है, इसलिये इस बारे में अभी कोई निर्णय लेना समय से पूर्व होगा।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

अत: उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया था और यह हड़ताल किसी विशेष मांग के समर्थन में नहीं है, अपितु समन्वय समिति के नेताओं को गिरफ्तार किये जाने के विरोध में है। यदि यह हड़ताल किसी विशेष मांग अथवा श्रमिकों के अधिकारों के लिये होती, तो बात समझ में आ सकती थी, परन्तु यह सभी जांनते हैं कि यह हड़ताल इस उद्देश्य से नहीं की गई है। रेल मंत्री ने उन मांगों का वर्गीकरण जिन्हें स्वीकार किया जा सकता है। बोनस की मांग के बारे में सरकार ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकती और फिलहाल इस पर बातचीत नहीं हो सकती इस पर समुचित समय पर विचार किया जा सकता है ।

बातचीत के दौरान हड़ताल का नोटिस दिया गया था। यद्यपि बातचीत के दौरान हड़ताल का नोटिस देना उचित नहीं था, फिर भी सरकार ने बातचीत जारी रखी। जब समझौते के अन्तिम रूप दिया जाने वाला था और उस पर हस्ताक्षर होने वाले था, तो उनके नेता श्रीजार्ज फरनानडीज़ को दिल्ली में ही रहना चाहिये था तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये था कि कोई समझौता हो जाये, तो वह अचानक दिल्ली से अचानक गायब हो गये। यह एक बहुत गैर मामूली बात थी। कोई भी कार्मिक संघ नेता ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह 20 लाख कर्मचारियों का प्रश्न था। रेल मंत्री ने उनसे बार बार अनुरोध किया था कि वह समझौता होने तक दिल्ली में ही रहें। परन्तु इसके विपरीत उन्होंने वक्तव्य दे दिया कि बातचीत विफल हो गई है। वह दिल्ली से बाहर चले गये और बातचीत आगे न बढ़ सकी। ऐसी स्थिति में सरकार के पास उन्हें गिरफ्तार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था।

जहां तक समानता का प्रश्न है एन० एफ० आई० आर० ने भी इस का विरोध किया था और सरकार ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त तक उनके दल से पूछ सकता हूं कि बोनस आयोग के बारे में क्या हो रहा है? ए० आई० टी० यू० सी० ने अपना ज्ञापन दिया था और अनुरोध किया था कि रेल कर्मचारियों को बोनस दिया जाना चाहिये। परन्तु उन्होंने आयोग को छोड़ दिया और अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। हिन्दु मजदूर सभा के प्रतिनिधि श्री देसाई ने भी आयोग की बैठकों में भाग नहीं लिया। अत: इनके असहयोग के कारण ही बोनस के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका है।

यह विचित्र बात है कि श्री जार्ज फरनानडीज़ की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिये परस्पर विरोधी राजनीतिक दल जैसे साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी आदि एक स्वर में बोल रहे हैं। इस से स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होता है कि यह सब राजनीतिक खेल है और इसे राजनीतिक तरीके से ही निपटा जाना जाहिये। इसके अतिरिक्त इससे निपटने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि सरकारने औद्योगिक लोकतंत्र के सब सिद्धान्तों को ताक पर रख दिया है। आज देश में जो आर्थिक अव्यवस्था है, उसके लिये सरकार जिम्मेदार है। रेल हडताल के लिये भी सरकार जिम्मेदार है। इस का कारण यह है कि जब बातचीत चल रही थी तो सरकार ने कर्मचारियों के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। रेल कर्मचारियों को काम करते हुए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने हडताल नहीं की थी। इन सब बातों का परिणाम स्वरूप कि रेल कर्मचारियों मजबूर हो कर हाडताल करनी पडी। उन के सामने और कोई चारा नहीं था।

[**श्री वसन्त साठे** पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने प्रधान मंत्री तथा रेल मंत्री को जो पत्र लिखा था उससे स्पष्ट है कि कर्मचारी बातचीत करने को तैयार थे तथा अभी भी तैयार हैं। सरकार पुन: बातचीत आरम्भ क्यों नहीं करती? उसने यह अपने सम्मान का मामला क्यों बनाया हुआ है?

रेल कर्मचारियों की मुख्य मांग बोनस है। इस सभा ने बोनस अधिनियम पास किया था। बोनस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के छोटे से छोटे उपक्रम में श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस मिलेगा, चाहे वह उपक्रम लाभ में चल रहा हो, अथवा उस में हानि हो रही हो। फिर सरकार किस तरह इस सबसे बड़े वाणिज्यिक सरकारी उपक्रम के कर्मचारियों को बोनस देने से इंकार कर सकती है? सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन की इस मांग को अस्वीकार करना न्यायोचित नहीं है। कर्मचारियों तथा उन के नेताओं को गिरफ्तार करके स्वयं सरकार ने बातचीत में बाधा डाली है। जब सरकार ने बोनस को स्थगित मजदूरी स्वीकार किया है, तो वह किस प्रकार रेल कर्मचारियों को बोनस देने से इंकार कर सकती है।

उन की दूसरी मांग यह है कि वैज्ञानिक ढंग से उन के कार्य का मूल्यांकन किया जाये। यह उनकी बिल्कुल उचित मांग है। आधुनिक युग में सरकार उनकी इस युक्तिसंगत मांग को कैसे अस्वीकार कर सकती है?

सरकार का कहना है कि वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वह बोनस देने की स्थिति में नहीं है। इस का क्या कारण है? इस के कारण यह है कि रेल कर्मचारियों का वेतन बिल बढ़ जायेगा। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस समय रेलवे में 400 लाख मिटरी टन की क्षमता बेकार पडी है। इस बेकार क्षमता के कारण भारी हानि हो रही है। यह बेकार क्षमता रेलवे की कुल क्षमता का पांचवां भाग है। इस के लिये सरकार जिम्मेदार है। सरकार का प्रशासन अक्षम है और वह इस जिम्मेदारी को टालना चाहती है। हाल के वर्षों में रेल यातायात में भारी वृद्धि हुई है, फिर भी समझ में नहीं आता कि रेलवे को घाटा क्यों हो रहा है।

सरकार को इस प्रश्न की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। सरकार को रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत आरम्भ करनी चाहिये। उन के नेताओं को तथा उन्हें तुरन्त रिहा किया जाना चाहिये और कोई मान्य समझौता करने के लिये प्रयास करना चाहिये। यह तो कर्मचारी भी जानते हैं कि उन की समुची मांगों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस लिये लेन-देन के आधार पर सरकार मत भेदों को दूर कर सकती है और कोई मान्य समझौता ढूढ़ सकती है।

रेल मंत्री ने कहा था कि वह श्री फर्नान्डीज़ की गिरफ्तारी के कारण बतायेंगे। परन्तु उन्होंने अभी तक वे कारण नहीं बताये हैं। मैं आशा करता हुं कि वह सभा को उन कारणों से अवगत करायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन श्रमिकों को क्यों गिरफ्तार किया गया, जो कि काम पर थे,? ऐसा करना सरकार की श्रम विरोधी नीति का द्योतक है। सरकार दावा तो यह करती है कि वह प्रगतिवादी है तथा किसानों और श्रमिकों की भलाई में है, जबकि उस की नीतियां वस्तुतः पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी हैं। यदि सरकार इन्हीं नीतियों का पालन करती रही तो देश को बडे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पडेगा।

मैं सरकार से अपील करता हूं बातचीत पुनः आरम्भ की जाये, श्रमिकों तथा उन के नेताओं को रिहा किया जाये और लेन-देन की नीति के आधार पर कोई समझौता ढूंढा जाये।

Shri H. K. L. Bhagat (East Delhi): Mr. Chairman, Sir, I have listened to all the speeches attentively but I always give an attentive ear to the speeches of Shri Atal Bihari Vajpayee. He is a great leader and I do not want to lessen his greatness. He is a great leader but he is a greater actor also. I have heard him delivering speeches during election campaign in U.P. He has told the farmers that injustice is being meted out to them and therefore they should demand more money. He has asked the people to demand for foodgrains at cheaper rates. He has asked the urban population to demand for power and on the other hand he has told power engineers that injustice is being meted out to them.

[Shri H. K. L. Bhagat]

Though it is said that politicians are actors in one or the other sense and Shri Vajpayee is the best actor. I will recommend his name to the Prime Minister for the best actor award to him. (*interruptions*) Shri Piloo Modi is taking an exception to it. I will recommended that the first best actor award may be given to Shri Vajpayee, second to Shri Piloo Modi or to Shri Jyotirmoy Basu. I understand that the second award should go to Shri Piloo Modi because we are interested more in amusement . . . (*interruptions*) Shri Shyam Nandan Mishra should be given consolation prize.

I have been very much impressed by the speech of Shri Indrajit Gupta. The points made by him are worth consideration. But I would like to say that the Government is not responsible for the situation in which he finds himself. It is he who is responsible for landing himself in such a situation.

He says that a great number of forces and parties are working for uprooting democracy from this country by indulging in violence and creating chaos here. They want to paralyse the country. He warns the country against these forces and is also struggling against them.

Nobody denied that the the railway employees have no grievances and we had sympathy for them. But the question is should they paralyse the country for the redress of their grievances. The railway employees had always been loyal and we expect that they would maintain that tradition. Even now we hope that they will realise the tactics of opposition parties who worked to destroy the economy of the country.

It has been said that Government were themselves interested in a strike. But it is a baseless charge. The fact is that Government tried their level best to avert the strike. They took all possible preventive measures. Though resorting to strike is a fundamental right but under the constitution, a law has been passed declaring strikes in essential services as illegal.

Shri Inderjit Gupta has mentioned to Railway strike of England. But tactics adopted by the strikers here have not been adopted there. Offices have not been attacked there. Neither any member of Parliament was forced to resign or any member of Legislative Assembly was gheroed in Britian during Railway strike.

Shri Jyotirmoy Basu : The Prime Minister of Australia was gheroed.

Shri H. K. L. Bhagat : Mr. Chairman, Sir, the hon'ble speaker has been repeating almost daily that the opposition members are holding the house to ransom. Does it happen in British Parliament?

Shri Shamim Ahmed Shamim : It does happen there.

Shri H. K. L. Bhagat : It does not happen there.

Shri Shyam Nandan Mishra : You should not talk about the chair. Otherwise we will also have to say something else. Will they preach us about our behaviour to the chair?

Shri H. K. L. Bhagat : I have said nothing new. The speaker has said repeatedly that they are holding the House to ransom. . . (*interruptions*). . .

An hon'ble member : It is absolutely wrong.

Shri H. K. L. Bhagat : These remarks are on the record. He has not said it once but on a number of times. . . (*interruptions*). . .

सभापति महोदय : शान्त रहिये। कृपया उत्तेजित मत होईये। हो सकता है जो वह कह रहे हैं। आप उनसे सहमत न हो।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्हे हमें चेअर के प्रति हमारे व्यवहार के लिये उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : उन्होंने अध्यक्ष के प्रति कुछ नहीं कहा है वह तो केवल अध्यक्ष द्वारा सदन को कही गई बात का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनके उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं थी। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री भगतजी, आप अध्यक्ष का उल्लेख मत कीजिये।

श्री शमीम अहमद शमीम : उन्होंने ब्रिटिश संसद का उल्लेख किया है। मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि वहीं एक सदस्य ने एक मन्त्री को थप्पड़ मारा था। अभी हमने ऐसा नहीं किया है।

श्री पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय ने कब यह बात कही है। उन्होंने ऐसा नही कहा है।

सभापति महोदय : मैंने माननीय सदस्य को कह दिया है कि वह बीच में अध्यक्ष का नाम न लावें।

Shri H. K. L. Bhagat: Mr. Chairman Sir, I withdraw the words about the speaker for the satisfaction of these able friends.

It is being said that Government are using army and police. But it has been complained in this House repeatedly for the non-arrival of police in time in the event of any incident. It is difficult to understand this double stand. As regards the arrest of Shri Fernandes, the Government had to take that step in view of his utterances that strike was inevitable and a clear threat to the peace of the country and no Government could ignore it.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इससे पूर्व कि श्री फ्रैंक एन्थनी अपना भाषण शुरू करें मैं सभा का ध्यान एक गम्भीर घटना की ओर आकर्षित करता हूं। श्री जार्ज फर्नाडीज सहित 15 व्यक्ति तिहाड जेल में आज भूख हड़ताल पर हैं और वे केवल पानी ले रहे हैं। उन्हें वकील की सहायता भी नहीं दी जा रही है। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। कैदियों की ये मांगें जायज हैं और मैं आशा करता हूं कि सभा इस ओर ध्यान देगी।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्दिष्ट-एंग्ल-भारतीय) : गत मास की 11 तारीख को मैंने एंग्लो-इंडियन रेल कर्मचारियों को एक वक्तव्य के माध्यम से अपील की थी कि वे हड़ताल में शामिल न हों। मैंने कहा था कि देश को न केवल आर्थिक संकट का सामना करना पड रहा है बल्कि हम आर्थिक असफलता की स्थिति में हैं और इस समुदाय द्वारा हड़ताल में शामिल होने से समूचा प्रशासन ठप्प हो जायेगा। परन्तु सरकार कोई प्रक्षया उपलब्ध नहीं कर रही है। उनकी पत्नियों तथा बेटियों को गम्भीर परिणामों की धमकी दी जा रही! रेल मंत्री इस पर ध्यान दें।

बातचीत को तोड कर श्री जार्ज फर्नान्डीज को तथा अन्य श्रमिक नेताओं को इस दौरान बन्दी बनाना बहुत ही गलत बात है। इससे सरकार का पागलपन ही सामने आता है। सरकार द्वारा दमनचक्र चलाना बहुत खतरनाक काम है। यदि मान भी लिया जाये कि सरकार अपने कडे साधनों से हड़ताल को विफल भी कर देती है। इसका परिणाम क्या होगा इससे कडवाहट और घृणा और भी बढ़ जायेगी।

[श्री फरैंक एन्थनी]

मनोवैज्ञानिक घावों के अतिरिक्त शारीरिक घावों को भी भरने और ठीक होने में कुछ समय तो लगेगा ही। यदि रेल कर्मचारियों की हडताल को विफल भी कर दिया जाता है तो सरकार सामान्य स्थिति नहीं ला सकती। इसमें 3 या 4 वर्ष लग जायेंगे। इस दौरान अर्थ व्यवस्था की स्थिति क्या होगी ?

सरकार को समझना चाहिये कि अब वातावरण पूर्णत: बदला हुआ है। 1948 में भारतीय रेल कर्मचारियों को प्रशासन अपने पांव के नीचे दबा सकता था। 1960 में भी उन्हें नियंत्रण में रखा जा सकता था। परन्तु इस समय हालात पूर्णत: भिन्न हैं। सभी लोग अभाव और भ्रष्टाचार से तंग हैं। इस प्रकार के बल प्रदर्शन से सरकार ने भी श्री जार्ज फर्नान्डीज़ के पीछे सभी मजदूर संघों को एकत्रित कर दिया है। यदि उन्हें अलग कर दिया जाता और बातचीत से समझौता हो जाता तो स्थिति भिन्न होती।

यदि सरकार बल प्रयोग से अपनी दृढ़ता दिखाती रही तो देश में हडताल के बाद हडताल होती रहेगी। न केवल अन्य रेल कर्मचारी बल्कि अन्य सभी वर्गों के कर्मचारी भी हडताल में शामिल हो जायेंगे क्योंकि देश में कोई भी ऐसी परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकता जिन में जीवन बसर करना दूभर हो जाये। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। सरकार को बुद्धिमता से काम लेना चाहिये। सूझबूझ और समझदारी से काम करके समझौता कर लेना चाहिये।

रेल कर्मचारी बोनस, सरकारी क्षेत्र के साथ समानता और न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं। सरकार उन्हें ये सब देने से कैसे इनकार कर सकती है। उन्हें इन सब बातों से कैसे वंचित रखा जा सकता है। सरकार कहती है कि उसके पास धन नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को ये सब चीजे देते समय उसके पास कहां से धन आया था। यद्यपि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। ये सभी समस्याएं सरकार द्वारा स्वयं पैदा की गई हैं। सरकार को बुद्धिमता से काम लेना चाहिए। सभी कर्मचारियों को यह महसूस करना चाहिये कि सरकार उनके हित में सोचती है। सरकार के सहानुभूतिपूर्ण रवैये से ही वे सदबुद्धि दिखायेंगे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : सभापति महोदय, मैं महसूस करता हूं कि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने स्वीकार किया है कि यह अविश्वास प्रस्ताव अपने असली विषय से परे हट गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने भाषण में कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव इस लिए लाया गया है क्योंकि कल इसपर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई थी। तथ्य यह है कि सरकार ने कल चर्चा की अनुमति इस लिए नहीं दी कि इस सभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

यह बात नहीं कि सरकार रेल कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं कर रही है। यदि सरकार पर कोई आरोप लगाया जा सकता है तो वह यह है कि वह अनेक बार कर्मचारियों की मांगों के प्रति उदार रही है। देश में यह धारणा बनती जा रही है कि कोई भी मांग की जाती है चाहे वह असंगत ही क्यों न हो और सरकार उसे स्वीकार कर लेगी। अब समय आ गया है जब सरकार को दृढ़ निर्णय करना होगा। जब तक ऐसा नहीं किया जाता मुद्रा स्फीति की स्थिति अधिक खराब हो जायेगी और कर्मचारियों के हितों को हानि पहुंचेगी।

बोनस के बारे में मेरे मित्रों ने यहा तक तर्क दिया है कि बोनस पर केवल 40 करोड रुपये व्यय होंगे। परन्तु याद रहे कि जब सरकार रेल कर्मचारियों की बोनस सम्बन्धी यह मांग मान लेती है तो सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियो को भी बोनस देना पड़ेगा। सरकार देश की वर्तमान परिस्थितियों में 500 करोड रुपये का बोझ नहीं उठा सकती। इससे मुद्रा स्फिति बढ़ेगी और यह कर्मचारियों के हित में नहीं होगा क्योंकि अनुभव यह है कि केवल मंहगाई भत्ता बढ़ाने से ही कर्मचारियों की समस्या हल नहीं होती। मंहगाई भत्ते और अन्य भत्तो में बृद्धिसे मूल्यों में वृद्धि हुई है। सरकार का प्रथम कर्तव्य यह है कि मूल्यो में नियंत्रण में रखे।

यदि यह बात नहीं समझी जाती तो यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत किया गया है। यह इस कारण से है कि सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के समस्या को बनाये रखा है।

सरकार ने समतावादी समाज स्थापित करने का निर्णय किया है। सरकार अपने ऊपक्रमों और विचारों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दे सकती। मेरे विचार में सरकार के निर्णय ठीक हैं और वह अविश्वास प्रस्ताव असंगत है।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगूल) : हम रेल हड़ताल सम्बन्धी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि रेल कर्मचारी तथा उनके नेता इस सरकार में बहुत पहले ही विश्वास खो चुके हैं। हमें इस विषय पर राजनितिक दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये। सभी राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि इस समस्या का एक राष्ट्रीय समस्या माना जाये और तदनुसार समस्या का समाधान किया जाये। रेल हड़ताल के मामले में सरकार कोई अच्छी कार्यवाही न करके गलत कार्यवाही कर रही है। सरकार को यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान करना चाहिये।

समाचार पत्रों के अनुसार 15 लाख रेल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। यदि सरकार आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम या भारत रक्षा नियमों के अधीन इनपर अभियोग भी चलाये और यदि उन सब को सेवा से हटा दिया जाये तो रेलवे विभाग में प्रशासन कैसे चलेगा। सरकार को समझना चाहिये कि गोलियों, संगीनो, लाठियों या आरोप पत्रों से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को कर्मचारियों के प्रति हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

सरकार समिति ने 1956 अथवा 1957 में अपना प्रतिवदन प्रस्तुत किया था। उसे लागू नहीं किया गया। उसके वांचू समिति बनी। उसने भी कुछ सुझाव दिये। उनको भी लागू नहीं किया गया। सरकार रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार करके उनकी समस्या हल नहीं कर रही है। जेल में उन्हें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जो संविधान के अनुच्छेद 21 अथवा 22 में एक नागरिक को प्राप्त है। अतः सरकार जेल में बन्द व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने में असफल रही है। सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नही बनाना चाहिये। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इसे राष्ट्रीय समस्या माना जाये क्योंकि आज जबकि मूल्य बढ़ते जा रहे हैं हड़ताल से देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह रेल कर्मचारियों की समस्याओं यथाशीघ्र समाधान करे।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): There is no justification for moving a no-confidence motion on the subject which have been discussed for five hours on the 2nd May. I have failed to understand it. The opposition has misused their rights by bringing this motion. They want to derive political benefit in the name of demands of the employees. Our country is fully capable in giving reply to them.

The question of arrest of Shri George Fernandes has been raised. He has been arrested because of the fact that he has been instigating the employees for strike while the negotiations were going on.

As far as the demands of the railway employees are concerned, 6 out of the 8 demands have been conceded. The two demands are parity in pay scales and payment of bonus are remaining. The Minister has already expressed his inability in regard to bringing of parity in pay scales and the question of payment of bonus can only be taken after the report of Bonus Review Committee is received.

It is also a fact that Government have accepted the decisions of the Maibhoy Committee already as a result of which about 3 lakhs casual employees would be benefitted. The recommendations of the Pay Commission have also been implemented.

[Shri Narsingh Narain Pandey]

The Government is not against for a negotiated settlement. But the employees have resorted to undemocratic and wrong methods. It will be injustice to our country to destroy railway property. It is hoped that the employees will see through the game of the politicians behind this strike and they will call it off.

श्री पिलू मोदी (गोधरा) : मैंने इस चर्चा में अन्तर्गत दिये गये भाषणों को सुना है। इन से यहपता चलता है कि सभी भाषण पक्षपातपूर्ण हैं। अब स्थिति यह है कि हडताल कर दी गई है अब इसे समाप्त करने के लिये शीघ्र ही कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। क्योंकि जब तक हडताल जारी रहेगी हमें हर घन्टे में करोडों रुपये की हानि होती रहेगी अतः इस दिशा में शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिये।

इस प्रकार के वातावरण में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस पार्टी और साम्यवादी दल दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया है। दोनों में जो प्रेम था वह समाप्त हो गया जान पडता है। ऐसी स्थिति कांग्रेस के भारी बहुमत के कारण उत्पन्न हुई है।

कुछ मामले बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्रधान मंत्री से कहना चाहिये कि वह हस्तक्षेप करके हडताल समाप्त कराये। एक दूसरे को दोषी कहने में कोई लाभ नहीं है। सब से पहले तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को रिहा किया जाये। ताकि बातचीत आरंभ हो सके। बातचीत बिना किसी शर्त के आरंभ होनी चाहिये।

बडे खेद की बात है कि उपमंत्री, जो बातचित में भाग ले रहे थे के परिवार में एक मृत्यु हो जाने के कारण भाग नहीं ले पाये। परन्तु क्या इस कारण समूची सरकार का काम बन्द हो गया था। क्या उनके स्थान पर कोई और बातचीत में भाग नहीं ले सकता था।

हडताल को आरम्भ हुए दो दिन हो गए है। अभी तक यह निर्णय नहीं हुआ कि कितने प्रतिशत गाडियां चल रही है। दोनों ओर से भिन्न भिन्न दावे किये जा रहे हैं।

हम लोकतन्त्र में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। परन्तु सदन के दोनों पक्ष संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों की बात करना निरर्थक है।

हडताल करने का अधिकार मौलिक है परन्तु यह कहां पर लिखा है ? सामूहिक रुप से लाभ के लिये बातचीत करना लोकतन्त्र का आधार है और यदि सरकार कर्मचारियों का हडताल करने के अधिकार वंचित करना चाहती है तो उन्हें उसके स्थान पर प्रतिकर देना होगा। सरकार ऐसी अनेक सेवाओं को आवश्यक घोषित कर सकती है और वहां के कर्मचारियों को हडताल के अधिकार से वंचित कर सकती है परन्तु ऐसी स्थिति कर्मचारियों की शिकायते दूर करने के लिये विशेष व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये और इस अधिकार के स्थान पर उन लोगों को विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता मिलना चाहिये।

कांग्रेस पार्टी के भारी बहुमत में भी यदि लोकतन्त्र सुरक्षित नहीं तो यह कैसे हो सकता है। आज यह-बहुमत कैसे कार्य कर रहा है, हम जानते है। यहां पर हडताल के बारे में निर्णय भी बहुमत किय जा रहे है। संसद के सत्र की अवधि बढ़ायी जाये या नहीं यह भी बहुमत से तय किया जायेगा। हमें लोकतन्त्र के बारे में अध्ययन करना होगा। लोकतन्त्र केवल बहुमत द्वारा शासन नहीं होता यह तो शासित की अनुमति से शासन होता है। ऐसी सरकार में सभी भागीदार होते हैं। हमें इसी समय किसी को दोषी ठहराने के बजाय हडताल को शीघ्र समाप्त करने के उपायों पर विचार करना चाहिये। मेरी रेल मंत्री से अपील है कि अनावश्यक बातो में समय न खोकर काम की बात कहें और हडताल समाप्त करने के लिये कोई समझौता करे। इसमें किसी शक्ति या प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है।

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): The railways play a very important role in the economic life of our country and the railway employees have always shown great patriotism and have kept the good of the country above everything. I have no doubt that even now they would stand by those who do not think it proper to dislocate the railways.

It is being said that prices are skyrocketing and many commodities are not available at all, resulting in great hardship to the lower classes. In view of all these problems the responsible persons should have thought whether this step would mitigate their hardships or increase them.

No doubt, railwaymen have certain grievances. Nobody can say that they are getting everything and that their standard of living needs no further improvement. But we have to consider whether it is advisable for any reasonable person to take such a step in the present critical situation.

It is said that the right to strike is the most fundamental right of the workers. But wisdom demands that it should be exercised judiciously.

It should be borne in mind that Government have already conceded many of the demands of the railwaymen. So it cannot be said that Government have adopted a stiff attitude towards them. We realise that if we wish to bring about development in the country, it is possible only with the cooperation of the workers.

This No-Confidence Motion is politically motivated. Opposition parties should stop thinking in terms of petty political gains and try to bring the strike to an end so that we may hold talks and arrive at a settlement. The earlier it is done the better it would be for the people who are facing great difficulties at present.

I would like to assure the House that Government has no ill-will against the employees and we would do our best to keep them satisfied. Employees should realise the difficulties of the people and call off their strike.

श्री समर गुह (कोटाई) : मैंने सरकारी दल के सदस्यों के भाषण बडे ध्यान से सुना है। एक मंत्री महोदय ने तो प्रतिपक्ष से अपील भी की है कि हडताल को समाप्त करने के लिये सहायता करे। कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने प्रतिपक्ष पर आक्षेप भी किये है। उनमें बाबूजी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि प्रतिपक्षी दल हडताल से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मैं शासक दल के सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था। मजदूर वर्ग की समस्याओं पर हुई हडताल के मामले को शासक दल एक राजनीतिक टकराव का विषय बना रहा है। हडताल करना श्रमिक वर्ग का अधिकार है। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिये वे लोग इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज़ के विरूद्ध अनेक आरोप लगाये गये हैं। क्या वह सरकार के विरूद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे थे। क्या प्रतिपक्षी लोग कोई मूर्ख हैं। क्या इन दलों का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिक संघों पर नियंत्रण नहीं है। प्रतिपक्षी वालों ने समन्वित ढंग से कार्यवाही की है। व सरकार के साथ बातचीत द्वारा समझौता करना चाहते थे। यदि ये लोग राजनैतिक लाभ उठाना चाहते तो अन्य क्षेत्रों में भी गड़बड़ हो सकती थी। राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे सरकार के विरुद्ध बडे पैमाने पर उपद्रव कर सकते थे।

हाल ही में दो तीन बन्द आयोजित किये गये गये हैं। क्या इनका रेल हडताल से कोई सम्बन्ध था? कतई नहीं था। यह हडताल रेल कर्मचारियों ने की है। यदि राजनीतिक दल चाहें तो आर्थिक संकट से राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं। आज लोग महंगाई के कारण बहुत तंग है। वे क्रान्तिकारी कार्य करने को भी तैयार हो सकते हैं। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया।

यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता तो इस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने अन्य विषयों को चर्चा में न लेकर केवल रेल हडताल पर ही चर्चा की है। हम हडताल के परिणामों को समझते है। सरकार को समझौता कराने के लिये तुरन्त बातचीत आरंभ करनी चाहिए।

[श्री समर गुहा]

श्री जार्ज फर्नान्डीज को बदनाम करने का प्रयत्न किया गया है। उन्होंने जेल में होते हुए वार्ता आरंभ करने की पेशकश की है। वह रिहा हुए बिना बातचीत करने को तैयार हैं। मैं समझता हूं कि सरकार शक्ति परीक्षण करके हडताल को कुचलना चाहती है। समूचे देश में पुलिस राज स्थापित किया जा रहा है। सरकार जानती है कि इस की गलत नीतियों के कारण देश में उनकी स्थिति को खतरा है।

सरकार रेल कर्मचारियों के नेताओं के विरूद्ध झूठा प्रचार कर रही है। मैं सरकार का ध्यान सभी कार्मिक संघ संगठनों द्वारा जारी किये संयुक्त परिपत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें रेल कर्मचारियों से अहिंसात्मक ढंग से व्यवहार करने को कहा गया है। अब सरकार कर्मचारियों में फूट डाल रही है। श्री ए० पी० शर्मा पहले तो हडताल के समर्थक थे परन्तु अब नहीं हैं। कहा गया है कि बोनस और वेतन में समानता की मांग गलत है।

रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने समझा है कि वह रेलवे यूनियनों में दराड़ पैदा करने में सफल हो जायेंगे। उन्होंने लाखों पर्चियां प्रकाशित कराई हैं जिनके द्वारा निराधार और झूठे वक्तव्यों से वह रेलवे कर्मचारियों के वर्गों में भेद उत्पन्न करना चाहते हैं। किन्तु वह अपने जाल में स्वयं ही फांस गए हैं।

बाबूजी, (रक्षा मंत्री) ने कहा है कि वह मांगों से तो असहमत नहीं हैं किन्तु, रेल कर्मचारियों के लिए ये उचित समय नहीं है। मैं बाबूजी से पूछना चाहता हूं कि क्या अन्य उद्योगों के कर्मचारियों को बोनस देने का यह उचित अवसर है? अब सरकार ने स्वयं बोनस विधेयक पेश किया और उसे यहां पारित किया तो क्या वह उचित समय था?

रेल मंत्री ने रेल कर्मचारियों के प्रति लोगों में भ्रान्तियां उत्पन्न करने का प्रयास किया है। और उन्हे गलत आंकड़ें बतायें हैं। दूसरे वेतन आयोग के बाद आजतक उनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई है। सरकार कहती है कि वह इस समय अधिक देने की स्थिति में नहीं है। बोनस के मामले पर बातचीत द्वारा विचार क्यों नहीं किया जाता। राष्ट्रीय वेतन ढांचे को समानता के सिद्धान्त पर लाना चाहिये।

आज देश के प्रत्येक समाचार पत्र में यह बात कही जा रही है कि यह सारे संकट की जिम्मेदारी सरकार पर है। लोगों को गलतफहमी मे डालने के लिए सरकार ने आकाशवाणी का प्रयोग किया है। किन्तु सरकार की यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि रेल कर्मचारी भी इसी देश में जन्मे हैं, उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया है।

यदि इस रेल हडताल से संकट, अराजकता, अस्तब्यस्तता, महाविपत्ति, तथा अन्य राजनीतिक संकट घट सकते हैं तो इन सब की जिम्मेदारी सरकार पर ही होगी। सरकार ने केवल मजदूर वर्ग एवं कार्मिक संघ आन्दोलन का दमन करने के लिये ही ऐसें उपाय किए हैं। यदि सरकार न्याय की दुहाई देती है तो गिरफ्तार व्यक्ति भी रिहा किया जाना चाहिए और साथ साथ बातचीत आरम्भ करनी चाहिए तथा सम्मानित समझौता करना चाहिए किसी पक्ष को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए।

श्री विक्रम महाजन (कांगडा) : इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत अथवा निष्फल ही नहीं होते बल्कि ये सदन का बहुमूल्य समय भी नष्ट करते हैं। यह निर्विवाद बात है कि श्रमिक को राष्ट्रीय उत्पादन का उचित भाग मिलना चाहिए। उन्हें जीवन की प्रत्येक आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलनी चाहिए। उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिए। परन्तु वर्तमान स्थिति में जबकि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हडताल का समर्थन करने से यह शंका होती है कि श्रमिक वर्ग की सहायता देने से कोई लाभ नही होगा बल्कि इससे देश में संकट और पैदा होगा। रेल कर्मचारियों की देश-निष्ठा में किसी को कोई शंका नहीं है। किन्तु कुछ राजनीतिक दल उन्हें पथभ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तथा संकट और अस्ताव्यस्तता फैलाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए बाबूजी ने वफादार रेल कर्मचारियों से अपील की है कि वे वापस काम पर आ जाएं और हडताल का नोटिस वापस ले लें। सरकार उनसे सदैव समझौता करना चाहती है। यदि ऐसी स्थिति में रेल कर्मचारियों को बोनस दी जाए तो

रेल के राज कोष पर इतना दबाव पडेगा कि इससे किसी तीसरे व्यक्ति की हानि उठानी पडेगी। यदि सरकार ने नोट छापने आरम्भ कर दिए तो चारों ओर मुद्रास्फीति फेल जायेगी और इससे ग्रामीण श्रमिकों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडेगा। रेल कर्मचारियों को अन्य वर्गों के कर्मचारियों से फिर भी अधिक वेतन मिलता है।

यदि सरकार ने रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए रेल किराये में वृद्धि की तो रेलों की सेवाओं का उपयोग करने वाले लाखो व्यक्तियों को हानि उठानी पडेगी। रेल कर्मचारियों की वेतन या बोनस का भुगतान करने सम्बन्धी मांगें मानली जाए तो इससे अन्य वर्गों के कर्मचारियों पर अप्रत्यक्ष कर लगेंगे। अतः इस वर्तमान परिस्थिति में देश के आर्थिक संकट को दृष्टि में रखते हुए ये मांगे उचित नहीं है।

श्री फर्नेंडीज का यही प्रयास रहा है कि सरकार पर दबाव डाला जाए और हड़ताल की धमकी देकर मांगे मनवाई जाएं। जब बातचीत करने वाले दल के कुछ सदस्यों द्वारा दबाव और धमकियों से मांगे मनवाने का प्रयास किया जा रहा है तो सरकार के सामने इन मांगों को ठुकराने के सिवाय और कोई चारा नहीं। जब विपक्ष ने रेल कर्मचारियों को पथभ्रष्ट कर दिया है तो सरकार के सामने हड़ताल का मुकाबला करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं रह गया है। सरकार को कुछ राजनीतिक दलों की चालों में नहीं आना चाहिये।

मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सम्मानपूर्वक समझौता हो जाएगा जिससे रेल कर्मचारियों को लाभ होगा। मुझ यह भी विश्वास है कि व अपनी गल्ती को भी महसूस करेंगे कि वें कुछ विपक्षी दलों के बहकाव में आ आए हैं और अपना कदम वापस हटाएंगे एवं हड़ताल का नोटिस वापस लेकर बातचीत करने के लिय तैयार हो जायेंगे।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): Government has forced the railway employees to go on strike by closing down all prospects for settlement by arresting their leaders when the negotiations were going on their demands. If Government adapts a role to break the railway employees' strike through the means of repression and victimization of employees, this cannot be called a democratic role of Government. Government are utilising territorial army, B.S.F. and Military force to crush this very movement. Probably they are using this force even to suppress the railway strike. But Government should not overlook that there is turmoil even in the army and thus Government themselves has posed a danger to democracy.

This Government is responsible today for precipitating anarchy and chaos in the country. When the doors of negotiations have been closed for the representatives of the railwaymen, they have no other alternative but to resort to strike. If Government adapts such repressive measures to crush and suppress the present strike, it will be responsible for more explosive situation. Government should not forget the fact that they are sitting on a volcano, which might explode at any moment in the present conditions.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

If an agreement is not arrived at after having released all the arrested persons, the entire country and all the trade unions will go on strike.

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र): यह आरोप सत्य नहीं है कि रेल मंत्रालय हड़ताल के सम्बन्ध में समझौता नहीं करना चाहता और श्रमिक आन्दोलन को कुचलना चाहता है। आप जानते हैं कि समझौते के लिये हमने प्रयास किये हैं। यह भी सच है कि हड़ताल के लिये सारे देश में तैयारीयां जारी हैं। इसलिये हमने अपने अधिकारियों और प्रतिष्ठानों को स्थिति का सामना करने के लिये सतर्क कर दिया। हमारे सामने एक गंभीर आर्थिक संकट है और फिलहाल भारतीय रेलवे कोई जोखिम नहीं उठा सकती। अतः

[श्री एल० एन० मिश्र]

संकट का सामना करने के लिये हमें तैयारी करनी ही थी। कुछ लोगों का कहना है कि हम बातचीत करके समझौता नहीं करना चाहते। यह बात गलत है। मेरे और श्री जाज फर्नान्डीज़ के बीच 4 या 5 जनवरी से बातचीत चल रही है।

रेल कर्मचारियों की पहली मांग यह है कि उत्पीड़न के मामले वापस लिये जायें। यह स्वीकार किया गया कि उत्पीड़न के सभी मामलों की उपमंत्री द्वारा जांच की जायेगी और जायज़ कठिनाइयां दूर की जाएंगी।

दूसरी मांग काम के घंटों के सम्बन्ध में हैं। मियांभाई न्यायाधिकरण ने इस प्रश्न की जांच की और उसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

कार्य मूल्यांकन स्थायीकरण, खाद्यान्नों की सप्लाई और असमानता समिति की नियुक्ति करने संबंधी मांगे मान ली गई हैं। 30 तारीख की शाम तक के केवल दो मांगें नहीं मानी जा सकीं जिन में से एक मांग यह है कि रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी माना जाए और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों कर्मचारियों के समान उन्ह वतन दिया जाए और महंगाई भत्ता और बोनस पर विचार किया जाए। ये दोनों मांग विचाराधीन हैं। अतः यह कहना गलत है कि हम बातचीत में रुकावट पदा करना चाहते है या बातचीत नहीं करना चाहते।

बोनस और समानता के प्रश्न पर मैं बातचीत नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें बहुत अधिक राशि अन्तर्ग्रस्त है। वतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 110 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यदि हमने ये दोनों मांगे स्वीकार कर लीं तो हमें 600 करोड़ रुपये की राशि और देनी पड़ेगी। एक वर्ष में 40 प्रतिशत वतनवृद्धि हुई है। इतनी वतम वृद्धि किसी देश में किसी उद्योग में नहीं हुई। अतः यह संभव नहीं है।

श्री जार्ज फरनान्डीज़ हड़ताल के लिये ही कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि वह किसी और ही कार्य में लगे हुए थे। वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त करना चाहते थे। वह देश को संकट में डालना चाहते थे। हम उनसे बातचीत कर रहे थे।

मैंने 30 तारीख को उनसे अनुरोध किया कि वह समझौता कर लें। यदि हम उन्हें गिरफतार करना चाहते तो 30 तारीख को ही कर सकते थे। उन्होंने काफी तैयारियां कर रखी थीं, इसके लिये हमारे पास पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। धनबाद से प्रकाशित होने वाले हिन्दी साप्ताहिक 'आवाज़' के 28 अप्रैल के अंक में श्री फरनान्डीज़ का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। गोमोह और अन्दल में दौरा करते समय श्री फरनान्डीज़ ने रेल कर्मचारियों से रेल का पहिया जाम करने और रेल मंत्री को सबक सिखाने के लिए कहा है। यदि 15 दिन तक गाड़ियां नहीं चलीं तो खाद्यान्नों के न पहुंचने के कारण देश में त्राहि त्राहि मच जायेगी और आधी जनता भूख से मर जायगी। इससे स्पष्ट है कि श्री फरनान्डीज़ देश की अर्थ-व्यवस्था ठप करना चाहते थे।

मुगलसराय में हिंसक भीड़ ने दो गाड़ियां रोकी हैं और सिगनल से बाहर 6 गाड़ियां रोकी गई हैं। भीड़ ने अपने कर्त्तव्य का पालन करने वाले कर्मचारियों को जबरन वहां से बाहर निकाला। उन्हें मारा पीटा। उन लोगों का हड़ताल करने का यह तरीका था।

हड़ताल और कुछ कर्मचारियों द्वारा डराने और धमकाने के बावजूद अत्याधिक संख्या में कर्मचारी अपने काम पर आये हैं। देश उनकी इस निष्ठा को कभी नहीं भूलेगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि पथभ्रष्ट रेल कर्मचारी सही रास्ते को अपनाएंगे। अन्य केन्द्रों से प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि अधिकाधिक लोग अपने काम पर लौट रहे हैं।

Shri Shyam Nandan Mishra: I am very sorry to say that the speeches of all the three ministers of the ruling party have been very disappointing. Now we hope that Prime Minister will say something notable.

Both the parties admit that the railway strike will do great damage to the country and both of them want early settlement. But even then nothing fruitful is coming out. It is said that the strike is politically motivated, when the fact is this that Government itself bring politics in everything and the country is facing the consequences.

What are the factors responsible for bringing this situation. Prime Minister's letter to the Chief Ministers is one of them. What was the necessity for her to write that letter? Then the Home Minister said that MISA will be used for teaching a lesson to the persons concerned. The role played by AIR and TV is well known. Government itself is doing false propaganda and blames George Fernandes, whereas fact is that he has shown great restraint.

Forthly the arrest of 6000 Railway workers made the situation worse. It discontinued the negotiations.

Is it justice not to pay equal wages for equal work? Government should give an answer to this.

The Government agreed to the payment of bonus to workers in industries and even in those industries which were incurring losses. Then how can the railway workers be denied bonus?

The difference in the minimum wages of a railway worker and that of other industries is Rs. 100. How this discrimination can be explained to railway workers? We are ready to cooperate Government provided they are ready to give just treatment to railway workers.

During the last few days prices have increased to a great extent. Inflation has come. Disparity is increasing with a great speed. All this is happening due to our wrong policies.

We should formulate a national policy on wages and salaries. For the prosperity of the country have a price and the price is in austerity. But I should suggest that all the persons including President should observe austerity. Only then we can put that ideal for railway workers also.

Government should release George Fernandes and other leaders immediately and start negotiations. It will not effect its prestige.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): It is correct to say that both the parties want a settlement and both realise that the strike will do great harm to the interests of the country. Then why there is no settlement? It is because the opposition parties are inciting the workers for their political ends.

It is not true to say that Government want to pressurise the workers and want to crush them. The fact is this that these 10 lakhs trade union members want to destroy 55 crores of people of the nation. They want that all their demands should be accepted under pressure.

Out of eight demands of railway employees, six have already been accepted by the Government. It is not possible to accept the demand that there should be parity between the railway employees and the workers in public undertakings.

Another demand of the railway workers is for bonus. The Government should take a decision to link bonus with production. That decision should be applied in the case of railway employees also.

[Shri Bhagwat Jha Azad]

Shri Lakkappa has said that his party has been continuously facing defeat and why should we bother about them. My contention is that continuous defeat has frustrated them and they are out to corner the Government, whether the means adopted by them are right or wrong. They want to side any body who is against the Government—whether it be railway strike or something else. They are creating such conditions in the country which are dangerous to our economy and political stability.

Shri Piloo Modi was talking about the rights in a democracy. I want to know whether by democratic rights he means that we should act according to the wishes of minority. I agree that majority must take the minority into confidence. But in case the minority does not agree with majority, should we leave the administration to minority.

Much criticism has been raised about the letter written by the Prime Minister to the Chief Ministers of the States. In my opinion the entire criticism is uncalled for. She has done a right thing by writing the said letter. She would have failed in her duty if she had not written to the Chief Ministers to be ready to face the railway strike and ensure safety of railway property and movement of essential commodities like foodgrains, coal etc. After all she represents 55 crores of people.

The Hon'ble Members have expressed their anger about the arrest of Shri George Fernandes. They have criticised the Government right and left on this point. But Government was fully justified in arresting him. He was not interested in the welfare of the railway employees. His only aim and objective in instigating the railway workers to go on strike was to destroy the country's economy so that the common people are put to untold hardships and sufferings and the Government is compelled to quit office. We are quite aware about their designs. They want to pressurise the Government and come to power. We are not going to oblige them.

The decision taken by the Government to face the strike is correct. It is not that the Government wants to fight against the railway workers, but at the same time it is the duty of the Government to safeguard the railway property and ensure the movement of essential goods. It is the responsibility of the Government to ensure the supply of wheat in Maharashtra from Punjab in order to save the people from starvation there. We can not allow the railway wheel to be jamed and thus leave the people to their fate.

The opposition parties have tried to show themselves as the great well wishers of the employees by branding us anti-labour and all that. I want to make it clear that we are not against the employees. We are always with them. It is during the rule of our party that their wage bill has increased by forty per cent in a period of one year. I appeal to the railway workers to call off the strike and resume negotiations. If the strike is called off the Government should release their arrested leaders. Negotiated settlement is the correct solution of the problem.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : अध्यक्ष महोदय की बात सुनते समय मैं यह समझ नहीं पाया कि क्या वह स्थिति की गंभीरता से पूरी तरह अवगत हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिये कि यदि हड़ताल होती है—हड़ताल आरम्भ हो ही गई है और यह काफी लम्बे समय तक चलती है तो उससे देश की और उसकी अर्थ-व्यवस्था को भारी हानि हो सकती है।

इस अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोजन क्या है। उसका उद्देश्य इस तथ्य पर जोर देना है कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के कारण ही हड़ताल हुई है। उसने बातचीत के चलते हुए ही रेल कर्मचारियों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

इसके उत्तर में एक तर्क यही दिया गया है कि श्री जार्ज फरनान्डीज़ देश की अर्थ-व्यवस्था में गिरावट लाना चाहते थे उसे समाप्त करना चाहते थे। किन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि छः मांगों के संबंध में मैतक्य हो गया था तो जब बातचीत चल रही थी नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया गया।

हड़ताल से हमारी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ेगी यदि यह एक मास चली तो कितनी भारी होनी होगी।

[श्री इसहाक सांम्भली पीठासीन हुए
SHRI ESHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं कि हम हड़ताल को स्थगित करा कर बातचीत शुरु करें। विरोधी दल के लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफतार नेताओं को रिहा किया जाये जिससे कि बातचीत पुनः आरम्भ हो सके। इसका यही उत्तर मिला कि बातचीत तभी शुरू होगी जब कर्मचारी हड़ताल का नोटिस वापस ले लेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने हड़तालियों को हड़ताल समाप्त करने के लिये बाध्य करने का निश्चय कर लिया है।

सरकार के अपने फैसले के अनुसार कारखानों में हानि हो या लाभ बोनस अवश्य दिया जायेगा। अगर मानदण्ड यही है तो सरकार मुकर क्यों रही है। यदि आर्थिक दृष्टि से रेल कर्मचारियों को बोनस देना सम्भव नहीं है तो हमें यह मान लेना चाहिये कि उनकी मांग उचित है तथा यथासमय पूरी की जायगी। क्या इससे इतना अधिक बोझ पड़ जायेगा कि इससे देश की अर्थ व्यवस्था या रेल समाप्त हो जायगी। यह सब गलत है। आज अगर हड़ताल एक सप्ताह तक भी चली तो इसे अतुल्य क्षति होगी।

सरकार को रेल कर्मचारियों की मांग पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये। बोनस के मामले पर सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिये। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में काम करने वाले फिटर या वेल्डर में और हेवी इलेक्ट्रिकल्स रांची में काम करने वाले फिटर या वैल्डर में क्या अंतर है? फिर दोनों के वेतनमानों में अंतर क्यों है।

कुछ कांग्रेसी सदस्यों द्वारा कृषि मजदूरों के साथ रेल कर्मचारियों का मुकाबला किये जाने से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। यह बहुत शर्म की बात है कि कृषि मजदूरों की ऐसी दयनीय स्थिति है। किन्तु यह एक अलग विषय है। आज तो प्रश्न संगठित श्रमिकों का है। रेल कर्मचारी अपनी बात को अधिक बल-पूर्वक कह सकते है। मैं फिर कहूंगा कि सरकार ने नेताओं की गिरफ्तारी करके भारी गलती की है। मुझे आशा है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं उन देश भक्त व्यक्तियों के प्रति जो इन सब खामियों के बावजूद दैनिक जीवन को विशेषतया रेल परिचालन को यथावत बनाये रखना चाहते हैं सहानुभूति प्रकट करता हूं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अथवा मेरा दल श्रमिक वर्ग के संघर्ष के विरुद्ध है।

जब मैं चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों, विशेषतया वर्कशाप कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करता हूं तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इंटैगरल कोच फैक्ट्री आदि जसे कारखानों के रेल श्रमिकों को भी वही अधिकार एवं सुविधायें मिलनी चाहियें जोकि सरकारी क्षत्र के अन्य कारखानों के श्रमिकों को मिलते हैं तथा यह भेदभाव और विषमता दूर होनी चाहिये।

संसदीय लोकतंत्र-प्रणाली में विरोधी दल अथवा दलों का यह अधिकार होता है कि सरकार की किसी आर्थिक नीति अथवा अन्य नीति के विफल हो जाने पर वह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये और यदि सरकार अपने दायित्वों को निभाने में पूर्णतया विफल हो जाये तथा सदन का विश्वास खो बैठे तो देश के प्रशासन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले तथा देश का प्रशासन उस ढंग से चलायें जैसा कि

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

देश की जनता चाहती है। यदि यह अविश्वास प्रस्ताव इस उद्देश्य से लाया गया होता तो हमें प्रसन्नता होती परन्तु जिस उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया गया है वह सही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लाते समय अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले दल अथवा दलों का यह दायित्व हो जाता है कि वह देश के समक्ष एक व्यापक प्रस्ताव रखें कि यदि सरकार की पराजय हो गई तो हम सरकार को इस ढंग से चलायेंगे यह हमारा कार्यक्रम है तथा यह हमारी योजना है। परन्तु क्या ऐसा किया गया है ? क्या वे विरोधी दल जो श्रमिकों की सहानुभूति में यह अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं, वे श्रम सम्बन्धी नीतियों के बारे में एकमत हैं ?

जहां तक श्रमिकों का संबंध है हमारा दल हमेशा श्रमिकों का समर्थक और हिमायती रहा है तथा रहेगा। परन्तु श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करते समय हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि हमारे देश में गरीब किसान ही सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ है जिसकी न कोई नियमित आय है तथा जिसे रोज खाना भी उपलब्ध नहीं होता और जिसके बच्चों को शिक्षा की सुविधायें भी प्राप्त नहीं हैं। अत: विचार करने योग्य बात यह है कि क्या श्रमिक वर्ग के आन्दोलन को समर्थन देते समय किसानों के हितों की अवहेलना की जा सकती है जैसा कि श्री ज्योतिर्मय बसु कर रहे हैं।

वास्तविकता यह है कि देश के प्रगतिशील आन्दोलन सही दिशा में नहीं चलाये गये हैं। देश के मध्यम वर्ग में ख्याति प्राप्त करने के लिये प्रगतिशील आन्दोलनों की प्रवृत्ति श्रमिक वर्ग के आन्दोलनों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने की रही है। इसके परिणामस्वरूप सरकार संगठित क्षेत्र में ही धन लगाती रही है। उन क्षेत्रों में धन नहीं लगाया जा रहा है जहां मजदूर वर्ग संगठित नहीं है और उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह सरकार पर दबाव डाल सके।

यदि सरकार 20 लाख रेल कर्मचारियों को और अधिक देना चाहती है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारे लोकतंत्र में आगामी 10–15 वर्षों में जो नई पीढ़ी आयेगी उसका क्या होगा। उनके लिये भी कोई व्यवस्था करनी होगी ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। आगामी 15 वर्षों की अवधि के लिये किसानों के हितों का भी ध्यान रखना होगा ताकि जमींदार सदा ही उन का शोषण न करते रहें।

सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि वह रेल कर्मचारियों के झगड़े को समाप्त करने में असफल रही है। वह हड़ताल को नहीं रोक पाई है। उसने हड़ताल को बड़ी बेदर्दी से कुचला है। मुझे विश्वास है कि देश की जनता को सरकार में अभी भी आस्था है और वह उसका सम्मान करती है। हम यह सिद्ध कर देंगे कि हम इस हड़ताल को शक्ति से नहीं दबा रहे हैं। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिन्हें कुछ न कुछ मिल रहा है अथवा उन लोगों को जिन्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जिन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है उन्हें कुछ न कुछ मिलना चाहिये। यही सरकार का फैसला है।

रेल कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिये। यह एक अच्छी बात है कि सरकार ने आज सहायता दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिये दुकानें खोलने की मांग स्वीकार कर ली है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उच्चतम प्राथमिकता रेल कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के उन बच्चों को दिया जाना चाहिये जो स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ रहे हैं तथा जिन्हें होस्टल में भोजन नहीं मिल रहा। सरकार को चाहिये कि उन युवकों को कर्मचारियों से भी अधिक वरीयता दी जाये।

मैं समझता हूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव असामयिक है। इसका उद्देश्य सरकार को कठिनाई में डालना है। इसके अतिरिक्त इसका कोई उद्देश्य नहीं है। विरोधी दलों का एकमात्र उद्देश्य देश में गड़बड़ी पैदा करना है। उन्हें अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): The Railway Minister is indulging in false propaganda. On T.V. the trains are being shown as running, whereas the facts are otherwise. His statement regarding the movements of trains reminds me the statement of Yahya Khan to the effect that Pakistan forces are marching forward. Whereas the fact was that the fall of Dacca was very near.

The Government is saying that the loyal workers are running the trains. But who are those loyal workers? What is the definition of a loyal worker? I want to know whether a person who is not loyal to his own class—the working class—can be loyal to the Government ?

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

It has been alleged that the strike is politically motivated. If so, why atrocities are being committed against the workers, their children and old parents. The Government has adopted dictatorial methods to crush the strike. Their only weapon is force. It is astonishing to note that George Fernandes has not been allowed to consult a lawyer in the Jail. I am reading out a newspaper report wherein it has been reported that the Home Minister Mr. Uma Shankar Dixit today justified the refusal of the Tihar Jail authorities to allow the lawyers engaged for Shri George Fernandes to interview him on the grounds that the lawyers were 'probably smuggling letters' from Shri George Fernandes to railwaymen inciting them to go on strike. Such acts on the part of the Government are condemnable.

Shri S. A. Dange, an old trade unionist has stated as under:

> "Mr. S. A. Dange, General Secretary, All India Trade Union Congress, today called upon the Government not to stand on 'false prestige' but resume negotiations with railwaymen's leaders for a negotiated settlement.
>
> In a statement, Mr. Dange said that the Government's plea that it could not negotiate unless strike notices were withdrawn was 'ridiculous' because 'the Government were negotiating for four days coming to agreements on many vital points even while the strike notice had already been given. He said even the British Tory Government negotiated while all the coal miners had gone on strike."

Regarding bonus it has been stated that it should not be given. There will be discrimination if bonus is given. I am against any sort of discrimination. I do not want any disparity. In regard to bonus, the terms of reference of the Bonus Review Committee do not include the issue of bonus to railway workers. On this issue Government should not go by the committee reports alone.

In these 27 years of Congress regime, unemployment has increased, starvation has increased and prices have gone up unprecedently. I say if Government are prepared to give unemployment allowance of Rs. 100/- to each unemployed person, railwaymen will not demand a single paisa. We are ready for it.

The present strike cannot be suppressed by police action and excesses. It can only be ended by reaching some sort of negotiated settlement after releasing all the arrested workers and their leaders.

श्री पी० जी मावलंकर (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत ही गम्भीर बात है क्योंकि सरकार की इतनी अधिक आलोचना हुई है और उसके विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये हैं।

अन्य कई सदस्यों की भांति मैं भी सत्ताधारी दल के सदस्यों के भाषण सुनता रहा हूं। मुझे अफसोस है कि किसी ने भी इस विषय में ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं किये हैं कि रेल कर्मचारियों के नेताओं को जेल में क्यों रखा गया है?

[श्री पी० जी० मावलंकर]

माननीय श्री जगजीवनराम ने एक अपील जारी की है देश भक्ति के नाम पर। मुझे आश्चर्य है इस बात पर क्यों कि पिछले 2½ वर्षों से जो अराष्ट्रीय तथा अलोकतंत्रीय कार्य उन्होंने किये हैं, उसके बाद क्या ऐसी अपील करने का उन्हें अधिकार है? आज वे लोग स्वार्थ में लिप्त हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों को सहयोग दिया जाये जो इस योग्य ही नहीं है।

सरकार ने श्री फर्नान्डीस को 30 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने कर्मचारियों के नेताओं पर विश्वास ही नहीं किया। उनके साथ धोका किया गया। सरकार ऐसा करके स्वयं को ही धोके में रख सकती है।

क्या सरकार ने रेलवे हड़ताल के सभी प्रभावों पर विचार कर लिया है? सरकार जो "सत्यमेव जयते" के सिद्धांत का पालन करने की बात करती है, प्रेस विज्ञापनों या रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से सभी तरह के गलत और झूठे वक्तव्य दे रही है। सरकार को एक झूठ को सच बनाने के लिये उसे बार-बार दोहराना पड़ रहा है।

ऐसी बातों से लोगों का सरकार पर विश्वास उठ जायेगा। आकाशवाणी की सांस समाप्त हो जायेगी। रेल कर्मचारियों तथा उन के नेताओं पर सरकार हर तरह से दबाव डाल रही है। एक विकासशील लोकतंत्र में ऐसा किया जाना बहुत ही खतरनाक है।

प्रादेशिक सेना, सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सेनाओं पर सरकार निर्भर हो गई है। यदि किसी समय ये लोग भी सरकार का कहना मानने से इन्कार कर दें तो क्या होगा? जनता के आन्दोलनों के विरुद्ध प्रधानमंत्री अथवा रेल मंत्री को सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिये। गुजरात में राज्य की पूरी शक्ति जनता के आन्दोलन को दबाने में लगा दी गई। परन्तु फिर भी जनता की मांग स्वीकार करनी पड़ी।

यह अविश्वास प्रस्ताव गिर जायेगा किन्तु यह तो लड़ाई है। सत्ताधारी दल चुनावों के दौरान धन एकत्र करने के लिये सभी तरह के हथकंडे अपनाता है। मुझे विश्वास है अन्त में तो हम ही जीतेंगे।

Shri Jagdish Chandra Dixit (Sitapur): The opposition parties have claimed that labour has the birth right to resort td strike to press their demand. They have conveniently forgotten that more important than this is the right to work. Moreover this theory of strike has become outdated with the change of times. This theory has its origin in a society where labour is pitted against the capitalist. This is not so in the present set up. Therefore, the union leaders should reconsider their demands.

The present Trade Union Act is almost half a century old. Similarly the Industrial Dispute Act is as old as forty years. All these laws need a drastic revision in the light of changed circumstances. We must remember that strike has become an anti-social and anti-dated weapon. We should think twice before it is wielded against the public sector.

As regards the demand of railwaymen for parity with the public sector, it is not justified. There cannot be any parity between two sectors which are different in nature and functions. Besides, the railwaymen have already got an increase of 40 per cent in their wages recently.

It is wrong to accuse the ruling party for dividing the employees. Previously there were two federations. But today there are five. Who is responsible for this division? The superficial unity that is being paraded cannot last long.

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर): गत 2½ दशकों के दौरान कर्मचारियों की वास्तविक आय में वृद्धि दो प्रतिशत से भी कम हुई है जबकि उत्पादकता तथा अन्य चीजों में वृद्धि के बारे में लम्बी-चौड़ी बात कही गई है। अतः यदि रेल कर्मचारियों ने इस संकट के समय अपनी कतिपय मांगे रखी हैं और इन मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल की है, तो हम उन्हें दोष नहीं दे सकते।

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि श्री जार्ज फर्नान्डीस को गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है। रेल मंत्री ने आरोप लगाया कि श्री जार्ज फर्नान्डीस हड़ताल के लिए नहीं अपितु राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु इसका सबूत क्या है। केवल समाचारपत्रों में छपी रिपोर्टों के आधार पर उन्हे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिये था। हड़ताल का पहला कारण वह उतावलापन है जिसमें गाड़ियां रद्द की जाने लगीं और हड़ताल के विरुद्ध चलाया गया व्यापक अभियान है। कर्मचारियों में यह भावना जागृत की गई कि उन पर कड़ा आक्रमण किया जाने वाला है। इस बात के बावजूद कि हड़ताल का नोटिस दिया जा चुका था, बातचीत चल रही थी और बातचीत भंग नहीं हुई थी। श्रमिक संघ के नेताओं और कर्मचारियों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी शुरू हो गई।

पहला प्रश्न जिसे हल किया जाना चाहिये, समन्वय समिति के नेताओं और समूचे देश में रेल कर्मचारियों की गिरफ्तारी है। यदि उन्हें शीघ्र रिहा किया जाये तो स्थिति बदल सकती है। इसके बाद हम एक-साथ बैठकर समाधान ढूंढ सकेंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह विरोधी दलों और केन्द्रीय श्रमिक संघ के नेताओं के साथ बैठकर यह सुनिश्चित करें कि हम इसका कोई समाधान ढूंढेंगे। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तो शायद हम पुनः यह देख सकेंगे कि स्थिति सामान्य बन रही है। अन्यथा बड़ा टकराव होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह स्वीकार किया गया है कि एक स्वतंत्र और लोकतंत्री समाज में हड़ताल का अधिकार एक लोकतंत्री अधिकार है। सैद्धांतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किय जाने के अधिकार को मानता है किन्तु इस विशिष्ट अधिकार का कार्यान्वियन पसन्द नहीं किया जाता और न ही इसका अनुमोदन किया जाता है।

दूसरी ओर के अनेक सदस्यों ने कहा है कि विरोधी दलों के अनेक सदस्य किसान जैसे असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा करके संगठित श्रमिकों को अधिकाधिक मांगों के लिए उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूँ कि समाजवादी और साम्यवादी दलों ने कुछ एक वर्ष पहले भूमि मुक्ति आन्दोलन छेड़ा था और कांग्रेसियों ने भूमि मुक्ति आन्दोलन में समाजवादियों का साथ नहीं दिया था। जब हम किसानों तथा भूमिहीनों के लिए कहते है, ग्रामीण जनता के लिए न्यूनतम वेतन मांगते है तो ये लोग हमारा साथ नहीं देते।

जहां तक कर्मचारियों की मांगों का सम्बन्ध है कुछ लोगों ने यह विचार व्यक्त किया कि भारत जैसे विकासशील देश में यदि हमें देश का निर्माण करना है, तो अपर्याप्त संसाधनों को जुटाने की समस्या को हल करना होगा। यदि कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई है तो सरकार को श्रमिक संघों के साथ बैठकर उन्हें यह बताना चाहिये कि जहां तक बोनस के सिद्धांत का प्रश्न है, सरकार उसे स्थगित मजदूरी के रुप में स्वीकार करती है। यदि यह सिद्धांत स्वीकार किया जायेगा तो सरकार के लिए श्रमिक संघों के साथ बैठकर बातचीत करनी होगी और उन्हें यह बताना होगा कि पर्याप्त संसाधनों को प्राप्त करने में क्या कठिनाई सामने आ रही है। इस बात का पता लगाया जा सकता है कि देश में श्रमिक संघ, रेलवे, सरकार और जनता किस प्रकार अधिक संसाधन जुटा सकते हैं और जब संसाधनों का चरणबद्ध रूप में विकास हो जायेगा तो बोनस के सिद्धांत तथा सरकारी क्षेत्र में समानता के सिद्धांत को लागू किया जा सकेगा।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं नहीं जानती कि इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या प्रयोजन है मेरे विचार से इसका उद्देश्य केवल यह दिखाना ही है कि विपक्षी दलों में एकता है। यदि उनमें एकता है तो यह बहुत प्रशंसनीय बात है। सबसे पहले मैं ही उसका स्वागत करूंगी।

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी नीति श्रमिक विरोधी है। कई सदस्यों ने यह कहा है कि हम श्रमिकों के अधिकारों के लिये लड़ते हैं किन्तु क्या वह बता सकते हैं कि जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने मजदूरों के लिये कौन से कानून पास किये थे। इसके विपरित हमने अनेक ऐसे कानून पास किये हैं।

हम सदैव वार्ता के लिये तैयार किये हैं और अनेक वार हमने श्रमिकों की मांगे स्वीकार की हैं।

किन्तु उससे सहयोग का वातावरण पैदा नहीं हुआ। एक मांग के पूरा होते ही दूसरी मांग पेश कर दी जाती है।

आज इस बात पर विचार नहीं करना है कि रेल कर्मचारियों को क्या दिया जाना है। प्रश्न यह है कि ऐसे समय जब देश अभाव के दौर से गुजर रहा है, रेल कर्मचारियो को क्या हम अधिक से अधिक दे सकते हैं। प्रश्न केवल रेल कर्मचारियों का ही नहीं है। और भी लाखों व्यक्ति हैं जिनकी कठिनाइयों को दूर किया जाना है।

रेल कर्मचारियों की देशभक्ति और कार्य के प्रति उनकी लगन की मैं सराहना करती हूँ।

दूसरी ओर से हड़ताल को वापस लेने का कभी संकेत नहीं दिया गया। यद्यपि बात-चीत चल रही थी तथापि हड़ताल न करने का आश्वासन किसी ने नहीं दिया। हम उसे रोकने के लिये हर प्रकार के प्रयत्न में जूटे रहे लेकिन हड़ताल की धमकी बराबर दी जाती रही। जहां तक गिरफ्तारीयों का सम्बन्ध है, वह तो काफी देर बाद में की गई।

कुछ लोगों ने श्री ललित नारायण मिश्र का मजाक उड़ाने का प्रयत्न किया। किन्तु केवल वही एक समाचार पत्र नहीं है जिसने इस प्रकार के भाषण प्रकाशित किये। मैंने धनबाद के समाचार पत्र के बारे में नहीं सुना है किन्तु मुझे मालूम है कि अंग्रेजी तथा देश की अन्य भाषाओं में नाम प्रकाशित हुए हैं किन्तु उन प्रतिवेदनों, भाषणों से उनकी विचारधारा प्रकट होती है।

हम रेल कर्मचारियों के हितों के बारे में चिंतित हैं किन्तु हमें देश के हित को भी देखना है और यदि किसी समय हड़ताल का देश के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो कार्यवाही करनी होती है। जब तोड़-फोड़ की कार्यवाही हो रही हो—आज ही एक रेल के पटरी से उतर जाने का समाचार मिला है तो हमें इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी है। यदि हमने कार्यवाही न की तो समस्त राष्ट्र हमें दोषी ठहरायेगा (**व्यवधान**)। यदि हमने यह महसूस किया होता कि हड़ताल को रोकने की एक प्रतिशत भी आशा है, तो गिरफ्तारियां नहीं की जाती और अन्य प्रकार की अनेक कार्यवाहियां भी न की जातीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप गलत हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने अपने विचार तथा जो मेरी जानकारी है वही प्रस्तुत की है।

एक बात यह है जिस पर हम सभी सहमत हैं। वह यह है कि इस समय देश एक अत्यधिक कठिन एवं गम्भीर संकट से गुजर रहा है। दूसरी बात यह है कि हड़ताल से निश्चय ही स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी। चुंकि अब हड़ताल की सूचना दी जा चुकी है और इसके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं . . (**व्यवधान**)। इस हड़ताल का देश के निर्धन तथा कमजोर वर्गों पर बुरा-प्रभाव पड़ेगा। अब आप हमसे हड़ताल रोकने के लिए कहते हैं। सरकार ने तो हड़ताल की सूचना नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : रिहाई कीजिए और बातचीत आरम्भ कीजिए। **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे हड़तालों की संख्या के बारे में चिन्ता नहीं है। मैं नहीं चाहती हूं कि इस बात पर वाद-विवाद हो कितनी गाड़ियां चल रही हैं और कितनी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जो काम पर नहीं आये हैं और यदि उन्हें डराया नहीं जाता तो वे ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहते। इसी सभा में विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्हें बड़ी संख्या में तार मिले हैं जिनमें कहा गया है कि रेल कर्मचारियों को डराया, धमकाया जा रहा है। तथ्य यह है कि उन्हें तार मिले हैं चाहे वे किसी से मिले हों और ऐसे कर्मचारियों की रक्षा की जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या आपके रेल मंत्री प्रति धमकी नहीं दे रहे हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह काफी बाद की स्थिति में हुआ है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि पहले ही तोड़-फोड़ की कार्यवाही हुई है और यह योजनाबद्ध ढंग से हुई है।

हड़ताल एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम हड़ताल के विरुद्ध नहीं हैं। यदि हड़ताल वैध हैं तो हम हड़तालों का समर्थन करते हैं। किन्तु राष्ट्र के जीवन में कभी ऐसा समय भी आता है जबकि अन्य बातों का अधिक महत्व होता है और आज ऐसा ही समय है। आज प्रत्येक व्यक्ति को यह देखना है कि वर्तमान स्थिति में सुधार हो। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हड़ताल से रेल कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा। इससे न केवल निर्धन वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अपितु इस से आम जनता को भी असुविधा होगी और इसका रेल कर्मचारियों और उनके बच्चों के भविष्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्यों न इसे निपटाने का प्रयत्न किया जाये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमने इसे निपटाने का पूरा प्रयत्न किया है। हमारे विचार से इससे देश के निर्धन लोगों को अधिक असुविधा होगी। मैं रेल कर्मचारियों की कठिनाइयों को जानती हूँ किन्तु यह कठिनाईयां केवल उनकी ही नहीं है अपितु सभी वर्गों की हैं। जो लोग आज संगठित नहीं है उन पर इसका बोझ अधिक है। जितना अधिक संगठित वर्ग को दिया जायेगा, उससे कम बेरोजगारों और अन्य वर्गों के लोगों को दिया जायेगा।

श्यामनन्दन मिश्र : केवल एक ही वर्ष में पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस समस्या का तभी समाधान हो सकता है जब बैठकर सोचे कि किस प्रकार इस का समाधान हो सकता है। हमारी समस्या शेष देश की समस्या से अलग नहीं है। यह एक व्यापक समस्या है। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और देश के हित में उचित समझौता करना चाहते हैं। यही कारण है कि हड़ताल की सूचना दिये जाने के बाद भी हमने बातचीत जारी रखी। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं।

हमें यह विचार करना है कि किसे धमकी दी जा रही है। यह हमारे लिए एक धमकी है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है और इसके गम्भीर परिणाम होने जा रहे हैं **(व्यवधान)**। हम केवल प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही कर रहे हैं और जो उचित है वही कर रहे हैं। हम हड़तालियों के विरुद्ध सीमा सुरक्षा बल अथवा पुलिस अथवा सेना का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं हम इनका प्रयोग रेलवे के हितों की रक्षा के लिए करना चाहते हैं जिनका समस्त लोगों के हितों से सम्बन्ध है।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain): Railway employees are being drawn out of their residences and are being beaten.

Smt. Indira Gandhi: It does not matter when you beat the people.

अध्यक्ष महोदय : मेरा आप सभी से निवेदन है कि उनके भाषण में हस्तक्षेप न करें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे साथी, रेल मंत्री ने जो अतिरिक्त धनराशि देने के लिए कहा है वह वेतन संशोधन तथा महंगाई भत्ते के अतिरिक्त है। किन्तु जो मांग की गई है वह बहुत अधिक है। वास्तव में कुछ लोगों ने निजी तौर पर कहा है कि सरकार के लिए इन मांगों को मानना बहुत कठिन है . . . (**व्यवधान**) ।

हम जानते हैं कि देश में मजूरी का ढांचा वह नहीं है जो होना चाहिए। हम जानते हैं कि इसमें बहुत हद तक अन्याय है। यह विषमताओं और विरोधाभासों की पहेलियों से भरा है। इसमें सुधार करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने इसका संतोषजनक हल निकाल लिया है यह नितांत आवश्यक है कि कुछ समरूपता लायी जाय किन्तु यह काम एक रात में पूरा नहीं किया जा सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के रचनात्मक सुझावों का आदर करेंगे। कुछ वास्तविक कठिनाइयां है और हमें उन्हें दूर करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हमने अन्य मांगों को माना है। किन्तु इससे और मांगे बढ़ी हैं यह एक सतत प्रक्रिया है।

अब समय आ गया है कि हम सब को मिलकर आर्थिक संकट का सामना करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत यह विश्वास है कि योजना असफल नहीं रही है। हमें कुछ समंजन करने हैं क्योंकि ईंधन तथा अन्य विभिन्न संसाधनों के मूल्य में वृद्धि हुई है। हम इन कठिनाईयों के बावजूद भी आगे बढ़ रहे हैं। कठिनाइयों को कम करने का अर्थ यह नहीं है कि नई कठिनाइयां पैदा की जाएं। हमें उत्पादन बढ़ाना है और उसका उचित वितरण सुनिश्चित करना है। मैं यह महसूस करती हूं कि वितरण उचित नहीं है किन्तु यह तत्काल और विशेष रूप से आर्थिक कठिनाई के समय नहीं किया जा सकता है।

विपक्ष के नेताओंने यह घोषणा करने में संकोच नहीं किया है कि उनका उद्देश्य सरकार को कमजोर करने का है किसी भी दिन के समाचार पत्र देख लीजिए आपको इस प्रकार के कई वक्तव्य पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में मिलेंगे। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है यदि सरकार या कांग्रेस कमजोर होती है किन्तु यदि देश कमजोर होता है तो यह चिन्ता की बात है।

कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब से सत्ता संभाली है उसने मजदूरों के अधिकारों में सुधार किया है तथा उनके कल्याण पर अधिक ध्यान दिया है। गत कुछ वर्षों में हमारी नीतियां पहले से अधीक श्रमिकों के समर्थन में रही हैं। मैं तो यह कहुंगी कि गत पांच वर्षों में देश के इतिहास में मजदूरों के हित के लिए इतना अधिक काम किया गया है जितना कि पहले कभी नहीं किया गया। किन्तु श्रमिकों के समर्थन का अर्थ यह नही है कि उचित अनुचित सभी मांगों के स्वीकार किया जाये हम श्रमिक समर्थक हैं किन्तु हम देश के हित के समर्थक भी हैं। देश के हित पहले हैं और ये हित किसी एक वर्ग के हितों से कहों अधिक हैं। आज हम उन मांगों को जिनका अन्य वर्गों की ओर संकेत किया गया हैं, नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विपक्ष ने प्रत्येक बात को मेरे ऊपर मढ़ने का प्रयत्न किया है तथा किसी भी कार्यक्रम का विकल्प नहीं दिया है।

आल इन्डिया रेडियो का उल्लेख किया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि रेडियो का उद्देश्य सरकार की नीतियों का प्रसार करना नहीं है। यह कांग्रेस दल की नीतियां नहीं है। ये वे नितियां है जिन्ह संसद् तथा राज्य विधान सभाओं द्वारा स्वीकृत किया गया है और पास किया गया है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : प्रधान मंत्री के अनुसार संसद् में केवल सरकार या बहुमत आता है मुझे खेद है कि मेरा संसद से यह अभिप्राय नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री मोदी कोई भी अर्थ लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। विश्व में कहीं भी विधान बहुमत से ही पास होता है, अल्पमत से नहीं। सरकार संसद तथा विधान मण्डलों द्वारा पारित नीतियों का अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध है, और सरकार का यही मुख्य कार्य है।

प्रस्ताव में सरकार की असफलता के लिए आलोचना की गई है। वास्तव में यह विपक्ष का अपनी ही असफलता पर उनका हतोत्साहित होना है तथा सरकार का उन सभी बाधाओं पर काबू पाने पर सफलता है जिन्हें उन्होंने निरन्तर हमारे रास्ते में खड़ी की हैं (**व्यवधान**)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : देश में जो समस्याएं हैं वे विपक्ष ने पैदा की हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं यह कह सकती हूं कि यह मैंने कभी नहीं कहा कि हमारी सभी कठिनाइयों के लिए विपक्ष दोषी है। मैंने यह कहा है कि विपक्ष लोगों के असंतोष का लाभ उठाता है। कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जो हमारी त्रुटियों के कारण होती हैं किन्तु बहुत सी कठिनाइयां ऐसी हैं जो कतिपय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय संकट, बाहरी आक्रमण आदि से उत्पन्न होती हैं। मैं यह मानती हूं कि हमने गलतियां की हैं किन्तु हम हमेशा उन्हें सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हमने कभी भी सम्मान का प्रश्न नहीं बनाया है . . . (**व्यवधान**)। मैंने यह स्पष्ट रुप से कहा है कि यदि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तो हमें ऐसा करने में कोई संकोच नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप जेल का दरवाजा खोल सकते हैं किन्तु कम से कम बातचीत के लिए तो दरवाजा खोलिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नहीं चाहती कि यह वाद-विवाद लम्बा चले। मैं फिर यह दोहराना चाहती हूं कि हमें रेल कर्मचारियों के साथ तथा उनके कष्टों के साथ पूरी सहानुभूति है। हम नहीं चाहते कि वे तथा उनके परिवार किसी प्रकार कष्ट में रहें। हम हमेशा उनके कष्टों के बारे में उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। उनकी अनेक मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। इससे उनकी कई बुनियादी कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी किन्तु एक दो बाते ऐसी हैं जिन पर सरकार सहमत नहीं हो सकती है। यदि सदस्य स्वयं इस पर विचार करें तो उन्हें पता चलेगा कि ये ऐसी बातें हैं जिन पर हम अभी विचार नहीं कर सकते हैं। हम यह भी नहीं कह सकते कि हम सिद्धान्त रुप में सहमत हैं क्योंकि इससे अन्य वर्ग भी मांग पेश करेंगे। हम समुचे मजदूरी के ढांचे पर विचार कर रहें हैं। यही स्थिति है। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि विपक्ष गड़बड़ी पैदा करते हैं। मेरा यह भी तात्पर्य नहीं है कि विपक्ष कमी पैदा करता है।

कई माननीय सदस्यों ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि अविश्वास प्रस्ताव का तात्पर्य अविश्वास से बिकुलल नहीं है और यह प्रस्ताव केवल इस कारण लाया गया कि कल वादविवाद की अनुमति नहीं दी गई थी . . . (**व्यवधान**) मुझे केवल यही कहना है कि कई माननीय सदस्यों ने कल अपना भाषण आरम्भ करते हुए कहा कि यह अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आता यदि उस से पहले दिन इस पर स्थगन प्रस्ताव अथवा वादविवाद की अनुमति दी गई होती। चूंकि अब वादविवाद हो चुका है और उन्होंने जो कुछ कहना था कह चुके हैं तो अब मुझे आशा है कि वे अपना अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने प्रधान मंत्री को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है किन्तु जितनी निराषा आज हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। किन्तु आज उन्होंने बिना रुके भाषण दिया है जिससे उनके मन की बात का पता चलता है।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि श्रमिकों की स्थिति सुधारी है, उनके रहन-सहन में सुधार हुआ है। काश प्रधान मंत्री थोड़ा समय निकाल कर उन सरकारी दस्तावेजों को देखती जिनमें कहा गया है कि श्रमिकों की वास्तविक आय पिछले 22 वर्षों में केवल 2% बढ़ी है।

हड़ताल की समूची जिम्मेदारी सरकार पर है। गृह मंत्रालय से 2 अप्रैल को एक पत्र लिखा गया था जिसमें निहित बातों की पुष्ठि 7 अप्रल को विस्तार से लिखे गये पत्र में की गई। उसमें लिखा था कि अपना जाल खूब फैला दो और सभी को घेरे में ले ली। यह कार्य न तो समय से पहले हो और न ही इसमें अत्यधिक विलम्ब हो। पत्र पर 7 अप्रैल की तारीख है और उस समय वार्ता आरम्भ भी नहीं हुई थी। रेल मंत्री ने 2 मई को अपने भाषण में कहा कि श्री फर्नान्डीस रेल कर्मचारियों को हिंसा के लिये भड़काते है और 23 मार्च को उन्होंने कलकत्ता में क्षेत्रीय सेना के साथ संघर्ष की धमकी दी है यदि इस सेना ने हड़ताल में हस्तक्षेप किया। यदि फर्नान्डिस ने 23 मार्च को कोई राष्ट्रविरोधी बात कही थी तो सरकार एक महीना दस दिन तक चुप क्यों बैठी रही। उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

प्रधान मंत्री ने देश में संकट की बात कही है लेकिन यह संकट किसने पैदा किया है। क्या सरकार ने एकाधिकारियों के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर दिया है? अधिक से अधिक धन अनुत्पादक कार्यों के लिये व्यय किया जा रहा है। देश में 7000 करोड़ रुपये का काला धन चल रहा है रेल कमचारियों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षण पुलिस और सेना का प्रयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों को घरों से घसीट-घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है। उनमें वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न की जा रही हैं। क्या सरकार इस प्रकार समस्या को सुलझा सकेगी?

प्रधान मंत्री ने प्रैस स्वतंत्रता की बात कही है। इससे बड़ा झूठ नहीं बोला जा सकता। "करंट" की खरीदे जाने की "स्वदेशमिश्रण" की बात वह क्यों भूल जाती हैं। "नेशनल हेराल्ड" की बात अभी मैं नहीं ले रहा। इस देश की जनता की आवाज को कुचला जा रहा है। आपने जो कुछ कहा वह फासिस्टवादी शासन में तो ठीक कहा जा सकता है लेकिन लोकतंत्र में यह बात बिलकूल उचित नहीं है। मंत्रियों को कभी कोई विभाग दिया जाता है और कभी कोई जिससे एक मंत्रालय की जानकारी पूरी तरह नहीं जान पाता और प्रशासन में गड़बड़ी हो जाती है। मंत्री को यह विश्वास नहीं होता कि क्या कल भी वह इसी विभाग में बना रहेगा।

सही बात यह है कि सरकार रेल कमचारियों के साथ वार्ता करना ही नहीं चाहती। मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गये। किन्तु स्थिति को सामान्य बनाने का उपाय यही है कि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा किया जाये। ऐसी स्थिति पैदा की जाये जिसमें वार्ता आरंभ की जा सके और कोई सम्मान-जनक समझौता हो जाय।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं, प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : सभा आज 11 बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock.

GIPN—S3—19 L. S. S./74—22-9-74—490.